राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] **बारहवीं विधान सभा के पंचम सत्र का छत्तीसवां दिवस** **[संख्या : 23**

मंगलवार

4 अप्रैल, 2006

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

तकनीकी शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन

377. **श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में विभिन्न पदों पर पदोन्नतियां किन नियमों के तहत की जा रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 1 सितम्बर, 1996 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अभिशंसा करने एवं राज्य के वित्त विभाग द्वारा अक्टूबर, 2001 में आदेश जारी करने के पश्चात् भी तकनीकी शिक्षा सेवा नियम, 1973 में अब तक संशोधन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 1996 के पश्चात् विभिन्न पदों पर की गई पदोन्नतियां नियमानुसार हैं ?

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी): (1) राज्य के पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में विभिन्न पदों पर (राजपत्रित) पदोन्नतियां विद्यमान राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम, 1973 के प्रावधानानुसार की जा रही हैं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(2) संशोधन की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

(3) दिनांक 1.9.1996 के पश्चात् वर्तमान तक पदोन्नतियां वर्तमान में विद्यमान राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम, 1973 के नियमानुसार की गई हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 19.9.1988 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली की अभिशंसा के अनुरूप वेतनमान दिये जाने का निर्णय मंत्रिमण्डलीय समिति, राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया? नम्बर एक।

नम्बर दो, 30.1.1999 और 25.10.2001 को राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा एक सर्कूलर जारी किया गया जिसमें राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा पोलिटेक्निक शिक्षकों हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली की अभिशंसा के अनुरूप संशोधित वेतनमान दिये जाने, हेतु आदेश जारी किये गये जिसमें यह संशोधन वर्णित है कि राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम, 1973 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुरूप संशोधन करके ही वेतनमान लागू किये जाएं। जब राज्य के वित्त विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिये कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सेवा नियमों के अनुरूप आप संशोधन करेंगे उसके बाद ही यह वेतनमान लागू होंगे और उसी के अनुरूप योग्यता और भर्ती प्रक्रिया भी होगी और उसी के अनुरूप पदोन्नति भी की जाएगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल उन लोगों को जो योग्य नहीं थे और पुराने थे पदोन्नति देने के लिए राजस्थान सेवा नियमों का हवाला देकर ए.आई.सी.टी.ई. के नियमों के हिसाब से आपने उनको वेतनमान तो दे दिये लेकिन पदोन्नति के लिए उन नियमों में संशोधन नहीं किया और राजस्थान सेवा नियमों के हिसाब से आपने पदोन्नति दे दी, वेतनमान दे रहे हैं आप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की अनुशंसा पर और पदोन्नति में आप यहां सेवा नियम लागू कर रहे हैं, इस विसंगति के बारे में माननीय मंत्री महोदय का क्या कहना है ?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ए.आई.सी.टी.ई. के फोर्थ पे-स्केल को माननीय भैरोंसिंह की सरकार के समय 19.9.1988 में लागू करने की स्वीकृति दी गई लेकिन 13.9.1999 को फोर्थ

(श्री वासुदेव देवनानी)

पे-स्केल लागू किये गये। उसका फिफ्थ पे-स्केल, ए.आई.सी.टी.ई. के पे-स्केल 25.10.2001 को लागू किये गये हैं। सेवा नियम ए.आई.सी.टी.ई. में उसमें कहा था कि ए.आई.सी.टी.ई. के जो पे-स्केल्स हैं और ए.आई.सी.टी.ई. के जो सेवा नियम हैं हमने तब से सेवा नियम बनाने प्रारंभ किये लेकिन 2001 से लेकर दिसम्बर, 2003 तक उसमें किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुई, दिसम्बर, 2003 में, मैं बता सकता हूं कि 18.12.2003 को पहली बार लॉ से सहमति लेकर उस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी जो प्रभारी मंत्री भी थे उन्होंने 3.2.2004 को इसकी स्वीकृति दी। उसके बाद लगातार कार्मिक, विभाग फाइनैंस, आर.पी.एस.सी. और लॉ विभागों में क्रम से होते हुए अब 4.3.2006 को यह लॉ के पास फाइनल विचाराधीन है जिसको हम बहुत जल्दी लागू करेंगे लेकिन बीच में वहां काम करने वाले लोगों को किसी प्रकार का नुकसान न हो इसके लिए हमने पे-स्कूल लागू किये। नये जो नियम हैं उसमें किसी प्रकार की पदोन्नति का प्रावधान नहीं है, पुराने नियमों में पदोन्नति है। अभी जो कैडर है, लेक्चरार, सीनियर लेक्चरर, एच.ओ.डी., प्रिंसिपल, डिप्टी डाइरेक्टर, ज्वाइंट डाइरेक्टर और डाइरेक्ट के पद हैं नये जो हैं उसमें सीधा हर पद डाइरेक्ट रिक्रूटमैंट का है जिसमें लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, एच.ओ.डी. और प्रिंसिपल यहां तक के पद ए.आई.सी.टी.ई. ने कहें हैं जिसको हम सीधे रिक्रूटमैंट के द्वारा लेने वाले हैं इसलिए किसी को पदोन्नति का कोई नुकसान नहीं हुआ है, उलटा लाभ ही हुआ है। लेकिन जिस समय यह हमारी सरकार के पास आया, उस समय राजस्थान में 21 पोलिटेक्निक में से 18 पोलिटेक्निक प्रिंसिपल नहीं थे, एच.ओ.डी. नहीं, थे तो निश्चित रूप से व्यवस्था चलाने के लिए आवश्यक था तो हमने यह लॉ से पूछा, लॉ ने हमको 18.12.2000 को कहा कि नये सेवा नियम पूर्वगामी प्रभाव से लागू नहीं किये जा सकते हैं इसलिए कार्यकर्ताओं, वर्कर्स के हित में और इस सिस्टम को चलाये रखने में हमने पदोन्नति जो 1973 से नियम हैं उसके अनुसार दी गई, उसके अनुसार हमने 120 पदोन्नतियां अलग-अलग राजपत्रित अधिकारियों को देकर उसमें से 25 पर प्रिंसिपल/डिप्टी डाइरेक्ट बिना हैड के कोई संस्था चल नहीं सकती, एच.ओ.डी. इत्यादि सब हमने नियुक्त किये और 45 हमने नॉन गजेटेड लिये इसलिए इनका किसी प्रकार का नहीं है और नये नियम लागू होने के बाद भी उसमें केरियर जहां प्रमोशन नहीं है लेकिन उसके साथ केरियर एडवांस स्कीम है। अतः सब के हितों की सरकार को चिंता है उनको केरियर एडवांसमैंट मिलेगा

(श्री वासुदेव देवनानी)

और सीधे रिक्रूटमैंट के लिए भी पांच साल का इसमें क्वालिफिकेशन इम्प्रूवमैंट करने का प्रावधान है जिसको हम बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल मैं इतना जानना चाह रहा हूं 25.10.2001 को राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने स्पष्ट लिखा है कि आप राजस्थान तकनीकी सेवा नियम, 1973 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुरूप संशोधन के बाद ही नये वेतनमान लागू कर सकते हैं, अब आपने वेतनमान तो लागू कर दिये और उसमें संशोधन नहीं किया, केवल आपको वेतनमान लागू करना था, सेवा नियमों में संशोधन नहीं किया क्योंकि आप कुछ लोगों को प्रमोशन देना चाहते थे और सेवा नियम लागू हो जाते तो वह प्रमोशन रुक जाते, इस विसंगति के बारे में क्या कहना है, आप इसको रिव्यू करेंगे, इसका पुनरीक्षण करवाएंगे क्या? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त विभाग का आदेश है यह 25.10.2001 में स्पष्ट लिखा है कि आप वेतनमान तभी लागू करेंगे जब सेवा नियम में 1973 के जो हैं उसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुरूप संशोधन करेंगे बिना संशोधन किये आपने वित्त विभाग के आदेश का भी वायोलेशन किया और सीधे आपने वेतनमान लागू कर दिया और पदोन्नतियां भी कर दी।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं भी कोई विसंगति नहीं है, वित्त विभाग ने नये नियम बनाने के लिए कहा, उसको सरकार ने बनाना प्रारंभ किया लेकिन वेतनमान देने के लिए वित्त विभाग ने मना नहीं किया, यह मेरे पास 25.10.2001 के शिक्षकों का पांचवां ए.आई.सी.टी.ई वेतनमान दिये जाने हेतु नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसमें नये सेवा नियम बनाने के लिए कहा है और नये सेवा नियमों में किसी भी, वर्तमान कोई भी नये नियम लागू होते हैं, वर्तमान में जो कार्यकर्ता या वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनके हितों का संरक्षण किया जाता है, उनके हितों का संरक्षण पूरी तरह किया गया है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, यहां जो पदोन्नतियां जिनको मिली हैं वे उनकी ड्यू थी, उनको मिली हैं, यू.जी.सी. ने जो पे-स्केल लागू किये हैं सारे पुराने लोगों के हितों का उसमें ध्यान रखते हुए किया गया है और नये नियमों में भी उनके हितों का संरक्षण है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वित्त

(श्री प्रहलाद गुंजल)

विभाग का पत्र क्रमांक आदेश एफ.16/68/एफडी/रूल्स/98 दिनांक 25.10.2001 इसमें स्पष्ट लिखा है राजस्थान तकनीकी सेवा नियम, 1973 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुरूप संशोधन करके ही वेतनमान लागू किये जाएंगे, आप सेवा नियमों में संशोधन कर नहीं रहे हो, वेतनमान लागू कर दिये, संशोधन कर देते तो आप पदोन्नतियां नहीं कर सकते हैं जिन लोगों को लाभ दिलाना है।

श्री अध्यक्षः यह क्वेश्चन ऑवर तो सूचना प्राप्त करने के लिए होता है, जब आपके पास सूचना है तो पूछ क्या रहे हो आप ? (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): नहीं, इस विसंगति के बारे में क्या कहना है, इससे एजुकेशन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ रहा है जो हाइली एजुकेशन जिन लोगों के पास है। (व्यवधान) वह इसमें पात्रता नहीं रखते, उनको तो प्रमोशन दिया ही नहीं।

श्री अध्यक्षः हां, सी.पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जब 25.10.2001 को फाइनेंस डिपार्टमैंट ने लिखा कि आप नियमों में संशोधन करेंगे, आपने नियमों में संशोधन नहीं किये और आप पे-स्केल दे रहे हैं ए.आई.सी.टी.ई के कहने से और प्रमोशन दे रहे हैं आप पुराने, उसके हिसाब से आपने खुद ने कहा कि हमारे पोलिटेक्निक में प्रिंसिपल नहीं थे, यह नहीं थे, वह जो प्रमोशन आपने किये, एच.ओ.डी. और प्रिंसिपल के वह 73 के आधार पर किये हैं।

और आप जो पे-स्केल दे रहे हैं ए.आई.सी.टी.ई. के नये नार्म्स के आधार पर दे रहे हैं, यह कंट्राडिक्शन नहीं है ?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इसमें वित्त विभाग का जो परिपत्र 2001 का है, कृपया उसके बिन्दु संख्या 12 को देखें, उसमें स्पष्ट लिखा है नियमों को संशोधित करने की जरूर शर्त है लेकिन उसमें जो हम 1973 के अन्तर्गत कर रहे हैं और जो नये नियम हैं उनमें बहुत अधिक अन्तर नहीं है। केवल इसमें सीधा रिक्रूटमैंट है, उसमें प्रमोशन है। सीधा रिक्रूटमैंट के अलावा नहीं है और सीधे रिक्रूटमेंट वाले भी पांच साल में क्वालिफाई कर सकते हैं लेकिन उसमें भी नियम है जैसे लेक्चरर का सीनियर लैक्चरर बनने के लिए 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, एचओ.डी. बनने के लिए 10 साल

(श्री वासुदेव देवनानी)

का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्रिंसिपल बनने के लिए 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और एजएचओडी पांच साल का एक्सपीरियंस है। यह नियमों में प्रावधान है, नियमानुसार की गई है। नये नियमों में प्रत्येक पद के लिए केवल जो एक बेसिक अन्तर है कि वहां लेक्चरर अभी के 1973 के नियमों में लेक्चरर जिसका सीधा रिक्रूटममैंट करते हैं उसमें सैकण्ड डिवीजन बी.ई. होल्डर है और उसमें बढ़कर के ए.आई.सी.टी.ई. ने फर्स्ट डिवीजन बी.ई. होल्डर एज ए टाइम लेक्चरर के रिक्रूटमैंट के लिए है। आगे उसमें केवल एचओडी में है जहां पर उसमें एम.ई. मांगा है। चूंकि वर्तमान में कई लोग अब एम.ई. करते जा रहे हैं, मैं समझता हूं जैसे ही ये नियम लागू होंगे उसका एक प्रोसेस होता है, आगे कार्मिक विभाग में जाता है, आर पी.एस.सी में जाता है, लॉ में जाता है, डी.ओ.पी. में जाता है, सारी चीजें होकर के प्रोसीजर एक्सप्लॉयट किया है। गत दो वर्षों में मेरे पास एक-एक डेट के लैटर्स हैं, हमने पूरा प्रयत्न किया है और मार्च में जाकर के हम फाइनल स्टेज पर पहुंचे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसको हम लागू कर देंगे, इतना आश्वासन देता हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप जो कह रहे हैं वह अलग है। आप जो कह रहे हैं वह यह है कि इस क्षण तक रूल्स में संशोधन नहीं हुआ है। रूल्स में संशोधन नहीं हुआ है तो आप ए.आई.सी.टी.ई. सैलेरी दे रहे हैं, उन 1973 में जिन लोगों को प्रमोशन किया है एच.ओ.डी. और उनको वो ए.आई.सी.टी.ई. के नये पे-स्केल के बाद प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमैंट का प्रोविजन है। आपने पे-स्केल भी दे दिया, डायरेक्टर रिक्रूटमैंट को भी अवॉइड कर दिया और प्रमोशन भी दे रहे हैं आप, तो आपके इंटेंशन अच्छे हैं, आप इसको ठीक करना चाहते हैं पर एट-प्रजेंट जो स्थिति बनी हुई है उसमें 1973 के आधार पर आप जो प्रमोशन दे रहे हैं वह नई वेतन शृंखला देने के विपरीत है, यह सरकार को मानना चाहिए। आपके एफर्ट्स अलग हों लेकिन कानून यह कहता है कि जो कुछ भी आप प्रेक्टिस आज कर रहे हैं वह प्रेक्टिस के हिसाब से गलत है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ लूं फिर जवाब दे देना, मंत्री महोदय। 30.12.1999 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा पोलोटेक्निक शिक्षकों के 5वें वेतनमान के अनुरूप संशोधित वेतनमान और सेवा नियम जारी कर दिये उसका लैटर क्रमांक एफ

(श्री प्रहलाद गुंजल)

1/65/सी डी एन ई सी/98-99 दिनांक 30.12.1999 है इसके तत्काल बाद 13.1.1999 को राज्य सरकार के वित्त विभाग ने तुरंत आदेश जारी कर दिये कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अभिशंसित वेतनमान के अनुरूप वेतनमान दिये जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया जिसमें यह स्पष्ट वर्णित है कि राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम, 1973 में योग्यता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि में अखिल भारतीय तकनीकी सेवा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र क्रमांक नम्बर एफ. 6689/टी एस टी डी-4 दिनांक 20.9.1989 के अनुरूप संशोधन करके ही वेतनमान जारी किये जाएं। यह आदेश की कापी है। उसके बाद आपने संशोधित वेतनमान तो जारी कर दिये, सेवा नियमों में संशोधन इसलिए नहीं किया कि आपको जिनको पदोन्नति देनी थी उसकी प्रक्रिया बाधित हो रही थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): वो ही पूछ रहा हूं। सेवा नियमों में संशोधन क्यों नहीं किया इसलिए कि आपको जिनको प्रमोशन देना था उसकी प्रक्रिया बाधित हो गई। इसका इम्प्रेशन यह है कि जो हाइली क्वालिफाइड लैक्चरर्स हैं उनकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। गलत तरीके से प्रमोशन दे दिया।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): एक भी गलत प्रमोशन नहीं हुआ है, न किसी क्वालिफाइड लैक्चरर के हितों की अनदेखी की गई है। जितने भी लैक्चरर्स क्वालिफाइड थे, सब उसमें सीनियर लैक्चरर, एच ओ डी और प्रिंसिपल बने हैं। किसी प्रकार से उनके हितों की अनदेखी नहीं की गई है। हम नियमों की पालना कर रहे हैं और यही लॉ का कहना है कि नये सेवा नियम पूर्वगामी प्रभाव से लागू नहीं किये जा सकते। जैसे ही नियम लागू होंगे उसके पहले की सारी गतिविधियां, पहले की सारी कार्यवाही पुराने नियमों के अनुसार की जाती रही है, उसके अनुसार की जाए। इसमें किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की सरकार की कोई मंशा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट, चौधरी विनोद कुमार।

हनुमानगढ़ जिले क्षेत्र में पक्के खालों के निर्माण हेतु विशेष आर्थिक सहायता

378. चौधरी विनोद कुमार (हनुमानगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जल बचत पर विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या इस योजना के अन्तर्गत तहसील हनुमानगढ़, संगरिया, पीलीबंगा में सरकार भाखड़ा क्षेत्र की सार्दुल ब्रांच व करणी ब्रांच में पक्के खाले बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसके लिए कितना बजट प्रस्तावित है व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्रों की दयनीय आर्थिक स्थिति के मद्देनजर 90 प्रतिशत राशि व जन सहयोग से 10 प्रतिशत राशि के आधार पर पक्के खाले निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री सांवर लाल): (1) सिंचाई के लिए पानी का अधिकतम उपयोग हो इसके लिए फव्वारा सिंचाई, ड्रिप सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है एवं खालों को पक्का कराया जा रहा है। तहसील हनुमानगढ़, संगरिया, पीलीबंगा में भाखड़ा क्षेत्र की सार्दुल ब्रांच व करणीसिंह ब्रांच में पक्के खालों के निर्माण की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(2) सिंचित क्षेत्रों में पक्का खाला निर्माण कार्यों की योजना जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है।

चौधरी विनोद कुमार (हनुमानगढ़): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पानी की कमी को देखते हुए जब हम नहरों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं और फव्वारा पद्धति और बूंद-बूंद सिंचाई के लिए भी हम 50 प्रतिशत के लगभग सब्सिडी दे रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि भाखड़ा क्षेत्र के अन्दर जिसमें ये 3-4 तहसीलें ही आती हैं हनुमानगढ़, संगरिया, पीलीबंगा और सार्दुलशहर का कुछ एरिया है, यह जो पानी है, जो आउटलेट है वो एक और दो क्यूसेक के लगभग है और इसके अन्दर सबसे ज्यादा पानी का सीपेज होता है। मेरे ख्याल में 25 प्रतिशत पानी हमारा व्यर्थ जा रहा है। जिस तरह से नहर के अन्दर आखिरी छोर तक पानी पहुंचने की हम बात करते हैं, अगर ये खाले पक्के हो जाएं तो चक के अन्दर आखिरी छोर तक पूरा पानी मिल सकता है और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा बचत इसमें होगी। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इसके लिए

(चौधरी विनोद कुमार)

भी अलग से कोई बजट का प्रावधान रखा जाए जिससे ये खाले पक्के हो सकें क्योंकि यह भाखड़ा सिस्टम के अन्दर 80 प्रतिशत खाले अभी कच्चे पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामप्रताप कासनिया। आप प्रश्न पूछें।

चौधरी विनोद कुमार (हनुमानगढ़): नम्बर दो, एस.जी.आर.वाई. और गुरु गोलवलकर स्कीम के सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजना के अन्दर भी यह खाले पक्के कराये जा रहे हैं उसमें जो जन भागीदारी है वह 30 प्रतिशत है। आज की किसान की हालत देखते हुए क्या उसे 10 प्रतिशत करने की सरकार इच्छा रखती है ताकि ये खाले पक्के हो सकें?

श्री अध्यक्ष: श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि भाखड़ा परियोजना के अन्दर हनुमानगढ़, गंगानगर जिले का जो एरिया है उसमें पक्के खाले निर्माण करने का आप विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं ? यदि नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं रखते हैं ? भारत सरकार को यह गाइड लाइन दी जा सकती है कि यह इलाका इतना उपजाऊ है कि एक बीघा में यहां जितना अनाज होता है, द्वितीय चरण में 10 बीघा में ही नहीं होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: निवेदन तो आप मत करो, प्रश्न पूछो।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): प्रश्न ही पूछ रहा हूं। क्या यह भी सही है कि द्वितीय चरण के अन्दर जो पक्के खालों का निर्माण किया गया उनको यूज करने से पहले वो 70-80 प्रतिशत खाले क्षतिग्रस्त हो गये ? यदि क्षतिग्रस्त हो गये हैं तो उन इंजीनियर्स के खिलाफ आप कार्यवाही करने का विचार रखते हैं ? अध्यक्ष महोदय, एक मेरा प्रश्न यह भी है कि क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्तकारों की सहभागिता से 10 प्रतिशत या 20 प्रतिशत राशि लेकर के भाखड़ा परियोजना में पक्के खाले बनवाने का विचार रखते हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष: श्री हेमाराम।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जो खाले बने हुए हैं उसमें जो टेल का मुरब्बा है वो कच्चा है...

श्री अध्यक्ष: आप खड़े क्यों हैं ? (व्यवधान)

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, हमारे गंगानगर जिले से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। पूछ लिये प्रश्न। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आखिरी जो मुरब्बा है उसके लिए पक्का खाला नहीं है जबकि आखिर में पानी सब से बाद में पहुंचता है। वैसे भी कम मिलता है और उसमें भी आखिर में कच्चा रख दिया तो उसके मुरब्बे में पानी कतई जाता ही नहीं है तो आप जब बाकी सब मुरब्बों को पक्के खालों से पानी दे रहे हो तो आखिरी वाले मुरब्बे वालों ने क्या गुनाह किया, उसने भी पैसा आपको बराबर दिया है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): इसके लिए आप पक्का खाला बनाने का विचार रखते हैं या नहीं ? अगर आप उसके लिए पक्के खाले बनाने का विचार नहीं रखते हैं और उसमें पानी कतई नहीं जा रहा है तो उसके बदले में उसको दूसरा मुरब्बा दे दीजिये। आप उसको चेंज करने का तो कम से कम यह प्रावधान कर दें। कुछ तो उसके साथ न्याय करें। उसमें कतई पानी नहीं लगता है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये न, आप तो भाषण देने लग जाते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि अंतिम खाले पर जो मुरब्बा है वह काश्तकार पानी से वंचित है उसके लिए या तो पक्का खाला बना दें या उसकी एवज में दूसरा मुरब्बा उसको अलॉट कर दें जहां पर खाला बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष: यह तो पूछ लिया।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): प्रथम चरण में भी यही हालत है।

श्री अध्यक्ष: अब आप बीच में क्यों खड़े हो गये ? माननीय मंत्रीजी।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): मेरा गंगानगर से सम्बन्धित है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री अध्यक्ष: उनका तो जवाब आ जाने दीजिये पहले।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): इसी से सम्बन्धित है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि

(श्री लालचन्द मेघवाल)

आई.जी.एन.पी. कैनाल में जिस तरह सी.ए.डी. विभाग काम कर रहा है, जो पक्के खाले बना रहे हैं उनमें जो सीमेंट दिया जाता है, डिपार्टमैंट देता है। वो पिछले...

श्री अध्यक्ष: बिलकुल अलग से प्रश्न है आपका। आप प्रश्न तो पढ़ो। (व्यवधान)

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): नहीं, इसी से सम्बन्धित है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि सी.ए.डी. विभाग जो खाले बना रहा है आई.जी.एन.पी. कैनाल में... क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गंग कैनाल और भाखड़ा में सी.ए.डी. के द्वारा खाले बनाये जा सकते हैं?

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सवाल है जैसलमेर का।

श्री अध्यक्ष: वे कनफ्यूज्ड हो जायेंगे, उनका जवाब आ जाने दीजिये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ये कच्चे खाले जैसलमेर जिले में भी हैं, यह उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। जैसलमेर जिला एक रेतीली धरती है और वास्तव में जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि आपने टेल के खाले सारे कच्चे छोड़ दिये और उस काश्तकार को किसी भी हालत में कच्चे खालों से पानी नहीं लग रहा है इसलिए कृपया टेल एंड के पोर्शन को पक्का बनाने की मंशा रखते हैं? यदि रखते हैं तो कब और नहीं तो क्यों नहीं?

एक माननीय सदस्य: रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल माननीय सदस्यों के द्वारा खड़ा किया है। अभी जो सी.ए.डी. वर्क्स के अन्तर्गत खाले पक्के का काम चल रहा है, आई.जी.एन.पी., सिद्धमुख-नोहर सिंचाई परियोजना, अमरसिंह सब ब्रांच परियोजना और चम्बल सिंचाई क्षेत्र के अन्दर, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, उस योजना में 1951 से पानी चल रहा है। सार्दुल ब्रांच और करणसिंह ब्रांच अब लगातार कई वर्षों से यह योजना चल रही है और जब से यह आई.जी.एन.पी. शुरू हुई है, तब से यह खालों का कंसेप्ट चल रहा है, निजी कुओं से भी जो पानी चलता था तो पहले कच्चे धोरे से ही पानी जाया करता था पर जब आई.जी.एन.पी. पूरे रेतीले एरिया में गई, पानी धीरे-धीरे चलता था, पानी का वेस्टेज ज्यादा होता था तो उस कंसेप्ट के आधार पर धोरा पक्का बनाया है जिसको हम खाला

(श्री सांवर लाल)

कहते हैं। यह सिस्टम चालू हुआ है और निश्चित रूप से भारत सरकार भी इसमें 50 प्रतिशत सहायता देती है। अभी जो भारत सरकार के दिशा-निर्देश हैं, उनके हिसाब से 50 प्रतिशत पैसा देती है, आई.जी.एन.पी. में 15000 रुपये उसकी कीमत निर्धारित कर रखी है पर हैक्टेयर और दूसरे में 10000 रुपये और हमने भारत सरकार को माननीय मुख्य मंत्रीजी की तरफ से भी चिट्ठी लिखाई है कि पानी का आप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसके लिए कच्चे धोरों में पानी चलता नहीं है इसलिए भारत सरकार इसमें सहयोग करे और ज्यादा से ज्यादा एरिया को इसमें कवर करना चाहिए। बीसलपुर योजना है, उसमें भी नहीं है तो भारत सरकार की तरफ से भी जवाब आया और हम बराबर प्रयासरत हैं और जो भावना आपकी है, निश्चित रूप से हमारी यह भावना है कि खाले पक्के होने चाहिए, इसके लिए हम बराबर प्रयासरत हैं और अभी जल्दी ही केन्द्रीय मंत्रीजी के साथ में मंत्रालय में भी मीटिंग रखी है, वे आयेंगे यहां पर, उनका दौरा भी है अप्रैल महीने में और उस समय भी हम उनसे बातचीत करेंगे कि आप इसमें सहयोग करें और निश्चित रूप से जो पानी कम है, एरिया अधिक है, उसमें ज्यादा से ज्यादा एरिया में पानी जाये, खाले पक्के हों, स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग बढ़े, ड्रिप इर्रिगेशन सिस्टम के प्रति लोगों की भावना पैदा हो तो सैद्धान्तिक रूप से हम सहमत हैं। अब सीपेज भी होता है। अब आपका कहना बिलकुल दुरुस्त है। नहरें जो कच्ची थीं, उनको पक्की कराने का काम लगातार चल रहा है तो उससे भी काफी पानी की सेविंग होकर दूसरे एरिया के अन्दर जो नहीं जाता था, वहां पर पानी जा रहा है।

अब जो मुख्य सवाल आपने खड़ा किया, एस.जी.आर.वाई. और गोलवलकर के लिए 30 प्रतिशत, अब यह राजस्थान सरकार से संबंधित योजना है और आपसे इस सदन में जो डिस्कस होता है, उसकी भावना पर मैं मुख्य मंत्रीजी से चर्चा करके काम करने की कोशिश करूंगा।

इसके अलावा हनुमानगढ़ में जो खाले की बात आपने उठाई है तो सारों के लिए हम तो जहां-जहां पर वाटर इर्रिगेशन सिस्टम है, हम चाहते हैं कि हर जगह खाले पक्के हो और उसके माध्यम से पानी जाये तो अधिकतम किसानों को हम पानी पहुंचाये। सरकार की मंशा इस बारे में बिलकुल स्पष्ट है।

अब सहभागिता योजना में भी स्टेट शेयर और सेन्ट्रल शेयर की आवश्यकता पड़ती है। आपने विभिन्न जगहों की जो बात उठाई है, निश्चित रूप

(श्री सांवर लाल)

से हम बराबर लगे हुए हैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से इसके बारे में विचार करेंगे।

यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है टेल एंड पर जो खाले हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग उस चक को छोड़ दिया जाता है, यह मेरी जानकारी में आया है और जानकारी में आने के बाद में मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वैसे ही पानी टेल पर लेट पहुंचता है और फिर उसको आप कच्चा खाला ही छोड़ रहे हैं पर यह विभाग के अधिकारी कहते हैं कि पुराने समय में वहां जाते-जाते पानी खतम हो गया, इस प्रकार की बात कोई कहकर कर दी जाती थी, वह आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि जहां तक पानी जायेगा, खालों को पक्का कराने की व्यवस्था मैं करूंगा और आखिरी टेल के जो खाले हैं, उस खाले को छोड़ने नहीं देंगे।

इसके अलावा सीमेंट की बात हुई है, सीमेंट विभाग देता है आई.जी.एन.पी. के खालों के निर्माण के सम्बन्ध में। आपकी क्या बात रह गई है?

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह आई.जी.एन.पी. कैनाल में सी.ए.डी. पक्के खाले बनाता है, क्या आप यह मंशा रखते हैं कि गंग कैनाल और भाखड़ा में भी उस तर्ज पर सी.ए.डी. कोई पक्के खाले, जो कहीं बने नहीं हैं सारे, कहीं बीच-बीच में पक्के खाले नहीं हैं, क्या बनाने की व्यवस्था करते हैं?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस विभाग का नाम ही सी.ए.डी. है सिंचित क्षेत्र विकास, जहां पर भी पानी जाता है, हमारा प्रयास है कि सब एरिया के अन्दर पक्के खाले का निर्माण हो जिससे ज्यादा पानी का आप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ज्यादा लोग लाभान्वित हों।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैंने निवेदन किया कि जो पूर्व में निर्माण किये हुए खाले हैं, वे ज्यादातर क्षतिग्रस्त हो गये और थोड़े नहीं, 50 प्रतिशत है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वह सारे के सारे खाले क्षतिग्रस्त हो गये। क्या उन इंजीनियरों के खिलाफ आप कार्यवाही करने का विचार रखते हैं? यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय सदस्य की चिंता बिलकुल वाजिब है। अब जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां पर खालों के सम्बन्ध में कई समस्या है। एक तो रेत चलती है, वहां पर आंधियां चलती हैं। खाला तो इतना सा होता है, अब उसमें रेत भर जाती है तो कई जगह तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी दौरे पर गया हूं तो खाले मुझे नजर ही नहीं आये। मैंने कहा कि खाले कहां है और फिर उस आइडिया के हिसाब से ले जाकर, उस रेत को निकाल कर बताया। कई जगह पर पानी नहीं गया, उससे पहले ही टूट-फूट भी हो गई तो हमने अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं। अब कब तक जांच हो, इसके सम्बन्ध में भी टाइम-बाउंड हम कर देंगे पर जहां-जहां पर टूटे-फूटे खाले हैं और पानी चलने से पहले क्षतिग्रस्त हो गये, निश्चित रूप से उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन करने की हम कार्यवाही करेंगे। यह तो सतत् प्रक्रिया भी है और जहां पानी नहीं आता है वहां हम करते भी हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन नहीं है कि मिट्टी भर गई है। मेरा यह निवेदन है कि ईंट दो नम्बर की यूज की गई है और मसाला सही यूज नहीं किया गया हो यानी, आपके जो मापदण्ड हैं, उनके अनुसार उन खालों का निर्माण कार्य नहीं हुआ है और यह वर्षों से परम्परा है, 20-25 सालों से चल रहा है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपके निवेदन के साथ मैंने दूसरी आपको एडिशनल जानकारी दी है। खाले तो मैंने कहा ही है कि सब-स्टैण्डर्ड मैटीरियल हो या पानी चलने से पहले अगर टूट गये तो उनकी कार्यवाही करूंगा मैं, दूसरा और बताया कि रेत भी भर गई है इसलिए इस बार राज्य सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय, खालों को ढंकने का विशेष अभियान लगभग 30 करोड़ रुपये का काम कराया है जिससे राजस्थान के किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिला है।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने फरमाया कि हमने ड्राट कवरिंग का काम करवाया है। अध्यक्ष महोदय, कोलायत और पूगल क्षेत्र में आपने करीब 20 करोड़ का डाट कवरिंग का काम करवाया है, इसके लिए तो धन्यवाद लेकिन जो वंचित खाले रह गये हैं, वे कब तक पूरा करने का मानस रखते हैं?

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, मूल प्रश्न भाखड़ा का था, उसमें हमारे

(श्री गुरजंट सिंह बराड़)

तीन सिस्टम हैं, आई.जी.एन.पी. है, गंग कैनाल है और भाखड़ा कैनाल है। उसमें सबसे कम पानी भाखड़ा कैनाल को मिलता है। मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आप स्कीम लें, और कम पानी की स्कीम है वह सबसे, आई.जी.एन.पी. से भी वह पहले आई हुई है और उसमें पानी सबसे कम मात्रा में है, 1000 हैक्टेयर के आसपास, दो क्यूसैक्स पानी है तो मैं इनसे यह निवेदन करूंगा कि जहां भी आप प्रयास करें, उसको अगर आप किसी भी तरीके से जिस तरह आई.जी.एन.पी. का जिक्र आ गया, वह तो आपका अंतिम छोर का एक मुरब्बा खाला छोड़ा हुआ है, वह एक खाले के लिए लोगों की कितनी पीड़ा है और यहां पूरा का पूरा सिस्टम बाकी पड़ा है, मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि आप 30 प्रतिशत भी अगर वहां के लोगों को थोड़ा उत्साह करके अगर करवा दें तो फिर भी लोग यहां तैयार हैं और मेरा आपसे यह निवेदन है कि कोई भी स्कीम अगर आप दें, वाजिब है, आप भाखड़ा को दें, मेरा ख्याल है कि यहां से हमारा पानी, जब भी मार पड़ती है, भाखड़ा का जो सिस्टम है, 2200-2300 क्यूसैक्स पानी हमने बांट रखा है और पानी हमारा 1700 से ज्यादा नहीं आता। मेरा आपसे यह निवेदन है कि जब भी आप स्कीम लें, उसमें जरूर इसको शामिल करें। मैं आपका बहुत ही इसमें आभारी रहूंगा पर इसमें मूल प्रश्न एम.एल.ए., हनुमानगढ़ से आने वाले सदस्य का है, वह भाखड़ा का था और वह सारा छूटा हुआ सिस्टम है, वह वही था।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, इसी से सम्बन्धित एक मैं प्रश्न करना चाहूंगा। आपने खालों में मिट्टी भरने की समस्या का समाधान खाला कवरिंग से किया। क्या ऐसा सिस्टम है जहां पर आपने पाइप से पानी देने की सुविधा की थी, वह आपका सिस्टम जहां पर फेल्योर हो गया, उसको आप बदलने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं? जिस तरह से हमारे विधान सभा क्षेत्र में आदूरी डिस्ट्रीब्यूटरी और इसके आसपास का क्षेत्र है, वहां पर पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने की स्कीम स्वीकृत की गई है और आज मौके पर पाइप भी गायब हैं और हैं तो चौक्ड हैं। क्या इसके बारे में विचार रखते हैं?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से भी सहयोग चाहूंगा। हम जन प्रतिनिधि हैं और हमारे क्षेत्र में अगर कोई लोग-बाग़ पाइप ले गये, इधर-उधर ले गये, टूंटी खोलकर ले जायें तो

(श्री सांवर लाल)

कम से कम हम लोगों को प्रेरित करें कि यह व्यवस्था सरकार ने की है, उस व्यवस्था को डेस्ट्रोय नहीं करें आज पाइप लगाई है तो किसानों को पानी देने के लिए लगाई। अब किसान उस पाइप को ही हटा कर ले जा रहे हैं और कोई एफ.आई.आर. दर्ज कराये तो उसमें भी लोग-बाग़ लग जाते हैं, फिर एफ.आर. लग जाती है और कोई एक्शन नहीं होता है तो भय नहीं रहता है। तो अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि पीने का पानी और इर्रिगेशन का पानी आजकल बहुत सैंसिटिव इश्यू है इसीलिए सरकार ने जल अभियान चालू किया है क्योंकि राजस्थान में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लिमिटेड है और आवश्यकता ज्यादा है तो इसमें तो हम सहयोग करें ही, आपका जो प्रस्ताव है, मैं यहां बैठा-बैठा उसके बारे में फैसला नहीं कर सकता हूं, आपने जो फेक्ट्स दिये हैं उनके ऊपर मैं फिजीकली जानकारी लेकर जो भी संभव होगा, वह मैं करवा कर पानी की व्यवस्था करवाऊंगा, यह मैं आपको कह सकता हूं।

प्रश्न संख्या-379

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री गोपाल लाल धोबी। (एब्सेंट)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

जालौर जिले में जाली नोट/ठगी प्रकरण में गिरफ्तार अभियुक्त

380. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जालौर पुलिस द्वारा पिछले कुछ दिनों में जाली नोट चलाने व ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को पकड़ा जाकर उनसे क्या-क्या वसूल किया गया? उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) पकड़े गये अभियुक्तों का सम्बन्ध एवं जाल कहां-कहां फैला हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री गुलाब चन्द कटारिया): (1) जी हां। इस सम्बन्ध में जिले में तीन प्रकरण दर्ज हुए हैं। तीनों प्रकरणों में कुल 16 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं जिनसे 3,22,600/- रुपये के जाली नोट बरामद किये गये। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। दर्ज प्रकरणों में अनुसंधान जारी है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(2) अपराध संख्या 42/05 पुलिस थाना बागोड़ा में गिरफ्तार मुलजिम का जाल बैंगलोर में फैला होने की जानकारी आयी। अपराध संख्या 296/05 थाना जालौर- गिरफ्तार मुलजिमों का जाल कहां-कहां फैला है, अभी तक के अनुसंधान से बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। अपराध संख्या 12/06 पुलिस थाना जालौर- गिरफ्तार मुल्जिम का जाल तमिलनाडु के जिला ईरोड के पुलिस थाना गोबी और सत्यमंगलम एवं पुलिस थाना, रामसर जिला-बाड़मेर आदि क्षेत्रों में फैला होना पाया गया जिसकी जानकारी की।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह समस्या एक बहुत जटिल समस्या है, इन जाली नोटों के माध्यम से पूरे देश भर में अराजकता फैलती है, इसमें 25 हजार रुपये से जो ऊपर के नोट हैं वह सीआईडी(सीबी) को मेरा जहां तक ख्याल है, जांच के लिए जाते हैं और उसमें अनुसंधान में जो कुछ डिले होता है, तो माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि अनुसंधान के लिए हमारी प्रक्रिया क्या है, उसके अनुसंधान में तेजी हो जिससे इस जुर्म पर हम चेक-अप कर सकें और इस जुर्म को कंट्रोल कर सकें, इसलिए अनुसंधान को तेज करने के लिए हम क्या करेंगे?

श्री गुलाब चन्द कटारिया: अध्यक्ष महोदय, 42/2005 जो 6.7.2005 को दर्ज हुआ था इसमें पांच मुलजिमों को पकड़ लिया गया था। नगाराम से कुल दस हजार रुपये बरामद हुए जाली नोट, भेराराम से सात हजार नौ सौ रुपये और तीन लोग- किशोर, मंगला और हेमा से कोई रिकवरी नहीं हुई। इसके अतिरिक्त भी इसके नोट के लिए महाप्रबंधक, करेंसी नोट, नासिक को हमने भेजा हुआ है, वहां से, इसके अलावा भी हमने छह-सात मुलजिमों को और आइडेंटिफाई किया जो इनकी बातचीत से निकला जिसमें अशोक कुमार, कैलाश जैन, जेतमाल सिंह राजपूत रावणा, कृष्णा दर्जी, इन सब लोगों से भी पूछताछ की और 173(8) के तहत कार्यवाही की। इसमें केवल एक अशोक हमारे हाथ लगा, बाकी लोग चूंकि यह सब बैंगलोर और बाकी जगह के हैं, इनमें से प्रयास करने के बाद भी मुलजिम हमारे हाथ नहीं आये। केस जो दूसरा आपका है 296, इसमें भी दशरथ सिंह को पकड़ लिया, मोहन लाल को पकड़ लिया और इनसे पचपन हजार पांच सौ रुपये के नोट और एक से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अट्ठाइस हजार सात सौ के बरामद किये हैं, चूंकि यह अधिक करेंसी थी इसके कारण से सीआईडी में इसकी जांच है। हमारे यहां से अपनी टीम बाहर के स्थान जो इनकी बातचीत से आये, वहां भेजी लेकिन कोई नई उपलब्धि हमको वहां भी नहीं हो पाई। तीसरे केस में भी इस प्रकार से हमने नौ मुलजिमों को पकड़ा है और प्रत्येक से उनसे हमने बरामद किये। मीठा लाल से चार हजार पाँच सौ, बदाराम से पांच हजार, अकबर खां से पांच हजार और अन्नाथुरेई से चार हजार सात सौ, वेलंगिरी उर्फ करनन से पांच हजार, वेणुगोपाल से पाँच हजार, भौतानराम से सत्तर हजार, भवानी सिंह से दस हजार और श्रवण राम से नौ हजार रुपये बरामद किये हैं। इसमें भी इनसे पूछताछ से लगा कि तमिलनाडु में इनका कोई सोर्स है, तमिलनाडु में हमारी पुलिस भी यहां से गई, वहां आई.जी. से, डी.जी. से भी कांटेक्ट किया, लेकिन सारे के सारे मुलजिम जिनका नाम आया है, उनको किसी को भी पकड़ने में अभी हम सफल नहीं हुए। यह जो तीसरा केस है, यह 11.1.2006 का है, अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें से जो सोर्स मिल रहा है वह सोर्स भी हमारी पकड़ में आये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा हूं। यह तो बेचारे गरीबड़े हैं, वहां धंधा करते हैं और वहां से पांच हजार, दो हजार, चार हजार, दस हजार लेकर आ गये, मेन जो मुलजिम हैं और जो मशीन से पैसा बनाते हैं, उनमें से आज तक किसी आदमी को पकड़ा क्या, जो पैसा बनाने वाले हैं, उनको तो आप पकड़ते नहीं हैं और यह गरीबड़े पांच हजार, चार हजार, दो हजार लाते हैं और यह सच बोल जाते हैं, वहां जाकर के उनको पकड़ो और उन तक पुलिस पहुंचती नहीं है, क्यों नहीं पहुंचती है, उनमें वहां की पुलिस और वहां के लोग, यह मिल करके इस प्रकार करते हैं। यह करेंसी का मामला है, यह देश का मामला है, इसलिए इसको बहुत सीरियस लेना जरूरी है, इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि आप पहले जो मेन एक्यूज्ड है उनको पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री जोगाराम पटेल: एक मेरा इसी से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रद्युम्न सिंह। यह भी पूछ लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा गृह मंत्रीजी ने कहा, लोगों को गिरफ्तार किया, यह दो तरह के जाली नोट बाजार में प्रचलन में आते हैं, एक तो यह कम्प्यूटर के ऊपर बनाकर के और भोले-भाले ग्रामीणों को उसमें धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हैं और दूसरा जो

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न है कि विदेशों से, खास तौर से आई.एस.आई. के माध्यम से पाकिस्तान से नेपाल के जरिये जो काउंटरफीट करेंसी आती है, जो देश की अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने की साजिश है, उसके कितने प्रकरण आपकी निगाह के अंदर आये हैं, वह भी पकड़े गये हैं, बैंकों के अंदर इस किस्म के नोट आते हैं और कभी-कभी तो बैंक वाले उनको, अध्यक्ष महोदय, पहचानने में असमर्थ रहते हैं, उसके लिए सरकार को इस दिशा के अंदर, यह प्रश्न इतना आसान नहीं है, सरकार को इस बारे में कोई स्पेशल टीम कांस्टीट्यूट करनी चाहिए और बैंक वालों से सम्पर्क करके इसके ऊपर जब तक जोरदार तरीके से प्रहार नहीं होगा, मुलजिमों को पकड़ा नहीं जायेगा, तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत ही घातक चीज होने वाली है, यही मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, क्या आप आपकी इकोनोमिक आफेंसेज विंग जो आपने एक नई बनाई हुई है इसको इस कार्य को सौंपेंगे, जो बैंकों से सम्पर्क करके इस समस्या की जड़ के अंदर जाकर के इस समस्या के ऊपर काबू पा सकें, यह मैं जानना चाहूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक मेरा प्रश्न है, मैडम। एक निवेदन था माननीय मंत्री महोदय, एक साथ ही...

श्री अध्यक्ष: अब आप आ जायं, आप भी पूछ लें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इसके साथ ही हो जायेगा। दो-तीन केसेज में बैंक की गड्डी में भी फर्जी नोट निकले हैं, उसके संबंध में किसको एक्ज्युड बनाया जायेगा, एक प्रश्न। दूसरा मेरा निवेदन यह था कि चालान की अवधि, आज केस दर्ज हो गया, छह महीने, साल, दो साल, तीन साल, उसका मेक्सिमम पीरियड कितना है ताकि उस एक्ज्युड को प्रोपर पनिशमैंट मिल सके, उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया: अध्यक्ष महोदय, कम्प्यूटर से जो नोट बनाने का काम किया, वह केसेज भी पकड़े हैं। नागौर में कम्प्यूटर से ही जाली नोट बने हैं, उस सारी गैंग को पकड़ा है। उदयपुर में भी एक कम्प्यूटर से नोट बनाने वाली गैंग को पकड़ा है। इसी तरह से बारां में भी एक कम्प्यूटर से नोट बनाने वाले गैंग को पकड़ा है। यह बारां में तो लगभग 5 लाख 79 हजार रुपये कम्प्यूटर से बनाये हैं वह केस पकड़ा है। यह जयपुर प्रोपर में भी कम्प्यूटर से बने हुए नोट को पकड़ा है। बाड़मेर में जो पकड़ा है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वह फोरेन से लाये हुए नकली नोटों को बोर्डर पर बाड़मेर वालों ने पकड़ा है, उसके भी लगभग 4 लाख 95 हजार रुपये हैं। तो सब मिलाकर के मैं सोचता हूं कि इसको पकड़ने का प्रयास किया है। केवल माननीय सदस्य ने पूछा कि जितने मुकदमे दर्ज होते हैं वास्तव में जो मुकदमे दर्ज होते हैं उनका चालानी पर्सेंटेज भी इन वर्षों में बढ़ा है यानि, 2003 में 56 मुकदमे बने थे उसमें से 22 चालान हुए। 2204 में 68 मुकदमे कुल बने उनमें से 40 में चालान किया और उसमें 13 में सज़ा भी मिली। इसी तरह से 2005 में 87 मुकदमे बने, 26 में चालान किया गया और चार में इसमें सज़ा भी मिली। तो हम इस बात को देख रहे हैं केस आफिसर स्कीम के तहत हमने इनको लिया है और जहां-जहां इसमें पीछा किया कुछ सफलता मिली है लेकिन पूर्णतः इस पर प्रतिबंध लग गया हो ऐसी स्थिति नहीं है। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही निश्चित रूप से जो हमारे एस.ओ.जी. बनी हुई है इसको भी हम विचार कर रहे हैं क्या इस तरह से नकली नोट का जो एक बहुत बड़ा प्रचलन हो रहा है वास्तव में और इसमें मुख्य अभियुक्त हमारे यहां के नहीं होकर के कई बार बाहर की गैंग आकर के यहां ऑपरेट करती है और यहां के लोगों को उसमें अपना बना करके उस तरह करते हैं उसमें जरूर हमको सफलता जरूर मिलनी चाहिए, तमिलनाडु और बैंगलोर की गैंग के बारे में हमने पीछा किया उसमें हमें अभी तक सफलता नहीं मिली वो लोग अभी तक भागे हुए हैं लगातार पुलिस इस बात का प्रयास कर रही है कि वो गैंग हमारे हाथ में आये । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम फिर कोशिश करेंगे कि तमिलनाडु और बैंगलोर में जो लोग नामजद हुए थे इस सारे केस को वर्क-आउट करते समय उनको पकड़ने का प्रयास और दुबारा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर चन्द्रशेखर बैद।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय के उपकरणों के रखरखाव हेतु वार्षिक अनुबन्ध

381. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): क्या उच्च शिक्षा (चिकित्सा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में जनवरी, 2004 के पश्चात कौन-कौन से उपकरण कितनी अवधि के लिये खराब रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त चिकित्सालय में जांच एवं उपचार उपकरणों का वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) किया हुआ है? यदि हां, तो कौन-कौन से उपकरणों का कब-कब से किन-किन संस्थाओं के साथ अनुबंध किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन संस्थाओं से उपरोक्त वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) किया गया है उनके भुगतान की राशि कितनी-कितनी अवधि से लंबित है तथा क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा उपकरणों के रखरखाव के लिए क्या योजना विचाराधीन है? संबंधित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी): (1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में जनवरी, 2004 के पश्चात जो महत्वपूर्ण उपकरण खराब रहे हैं, उनकी सूची परिशिष्ट 'अ' के रूप में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में महत्वपूर्ण जांच एवं उपचार उपकरणों का ए.एम.सी. किया हुआ है। सूची परिशिष्ट 'ब' के रूप में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जिन संस्थाओं से ए.एम.सी. किया हुआ है, उनके भुगतान की राशि एवं बिलों की सूची परिशिष्ट 'स' के रूप में सदन के पटल पर रख दी गई है। इनका शेष भुगतान नियमानुसार शीघ्र कर दिया जायेगा।

(4) चिकित्सालय द्वारा महत्वपूर्ण उपकरण क्रय करने पर तीन वर्ष की संपूर्ण गारंटी ली जाती है। गारंटी अवधि समाप्त होने के उपरांत आगामी पांच वर्षों हेतु ए.एम.सी. निर्धारित कर दी जाती है। ए.एम.सी. की अवधि समाप्त होने के उपरान्त संबंधित फर्म से विचार कर गत वर्ष की ए.एम.सी. की दरों तथा शर्तों पर ए.एम.सी. की अवधि बढ़ाकर मशीनों का नियमित रख-रखाव किया जाता है। इस संबंध में कोई पृथक योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जो परिशिष्ट 'अ' पर इन्होंने सूची संलग्न की है उसमें इन्होंने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में महत्वपूर्ण उपकरण माने हैं 42 और 42 उपकरणों में 35 उपकरण ऐसे हैं जो जनवरी,

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

2004 के बाद में समय-समय पर खराब रहे तो ये इन उपकरणों में वो उपकरण भी हैं जो गम्भीर बीमारियों से जूझने के लिए मरीज के लिए आवश्यक होते हैं जैसे वेंटीलेटर है, कोबाल्ट यूनिट है, आपके कार्डियक गैस एनालाइजर है, कार्डियक मॉनीटर है। कैंसर का इलाज करने के लिए एक तरफ तो आपने यह वादा किया कि लीनियर एक्सीलरेटर लगायेंगे और दूसरी तरफ ये कोबाल्ट यूनिट अस्सी दिन खराब रही है पिछले दो साल के अन्दर तो जो कैंसर से पीड़ित रोगी हैं वो कहां जाएंगे अस्सी दिन तक जो वेंटीलेटर के ऊपर मरीज है जिसका वेंटीलेटर खराब हो गया, दो दिन भी खराब हुआ तो उसके लिए तो मरने के अलावा और कोई दूसरा अल्टरनेटिव ही नहीं। दूसरा, ये जो सूची आपने संलग्न की है कि इनके ए.एम.सी. एनुअल मेंटीनेंस कांट्रेक्ट कब से किये हुए हैं इसमें आपने लिखा है कि 2002 से, 2003 से, 1997 से तो इस एनुअल मेंटीनेंस कांट्रेक्ट को दुबारा रिव्यू किया गया या नहीं किया गया? तीसरी चीज, ये जो आपने सूची संलग्न की है कि कौन-कौन सी कम्पनी से किया गया और उनकी कितनी राशि बकाया है हो यह रहा है कि आप एनुअल मेंटीनेंस कांट्रेक्ट करते नहीं हैं जिनसे करते हैं उनको भुगतान नहीं करते और उसी का यह नतीजा है कि ये उपकरण 42 में से 35 आपके खराब पड़े हैं और उसके बाद बहुत दुःख की बात है ये सारी चीज मद्देनजर होते हुए आपने खंड चार में यह लिखा है कि इस संबंध में कोई पृथक योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब जो गंभीर बीमारियों से लड़ने के उपकरण हैं वो लगातार खराब रहे यह आपको मंजूर है आपकी कोई विचाराधीन योजना नहीं है इसके बारे में।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये हैं उनमें जहां तक कोबाल्ट यूनिट की बात है कोबाल्ट यूनिट में उसके सोर्स के पुनर्भरण के लिए कुछ समय लगता है व थोड़ा-थोड़ा समय लगा है लेकिन उसके साथ दूसरी कोबाल्ट यूनिट वहां पर काम कर रही है इसलिए किसी भी मरीज को इस कारण से किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई है। दूसरा, जहां तक ए.एम.सी. है, ए.एम.सी. प्रतिवर्ष किया जाता है हर साल रिन्यू होता है निर्धारित राशि पर प्रतिवर्ष होता है और तीन साल की वारंटी के बाद पांच वर्ष तक प्रतिवर्ष उसका कांट्रेक्ट रिन्यू होता है आज की तारीख में यह जो 142 ए.एम.सी. किये हुए हैं वो रिन्यूड हैं और

(श्री वासुदेव देवनानी)

आज की तारीख में ए.एम.सी. किये हुए हैं । जहां तक उपकरण खराब की बात है हजारों उपकरण हैं सवाई मानसिंह हास्पिटल में उनमें से केवल 42 हैं उनमें से 27 इस समय खराब हैं उनमें से 8 तो ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं ये टू बी कंडेम्ड हैं जिनको हम, प्रक्रिया जारी है उनको हम कंडेम कर देंगे बाकी जो 19 हां, वो पुराने होने के कारण चूंकि आप डाक्टर हैं आपको ध्यान होगा कई मॉडल पुराने उस समय लिये जाते हैं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): खराब ही ये करके आये थे।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): खैर, ये तो खराब इनके समय हुए हैं कुछ 2004 के बाद हुए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने कौन-कौन से खराब किये ये भी सुन लो आप।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): भैरोंसिंहजी के टाइम से खराब पड़े हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक सूची बना लो जो इन्होंने खरीदे उनको तो ठीक कराना ही नहीं है। वो सूची बना लो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): क्योंकि डाक्टर होने के ... (व्यवधान) आधार पर स्पेयर पार्ट्स कई बार पुराने मॉडल्स के नहीं मिलते हैं उसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन इसके कारण से किसी मरीज को कोई कठिनाई हो रही हो, ऐसा नहीं है, ईवन हमारी सरकार आने के बाद एक तो केथ लैब नयी बन रही है, कैंसर रोगियों के लिए मेमोग्राफी टैस्ट हो रहा है, सीटी स्केन है, एम.आर.आई. टैस्ट है। कई प्रकार के हमारी सरकार के आने के बाद मैं समझता हूं कि जितने काम हुए हैं ईवन बर्न, कैंसर, नेफ्रोलॉजी, आई.सी.यू. की स्थापना, मानसरोवर, जयपुर में नये अस्पताल की स्थापना, इतनी सारी सवाई मानसिंह अस्पताल की स्थिति है तो किसी मरीज को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है । सरकार तो रोगियों को सुविधा देने के लिए तत्पर है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): यह इससे संबंधित नहीं है । आप तो माननीय अध्यक्षजी, एक मिनट।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि ये जो उपकरण खराब हुए हैं उनमें अपनी बीजेपी सरकार आने के बाद तो कितने उपकरण खराब हुए और ...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ...कांग्रेस राज में कितने उपकरण खराब हुए और उनके राज में जो उपकरण खराब हुए वो कितने कितने समय से खराब ही पड़े हैं उनको कभी ठीक ही नहीं कराया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मेडिकल यूनिट में जब ये थे।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): और ये मेडिकल यूनिट में थे खुद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्षजी, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल जिसको कि माननीय मुख्य मंत्रीजी कहती हैं कि विश्व स्तर का अस्पताल बनायेंगे उसके अन्दर एंबुलेंस नहीं हो उसके अन्दर गंभीर रोगों से लड़ने के लिए उपकरण लगातार खराब रहें। आप से तो मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि ये जो उपकरण जो गंभीर बीमारियों के लिए काम में आते हैं जैसे वेंटीलेटर है, कार्डियक मॉनीटर है, गैस एनेलाइजर है इनको सुचारु रूप से ये काम करते रहे इसके लिए सरकार ने कोई योजना बनायी कि नहीं बनायी क्योंकि इसमें वो ही मरीज रहते हैं जो गरीब हैं और सवाई मानसिंह चिकित्सालय में आया है। ये उपकरण अगर पांच दिन भी खराब रहेंगे तो उन पांच दिनों के अन्दर जो मरीज मृत्यु हो जाने से रुकने वाले थे वो नहीं रुक पाएंगे वो मौत के शिकार हो जाएंगे इसलिए इसके बारे में आपकी क्या योजना है? यह बता दें। दूसरा, जो उपकरण खराब होते हैं उसके लिए आपने जो योजना अभी तक बनायी हुई है वो तो कारगर नहीं है यह सिद्ध हो गया आपकी सूची से तो उसके लिए आपकी कोई नयी नीति है क्या?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): एक बात और अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपके जो उपकरण बार-बार खराब हो रहे हैं उसके लिए आपने कोई स्टेण्ड बाई अरेंजमैंट किया हुआ है अगर स्टेण्ड बाई अरेंजमेंट किया है तो उसकी क्या पॉलिसी है ? दूसरा, यह बताने का कष्ट करेंगें कि जो आपके उपकरण खराब होते हैं जितनी भी आपने, अभी बताया कि कई हजार मशीनें हैं ये तो 42 मशीनों का आपने जिक्र किया क्या एम.एम.एस. हॉस्पिटल में इस तरीके की कोई आपने यूनिट तैयार कर रखी है कि जो इन रिपेयर्स को वक्त बेवक्त ठीक करने के लिए

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

सूचारू रूप से चलती रहे ? तीसरा, एक और बताने का कष्ट करें कि आप एस.एम.एस. में लीनियर एक्सीलरेटर लगाने की बात तो कर रहे हैं लेकिन वो कब तक लगा देंगे? कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): मंत्रीजी के उपकरण या अस्पताल के उपकरण?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): अब मंत्रीजी के उपकरण हैं कि अस्पताल के उपकरण हैं ये तो जवाब देने वाला जाने।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ये आपने मंत्रियों के उपकरण लगा रखे हैं जिनसे जलते हैं क्या ये?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): और ऐसा लगता है शायद मंत्रियों के उपकरण से ही यह सरकार चल रही है।

श्री अध्यक्ष: महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको आप मजाक में ले रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो गरीब मरीजों के बारे में चिन्ता की है मैं कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार के समय के काल की तुलना में हमारी सरकार ने गरीब मरीजों की ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): प्रश्न सरकार का नहीं है आप तो अभी की बात करो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हमने आकर के सौ करोड़ ...(व्यवधान) रुपये की योजना बनायी है। ...(व्यवधान) सरकार ने ही किया था।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप सरकार की बात पर न जाएं आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन है कि ये सरकार क्या कर रही है, पिछली सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने क्या किया मरीजों का इससे इलाज हो जाएगा क्या? मंत्री महोदय उतना ही जवाब दें तो ज्यादा ठीक रहेगा ।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है तो मैं आपकी बातों का ही उत्तर दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष: आप उनकी बातों का राजनीतिक उत्तर मत दो आप उनकी बातों का वैसा उत्तर दो ।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): उससे घबराने की बात नहीं है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हमने नहीं किया हम तो यहां बैठ गये ।

श्री अध्यक्ष: आपने किया इसलिए यहां बैठे हो ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह कोई जवाब है कि आपने यह किया आपने यह नहीं किया, हमने नहीं किया इसलिए हम तो यहां बैठ गये यह क्या कर रहे हैं यह जवाब दें यहां पर ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप उतना ही जवाब दे दो जितना पूछा जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष: आपने यह किया इसीलिए तो इधर बैठे हो । आपने ठीक नहीं किया था इसीलिए तो इधर बैठे हो ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं वही कह रहा हूं यह कोई जवाब नहीं कि आपने यह नहीं किया, आपने यह नहीं किया । आप क्या कर रहे हो वह जवाब दो आप । हमने नहीं किया हम तो इधर बैठ गये आकर, आप तो कुछ तीन के तेरह करो ।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें, जवाब देने दें मंत्रीजी को । माननीय सदस्य जवाब देने दे मंत्रीजी को । मंत्रीजी 10 मशीनें तो आपकी कंडम हुई पडी हैं उसकी क्या व्यवस्था कर रहे हो ।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): उसके लिये आलटरनेटिव व्यवस्था हम कर रहे हैं और 100 करोड़ की योजना एस.एम.एस. के बारे में बनी है । यह सारी मशीनें हम खरीदेंगे ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): वह योजना आप कब तक दे देंगे । आप सब चीजों में कर रहे हैं, कर रहे हैं आखिर इसका कोई ...

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनिए उनका ।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैंने आपसे निवेदन किया कि मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से भी इन सारी बीमारियों के इलाज के लिये हम व्यवस्था कर रहे हैं । चिकित्सालय में एक कमेटी का गठन भी किया जा रहा है जिसमें मेडिकल और सर्जिकल स्पेशलिटी आचार्य, विभागाध्यक्ष, अन्य विभागों के सदस्य होंगे । जिन फर्मो की ए.एम.सी. की राशि बकाया है उनके भुगतान करने की हम सब व्यवस्था कर रहे हैं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

अस्पताल में क्रय किये गये उपकरणों के रख-रखाव के बारे में मोनेटरिंग हम कर रहे हैं तथा समय-समय पर सरकार को अपने विचार सुझाव यह कमेटी देगी और बाकी मेडिकल रिलीफ सोसायटी के द्वारा इतनी आलटरनेटिव व्यवस्था है कि पहले की तुलना में स्पाइरल सीटी स्केन, एमआरआई सारी व्यवस्थाएं हैं । (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मंत्री महोदय 100 करोड़ की योजना में यह तो आप सब कर रहे हैं हम आपसे स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहे हैं ..

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कर रहे हैं, कर रहे हैं कब तक कर देंगे आप ?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हमने तो टेली-मेडिसिन व्यवस्था के द्वारा भी यहां के मरीजों के इलाज की व्यवस्था की है ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आपके काले कारनामों का.. (व्यवधान) आपके पापों को धोने में समय लगेगा । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी व्यवस्थाएं बिगाड़ी हुई हैं समय तो लगेगा ।

श्री अध्यक्ष: राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, आपके मंत्रीजी सक्षम हैं, जवाब वह देंगे आपको खड़ा होकर कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है । आप शांति से बैठ जाओ ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय मंत्री महोदय, आपसे एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो मशीनें आपकी बार-बार खराब हो रही हैं उसकी वजह से गरीब मरीजों को जो परेशानी हो रही है क्या आपने उसके लिये कोई स्टेंड बाई अरेंजमेंट किया है । अगर नहीं किया है तो कब तक पूरा कर लेंगे और वह कौन कौनसी मशीनें हैं जिसमें आप स्टेंड बाई अरेंजमैंट ले लेंगे ।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कितने समय में आप इन नकारा उपकरणों को बदलने का इरादा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: नकारा को छोड़िए जो लाइफ सेविंग मशीनें हैं उसकी बात

(श्री अध्यक्ष)

कीजिए । आपकी 80 एटीसी-सी 9 कोबाल्ट यूनिट जो है वह 2004 से लेकर 06 तक 8 बार खराब हुई है ।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): 8 बार और 80 दिन के लिये खराब हुई है ।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि कोबाल्ट प्लांट में इसका सोर्स का पुनर्भरण करना आवश्यक होता है समय-समय पर यह दो-तीन दिन बंद भी रहती है लेकिन दूसरी कोबाल्ट यूनिट है जिसमें किसी भी मरीज को असुविधा नहीं होती है और बाकी जो 42 उपकरण हैं जिसमें से 8 को हटा दें जो 27 इस समय खराब हैं बार-बार एक ही उपकरण ऐसा नहीं है कि जो बहुत बार खराब हुआ हो सिवाय इस कोबाल्ट यूनिट के जिसमें पुनर्भरण की आवश्यकता है, बाकी मशीनें एक बार खराब हो गई तो हमने तत्काल ठीक करवाई हैं और आगे भी कोई मशीन यदि खराब होगी तो हम शीघ्रातिशीघ्र उसको ठीक करवा कर मरीजों को लाभ देंगे ।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, एक आखिरी सवाल यह आइटम नंबर 21 से लेकर 31 तक इसमें आपने लिखा हुआ है कि फलां तारीख से टिल डेट, यह 10 महत्वपूर्ण उपकरण जो सवाई मानसिंह हास्पिटल में खराब है आज तक इस क्षण तक उनको आप कब तक ठीक करवा दोगे ।

श्री अध्यक्ष: यह बात ठीक है ।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): 21 से लेकर यह मशीनें हैं इसमें कई तो केवल एक ही मशीन हो ऐसा आवश्यक नहीं है बाकी दूसरी मशीनें भी है लेकिन किसी का पेमेंट बाकी है यह बता दें मैं तत्काल करवा दूंगा ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): पेमेंट का सवाल ही नहीं है यह तो मशीन का सवाल है आप पेमेंट की बात कर रहे हो । हम आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब दो पेमेंट का हमारे से क्या ताल्लुक है?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): उसका जवाब दे दिया है ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): हमारा ताल्लुक सिर्फ मरीज को सुविधा देने से है । अब आपने किस को क्या पेमेंट किया इससे हमारा ताल्लुक नहीं है । आप तो यह बता दें यह मशीनें कब तक ठीक करवा देंगे?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह मशीनें शीघ्रातिशीघ्र हम ठीक करवा देंगे किसी मरीज को हम कठिनाई में नहीं आने देंगे ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): यह 10 महीने खराब रही यह कम है क्या? यह जो मशीनें पिछले 10 महीने से खराब हैं इसमें भी अभी जल्दी बाकी है क्या?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इसकी आलटरनेटिव व्यवस्था हास्पिटल में है ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): तो आप वही जवाब दे दीजिए कि इसकी आलटरनेटिव व्यवस्था है ।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि सारी मशीनें तीने महीने में हम ठीक करवा देंगे या बदल देंगे ।

श्री अध्यक्ष: ठीक है ।

प्रश्न संख्या-382

नैक्स्ट क्वेश्चन श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्री पुष्पेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री राव राजेन्द्र सिंह ।

औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन

383. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र के 33 प्रतिशत भूमि पर ग्रीन बैल्ट विकसित किया जाना अनिवार्य है ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश कारपोरेशन (रीको) द्वारा उक्त आदेशों की पालना नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों?

(3) रीको द्वारा विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र में किस-किस उद्देश्य के लिये कितनी-कितनी भूमि का उपयोग करने के मानदंड तय किये गये हैं ? निर्धारित मानदंडों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(4) क्या सरकार रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों की पालना कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष: बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य। आप बैठे बैठे क्यों बोल रहे हैं।

उद्योग मंत्री (श्री नरपत सिंह राजवी) : (1) जी नहीं । राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है ।

(2) जी नहीं । चूंकि राज्य प्रदूषण मंडल द्वारा कोई आदेश ही जारी नहीं हुआ है । अतः रीको द्वारा आदेशों की पालना करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) रीको द्वारा विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों हेतु भूमि उपयोग बाबत कोई मानदंड निर्धारित नहीं है ।

(4) चूंकि रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों के लिये राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रीन बैल्ट विकसित करने हेतु कोई निर्देश जारी नहीं किये हैं अतः निर्देशों की पालना करवाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं, does the Department of Industries adhere to the inventory and assessment of the Taj Trapezium and also the guidelines of the Rajasthan Pollution Control Board? Then what are the guidelines which provide for a reservation of 33 per cent for green belt? दूसरी बात यह है, are RIICO's Disposal of Land Rules, 1979 in line with this Act and guidelines or not? दो चीजें तो यह, तीसरी चीज मैं साथ में यह भी पूछ लेता हूं आप जवाब दे दें. Are you aware of the Karnataka High Court's decision in writ no. 3598 of 1996 dated May, 1997? And if you are, then what was happening as far as pollution is concerned vis-à-vis the guidelines of the Department of Industries? Thank you.

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्णय की बात कही है यदि मूल प्रश्न का यह भाग होता तो मैं जवाब दे देता, मुझे इसकी जानकारी नहीं है लेकिन प्रदूषण मंडल एयर पोल्यूशन के लिये और वाटर पोल्यूशन के लिये अलग-अलग एक्ट बने हैं और

(श्री नरपत सिंह राजवी)

उसका प्रदूषण मंडल समय-समय पर इंडस्ट्री स्पेसिफिक आधार पर दिशा निर्देश जारी करता है । इंडस्ट्री स्पेसिफिक अलग-अलग कैटेगरी की होती है उस कैटेगरी में 33 परसेंट तक ग्रीन बैल्ट इंडस्ट्री को करना होता है । वह इंडस्ट्री एरिया नहीं है इंडस्ट्री स्पेसिफिक के लिये है । जजमैंट की मुझे जानकारी नहीं है जहां तक ताज ट्रेपेजियम का प्रश्न है वर्तमान में ऐसी कोई पोल्यूटिंग इंडस्ट्री उस क्षेत्र में नहीं है और कोई होगी तो मैं इस संबंध में निश्चित रूप से जांच करा लूंगा ।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): अध्यक्ष महोदय, मेरा पूछने का तात्पर्य यह था कि चाहे इंडस्ट्रियल एरिया के 33 परसेंट हो या इंडिविजुअल इंडस्ट्री का 33 परसेंट हो बात तो बराबर वही की वहीं आती है । गाइड लाइन में यह लिखा हुआ है कि 33 परसेंट आप रिजर्व रखेंगे ग्रीन बैल्ट प्लांटेशन के लिये । आपका एक्ट 79 यह कहता है जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहे 73 परसेंट तक तो कंस्ट्रक्शन कर सकता है, शेष में पार्किंग कर सकता है, साइकिल स्टेंड लगा सकता है । जब आपका एक्ट ही इसके लाइन में नहीं है तो आप उसको बाध्य कैसे करेंगे ? आप यह कहते कि हम पर तो अप्लाई ही नहीं करता । आप पर तो अप्लाई नहीं करता तो जो इंडस्ट्री लगाता है उसके इंडिविजुअल प्लाट पर एप्लाई करता होगा । उसके प्लाट पर अप्लाई करता है तो आपके जो रूल है उसको यह अधिकार देते हैं कि वह चाहे 90 परसेंट के एरिया को अंडर वेरियस मीन्स के लिये काम में ले सकता है. You cannot bind him under this law. यह एक दूसरे से कान्ट्राडक्टरी है या नहीं है । दूसरा कर्नाटक हाई कोर्ट का जो डिसीजन है ताज ट्रेपेजियम में सम्पूर्ण राजस्थान आता है । गाइड लाइन एप्लीकेबल है या नहीं है सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड और राजस्थान पोल्यूशन बोर्ड की गाइड लाइन को आप इग्नोर नहीं कर सकते । It is mandatory for the Government of Rajasthan to adhere to them.

आपने 198 इण्डस्ट्रीज का एग्ज्म्पशन दे रखा है । पावर ही नहीं है एग्ज्म्पशन देने के because it is in contravention of the spirit of the Act. You are not empowered. And that is what the Karna-taka High Court has said that no government is empowered to give these exemptions. Then why are we giving it?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करिये । मंत्रीजी जवाब दे दें ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय .....

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं, उनको जवाब देने दें ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमंद में जो एरिया है, हमारा धोइन्दा एरिया है उसमें रीको की दस किलोमीटर की परिधि में प्रतिबंध लगा हुआ है। उस प्रतिबंध से हमारा वहां का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। क्या दस किलोमीटर का प्रतिबंध हटाने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष: बस, पूछ लिया आपने ।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, रीको डिस्पोजल लैण्ड रूल्स में राजस्थान पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड के 33 प्रतिशत ग्रीन-बैल्ट विकसित करने का जो प्रश्न था उसमें एयर एंड वाटर एक्ट के संबंध में रेड और ओरेंज कैटेगरी इण्डस्ट्रीज के लिए ही लागू है, शेष किसी भी प्रकार की इण्डस्ट्री के लिए लागू नहीं है । लागू नहीं है तो उसके ऊपर एनफोर्स करने की आवश्यकता नहीं है । अगर सारी इण्डस्ट्रियल एरिया में कर रहे है तो हमारे 50 प्रतिशत एरिया, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य नहीं बिराज रहे, 50 प्रतिशत जमीन यूटिलिटीज में पावर हाउस के लिए, थाने के लिए, और के लिए रखी जाती है। 33 प्रतिशत अगर और इण्डस्ट्रिल एरिया का, स्पेसिफिक एरिया का रख दे तो 27 या 23 प्रतिशत के अंदर मेरे ख्याल से कोई इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप नहीं होगा । जहां तक कम्प्लायंस, ताज ट्रेपेजियम का है, पूरा राजस्थान है, तो अगर जैसलमेर भी ताज कोरिडोरा और ताज ट्रेपेजियम पर आ जाएगा तो राजस्थान भगवान के भरोसे रह पाएगा । दुबारा इस हाउस को ही निर्णय करना पड़ेगा कि पूरे राजस्थान पर लागू होगा कि नहीं ।

प्रश्न सिर्फ एक कोर्ट के आदेश का हो गया, उस पर हम मान ले ओरेंज कैटेगरी नहीं है, ग्रीन कैटेगरी को भी मान लें, उसको मान लेंगे तो पार नहीं पड़ेगी । आज पाली के अंदर जो स्थिति हुई है वह स्थिति कोर्ट के आदेश के कारण से, ऐसे गलत एफेडेबिट पहले यहां से, पूर्व सरकार ने दिये हैं जिसके आधार पर रीको या इण्डस्ट्रीज एक्ट लागू होने से पहले भी रंगाई छपाई के एरिया थे उसको भी उन्होंने मान लिया कि यह गलत है । राजस्थान बनने से पहले अगर आग का ठप्पा लगाने वाला, वह इण्डस्ट्रीज अपने काटेज के अंदर लगा रहा था, अपने घर के अंदर लगा रहा था अगर वह भी ईर्रेगूलर है तो भगवान ही मालिक है। (व्यवधान) दुबारा दिया, उससे कुछ छूट मिली है जहां-जहां पोल्यूशन का, तो हमारा सोशल ओबलीगेशन है उसको हम किसी भी

(श्री नरपत सिंह राजवी)

स्थिति में सोशल अवेकनिंग, आपके माध्यम से कामन ट्रीटमेंट प्लांट्स के माध्यम से, इसकी पर कैपिटा कास्ट भी ज्यादा आ रही है लेकिन इसमें सहयोग कर रहे हैं और खुद कामन ट्रीटमेंट प्लांट्स चला रहे हैं लेकिन ताज ट्रेपेजियम का एक कन्सेप्ट के आधार पर राजस्थान में कहीं इण्डस्ट्री लगे ही नहीं मैं सोचता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों को इस बात पर गम्भीरता से चिंतन करना चाहिये । इसके बारे में डिटेल मैं लाऊंगा और आपको निश्चित तौर पर सबको अवगत कराऊंगा ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाह रहा हूं...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): अध्यक्ष महोदय, एक बात और इसी से संबंधित है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह रीको के अंदर पैट्रोल पम्प के भू-उपयोग परिवर्तन का, नियम बना हुआ है उसमें आई.डी.सी. काम्पीटेंट थी। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): Please, give me a chance to complete my query.

श्री संयम लोढ़ा: अपने स्तर पर सब कमेटी बनाकर के जो इंडियन रोड कांग्रेस के नोर्म्स हैं उनको तोड़कर आपने कितने पेट्रोल पम्पों का परिवर्तन किया ?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): आप अगर इजाजत दें तो मैं...

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सरकार का घोटाला आते ही प्रश्नकाल समाप्त ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री श्रवण कुमार, एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से जलदाय विभाग में एस.सी. प्रेशर पाइप खरीद में घोटाले के संबंध में ।

(श्री अध्यक्ष)

2. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सदस्य की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के एक अधिकारी के हस्ताक्षरित आदेश से विभाग में फर्जी तरीके से तबादलों के अनेक प्रकरण उजागर होने के संबंध में ।

3. श्री महीपाल सिंह यादव, एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से जस्टिस पी.के. तिवारी कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री हरिमोहन शर्मा, एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से शिक्षा कुंज हिन्दी ज्ञान सरोवर साहित्य संगम पुस्तक के पाठ संख्या 12 में मोहम्मद साहब का काल्पनिक चित्र से धार्मिक भावना भड़कने के संबंध में ।

नहीं भडकती हो तो आप भड़का देना कहकर के अब और ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह आपका निर्देश है कि भड़का देंगे, आप निर्देश दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष: नहीं तो यह बात ही कुछ इस तरह की कहेंगे । यह कोई स्थगन प्रस्ताव का विषय है क्या, आप बताइये मुझे?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपके निर्देश की पालना की बात कर रहा हूं मैं ।

श्री अध्यक्ष: उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए और न ही ये कोई हाल ही की घटना से संबंधित है, अतः इन स्थगन प्रस्तावों पर अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. श्री मदन राठौड; सदस्य की ओर से सिरोही में राहत कार्यों में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में ।

2. श्री भरत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दीगोद में एम.यू.पी.आर. फैस तृतीय के तहत सड़क निर्माण कार्य करवाने के संबंध में ।

3. श्री मोहन मेघवाल, सदस्य की ओर से राज्य में वाहन प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रभावी निगरानी की व्यवस्था करने के संबंध में ।

4. श्री रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से राज्य के विभिन्न न्यायालयों में एडीजे के पदों पर नियुक्ति आर.पी.एस.सी. के माध्यम से करने के संबंध में ।

(श्री अध्यक्ष)

5. श्री बृजकिशोर शर्मा, सदस्य की ओर से तहसील जमवारामगढ़ के आंधी वन क्षेत्र में वन जीवों का संरक्षण करने के संबंध में ।

6. श्री नवनीत लाल नीनामा, सदस्य की ओर से माही नदी पर ग्राम पंचायत भुगड़ा व ग्राम पंचायत बोरी के बीच पुल का निर्माण करने के संबंध में ।

7. श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से जिला अलवर के किसानों को कुट्टी मशीन उपलब्ध करवाने के संबंध में ।

8. श्री स्नेहलता, सदस्य की ओर से सैण्ड स्टोन पर रायल्टी दर कम करने के संबंध में ।

9. श्री खुशवीर सिंह, सदस्य की ओर से मंदिर माफी की भूमि देव मूर्तियों के नाम करने एवं बेची गई भूमि का कब्जा देने के संबंध में ।

10. श्री महादेव सिंह, सदस्य की और से सरकारी विभाग एवं विभिन्न निगमों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु में विसंगति होने के संबंध में।

11. श्री राकेश मेघवाल, सदस्य की ओर से जयपुर की प्रथम निजी क्षेत्र की आवासीय योजना इन्द्रप्रस्थ में भूखण्ड क्रय करने वालों को भूखण्ड नहीं देने के संबंध में ।

12. श्री रामचन्द्र जारोड़ा, सदस्य की ओर से राज्य में गत एक वर्ष से किसानों को बिजली कृषि कनेक्शन नहीं देने के संबंध में ।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी । श्री मदन राठौड़ ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जलदाय विभाग में एस.सी. प्रेशर पाइप खरीद में घोटाला

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि करोड़ों रुपये का घोटाला पाइपों का, मैं उजागर करना चाहता था, आप नहीं करने देना चाहते हो । आप यह बताइये किस माध्यम से आए फिर ? हमने पहले इसकी सूचना भी दे दी, आप इसको पढ़ने भी नहीं दे रहे हो ।

श्री अध्यक्ष: पुलिस वाले रोज इस घोटाले को क्यों नहीं उठाया, कोई न कोई जवाब तो आता । अब कोई आवश्यक नहीं है कि आपका जवाब आये ही आये। प्रश्न उठाना चाहिये था आपको ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आयेगा, आप चाहते हो तो क्यों नहीं आएगा । आप चाहते ही नहीं हो आए । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इसमें करोड़ों रुपये का घोटाला है और करोड़ों रुपये के घोटाले को उजागर करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कब हुआ यह घोटाला, अब हुआ है क्या, 5-10 दिन में हुआ है क्या यह घोटाला ? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैंने मई में इसकी शिकायत की थी, दुबारा शिकायत कर दी । मैं आपके माध्यम से..

श्री अध्यक्ष: यह घोटाला कौनसे सन् का है ?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं आपके माध्यम से आना चाह रहा था, आप आने ही नहीं दे रहे । (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): इस घोटाले का पता पांच दिन पहले ही लगा है। (व्यवधान) पानी पिलाने में करोड़ों रुपये का घोटाला हो....

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपये का घोटाला है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: लगातार चल रहा होगा, मैं पूछ रही हूं यह कब का घोटाला है, मुझे सन बताइये । यह सन् तो बताइये कब का घोटाला है, आप बताइये कब का घोटाला है ? (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): घोटाले के मास्टर हो आप क्योंकि जो घोटाला करता है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह सरकार कहती है जो करती है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सन् 2006 चल रहा है, 2005 तक सो रहे थे क्या ?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आना चाह रहा हूं, हमने शिकायत की है, माननीय मुख्य मंत्री को लिखकर दिया है । करोड़ों रुपये का घोटाला, माननीय अध्यक्ष महोदय, अखबारों में देख लें आप करोड़ों रुपये का...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): तथ्य पेश करो, घोटाला, भ्रष्टाचार बिना तथ्य के...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): करोड़ों के रुपये बताना चाहता हूं, उस कम्पनी के...(व्यवधान) ठेकेदार है,

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, इनका कांग्रेस का दूसरा नाम ही घोटाला है ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माल सप्लाई कर रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया): ×××

श्री अध्यक्ष: पाइण्ट आफ इंफोर्मेशन जीरो आवर में नहीं होता है। जीरो आवर में नो पाइण्ट आफ आर्डर, नो पाइण्ट आफ इंफार्मेशन। नहीं, नहीं। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको अलाऊ नहीं किया। मैंने अलाऊ नहीं किया आपको। यह 5-6 महीने पहले की बात है। इसको आप अब उठा रहे हैं।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्ताव में रिसेण्ट मामला होता है। (व्यवधान) जन-महत्व के प्रश्न तो सब हैं।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री जयराम जाटव (खैरथल): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई भी भ्रष्टाचार का मामला हो और उसे सदन में नहीं उजागर होने दूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। (व्यवधान) सुनिये आप। I say, sit down. I say, please sit down.

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अध्यक्ष: लेकिन मेरी जानकारी में है कि यह प्रश्न उठाकर माननीय सदस्य कुछ अपना हित साधन करना चाहते हैं। इनका बेटा, कांट्रेक्टर है। इनका बेटा कांट्रेक्टर है। इनका बेटा कांट्रेक्टर है, इसलिये मैं इनको अलाऊ नहीं करुंगी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: क्या इनका बेटा ठेकेदारी नहीं करता है जल प्रदाय योजना में? ठेकेदारी नहीं करता है इनका बेटा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, 199 माननीय सदस्य इस सदन में मौजूद हैं। किसी के बारे में भी अध्यक्ष द्वारा यह टिप्पणी की जाए कि इसमें आप अपना कोई व्यक्तिगत हित साधना चाहते हैं, यह आपके मुंह से, सदन में स्पीकर के मुंह से, आसन से, यह बहुत अपमानजनक बात है, माननीय सदस्य के लिये और सभी के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अध्यक्ष: आपके लड़के क्या जल प्रदाय योजना के ठेके नहीं लेते हैं, बता दीजिए आप। नहीं करते हैं, ठेकेदार नहीं हैं क्या? आपके लड़के ठेकेदार नहीं हैं क्या? (व्यवधान) आपके लड़के ठेकेदार नहीं हैं क्या?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री जयराम जाटव (खैरथल): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: इनका लड़का ठेकेदार नहीं है?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अध्यक्ष: यदि इनके लड़के ने कभी ठेके नहीं लिये ... (व्यवधान) यदि ठेके नहीं लिये और ठेकेदारी का काम नहीं करते हैं इनके लड़के और इस जल प्रदाय की जिसे कहनी चाहिए कि कोई ठेके नहीं लिये हैं तो मैं अपने शब्द वापस लेने को तैयार हूं लेकिन यह कहें कि वह ठेकेदारी नहीं करता है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका लड़का ठेकेदारी नहीं करता है। इनका लड़का ठेकेदारी नहीं करता है लेकिन यह जो इश्यू उठा रहे हैं यह बड़ा व्यापक प्रश्न है और झुन्झुनूं जिला पूरा इससे प्रभावित है और माननीय सदस्य उधर से बोल रहे थे ... (व्यवधान) ठहरो तो सही अब आप। माननीय सदस्य उधर से बोल रहे थे ठेकेदार के पक्ष में, उनको आप किस तरह से मानेंगी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पिछली बार भी एक प्रश्न आया था जब मैंने कहा था चूंकि आपका स्वयं का इसमें हित है इसलिए मैं इसको अलाऊ नहीं करूंगी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सुनो-सुनो। भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य त्रिवेदीजी ने भी इस पर बोलना चाहा है तो इसका

(श्री रामनारायण चौधरी)

मतलब यह रेकेट पूरे राजस्थान के अन्दर है और उधर माननीय सदस्य सपोर्ट में बोल रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से लेंगी? ठेकेदार जितने भी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय, यह जो इन्होंने रखा है श्रवणकुमारजी ने जो जलदाय विभाग में ए.सी. प्रेसर पाइप का रखा है, मैं चाहूंगी मंत्रीजी, इस ए.सी. प्रेसर प्राइप खरीद में यदि कोई घोटाला हुआ है तो आप इस बारे में वक्तव्य आज दें, कल दें, वह आपकी मर्जी है लेकिन आप दे दीजिएगा।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): बैठ जाओ न । ज्यादा उतावले क्यों हो रहे हो? कोई बात हो तो, कोई आपके कहने से ही भ्रष्टाचार हो जाएगा क्या? आप बात ले आये सामने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको हां ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैं जो तथ्य हैं वह बता दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गलाकाट प्रतियोगिता है। हर कम्पनी अपने हिसाब से टेंडर देती है। काम करती है और एक दूसरे को पकड़वाने की भी होड़ है। हमारा अधिकारी जहां पर भी यह कम्पनी पाइप लोड करती है वहां पर रहता है और उसकी प्रजेंसी में अगर किसी दूसरे पाइप के ठप्पा दूसरी कम्पनी लगाती तब तो वह दोषी होता। माननीय सदस्य को, मेरे को भी जानकारी जहां तक है, आपकी वजह से ही, आपके प्रयास से यह सारी चीजें पकड़ी वहां पर हमारा अधिकारी नहीं था। आपके कहने से ए.सी.डी. में जांच चल रही है, अब इससे ज्यादा आप क्या चाहते हो? भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, क्या बिना पाइप के पैसे ले लिये, ऐसी बात कर रहे हो जबरदस्ती ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): नहीं, आपने बात उठायी है, आपको जवाब देंगे लेकिन यूं हा-हू कर रहे हो जैसे कोई भ्रष्टाचार हो गया हो ... (व्यवधान) सारी तथ्यात्मक जानकारी मैं दे दूंगा पर जिस तरीके से सदन को गुमराह कर रहे हो वह ठीक नहीं है आपका। हम आपको सारी बात बता देंगे और जब तक पूरी जांच नहीं होगी तब तक तो तथ्य क्या हुआ, इस राजस्थान में ए.सी.डी. से बड़ी कोई संस्था है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ए.सी.डी. जांच कर रही है। ए.सी.डी. के क्या आब्जर्वेशन आये हैं, यह बता देंगे और

(श्री सांवर लाल)

अगर आप समझते हो कि ए.सी.डी. ठीक नहीं कर रही है, सी.बी.आई. से करा लो, आपकी सरकार बैठी है दिल्ली में, जबरदस्ती रोळा करते हो। काम्पीटीशन की वजह से यह है ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): पहली बात तो मेरी जानकारी में है, खुलासा करने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव सदन में आता है। आज एक महीने से ज्यादा समय से सदन चल रहा है अगर आपको घोटाला था तो एक महीने पहले ही लगा देते। चार लाइनें, दस लाइनें लिखकर ही दी, आज आपको यह घोटाला हो गया, वह हो गया, पहले दे देते, अब तक वह चर्चा में आ जाता। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): सरकार जो भी दोषी होता है उसको बचाने का कोई मकसद नहीं है और जांच ए.सी.डी. कर रही है, यह मेरे दायरे की बात भी नहीं है। जब एण्टीकरप्शन जांच कर रही है, आप जानते हो, यह किसके अण्डर में होती है। जब जांच हो रही है और जांच की रिपोर्ट ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप मेरी बात सुनिये। जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही सारी चीजें खुलासा होंगी। अब आप हमारे सामने ले आये अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई स्थगन प्रस्ताव लगाते, हम भी यहां पर प्रतिपक्ष में रहे हैं पर इस तरह से मजबूर कर दें कि आज की आज जवाब दो तो ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आज की आज यह दो। यह सदन के लिए ठीक नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपके जो भी तथ्य है, आप ए.सी.डी. में दो न, कोई मना किया है क्या? ए.सी.डी. में तो कोई हस्तक्षेप किसी का नहीं है। स्वतंत्र एजेंसी है। जांच कर रही है । जबरदस्ती यह कोई कहो ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हम तो दे देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर साहब, इतना गुस्सा और इतने बौखलाहट की आवश्यकता नहीं है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय नेता महोदय, आपके सदस्य को भी इतनी बौखलाहट की जरूरत नहीं है। जो सदन का समय जाया कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय को स्थगन प्रस्ताव दिया है? माननीय अध्यक्ष महोदय व्यवस्था देतीं, मैं बंधा हुआ हूं आसन की व्यवस्था से, मैंने कभी मना नहीं किया और माननीय सदस्य हमको भी कह सकते थे। आज तक इतने महीने हो गये कि साहब, यहां पर यह हुआ है, उसकी कार्यवाही नहीं करते तो बता देते। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप वक्तव्य दे देना। आप सुपर फास्ट रेल मत छोडो, हमारी भी बात सुनो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप यह मानते हैं कि इनका आरोप असत्य है, तथ्यपूर्ण नहीं है तो आप फरमा देना। हम कब कहते हैं कि आप ऐसा दो ही लेकिन आप इससे पहले ही एक्सपोज हो रहे हैं, मान्यवर, आपके लिए और सदन के लिए शोभा की बात नहीं है। मंत्री को पहले एक्सपोज होना, आपने तो वक्तव्य दे दिया, अब क्या बोलेंगे? आप ही तो कह रहे हो, पूरा वक्तव्य दे दिया। आप ही तो कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय नेता महोदय, मैंने

(श्री सांवर लाल)

प्रिलिमिनरी जानकारी दी है और असली जानकारी जो ए.सी.डी. की रिपोर्ट्स वगैरह की होगी, उसके आधार पर ही तथ्य सदन में रखेंगे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, रख देना, हम भी वही चाहते हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): तो मेरा कहने का मतलब यह है ... (व्यवधान) सुनिये, मेरा कहने का मतलब यह है कि डेढ़ महीने से सदन चल रहा है। इन्होंने जो पाइप पकड़वाये, उसको लगभग 6 महीने हो गये, उसके बाद यह, मेरा निवेदन यह था कि अगर आपको ऐसा लगता था तो सदन में आते ही पहला प्रस्ताव दे सकते थे, हमको भी कभी कह सकते थे और बात हो जाए तो फिर अध्यक्षीय व्यवस्था सर्वोपरि है। इसको कौन मना कर रहा है जवाब देने पर ? जिस तरीके से यह माहौल पैदा किया जा रहा है, मैं तो उसके लिए कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं-नहीं, माहौल नहीं, वह तो आपके लोग, ठेकेदारों की वे लोग ही पैरवी कर रहे हैं, हम तो पैरवी नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): दस स्थगन प्रस्ताव लगे हैं, यहां पर यह अकेले माननीय सदस्य का नहीं लगा है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): एण्टीकरप्शन में जांच चल रही है उस पर आप तथ्यात्मक जानकारी दे दीजिए, क्या दिक्कत है?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): जानकारी में उसकी मना थोड़े ही कर रहे हैं आपको। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री अध्यक्ष: एण्टीकरप्शन में जांच चल रही है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दे दिये हैं, सारी स्थिति बता देंगे बाकी धन्यवाद वाली बात तो ऐसी मैंने पहले ही निवेदन किया था कि आजकल काम्पीटीशन का मामला है इसलिए चल रहा है तो वह तो ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्रीजी, तथ्यात्मक रिपोर्ट दे

(श्री रामनारायण चौधरी)

दें और लास्ट में आपके मन में आये जो कामेंट्री कर देना, पहले मत करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़, आप पूर्व में पर्ची के माध्यम से यह बात बोल चुके हैं। बोल चुके हैं या नहीं? आप इसको पढ़कर क्या करेंगे?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पहले दिया था, पर्ची मेरी बाद में आयी थी।

श्री अध्यक्ष: फिर अब क्या करेंगे बोलकर ? अब आप इसको पढ़कर क्या करेंगे? बोल तो चुके हैं आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हो गया, ठीक है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। आल राइट, ठीक है । श्री भरत सिंह। श्री मोहन मेघवाल।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से, जस्टिस पी.के. तिवाड़ी कमेटी की रिपोर्ट आ गयी और यह बहुत ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी है। मैंने व्यवस्था दे दी है, आप छह महीने पहले की रिपोर्ट पर ... (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): नहीं, छह महीने नहीं, तीन महीने की है और अभी एडमिशन ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो तीन महीने की रिसेंट आकरेंस है क्या?

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अभी एडमिशन होने हैं 15 दिन में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चार महीने की रिसेंट आकरेंस है क्या ? चार महीने पहले दिया है।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): जनता 15 अप्रैल के बाद लुट जाएगी। फिर इसकी सिफारिशों का क्या करेंगे आप? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य व्यवधान डाल रहे हैं। इसमें इनका व्यवधान सहन नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय शिक्षा मंत्रीजी, अगर यह

(श्री महीपाल यादव)

रिपोर्ट आपके पास नहीं हो तो मैं आपको यह दे सकता हूं। 50 लाख रुपये, माननीय अध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): छात्रों के हितों की बात है, आप व्यवस्था कर दें। छात्रों के हितों का मामला है।

श्री अध्यक्ष: शिक्षा विभाग की जिस दिन मांग थी उस पर ऑलरेडी चर्चा भी यह कर चुके हैं और इसी बात को स्थगन प्रस्ताव के जरिए ला रहे हैं जिस पर यह चर्चा कर चुके हैं यहां पर ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उसके बाद कटमोशन के जवाब भी दे दिये हैं।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): नहीं, इस समय एडमिशन होने जा रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, और वहां चार-चार लाख रुपये फीस प्राइवेट स्कूलों में, चार-चार लाख रुपये और माननीय अध्यक्ष महोदय, दो हजार इस रिपोर्ट में, दो हजार ऐसी संस्थाएं हैं जो एक हजार करोड़ रुपया जनता की जेब से निकलेगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह कोई बात है? (व्यवधान) सदन का नियम है कि जब एक बार किसी विषय पर चर्चा हो जाती है तो दुबारा चर्चा नहीं होती है। दुबारा चर्चा नहीं होती है। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: रिपोर्ट पर तो कोई चर्चा नहीं हुई है।

श्री अमराराम (धोद): कटमोशन के उत्तर आज तक तो आये नहीं, कटमोशन इसी पर मेरा दिया हुआ है जिसका उत्तर शिक्षा मंत्रीजी ने आज तक नहीं भेजा। सदन में कह रहे हैं सब कटमोशन का उत्तर भेज दिया है।

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी धोद से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं मेरा कटमोशन था, आज दिन तक उसका उत्तर नहीं भेजा। अब करीब 15 दिन में आप भिजवा देना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं जल्दी भिजवा देता हूं। खुद दे आऊंगा व्यक्तिगत।

श्री अमराराम (धोद): मंत्रीजी, अभी तो आपने कहा कि हमने भेज दिये हैं। अभी तो सदन में खड़े होकर कहा कि कटमोशन के जवाब भेज दिये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): भेज दिये, कटमोशन के जवाब मैंने हस्ताक्षर करके भेज दिये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय शिक्षा मंत्रीजी, इसका क्या हुआ? इसको इतिहास के कूड़ेदान में डालोगे या जनता के लिये कुछ सोचेंगे?

श्री अध्यक्ष: श्री भरत सिंह, शुरू करें। प्रारम्भ करें।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी विद्यालयों में एडमिशन होने जा रहे हैं और इस पर एक हजार करोड़ रुपया जनता की जेब से जाएगा। माननीय मंत्रीजी, आपने कमेटी का गठन क्यों किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जन हित का मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष: कह तो दिया उन्होंने जवाब भिजवा दिया। (व्यवधान) मेरी परमिशन के बिना जो बोले, उनका अंकित न करें। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री भरत सिंह, प्रारम्भ करें।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

दीगोद विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य एवं मिसिंग लिंक से जोड़ने बाबत

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, दीगोद विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा एम.यू.पी.आर. फेस तृतीय के तहत सड़क निर्माण कार्य करवाने तथा मिसिंग लिंक योजना से ग्रामों को जोड़ने बाबत् निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले की दीगोद विधान सभा में डामर सड़कों की कुल लम्बाई 462.29 किलोमीटर है। इसमें से 75 किलोमीटर सड़क तो इस प्रकार की है जिसका डामरीकरण वर्ष 1995 से पूर्व करवाया गया था। कुछ सड़कें तो इस प्रकार की भी हैं जिनका डामरीकरण वर्ष 1981-82 में 25 वर्ष पूर्व करवाया गया था। समय पर डामरीकरण नहीं होने से इन सड़कों की हालत अत्यन्त खराब है। राज्य सरकार की एम.यू.पी.आर. योजना के प्रथम व द्वितीय चरण में कुछ सड़कों का काम करवाया गया है। जिनकी कुल लम्बाई

(श्री भरत सिंह)

प्रथम चरण में 8.25 किलोमीटर तथा द्वितीय चरण में 12.5 किलोमीटर है। द्वितीय चरण का कार्य तो अभी आरम्भ ही होना है। इस प्रकार दो वर्ष में 20.75 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण किया जावेगा व इसके बाद भी 75 किलोमीटर सड़कों का डामरीकरण शेष है। कोटा जिले में दीगोद ही ऐसी विधान सभा है जिसमें तृतीय चरण में कार्य करना प्रस्तावित है। मगर सरकार द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार को नाबार्ड से या अन्य बैंकों से ऋण स्वीकृत नहीं होता है तो इन सड़कों का डामरीकरण राज्य सरकार अपने रोड फण्ड से करवायें।

इसी प्रकार पिछली सरकार में मिसिंग लिंक योजना के तहत स्वीकृत कार्य, अप्रोच रोड टू चम्बल ब्रिज एट मण्डावरा, जिसकी कुल लागत 110 लाख रुपये है, वह भी अभी तक अधूरा पडा हुआ है। वर्तमान सरकार ने मिसिंग लिंग योजना के तहत दीगोद विधान सभा में एक भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है जब कि प्रदेश में यह योजना लागू है। विभाग के पास इस संबंध में भिजवाये गये विभिन्न प्रस्ताव विचारणीय हैं, जो संसाधन के अभाव में विभाग नहीं ले रहा है। इस योजना के तहत झालावाड़ जिले में जहां अनेक सड़कें स्वीकृत की गयी हैं तो कोटा जिले की दीगोद विधान सभा में वर्ष 2006-07 में भी कोई सड़क निर्माण करना प्रस्तावित नहीं है। कृषि उपज मण्डी द्वारा भी गत दो वर्षों में दीगोद विधान सभा में मिसिंग लिंक योजना व अन्य किसी योजना के तहत एक रुपये का भी कार्य नहीं करवाया गया है। सरकार इस संबंध में जानकारी प्राप्त करके मिसिंग लिंक योजना के तहत पूर्व में भिजवाये गये प्रस्तावों पर अमल करने का निर्णय ले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहन मेघवाल।

राज्य में वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्रीजी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इनके नेतृत्व में राज्य में पर्यावरण की स्थिति काफी सुधरी है। मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में शहरों की आबादी निरन्तर बढ़ती जा रही है एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण राज्य में वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है जिससे निश्चित ही राज्य में वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इस वायु

(श्री मोहन मेघवाल)

प्रदूषण पर नियन्त्रण हेतु वाहनों पर प्रदूषण जांच की व्यवस्था भी सरकार द्वारा लागू की गई है। किन्तु पर्यावरण, यातायात पुलिस व परिवहन विभाग के तालमेल के अभाव के कारण प्रदूषण नियन्त्रण की जांच सख्ती से लागू नहीं हो रही है। मुख्यतः शहरी क्षेत्र में बढ़ रहे डीजल वाहनों की आवाजाही से तो शहरों में डीजल जनित धुएं से बीमारियों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। जो वास्तव में शहरों में निवास कर रहे लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से घातक है। इस पर प्रभावी नियन्त्रण की जरूरत है। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी मानना है कि यातायात पुलिस भी इस पर ज्यादा मुस्तैदी नहीं दिखा रही है। यातायात पुलिस यातायात नियमों की पालना कराने में कहीं न कहीं ढिलाई जरूर बरत रही है जिससे वाहन स्वामी प्रदूषण जांच के प्रति गंभीर नहीं है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में अनियंत्रित ट्रेफिक भी इस समस्या को बढ़ावा दे रहा है।

इस संबंध में मैं माननीय पर्यावरण मंत्री महोदय से आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य की जनता के सेहत पर गंभीरता से विचार करते हुए वायु प्रदूषण मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में चलने वाले यातायात पुलिस, परिवहन विभाग के साथ सामंजस्य बैठाते हुए एक ठोस कार्य योजना का निर्माण करें ताकि शहरी आबादी में वायु प्रदूषण से दिनों-दिन बढ़ते अस्थमा, तपेदिक व अन्य एलर्जिक बीमारियों पर प्रभावी नियन्त्रण हो सके। इस समस्या के ठोस निवारण हेतु जिला मजिस्ट्रेटों को भी शक्तियां प्रदत्त की जावें ताकि वे कानूनी प्रावधानों का शक्ति से पालन कराने हेतु आवश्यक निर्णय अपने स्तर पर ले सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

ए.डी.जे. की नियुक्तियां आर.पी.एस.सी. के माध्यम से करने विषयक

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि राज्य के विभिन्न न्यायालयों में वकीलों में से स्क्रीनिंग करके ए.डी.जे. नियुक्त किये जाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। ए.डी.जे. पद पर बैठे हुए न्यायाधीश को उम्र कैद व फांसी की सज़ा देने का भी अधिकार होता है। ऐसे में उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति को अनुभव व कानून की पूरी जानकारी नहीं होने से कई बार

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

निर्णय अच्छे नहीं हो पाते हैं। जब हम छोटे से छोटे पद पर जैसे कि तृतीय श्रेणी के अध्यापक के लिये भी चयन प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाती है। राजस्थान भर में होने वाले सभी अधिकारी वर्ग की भर्ती आर.पी.एस.सी. के द्वारा ही चयन करके की जाती है, फिर ए.डी.जे. की नियुक्ति आर.पी.एस.सी. के द्वारा क्यों नहीं की जाती?

न्यायालयों में नियुक्ति के लिये भी आर.जे.एस. परीक्षा होती है जिसको पास करके व साक्षात्कार देने के बाद ही न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। केवल ए.डी.जे. पद इससे पृथक रखा गया है। इसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है उसमें भी राजनैतिक हस्तक्षेप होने की संभावना रहती है।

क्योंकि ए.डी.जे. पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है जिसमें निर्णय सही हो और तर्कसंगत हो, तभी हम जनता को सच्चा न्याय दिलाने की उम्मीद कर सकते हैं। इस पद पर पदोन्नति से आने वाले न्यायाधीश जहां कई वर्षों के अनुभव के बाद इस पद पर आते हैं, वही वकीलों में से सीधी भर्ती बगैर न्यायिक अनुभव के बगैर लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार के कर ली जाती है, जो ठीक नहीं है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पद पर नियुक्ति आर.पी.एस.सी. के मार्फत या फिर आर.जे.एस. परीक्षा के माध्यम से करने का आदेश देवें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजकिशोर शर्मा।

जमवारामगढ़ तहसील के आंधी वन क्षेत्र में वन्य जीवों का संरक्षण

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वन एवं पर्यावरण सुरक्षा व संरक्षण के लिये सन् 1992 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत जयपुर जिले की तहसील जमवारामगढ़ के आंधी क्षेत्र की मार्बल खानों में खनन कार्य बन्द करवा दिया गया। जिसकी वजह से हजारों श्रमिकों के सामने रोजी-रोटी कमाने का संकट खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में गैर-वानिकी गतिविधियों, जिनमें खनन आदि कार्य शामिल है, पर रोक लगा दी गई थी। जमवारामगढ़ के वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अवैध खनन

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

एवं हरे वृक्षों के कटान पर रोक लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की क्रियान्विति के लिये सरकार ने पुलिस प्रशासन एवं वन अधिकारियों को पाबन्द किया हुआ है। इसके बावजूद इस क्षेत्र में अवैध खनन एवं हरे वृक्षों का कटान बन्द नहीं हो पा रहा है। सरकार बताये कि आज तक इस संबंध में कितने मुकदमें दर्ज हुए और कितने प्रकरणों में चालान पेश कर हरे वृक्ष काटने वाले दोषियों को सज़ा दी गई, जबकि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इस संबंध में वन अधिकारियों से शिकायत भी की गई है। जबकि क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय के पास ही तहसील व एस.डी.एम. न्यायालय स्थित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी का कार्यालय जमवारामगढ़ कस्बे में होने के बावजूद अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित सांऊ के पहाड़ों से दिन-दहाड़े अवैध खनन कर पत्थर परिवहन होकर कस्बे में आ रहा है।

(समय : 12.40 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यहां तक कि नवनिर्मित एस.डी.एम. कोर्ट के निर्माण में भी ठेकेदार द्वारा अवैध खनन कर लाया जा रहा पत्थर इस्तेमाल किया जा रहा है। अभ्यारण्य की सीमाओं में लगने वाला अधिकांश क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है जहां स्थित हरे वृक्षों की निरन्तर कटाई हो रही है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वनों का अस्तित्व ही मिट जायेगा और जब वन ही नहीं रहेंगे तो वन्य जीव और पर्यावरण कैसे सुरक्षित रह पायेगा?

अतः मैं अपने इस प्रस्ताव के माध्यम से आपका ध्यान इस गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। जब तक वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रों में कार्यरत वन एवं प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस एवं सरपंच तथा अन्य कार्यकारी संस्थाओं के अधिकारियों की भूमिका एवं जिम्मेदारी निश्चित नहीं की जायेगी तब तक वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण की संभावनाएं बेमानी सिद्ध होंगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नवनीत नीनामा।

माही नदी पर पुल निर्माण

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला बांसवाड़ा में पंचायत समिति पीपलखूंट के सम्बन्धित ग्राम पंचायत-बोरी व

(श्री नवनीत नीनामा)

पंचायत समिति घाटोल के सम्बन्धित ग्राम पंचायत-भुंगड़ा के बीच माही नदी पर पुल निर्माण करने बाबत नियम 295 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में नियम 295 के तहत निवेदन है कि दक्षिणी राजस्थान, जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र घाटोल में जनजाति बाहुल्य जनता को रोजमर्रा की आवश्यक चिकित्सा सुविधा एवं छात्र अध्ययन तथा किसानों की कृषि पैदावार की बिक्री हेतु आना-जाना पड़ता है।

मौके की स्थिति के अनुसार, नजरी नक्शा, अभावग्रस्त गांवों एवं ग्राम पंचायतें माही नदी के पूर्व किनारे पर सात हैं जिन ग्राम पंचायतों के गांवों की संख्या 34 है जिनकी जनसंख्या 27007 है तथा माही नदी के पश्चिम में भी सात ग्राम पंचायते हैं जिनके 31 गांव हैं तथा इनकी जनसंख्या 29505 है। योग, ग्राम पंचायतें 14 के योग गांव 65 हैं, उन 65 गांवों की कुल जनसंख्या 56512 है जिनकी आवागमन की सुविधा के लिए विभागीय अधिकारियों व जन-प्रतिनिधियों द्वारा अनुमानित लागत एप्रोच सड़क निर्माण एवं पुल निर्माण का तखमीना कुल लागत 297.40 लाख रुपये की प्रार्थना 22.04.2005 में माननीय मंत्री महोदय को दे रखी है।

अतः उपरोक्त विवरणानुसार माही नदी पर पुल निर्माण कर जनता की आवागमन की कठिनाइयों को देखते हुए माही नदी पर ग्राम पंचायत भुंगड़ा व ग्राम पंचायत बोरी के बीच पुल निर्माण करा कर आम जनता को लाभान्वित करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री धर्मपाल चौधरी।

अलवर जिले के किसानों को कुट्टी मशीनें उपलब्ध करवाने विषयक

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि अलवर जिले में वर्ष 1999-2000 में कृषि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीब कृषकों को राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निगम के मार्फत अनुदान पर कुट्टी की मशीन उपलब्ध कराने की

(श्री धर्मपाल चौधरी)

योजना संचालित की थी उसमें अलवर जिले में कुल 272 कृषकों ने 750 रुपये के हिसाब से राजस्थान स्टेट एग्रो एण्ड कारपोरेशन लिमिटेड के पास जमा करा दिये और कृषि विभाग द्वारा अनुदान की राशि 815 के हिसाब से राजस्थान स्टेट एग्रो एण्ड कारपोरेशन के पास जमा करवा दिये। इस तरह से 272x1565 = 4,25,680 रुपये जमा हो गये। आज तक तो इन किसानों को मशीन मिली और ही उनको पैसे वापसी मिले। इस फर्म को कृषि विभाग द्वारा अधिकृत किया था इसलिए कृषि विभाग दोषी है और इन गरीब लोगों के पैसे किस अधिकारी की गलती के कारण वर्ष 1999-2000 में राजस्थान एग्रो एण्ड कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 4,25,680 रुपये 272 लोगों के तथा कृषि विभाग ने मिलकर डकार गये तथा कई बार जिला परिषद में इस बारे में जन-प्रतिनिधि ने मांग की कि ऐसी फर्म के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। जिला कलक्टर, अलवर द्वारा भी कृषि विभाग को पत्र लिखा लेकिन आज तक कृषि विभाग के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।

अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि इन 272 गरीब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों का राजस्थान एग्रो एण्ड कैमिकल लिमिटेड द्वारा जो पैसा जमा करके खा गये और आज तक इन लोगों को मशीन उपलब्ध नहीं की गयी, ऐसे में या तो इन किसानों को मशीन उपलब्ध करवाएं अन्यथा ब्याज सहित इनको राशि वापसी करवाएं या इनको मशीन दिलवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती स्नेहलता।

सैण्ड-स्टोन पर रायल्टी दर कम करने बाबत

श्रीमती स्नेहलता (डग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना के तहत निवेदन करना चाहती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेष उल्लेख के जरिए सैण्ड स्टोन पर रायल्टी दरें कम करने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी स्टोन्स पर रायल्टी दरें कम की गईं थी परन्तु सैण्ड स्टोन पर रायल्टी दर कम नहीं की गयी थी इससे सैण्ड स्टोन के व्यवसायी इस लाभ से वंचित रह गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में भी सैण्ड

(श्रीमती स्नेहलता)

स्टोन के व्यवसायी हैं और बार-बार मुझे कहते रहते हैं कि हमने क्या बिगाड़ा जो हमें इस लाभ से वंचित रखा? यह मेरे ही क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे राजस्थान की बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं खनन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि सैण्ड स्टोन पर रायल्टी दर कम कर सैण्ड स्टोन व्यवसायी को लाभ देने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह जोजावर। (अनुपस्थित)

श्री महादेव सिंह।

सरकारी एवं निगम कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु में विसंगति

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सरकारी विभागों एवं विभिन्न निगमों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में विसंगति के बारे में विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय यातायात मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान में राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु 60 वर्ष है जबकि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) में अभी भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष ही है। ऐसी विसंगति राज्य सरकार के विभागों व अन्य निगमों के बीच न होकर मात्र परिवहन निगम के साथ ही है जिस पर विचार की आवश्यकता है। उदाहरण के रूप में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि राजस्थान के ही कतिपय निगमों/बोर्डों में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। जयपुर नगर निगम, राज्य विद्युत वितरण निगम, कम्पनियों, भण्डार व्यवस्था निगम, सड़क विकास निगम, पुल निर्माण निगम, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खनिज निगम, हाथकरघा विकास निगम, कृषि उद्योग निगम, भूमि विकास निगम एवं राजस्थान वित्त निगम इसके उदाहरण हैं जबकि रोडवेज के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि अन्य राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा आदि के पथ परिवहन निगमों में भी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है।

(श्री महादेव सिंह)

इसी प्रकार जब अन्य विभागों में कार्यरत वाहन चालकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है अर्थात् वह व्यक्ति 60 वर्ष की आयु तक वाहन चला सकता है तो राजस्थान रोडवेज में वाहन चालक 60 वर्ष की उम्र तक वाहन क्यों नहीं चला सकता?

अतः मैं उक्त बिंदुओं की ओर माननीय यातायात मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में भी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष की जाय। इससे परिवहन कर्मचारियों एवं अन्य निगमों के कर्मचारियों के सेवा काल में एकरूपता होगी तथा परिवहन कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष दूर होकर परिवहन निगम में कार्य की गुणवत्ता में अभिवृद्धि होगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राकेश मेघवाल ।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह 295 में आया है प्रस्ताव, परिवहन निगम अगर साठ वर्ष की आयु कर सकता है तो अच्छा रहेगा कर्मचारियों के लिए। यातायात मंत्री महोदय कोई जवाब देना चाहें तो ...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सी. पी. जोशीजी भी इसका वो कर रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं सरकार का वैल विशर नहीं हूं आप वैल विशर हैं ।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अच्छा, आप सरकार के वैल विशर नहीं हैं ?

एक माननीय सदस्य: घर की पोल क्यों खोलते हो अन्दर ही रहने दो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सरकार के वैल विशर तो ये भी नहीं हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं तो पूरा वैल विशर हूं और चाहता हूं कि राजस्थान की तरक्की हो अब अगर यह वैल विशर नहीं हैं, राजस्थान की तरक्की नहीं चाहते हैं, राजस्थान की तरक्की तो सभी चाहते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): राजस्थान की तरक्की तो हो लेकिन आप वैल विशर नहीं हो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बिलकुल वैल विशर हूं, शुभ चिन्तक हूं पूरा।

श्री उपाध्यक्ष: कोई बात कह देता है तो क्या फर्क पड़ता है ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें कोई दो राय नहीं है इसका मिलेगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मंत्री बनूं या नहीं बनूं लेकिन आपकी सरकार भी होगी, कोई भी सरकार होगी, निश्चित रूप से हमको राजस्थान की जनता का वैल विशर होना ही चाहिए। यह जनता और कर्मचारियों की बात है, कर्मचारियों के वैल विशर की बात है ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): रोडवेज की ही क्यों पूरे राजस्थान के कर्मचारियों की बात क्यों नहीं कर रहे हो ?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अभी तो बात उन्होंने केवल रोड़वेज के कर्मचारियों की है ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पूरे राजस्थान के कर्मचारियों की बात करो आधे की बात मत करो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सब बातों की कह दी, साठ वर्ष की है ।

इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना, अजमेर रोड, जयपुर में भूखण्ड आबंटन

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख कर निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र की इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना, अजमेर रोड ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर में दिनांक 8.11.2000 को आवासीय योजना विकसित करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसकी शर्त संख्या-1

"Applicant will, first of all, purchase the land of Khasra No. (as already) from Khatedar through sale deed."

(श्री राकेश मेघवाल)

इस शर्त में दिनांक 16.5.2001 को संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करके उक्त शर्त संख्या एक में सेल डीड से भूमि क्रय करने की जगह काश्तकार खातेदार से समर्पण नामे के आधार पर योजना क्षेत्र की भूमि का समर्पण जयपुर विकास प्राधिकरण के हक में करवाकर निजी विकासकर्ताओं को स्टाम्प ड्यूटी बचाने का एक अवसर दिया गया एवं सरकार को करोड़ों की स्टाम्प ड्यूटी से वंचित किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण की पत्रावली में पैरा संख्या 23, 24, व 25 में स्पष्ट अंकित है कि विकासकर्ता को एक बार स्टाम्प डयूटी में रियायत दी जा सकेगी। इसके पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण जोन-7 के उपायुक्त द्वारा जारी पत्र क्रमांक उपा.जोन-7/05/डी,2732 दिनांक 18.8.05 द्वारा उक्त योजना में विकासकर्ता को पाँच बार स्टाम्प ड्यूटी बचाकर उक्त योजना की भूमि का स्वामित्व हस्तांतरण होने के संदर्भ में लिखा गया है, जो कि विकास कर्ता के एक पत्र मात्र से जयपुर विकास प्राधिकरण ने लगभग दो सौ बीघा भूमि की आवासीय योजना का स्वामित्व परिवर्तन कर दिया है। इससे राज्य सरकार को लगभग बीस करोड़ रुपए की राजस्व हानि हो रही है। जबकि अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 8.11.2000 की शर्त संख्या 9 में स्पष्ट लिखा गया है कि :-

''As per clause 9 of the regulations this letter will not be treated as a sanction/approval of the scheme. On the basis of this letter only the applicant to whom this letter is issued will be able to take further necessary action in this regard and no body else. It is also to clarify that applicant will not be able to sell the land or plots of the land in question on the strength of this NOC till all required approvals are issued by the Authority."

इस शर्त के उपरान्त एक राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्ति को बिना स्टाम्प ड्यूटी चुकाये इस योजना का स्वामित्व परिवर्तन किया गया जो किन नियमों के तहत किया गया व वर्तमान में उक्त योजना को मूल विकासकर्ता से अन्य के नाम हस्तान्तरित किया गया है या नहीं, कृपया इसकी जानकारी उपलब्ध करावें।

जिन्होंने प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त योजना में भूखण्डों को क्रय किया वे आज मारे-मारे फिर रहे हैं, उनको

(श्री राकेश मेघवाल)

भूखण्ड नहीं दिये जा रहे हैं। इस योजना में मेरे क्षेत्र के व्यक्तियों के खून पसीने की कमाई लगी हुई है। जो रोजाना प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्राधिकरण द्वारा क्या किया गया है, स्पष्ट करवाने की कृपा करावें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामचन्द्र जारोड़ा । माननीय सदस्यों से निवेदन है कि थोड़ी आपस में बातचीत कम करें।

किसानों को बिजली कनेक्शन नहीं देने विषयक

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि राज्य में पिछले एक वर्ष से किसानों को बिजली कृषि कनेक्शन नहीं देने से किसानों में भारी रोष उत्पन्न हो रहा है। किसान भारी परेशानी में हैं । जहां राज्य के 21 जिलों के 15,600 से अधिक गांव भंयकर अकाल की चपेट में हैं तथा चारे के भाव आसमान छू रहे हैं जबकि एक वर्ष से कोई भी नया डिमांड नोटिस जारी नहीं किया गया है तथा राज्य में पहली बार अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना क्षेत्र के आदिवासियों को कनेक्शन तुरन्त प्राथमिकता से दिए जाते रहे हैं लेकिन एक वर्ष से कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं तथा जले हुए ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदलने के आदेश के बावजूद भी समय पर ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान होता है तथा फसल के समय पर बकाया के नाम पर कनेक्शन काटने से भी किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

अतः आपके माध्यम से निवेदन है कि किसानों को तुरन्त कनेक्शन दिए जावें तथा ग्रामीण क्षेत्र में पूरी रात टू फेस बिजली दी जावे जिससे विद्यार्थी अपनी परीक्षाएं सही समय पर दे सकें।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय । श्री अशोक नागपाल।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी ।

श्री उपाध्यक्ष: नागपालजी, मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): जो मामला सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में एक कमेटी बनी हुई है और वहां यह सारा मैटर चल रहा है । इस पर यदि चर्चा की गयी तो ..... सबजुडिस मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष: नागपाल जी, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के ...

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पोंग डैम विस्थापितों को आबंटित भूमि

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं कहना चाहूंगा । जो वास्तविकता है वहां की, उस सन्दर्भ में मैं मेरी बात रखना चाहूंगा । कृपया, मुझे समय दिया जाए। वास्तव में उस क्षेत्र की एक बहुत ज्वलंत समस्या है । मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट या अन्य किसी भी मुद्दे पर नहीं जाना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): समसामयिक समस्या है।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): मैं तो वहां की वास्तविक स्थिति जो है वह आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हिमाचल में पोंग डैम का निर्माण हुआ 1973 में, वहां से पोंग डैम के लिए जो जमीन आरक्षित की गयी, वहां से जो लोग बेदखल हुए उन्हें राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर तहसील सूरतगढ़, तहसील श्री विजयनगर, तहसील अनूपगढ़ और घड़साना में करीब 9500 मुरब्बा उसकी एवज में उन्हें अलाट किया गया । 1973 के बाद 1976 में किस्त के अभाव में उन जमीनों में से करीब 6000 मुरब्बा जमीनें खारिज कर दी गयीं और उसको रकबा राज घोषित कर दिया गया । लेकिन 1981 में तत्कालीन मुख्य मंत्री हिमाचल सरकार और राजस्थान सरकार की आपसी सहमति से रेवेन्यू एक्ट 8/a के तहत एक मौका और उन्हें दिया गया ।

ताकि वह उसी दौरान 90 दिन का समय दिया गया और उस 90 दिन के अन्दर जिन्होंने अपनी जमीनों के बाकी पैसे भर दिये वह जमीन उन्हें दे दी गयी। उसी दौरान श्रीगंगानगर जिले में लालगढ़ में एक छावनी का निर्माण हुआ। उस छावनी से जो काश्तकार बेदखल हुए उनसे 800 मुरब्बा जमीन, उन जमीनों में से जो पोंग डैम विस्थापितों को दी गयी, उनको दे दी गयी। 1981 में तत्कालीन हिमाचल सरकार ने यह स्वीकार किया कि हमारी 1559 मुरब्बे मिलना बाकी रह गयी है जिन्हें राजस्थान सरकार ने 2000 और

(श्री अशोक नागपाल)

2004 के बीच में द्वितीय चरण में नाचना, रामगढ़ और उस साइड में उनको दे दी गयी। मैं इस सन्दर्भ में यह भी कहना चाहूंगा 1991 में जब पुनः सर्वेक्षण हुआ और 1973 में जब उन्हें जमीन अलाट की गयी तो उस समय एक क्लोज दिया गया था कि 20 वर्ष तक यह लोग उस जमीन को सेल नहीं कर सकेंगे, बेच नहीं सकेंगे लेकिन उसमें से काफी लोग उन जमीनों को बेचकर, अन्य लोगों को देकर चले गये। क्योंकि वह टिब्बा क्षेत्र था, जमीनें इतनी उपज वाली नहीं थीं, वहां के लोकल काश्तकारों ने वह जमीनें ले ली। 1991 में जब यह पुनः सर्वेक्षण हुआ तो उसमें काफी जमीन बिकी हुई पायी गयी और उसे राजस्थान सरकार ने रकबा राज घोषित कर दिया। 1992 में रेवेन्यू एक्ट की धारा 6(ए) के तहत जिनके पास वह जमीनें थीं उनसे तीन लाख रुपया प्रति मुरब्बा 25 बीघे के हिसाब से राशि भरवायी गयी और जिन्होंने एकमुश्त राशि जमा करवायी उन्हें 25 प्रतिशत की छूट दी गयी। उनसे सवा दो लाख रुपये और बाकी उन्होंने अपनी किस्त में पैसा जमा करवाया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि 1992 में जब पैसा भरवा लिया गया, वह हिमाचल के जो लोग थे जिन्हें वह जमीन आबंटित की गयी थी, वह 6(ए) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गये। सुप्रीम कोर्ट ने 26.7.1996 को धारा 6(ए) निरस्त करके वह जमीनें वापस रकबा राज कर दिया गया। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल हाई कोर्ट ने भी इस प्रकरण को देखा लेकिन हिमाचल हाई कोर्ट ने वापस वह हाई पावर कमेटी जो बनी हुई है, यह मामला उसमें भेज दिया जिसमें केन्द्रीय जल संसाधन सचिव इसके चेयरमैन हैं। हमारे राजस्थान के चीफ सैक्रेटरी, रेवेन्यू उसके सदस्य हैं और हिमाचल के जो रेवेन्यू सैक्रेटरी हैं वह भी उसके सदस्य हैं। इसमें 1188 मुरब्बा करीब 35000 बीघा जमीन जो है, वह आज भी वहां के काश्तकार जिनके पैसे भरे हुए थे, उनको बेदखल कर दिया गया है। उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में जब भी वहां के काश्तकार मिले हैं उन्होंने बड़ी ही संवेदनशीलता से प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि मामला कोर्ट के माध्यम से था, इसमें वह कुछ कर नहीं सकते थे लेकिन उन्होंने फिर भी सकारात्मक रूख लेते हुए इस मामले को किसी भी तरह से सुलटाने का प्रयास किया। मैं आपके माध्यम

(श्री अशोक नागपाल)

से यह कहना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से उस क्षेत्र के किसान जो कि घड़साना, रावला, अनूपगढ़, विजयनगर, रायसिंहनगर और सूरतगढ़ तहसील के मुख्य रूप से हैं उनके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है। उन्होंने अपना पैसा उसमें जमा करवा दिया है। उनके पास रोजी रोटी का कोई भी साधन नहीं है। उनको बेदखल कर दिया गया है और उनके पास जो पूंजी थी वह सब उसमें लग चुकी है। करीब 20-20, 25-25 सालों से वह इसमें काश्त कर रहे थे लेकिन उनको बेदखल कर दिया गया है। आज उस जमीन के ऊपर पन्द्रह हजार लोग अपनी आजीविका निर्वहन कर रहे थे जिनको बेदखल कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहूंगा कि उनके ऊपर जो यह तलवार लटकी हुई है, कोई सम्मानजनक तरीके से इस समस्या का समाधान करके उनको राहत प्रदान की जाए। यही मैं कहना चाहूंगा। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

कोटा नगर विकास न्यास के बकाया जमा से सम्बन्धित नोटिस से उत्पन्न स्थिति

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा 19 जनवरी, 2006 को प्रकाशित सूचना, नोटिस से उत्पन्न स्थिति के सन्दर्भ में आपके माध्यम से पर्ची पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1994 से लेकर 2000 तक कोटा शहर की 17 कालोनियों में हजारों मकानों का आबंटन हुआ था। किसी न किसी कारण से उनमें से कुछ आबंटी नियमित रूप से अपनी किस्त नहीं चुका पाये और इस कारण से अचानक नगर विकास न्यास, कोटा ने 19 जनवरी को एक नोटिस जारी किया कि 28 फरवरी, 2006 तक सम्पूर्ण बकाया किस्त को जमा करा दें अन्यथा सारे मकानों का आबंटन निरस्त करके नगर विकास न्यास कब्जा ले लेगा। न्यास की सूची के अनुसार ऐसे आबंटियों की संख्या लगभग चार हजार से पांच हजार है और मेरी सूची के अनुसार लगभग आठ से दस हजार ऐसे आबंटी हैं जिनके सामने यह खतरा पैदा हो गया कि अगर इस प्रकार से नियमों में शिथिलता नहीं दी गयी तो उनका आबंटित मकान न्यास

(श्री प्रहलाद गुंजल)

के कब्जे में चला जाएगा। उनके आबंटन का अधिकार खतम हो जाएगा और यह विसंगति इसलिये पैदा हुई उपाध्यक्ष महोदय कि जिन कालोनियों में मकान आबंटित हुए वह कोटा शहर की दूरस्थ कालोनियां थीं और जहां पर आबादी नहीं होने के कारण मकान मिलते ही लोगों ने उसको दुरुस्त करा के ठीक कराना ज्यादा मुनासिब समझा और जब उनमें से अधिकांशतः लोग 12 महीने, 13 महीने बाद एक साथ किस्त लेकर जमा कराने पहुंचे तो नगर विकास न्यास के अधिकारियों ने न्यास के एक एक्ट का हवाला देकर कि कोई भी आबंटी अगर लगातार 22 किस्त जमा नहीं कराता है तो अब उसको बकाया किस्त जमा कराने का अधिकार नहीं रह जाता और इस कारण से यह जो लैटर मैं बता रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, न्यास ने कई सारे सैकड़ों लोगों को इस प्रकार के लैटर जारी किये। गिरीश कुमार, पुत्र श्री प्रहलाद कुमार, मकान नम्बर 266, विवेकानन्द नगर ... (व्यवधान) उपरोक्त विषय में लेख है कि आप द्वारा बकाया राशि जमा कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वर्तमान में बकाया राशि जमा किये जाने के आदेश प्राप्त नहीं हैं, अतः अग्रिम आदेश प्राप्त होने तक अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई आबंटी गरीब है और यह सारे मकान ई.डब्ल्यू.एस. के हैं। इनमें मैक्सिमम लोग बी.पी.एल. परिवारों के लोग हैं, मध्यम श्रेणी के लोग हैं। 11 महीने तक किसी न किसी कारण से किस्त जमा नहीं करा पाये और 12वें महीने में किस्त लेकर गये तो न्यास के नियमों ने उस पर बाधा डाल कर कह दिया अब चूंकि 11 महीने समाप्त हो गये, आप किस्त जमा नहीं करायेंगे।

एक और गभीर बात उसमें यह पैदा हो गयी कि ऐसे चार-पांच हजार आबंटियों में से हजार, दो हजार आबंटियों ने उन मकानों को दूसरे लोगों को बेच दिया। अब वह दूसरे आबंटी भी किस्त जमा कराना चाहते हैं तो न्यास किस्त नहीं ले रहा है उनसे। एकमुश्त सारी बकाया जमा कराने की बात कही जा रही है और हालात यह हैं उपाध्यक्ष महोदय, नोटिस जिस प्रकार के आए हैं उनमें पचास हजार मूल और पचपन हजार ब्याज और पेनल्टी। किसी छोटे गरीब के 11x35 के मकान पर अठारह हजार रुपये की पेनल्टी, बीस हजार बकाया और इस कारण से कोटा शहर में एक बड़ा आन्दोलन खड़ा हो गया। आन्दोलन खड़ा होने के कारण हालात वहां विस्फोटक हो रहे हैं। लोग वहां पर ब्याज, पेनल्टी माफ करने की मांग कर रहे हैं। दूसरे लोगों ने, जिन्होंने द्वितीय पक्षकार ने मकान खरीद लिया, न्यास सीधा उनके नाम से रजिस्ट्री करे ताकि

(श्री प्रहलाद गुंजल)

वह बैंक से पैसा लेकर सीधा पैसा न्यास के खाते में जमा करा सकें, इस बात को लेकर आन्दोलन चल रहा है।

माननीय मंत्री महोदय को मैं इस बात के लिये तो धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बीच में इस दिशा में सार्थक प्रयास करके इस समस्या का समाधान करने के लिये एक बैठक ली और बैठक लेकर इस 28 फरवरी की तारीख को 31 मार्च तक बढ़ा दिया। इस बात का उन्होंने आश्वासन किया, निर्णय दिया कि हम नियमों में शिथिलता बरतते हुए ब्याज और पेनल्टी में छूट देंगे और द्वितीय पक्षकार के पक्ष में सीधा अभियान चला कर न्यास से रजिस्ट्री कराने की योजना क्रियान्वित करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन अब संशय यह पैदा हो गया 31 मार्च भी निकल गयी और न्यास के नोटिस के मुताबिक आज की तारीख में वह सारे मकान नगर विकास न्यास, कोटा के कब्जे के मकान हो गये।

किसी भी वक्त अगर नियमों में शिथिलता देकर के उनके साथ न्याय नहीं किया तो न्यास उनकी बेदखली की कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है । इससे कोटा शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति के हालात पैदा हो जायेंगे, दिक्कतें खड़ी हो जायेंगी । इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि कल भी वहां पर दो हजार लोगों का प्रदर्शन हुआ । आज से लगातार वहां पर क्रमिक अनशन पर लोग बैठे हुए हैं और चूंकि यह मूवमेंट आम आदमी से, 17 कालोनियों से जुड़ा हुआ मूवमेंट है । हजारों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं । गरीब तबके के और मध्यम तबके के लोग हैं । कई बार पहले भी इस प्रकार के फैसले समय-समय पर पुरानी सरकारों में होते रहे हैं और समय-समय पर ब्जाज में छूट देने का प्रावधान है । द्वितीय पक्षकार के नाम पर अभियान चलाकर के समय-समय पर रजिस्ट्रियां भी की गयी । आज कोटा में इन हालात को देखते हुए मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि ब्याज, पेनल्टी माफ करे और साथ ही द्वितीय पक्षकार के नाम पर रजिस्ट्री करने के अभियान चलाकर के नियमों में शिथिलता प्रदान कर कोटा के नागरिकों के साथ न्याय करें, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं । कोटा में पहले भी हमने दस-दस, पंद्रह-पंद्रह साल पहले के जो अलोटेड मकान कैंसिल हुए थे उनको वापिस लिया है । आप रिकार्ड देख

(श्री रामनारायण मीणा)

लीजिये । माननीय सदस्य की जो भावना है, कृपा करके आप बोलें तो उदारतापूर्वक ध्यान रखकर के सरकार की तरफ से बोलें । सब अपने हैं, स्टेट के हैं गरीब लोग भी हैं उसी के अनुसार बोलें तो आपकी कृपा होगी । मुझे तो इतना ही कहना है ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी रामगंज मंडी से आने वाले माननीय सदस्य ने कोटा में जो श्रीनाथपुरम, विवेकानंदपुरम, आर.के.पुरम इसमें ई.डब्ल्यु.एस. और एल.आई.जी. के मकान बने हुए हैं, लोगों को आबंटित किये गये हैं और उन लोगों ने समय पर किस्त नहीं चुकाने के कारण से यू.आई.टी. ने नोटिस दिये हैं । उनकी तरफ सरकार का ध्यानाकर्षित किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा के विकास में यू.आई.टी. की बहुत बड़ी महत्ता है । यूआईटी कोटा के विकास में जब से हमारी सरकार आयी है, माननीय मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में कोटा में एक अभूतपूर्व विकास के काम हो रहे हैं । मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पांच साल में कोटा में पिछली कांग्रेस की सरकार ने मात्र 130 करोड़ रुपये के काम करवाये वहीं हमने मात्र दो वर्ष में 80 करोड़ रुपये से भी अधिक के काम करवाये हैं ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह उस दिन डिमांड पर कागज तैयार किये होंगे जो पढ़ रहे हो आज ।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): इसलिए बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): बोल नहीं रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बात कुछ है और बोल कुछ रहे हो ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): सुन तो लो ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार क्या मतलब है इसमें ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आपके बराबर विद्वान तो हूं नहीं मैं, आप सुन तो लें दादा भाई ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): कांग्रेस की सरकार में भाई धारीवालजी ने जो चौराहे पर बनाया न ऊंचा गुम्बज ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): धारीवालजी तो आपको सपने में भी नजर आते होंगे ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप पचास साल तक नहीं बना सकते हैं ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): जैसा धारीवालजी ने आपके साथ किया है वैसा तो किसी के साथ नहीं किया होगा ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या मुकाबला करेंगे धारीवालजी से ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): धारीवालजी के मामले में आप दोनों में अच्छा तालमेल है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप पूरी बात तो सुनें माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हम दोनों का मित्र है ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): धारीवालजी और आपका भी अच्छा तालमेल है । इसका नतीजा है कि यह यहां बैठे हैं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): चमचा और नेतागिरी की भाषा नहीं बोल रहा हूं, मैं मित्रता की बात कर रहा हूं । धारीवाल मेरा मित्र है ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आप तो गरीब के घरौंदें की बात करें । मंत्री महोदय आप तो गरीबों के आबंटन की बात करें ।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब सुनने दीजिये ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): हां, कर रहा हूं, कर रहा हूं, बिराजें तो सही ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आप तो योजना का बखान कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मंत्रीजी, मौका मिला हैं ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): गरीब के घरौंदे के लिए चिंता है उनकी ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मौका मिला है, मौका मिला है ...(व्यवधान) सुनें तो सही ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): जब से यह बजट सत्र प्रारंभ हुआ है, 28 तारीख से देख रहा हूं कि माननीय सदस्य अशोकजी आपको कि आप जब भी संयमजी लोढ़ा खड़े होते हैं उसके बाद में आप तुरंत खड़े हो जाते हैं ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): यह हमारी दोनों की सैटिंग है ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): फिर भी आप संयम लोढ़ा नहीं बन सकते हैं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मौका मिला है ...(व्यवधान) मंत्रीजी मौका मिला है ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): बनाने का मतलब नहीं है । आप बातों को घुमा रहे हैं । वह गरीब के घरौंदे की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मंत्रीजी मौका मिला है, आपको दस्तखत करने का मौका मिला है । पूरी उनकी बात मान लें आप ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): बिराजें आप, बिराजें आप माननीय सदस्य ।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब तो सुनें ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी कोटा के विकास में यू.आई.टी. की बहुत बड़ी महत्ता है और जितनी भी राजस्थान में यू.आई.टी. हैं उनके पास वित्तीय संसाधन जुटाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जमीन का ही है । जमीन से ही सबसे ज्यादा जमीन के आबंटन से या आक्शन से ही सबसे ज्यादा आय यू.आई.टी. को होती है । फिर भी मैं माननीय सदस्य जो रामगंजमंडी से आने वाले हैं इनकी भावनाओं की कद्र करते हुए, मैंने इसके पूर्व में जैसा उन्होंने कहा कि वहां पर आंदोलन चल रहा है, लोग धरने पर बैठे हैं । इसी मामले को लेकर

के 20-22 तारीख को यहां विधान सभा में भी मीटिंग बुलायी थी । क्या मामला है इसकी पूर्णतया जानकारी अधिकारियों से भी ली थी । माननीय सदस्य से भी ली थी। करीब 3500 मकानों का यह मामला है । 3500 लोगों को यह मकान आबंटित हुए थे । जिन लोगों की किस्त वहां जमा नहीं हुई हैं और उनको नोटिस मिला है । मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करना चाहूंगा और माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं और कोटा के लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कोटा ही नहीं पूरे राजस्थान में जहां-जहां भी यू.आई.टी. हैं जहां पर भी राजस्थान में यू.आई.टी. में ईडब्ल्युएस और एलआईजी के क्वार्टर बने हुए हैं उनके लिए अगर वह 30 जून, 2006 तक अगर पूरे पैसा जमा करवा देते हैं तो उनके ब्याज और पेनल्टी जो भी है उसमें 60 प्रतिशत की छूट की घोषणा करते हैं । आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री लालचंद मेघवाल।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आज तो आप ...(व्यवधान) क्या चक्कर है, यह समीकरण आज किस कारण आये हैं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वर्ल्ड ट्रेड पार्क का तो 2008 तक का टाइम दिया है, इन गरीबों को भी दें ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ब्याज दे रहा है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इनको भी दे दें आप ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): शांतिलालजी धारीवाल की यहां चर्चा हो रही थी ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय लोढ़ाजी, वह ब्याज दे रहा है ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): वर्ल्ड ट्रेड पार्क के आबंटन में ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, उनकी तुलना मंत्रीजी से कर रहे थे ...(व्यवधान) मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन शांतिलालजी धारीवाल जब मंत्री थे तब मैं विधायक था ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: छोड़ो इसको ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मेरे प्लाट की भूमि नियमों के

(श्री रामप्रताप कासनिया)

विपरीत जाकर के दूसरों लोगों को आबंटित कर दी । इसका मैं साक्षी हूं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): गरीबों को कर दी ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह बात छोड़ें ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): नहीं, आप तुलना कर रहे थे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी तुलना आप उनसे मत करें । वह मेरे से ही नहीं चूके । माननीय सदस्य के साथ ही यह अन्याय कर दिया और नियमों के विरूद्व जाकर के कर दिया ।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): गरीब आदमी को दे दी ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बिराजें, लालचंद मेघवाल ।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): गरीब को दे दी इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ...(व्यवधान)

प्रदेश में केरोसीन वितरण प्रणाली व कोटा

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, भारत सरकार ने हाल ही में प्रदेश में केरोसीन का कोटा बहुत ही कम कर दिया और इसके साथ-साथ जो जिलों में जो वितरण प्रणाली है । पिछले दिनों गंगानगर जिले का कोटा अन्य जिलों से और भी कम कर दिया गया है । इसके साथ-साथ आप ताज्जुब करेंगे कि यह शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जो केरोसीन वितरण प्रणाली है । यह बहुत बड़ी विसंगति है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रति राशन कार्ड के हिसाब से डेढ लीटर केरोसीन दिया जाता है और शहरी क्षेत्र में चार लीटर के हिसाब से प्रति राशन कार्ड के हिसाब से केरोसीन दिया जाता है । यह बहुत बड़ी विसंगति है । लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह अभी केरोसीन वितरित हो रहा है, डीलरशिप दी जाती है, पिछले दिनों गंगानगर जिले में कुछ वैकेंसियां निकाली । लेकिन अभी भी रायसिंहनगर में 17 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं और शहर में 25 वार्ड ऐसे हैं जो डीलरशिप के पास है । उससे अटैच किये हुए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में यह जो भेदभाव है यह खतम करके समानीकरण करें । चार लीटर प्रति राशन कार्ड के हिसाब से और इसके साथ-साथ जिस तरह पंचायत अभी शहरी क्षेत्र के लोगों के पास हैं । जिनके

(श्री लालचन्द मेघवाल)

पास वार्ड का कोटा है उन्हीं को ग्रामीण क्षेत्र में अटैच करके उन्हीं को पंचायतें दी जाती है । वह शहरी क्षेत्र के लोग कैसे ग्रामीण क्षेत्र में तेल वितरित कर देंगे । यह हम सभी माननीय सदस्य जानते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि जिस तरह गंगानगर जिले में यह व्यवस्था है उस तरफ भी ध्यान दिया जाये और प्रत्येक ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर और उसी ग्राम पंचायत के निवासी का कोटा दिया जाये । और जो जिस वार्ड का निवासी है, उसी वार्ड का कोटा उसी वार्ड के निवासी को दिया जाए। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा। इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि पूरे राजस्थान में अनुसूचित जाति की 17 प्रतिशत पापूलेशन है और सबसे ज्यादा अकेले गंगानगर जिले में जहां 35 प्रतिशत एस.सी. की पापूलेशन है, वहां के इन लोगों को डीलरशिप महज दो चार प्रतिशत ही को दी है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विसंगतियां हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आप विशेष तौर पर डीलरशिप देने की व्यवस्था करते हैं तो आप उसमें निश्चित तौर पर गौर फरमाएं।

अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी 17 पंचायतें हैं और शहरी क्षेत्र, जहां डीलरशिप नहीं है, वहां पूरे गंगानगर की प्रत्येक पंचायत में डीलर्स की नियुक्ति करवाने की व्यवस्था करवावें। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने गंगानगर के बारे में ध्यान आकर्षण किया है। हम इस समय गंगानगर जिले को 1426 किलोलीटर केरोसीन दे रहे हैं और उसको केलकूलेट किया जाए तो शहर के डी.एस.ओ. की इन्फोर्मेशन के अनुसार 4 लीटर प्रति राशन कार्ड और ग्रामीण क्षेत्र में 3 से 4 लीटर प्रति राशन कार्ड दिया जा रहा है। जहां तक खाली दुकानों का मामला है जो भी रिक्तियां गंगानगर जिले में या रायसिंहनगर में है यह एडीशनल अटैचमेण्ट कर रखा है, उन अटैचमेण्ट को खतम कर रिक्तियों के विरुद्ध इन्टरव्यू करवा दिए जाएंगे।

एक बात आपने बताई है कि एस.सी. और एस.टी. को वरीयता दी जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 7.10.2005 को हमने दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें एस.सी., एस.टी. के व्यक्तियों को प्राथमिकता है इसलिए माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, इनको निश्चित हो जाना चाहिए

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

कि इसमें हम प्राथमिकता देंगे और किसी प्रकार की आपकी और भी शिकायत रह जाए तो आप मुझे बता देना, हम व्यक्तिगत उसकी जांच करवाकर कार्यवाही करवा देंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में माननीय मंत्रीजी का आपके माध्यम से ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि हमारे गंगानगर में कई डिपो होल्डर ऐसे हैं जहां एक ही आदमी ने ही विभिन्न नाम से दस-दस डिपो अलाट करवा रखे हैं और पूरा का पूरा केरासीन ब्लैक में बेचा जाता है। क्या आपका उनकी जांच करवाने का या उनके खिलाफ कार्यवाही करने का कोई आइडिया है?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही है, यह कोई इस ढंग की सूचना हमें उपलब्ध करवाएंगे कि एक ही आदमी ने कई डीलरशिप ले रखी है तो हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और कालाबाजारी की भी आप कोई ऐसी शिकायत देंगे तो उसकी जांच करवाएंगे और दोषी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि हमारे जिले को दूसरे जिलों की तुलना में जितना कोटा बना हुआ है उसके मुकाबले जो मिट्टी का तेल दे रहे हैं वह बहुत ही कम है। क्या आप मिट्टी का तेल दूसरे जिलों के बराबर कोटा बढ़ाने का विचार रखते हैं?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पूरे स्टेट में राशन कार्ड के अनुसार ही केरोसीन तेल दे रहे हैं ऐसा नहीं है कि गंगानगर में कम दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री युनूस खान, यातायात मंत्री, तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ग्राण्ट इन एड के बारे में बोलने के लिए स्पीकर साहब ने कह दिया था। स्लिप भी मेरी भेजी हुई है। मैं पांच-सात मिनट में अपनी बात रख दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: सूचना के बाद रख देना।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सूचना के बाद करेंगे?

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

परिवहन विभाग

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1. अधिसूचना संख्या- एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/6 एम, दिनांक 31.3.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/2004/6 एल दिनांक 14.9.2004 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अतिष्ठित करते हुए स्टेट कैरिज वाहनों पर विशेष पथकर की दरों में संशोधन किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या- एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/11 के दिनांक 31.3.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या- एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/11जी, दिनांक 22.7.2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अतिष्ठित करते हुए पर्यटक यानों से भिन्न संविदा वाहनों पर विशेष पथकर की दरों में संशोधन किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या- एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/25, दिनांक 31.3.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या- एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/11जी, दिनांक 22.7.2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अतिष्ठित करते हुए पर्यटक वाहनों एवं स्लीपर कोच पर विशेष पथ कर की दरों में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: चार-पांच याचिकाएं उपस्थापित करने दो, इसके बाद कर लें।

श्रीमती प्रतिभा सिंह, सदस्य विधान सभा दो याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी। (अनुपस्थित)

श्री कैलाश त्रिवेदी, सदस्य विधान सभा दो याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

पोटला ग्राम के निवासियों की मगरमच्छों से सुरक्षा

1. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के ग्राम पोटला के सार्वजनिक तालाब में मगरमच्छों से ग्रामवासी व अन्य जानवरों की सुरक्षा बाबत।

महेन्द्रगढ़ से एकलिंगपुरा तक डामर सड़क बाबत

2. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में महेन्द्रगढ़ से एकलिंगपुरा तक 4 किलोमीटर डामर सड़क बनाने बाबत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल (निवाई), सदस्य विधान सभा, एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

निवाई में ट्रोमा हास्पिटल खोले जाने बाबत

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवाई उप खण्ड मुख्यालय पर ट्रोमा हास्पिटल खोलने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सी.डी. देवल, सदस्य विधान सभा, एक याचिका उपस्थापित करेंगे। (व्यवधान)

सैंदड़ा व पाली में राष्ट्रीय राजमार्ग 14 पर पुल निर्माण बाबत

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सैंदड़ा व पाली में राष्ट्रीय राजमार्ग-14 पर पुल निर्माण बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री महादेव सिंह, सदस्य विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

खण्डेला में 132 के.वी. जी.एस.एस. स्थापित करने बाबत

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्डेला, जिला सीकर में विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के वी, जी एस एस स्थापित करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कल्लाजी।

सूचना

भिनाय ग्राम पंचायत के उप सरपंच को तीन सन्तान होने पर अयोग्य घोषित किये जाने का निर्णय

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन। अजमेर जिले के सैकड़ों की तादाद में लोग आज विधान सभा पर अभी प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं1 माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसा नागरिक जिसको तीन संतानें होने के कारण 1998 के चुनाव में सरपंच के पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और 2000 में जिसका नामांकन इस आधार पर खारिज कर दिया गया। वह व्यक्ति फिर सरपंच निर्वाचित हो गया। तीसरी संतान के बारे में फैसला दिए जाने के बाद भी और संभागीय आयुक्त के समक्ष पूरा रिकार्ड प्रस्तुत कर दिया गया, संभागीय आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी पर सरकार के मंत्री के दबाव में पंचायती राज मंत्रीजी, संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट के बाद भी उस सरपंच के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत भिनाय के उस सरपंच के खिलाफ सरकार को कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करें और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज सैकड़ों की तादाद में लोग यहां प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार उनसे मिले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह काहे का पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी क्या घटना हो गई?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या है मंत्रीजी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन है जी?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह इन्फोर्मेशन नहीं है कि सैकड़ों की तादाद में लोग विधान सभा पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कहां सैकड़ों की तादाद में?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपकी सरकार के वक्त में जो प्रावधान लाया गया था कि दो से अधिक बच्चों वालों का और जिसके आधार पर उसको अयोग्य घोषित कर दिया, अगले चुनाव में फार्म रिजेक्ट हो गया, वह फिर

(श्री संयम लोढ़ा)

इलेक्ट हो गया। मेरा तो आपसे यह अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देश प्रदान करें कि जो लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि मण्डल से मिले और सरकार कार्यवाही करे इसके ऊपर।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी सूचना नोटिस पर आ गई है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने ठीक पाइण्ट उठाया है कि सरकार ने खुद कानून बनाया कि दो से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और उन्होंने सरकार ने 2000 के चुनाव में तो उसका पर्चा रिजेक्ट कर दिया और 2005 में उसको चुनाव लड़ने दिया और अब याचिका आई हुई है डिविजनल कमिश्नर ने उनको रिकमण्ड कर दिया है उसके बाद पंचायती राज मंत्रीजी ने उसको दबा कर बैठे हैं, वह तो ठीक नहीं है। कानून की पालना पूरी होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन पर यह तय थोड़े हो जाएगा अभी कोई?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कम से कम सरकार को निर्देश तो देने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: कोर्ट में चल रहा होगा मामला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हम यहां पर कानून का पालन करवाने के लिए बैठे हैं न कि उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं यह अदालत के मामले को लेकर नहीं आए हैं। संभागीय आयुक्त ने सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी, कई महीने हो गए और उसको दबाए बैठे हुए हो, आप कम से कम यह तो सरकार को निर्देश प्रदान करें कि उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: सरकार के नोटिस में है, कार्यवाही आवश्यक कर दी जाएगी। माननीय कल्लाजी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, कल्लाजी ने जो बात उठाई है वह बिलकुल निराधार है। पहले भी वह वार्ड मैम्बर रहा है, अभी सरपंच है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप बिना तथ्य के हर बात बोल देते हैं, आप जिम्मेदार हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): तीन संतान नहीं है क्या उसके?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): तीन संतान भी नहीं है और आपने कहा कि पर्चा रिजेक्ट हुआ है, आप यह बिलकुल निराधार बात कह रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमें जो सूचना दी है उसके आधार पर कह रहे हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप गलत सूचना काहे को ले लेते हो? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उसका पर्चा रिजेक्ट हो गया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कोई गलत सूचना नहीं है। 1998 में उसको अयोग्य घोषित किया गया था कि नहीं किया था?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): नहीं किया, आज तक अयोग्य घोषित नहीं हुआ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): संभागीय आयुक्त ने रिपोर्ट भेजी कि नहीं भेजी उसके खिलाफ?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अभी वह वार्ड मैम्बर से सरपंच है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वार्ड मैम्बर है, सरपंच है, हम यही तो कह रहे हैं कि सरपंच है। संभागीय आयुक्त ने रिपोर्ट दे दी और आप दबा रहे हैं। आप बचाना चाह रहे हैं ऐसे आदमी को जिसके बारे में संभागीय आयुक्त ने रिपोर्ट दे दी है। (व्यवधान) सैकड़ों की तादाद में लोगों को इसलिए विधान सभा पर प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ा। सरकार के मंत्री इस रिपोर्ट को दबा रहे हैं।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में राजनैतिक दबाव में कई जांच पेण्डिंग हैं जिनको मंत्री महोदय ने रोक रखा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं कि हां .. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, न कभी पर्चा रिजेक्ट हुआ, न वह कभी अयोग्य घोषित हुआ। बिना किसी आधार पर सदन का बहुमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं। सदन इनकी बपौती थोड़े ही है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): संभागीय आयुक्त ने उसके खिलाफ रिपोर्ट बनाकर दे दी और सरकार उस रिपोर्ट को दबा रही है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ऐसी कई जांच पेंडिंग हैं जो राजनैतिक भेदभाव पर दबाकर रखी हैं। कानून की अवहेलना की जा रही है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फैसला सरकार करती है। कोई प्रक्रिया है, कौन रिपोर्ट भेजता है ..(व्यवधान) रिपोर्ट में क्या है, क्या नहीं है ..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, यह आपके सामने जाहिर हो गया कि सैकड़ों की तादाद में लोगों को इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए विधान सभा पर क्यों आना पड़ा, क्योंकि सरकार के मंत्री संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट के बावजूद दबाव बनाकर दो से अधिक बच्चों के मामले में कार्यवाही नहीं होने दे रहे हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कोई भी एक भी आदमी है? असत्य कह रहे हैं, गुमराह कर रहे हो सदन को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी .. (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी कई जांच पेंडिंग हैं राजस्थान में कई सरपंचों के खिलाफ संभागीय आयुक्त की जांच आ चुकी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हर मामले में सदन का समय जाया करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ऐसे तो आपने कई जांच राजनैतिक भेदभाव के आधार पर रोक रखी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ये आपकी सहृदयता का फायदा उठा रहे हैं। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य जिम्मेदार आदमी हैं, तथ्यों के आधार पर बात कहें ..(व्यवधान) तथ्यों से सरोकार नहीं है, बिना आधार के बात करने की आदत पड़ गई है इनको। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में राजनैतिक भेदभाव बरता जा रहा है। सवाईमाधोपुर में आपने जांच को रोक रखा है। कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन नहीं करना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कोई एस.सी. का सरपंच बन गया तो इनको तकलीफ है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ग्राम सभा ने यह कहकर कि उसके तीसरी संतान हो गई है उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। यह हमारे पास सूचना है, आप कहो तो सदन की मेज पर रख देता हूं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कोई तीसरी नहीं है। अनुसूचित जाति के सरपंच के खिलाफ हैं आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप प्रतिनिधिमण्डल से जाकर मिल लो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इनको तकलीफ है कि एस.सी. का सरपंच कैसे जीत गया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लोग अपना पेट्रोल जलाकर आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए आये हैं, आप मिल लीजिए जाकर। आप प्रतिनिधिमण्डल से मिल लें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरे पास यह पत्र पड़ा हुआ है, मैं आपके सामने रख देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान) आप विराजें तो सही।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसमें लिखा है 2000 में पुनः चुनाव के लिए खड़ा हुआ, तीसरी संतान का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जिससे इनका आवेदन-पत्र इसी आधार पर खारिज किया गया था। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): 2000 में खड़ा हुआ तो चेक कर लेना, इसमें क्या बात है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन सर्वोच्च सदन है। इसमें कोई भी बात हम कहें चाहे किसी भी नियम और प्रक्रिया से कहें वह जिम्मेदारी से कहनी चाहिए। किसी आदमी ने कागज पकड़ा दिया, पहले तो यह कह दिया कि सरपंच का नामांकन-पत्र खारिज हुआ था, फिर यह कह दिया कि उसको अयोग्य घोषित किया गया था। आज की तारीख में वह आदमी अनुसूचित जाति का आदमी है, वह इलेक्टेड है, अगर कोई जांच चल रही है नियम और प्रक्रिया में चलेगी और ऐसी जांच एक नहीं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

छोटे से मामले में और जिस तरह से पुराने माननीय सदस्य आकर पाइंट आफ इंफार्मेशन की बात कहें (व्यवधान) यह क्या हुआ?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सरकार के मंत्री मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर आये। छोटा मामला नहीं है, सरकार के आतंक का मामला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन का दुरुपयोग है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह सरकार के आतंक का मामला है। जब विधान सभा में सैकड़ों लोगों को प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ा। आप बताएं संभागीय आयुक्त ने रिपोर्ट भेजी या नहीं भेजी? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय सदस्य को किसी ने गुमराह कर दिया। आप देखकर आओ 10 आदमी भी नहीं मिलेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप बताओ संभागीय आयुक्त को रिपोर्ट भेजी या नहीं भेजी। अगर आपको इसकी परवाह है तो (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर 15 आदमी से ज्यादा हो, अगर 15 आदमी भी वहां हो तो आप कहो जो करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप किस तरह की बातें करते हैं ..(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): बहुत जरूरी है, आप वाली तो विवादित होगी।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): कोई विवादित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष: किस संबंध में?

रायपुर मुख्यालय अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जाने को लेकर भूख हड़ताल

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): रायपुर विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा की स्थिति बहुत खराब है। जो मुख्यालय का होस्पिटल है वहां पर 5 डाक्टर नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: यह क्या हुआ?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप सुनिए तो सही। वहां पर भूख हड़ताल हो रही है। आज 21 आदमी होस्पिटल के सामने तीन दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, इसलिए आप सरकार को निर्देश दें कि उन पदों को भरें या उन लोगों को समझा-बुझाकर वहां से हटाएं। चिकित्सा सुविधा बेसिक सुविधा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने चिकित्सा विभाग के .. (व्यवधान)..

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): वह सामाजिक सुरक्षा के लिए है, वहां पर लोग भूख हड़ताल करें यह कहां तक उचित है? डेढ़ साल से पद खाली है। पीपलिया में खाली है, काणुजा में खाली है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: चिकित्सा विभाग की डिमाण्ड के समय आपने यह बात रख दी थी। माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): भूख हड़ताल का निर्णय कल किया है। मैं तब क्या करता? उपाध्यक्ष महोदय, भूख हड़ताल कल की है, नोटिस दिया है सरकार को 10 दिन पहले कलक्टर को दिया, मंत्रीजी को दिया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष: चिकित्सा की मांग पर ..(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आज 21 आदमी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं रायपुर मुख्यालय पर। अगर यह पाइंट आफ इंफार्मेशन नहीं है तो फिर इंफार्मेशन क्या होती है? इसलिए आप सरकार को निर्देश दें कि वह इनकी चिकित्सा की व्यवस्था करें। डाक्टर लगाने हैं। 20 तो नर्सेज के पद खाली हैं, एमपीडब्ल्यू के 20 पद खाली हैं, 9 डाक्टरों के पद खाली हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपने कह दिया, बहुत बार मांग कर ली।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): चिकित्सा कैसे होगी, इसलिए आप इसकी व्यवस्था करवाएं।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत मांग हो चुकी है। इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, निर्देश तो दें, मुझे समझाने से क्या होगा? लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल से, अनशन से मोटा कोई कदम नहीं होता है इसलिए आप सरकार को यह निर्देश दें कि डाक्टर, नर्सेज, एएनएम और एमपीडब्ल्यू की पूर्ति करें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिए।

सरसों की सरकारी खरीद के मानदण्ड

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी सूचना है। बहुत जरूरी काश्तकारों का विषय है। हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में जो सरसों सरकार के माध्यम से खरीदी जा रही है उसके अंदर सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति को क्राइटेरिया बनाकर काश्तकारों पर यह प्रतिबंध लगा दिया कि काश्तकार अपनी कृषि उपज मंडी समिति के अंदर ही सरसों बेच सकता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं उसकी कृषि उपज मंडी समिति तो 50 किलोमीटर दूर है और दूसरी मंडी 5 किलोमीटर पर है, वहां वह काश्तकार अपनी सरसों नहीं बेच सकता। पूर्व में इस तरह की व्यवस्था थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि काश्तकारों की बहुत ही परेशानी है, समय और धन की बर्बादी हो रही है। सरकार पर कोई विशेष फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। वर्षों से जो व्यवस्था है, जो नजदीक कृषि उपज मंडी है काश्तकार को वहां सरसों बेचने की छूट होनी चाहिए। हजारों काश्तकारों के मेरे पास टेलीफोन आये हैं। यह बहुत बड़ी परेशानी है। सरसों ले जाने में टैक्टर का किराया ज्यादा लगता है। दूसरा समय की बर्बादी होती है। 5 किलोमीटर पर मंडी है और 50 किलोमीटर पर उसको सरसों बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसमें कोई धन खर्च नहीं हो रहा है, खाली सरकार की व्यवस्था की बात है और किसी के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ने वाला नहीं है। सरकार के

नख में से मैल निकालने वाली बात है और काश्तकारों की परेशानी दूर हो जाएगी और पूर्व में यही व्यवस्था रही है।

श्री उपाध्यक्ष: अपनी बात संबंधित मंत्री महोदय के सामने आप रख सकते हैं, रख देना। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अब मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वहां भी कल झगड़ा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: किस बात की चर्चा हो रही है?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): सरसों खरीदने के लिए। 5700 नम्बर लगे हैं, चार महीने खरीद नहीं होगी। नागौर में ट्रेन रोकी है, लोग कल को मरेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: लिखित में आप दे दीजिए मंत्री महोदय को।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): लिखित में किसको दे दें?

श्री उपाध्यक्ष: संबंधित मंत्रीजी को दीजिए आप।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): जो सरसों की खरीद हो रही है उसकी व्यवस्था सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): तहसील और कृषि उपज मंडी समिति की जो लक्ष्मण रेखा बना रखी है इसको हटाया जाए। कृषि उपज मंडी के लिए काश्तकार को छूट होनी चाहिए।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): एक परसेंट भी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था में सुधार नहीं है। 5700 नम्बर लगे हैं जो चार महीने तक रोते रहेंगे और नागौर के अंदर ट्रेन रोकी है, झगड़े होंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। सरकार को इस व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कल्ला जी। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): आप खरीद तो सही तरीके से करावो।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत छोटी सी बात है, सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है यह कृषि उपज मंडी समिति वाली।

रामगंजमण्डी में पाठ्यक्रम से बाहर के पूछे गये प्रश्न

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि शिक्षा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। आज रामगंजमण्डी में एक पर्चा वितरित हुआ है पर्यावरण का। उसमें पाठ्यक्रम के सवाल ही नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप किस बात पर बोल रहे हैं बिना परमिशन के ही।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आज की तारीख में यह सूचना है।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सूचना दे रहे हो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): जो कुछ हो रहा है, शिक्षा विभाग बहुत एक्टिव है, एक तारीख को हिन्दी का पर्चा वितरित हुआ, प्रश्न नम्बर 1, 2, 3, 4, 6 उस पाठ्यक्रम के नहीं है। तो मंत्रीजी आप इतना ध्यान दे रहे हो, इस शिक्षा विभाग में जो चीजें आ रही हैं कोटा की समान परीक्षा में। यह कारण क्या है? क्या अच्छे अधिकारी नहीं हैं या बेइमान लोगों को नजदीक ले लिया? आपकी काबिलीयत में हम कोई संदेह नहीं करते। एक तारीख और 4 तारीख का पांचवी कक्षा का पर्चा है। पाठ्यक्रम आप दिखाएंगे, प्रश्न-पत्र को दिखाएंगे, उनके खिलाफ कोई मजबूत एक्शन लोगे तो आगे जाकर विभाग सुधरेगा और लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ नहीं भागेंगे आपकी तरफ आएंगे। मास्टर नहीं है, इसलिए कृपा करके ध्यान देंगे। नहीं करेंगे क्या? इसलिए कृपा करके हमें कुछ बताएं यदि प्रश्न-पत्र अलग आ गये होंगे, पाठ्य पुस्तक से नहीं आये होंगे तो आप कार्यवाही करेंगे, प्रश्न-पत्रों को कैंसिल करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप काल्पनिक बात हवा में कर रहे हो, आएगा तो क्या कार्यवाही करेंगे, क्या नहीं करेंगे। स्पेसिफिक कोई बात हो तो आप ध्यान में लाइए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हवा में नहीं है। पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण की है, सारे प्रश्न दूसरे आ गये। अब विद्यार्थी क्या लिखेंगे? एक तारीख को हिन्दी का था।

श्री उपाध्यक्ष: अब कोर्स की बात आ गई। स्पेसिफिक कोई बात कहें आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): स्पेसिफिक प्रश्न कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): चार सवाल, 1, 2, 3 और 5 ये नहीं हैं, आप देख लें।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): उपाध्यक्ष महोदय, जब भी क्वेश्चन पेपर सैट होता है तो टीचर के पास सिलेबस जाता है, सिलेबस का डेफिनेशन ...(व्यवधान) होने के बाद ही पेपर सैट होता है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपके मंत्रीजी नहीं हैं अक्षम, आप मंत्रीजी को अक्षम क्यों घोषित कर रहे हो ? मैं उदाहरण दे रहा हूं।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): मेरे को सूचना देने का अधिकार है, आपने कोई क्वेश्चन पेपर सैट किया था क्या, क्वेश्चन पेपर सैट कैसे होता है ?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मुझे कानून मत पढ़ाओ। (व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): मैंने 27 साल से बहुत क्वेश्चन पेपर सैट किये हैं, पूरा सिलेबस आता है, उसका अंग्रेजी वर्शन आता है, उसका हिन्दी वर्शन आता है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मुझे सब पता है। (व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): यह आपकी सारी असत्य सूचनाएं हैं। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सदस्य, आपने जो क्वेश्चन पेपर सैट किये हैं, वह पेपर भी आए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मीणाजी, आपने अपनी बात कह दी, अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप कहो तो जो डाक्यूमेंट्स हैं वह मैं टेबल कर दूं? मेरे पास लिखित में आये हैं बाकायदा, अभी भी आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: जो भी आप रखना चाहते हो, आप सरकार के लिए रख दीजिए। माननीय कल्लाजी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

विद्यालयों और महाविद्यालयों के अनुदान में कटौती

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव ग्रांट इन एड के बारे में दिया था उसकी तरफ मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। स्कूलों और महाविद्यालयों को अनुदान हमेशा बढ़ता रहा है जिसके पास 50 प्रतिशत एड था उसको 60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत वाले को 70 प्रतिशत, 70 प्रतिशत को 80 प्रतिशत और 80 प्रतिशत को 90 प्रतिशत लेकिन कभी भी यह एड कम नहीं हुआ, यह पहला मौका है कि राजस्थान में ग्रांट इन एड में कटौती की गई है आदेश जारी करके और उससे शिक्षण संस्थाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप अपने आदेश को पढ़ लीजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरा कोई आदेश नहीं है, आप बता दीजिए, टेबल पर ले-डाउन कर दीजिए नहीं तो मैं आपके आदेश को यहां पर सदन की मेज पर रख दूंगा। हमारा आदेश हो तो ..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, तीन बार बहस हो चुकी इस सदन में। इस सदन में एक बार जो पाइंट उठ गया उसकी बार बार, इस पर कल बहस हो चुकी, परसों हो चुकी, डिमांड के टाइम पर हो चुकी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, कल बहस नहीं हुई है इसके संबंध में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह सदन की मर्यादाओं और परम्पराओं के पूर्ण खिलाफ है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कोई खिलाफ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब ही आपने दे दिया। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन ले आएं अगर मैंने गलत कहा तो, यह क्या बात हुई ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, ऐसा कोई नहीं है, आप बिराजो न। ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परमिशन से बोल रहा हूं और बिलकुल तथ्यात्मक चीजें बोल रहा हूं। इस राजस्थान में 914 सीनियर, हायर,

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

माध्यमिक स्कूल, मिडल स्कूल और प्राइमरी स्कूल हैं और 75 महाविद्यालय हैं, आज वह सब बंद होने के कगार पर आ गये हैं, उसका कारण क्या है कि इन संस्थाओं को अनुदान वर्ष 2004-05 में और 2005-06 में दो बार 10-10 प्रतिशत होने से आज उन संस्थाओं को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है लोग सरप्लस हो रहे हैं, आज किसी भी संस्था में फिजिक्स का अध्यापक रिटायर हो गया तो उस पद को नहीं भरा जाएगा, केमिस्ट्री का टीचर रिटायर हो गया तो उसको नहीं भरा जाएगा, धीरे-धीरे सारी स्कूलों के और सारी कालेजों में जो प्राइवेट स्कूलें हैं वह धीरे-धीरे बंद होने की स्थिति में हो जाएंगी। अभी 18 जनवरी को आपसे कुछ शिक्षण संघों के लोग मिले, ग्रांट इन एड से संबंधित शिक्षण संस्थाओं के लोग आपसे मिले, मिलने के बाद आपने उनको आश्वासन दिया कि आपके अनुदान में कोई कटौती नहीं की जाएगी लेकिन माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपने तो 2004-05 की पहले से ही 10 प्रतिशत एड की कटौती कर ली, मैं आपको इस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखना चाहता हूं, जो आदेश 19.12.2005 को जारी हुए हैं, मैं आप कहो तो उसको पढ़कर सुना देता हूं-

राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुदानित गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को दिये जा रहे नियमानुसार अनुदान की तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत कटौती की जाती है। अतः समस्त विभागाध्यक्ष, संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान में वर्ष 2005-06 से 10 प्रतिशत की कटौती करना सुनिश्चित करें तथा वर्ष 2005-06 की द्वितीय किस्त में उसका समायोजन कर पालना से तत्काल अवगत कराएं। यह 19.12.2005 को जारी आदेश हुआ था उसके बाद क्या स्थिति बनी इसके बारे में भी मैं आपको बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा कि अप्रैल से पांच मई, 2005 तक स्वीकृत जो किस्त थी महावीर दिगम्बर जैन सीनियर माध्यमिक विद्यालय की 12 लाख 73 हजार 787 जो, उपाध्यक्ष महोदय, 6 लाख 36 हजार 893 रुपये मिले, एस.एस. जैन सुबोध सीनियर माध्यमिक विद्यालय, जयपुर को 8 लाख 99 हजार 226 रुपये मिलने थे उसकी जगह मात्र किस्त की राशि प्रति माह जो है वह मिली 4 लाख 49 हजार 613, इस प्रकार लगभग 20 प्रतिशत की कटौती प्रत्येक संस्था की इन दो वर्षों में हुई है, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी क्या पालिसी है, या तो आप इन सारी शिक्षण

संस्थाओं को इनका नेशनलाइजेशन कर दें और सरकार अपने अन्तर्गत ले ले नहीं तो किसी भी राजस्थान की एक भी शिक्षण संस्था की ऐसी स्थिति नहीं है कि इन 914 शिक्षण संस्थाओं और 75 महाविद्यालयों की 10 प्रतिशत भी यदि मैनेजमेंट अनुदान के अलावा खर्च करता है तो वह चलाने की स्थिति में नहीं है और जिनका 20-20 प्रतिशत 30-30 प्रतिशत और धीरे-धीरे यदि आप इसी प्रकार कटौती करते रहेंगे तो इनके सब के ताले लग जाएंगे तो इसके लिए सरकार अपनी पालिसी बताए, मैं तो स्पष्ट आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षो में आपने लगभग 30 करोड़ रुपये के ऊपर की राशि ग्रांट इन एड जो उस खाते की बचत की है आपको वित्त विभाग से लड़ना होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 30 करोड़ तो कुल ही नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 30 करोड़ की बचत की है, मेरे पास तथ्य हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 27 करोड़ रुपये और कुछ हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): 28 करोड़ हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, तो तीस करोड़ आपने नहीं दिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय मंत्रीजी, 28 करोड़ हैं वह।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरे पास आंकड़े हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सीधा सा सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इसमें आपने कह दी सारी बात।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं यह भी कहना चाहता हूं पिछले दिनों में यहां पर राजस्थान में ग्रांट इन एड से संबंधित शिक्षण संस्थाओं के लोगों ने यहां प्रदर्शन किया उस पर लाठीचार्ज किया गया, जो शिक्षक और अध्यापक समाज के आदर्श हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, मैं समझता हूं निंदनीय है, इसकी मैं खुद निंदा करता हूं और माननीय शिक्षा मंत्रीजी से

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

कहना चाहता हूं कि आप वित्त विभाग से बात करके शिक्षण संस्थाओं का अनुदान कभी भी मत रोकिये, कई शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जो स्वतंत्रता सैनानियों के द्वारा चलाई जा रही हैं, कुछ आर्य समाज के लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा चलाई जो रही हैं जो वास्तव में ऐसे-ऐसे सब्जेक्ट जो उपयोगी नहीं हैं वे संस्थाओं के बारे में आपको विचार करना चाहिए और एक प्रतिशत भी एड किसी की घटानी नहीं चाहिए बल्कि उन संस्थाओं को सरकार को संरक्षण देना चाहिए नहीं तो यह सारी शिक्षण संस्थाएं धीरे-धीरे बंद हो जाएंगी और बंद होकर इनके ताले लग जाएंगे और अंत में मैं एक बात कह कर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, जिन शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक सेवा निवृत हो रहे हैं वह विषय कौन पढ़ाएगा ? आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी या अन्य कोई टेक्निकल विषय हैं उन विषयों को यदि सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक से नहीं भरे जाएंगे, उन पदों को नहीं भरा जाएगा तो उन शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसके साथ-साथ मैं यह भी आपको जानकारी देना चाहता हूं कि राणावास महाविद्यालय में एक एस.पी. गांधी नाम का व्यक्ति जो अधिशेष कर दिया गया उसने ब्यावर में आत्महत्या कर ली, ऐसे मामले आ रहे हैं, राजस्थान में स्थिति बहुत विकट है, अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को यदि सरकार ने नहीं संभाला तो यह सारी की सारी शिक्षण संस्थाएं हैं वह खतम हो जाएंगी या तो आप इनका सरकारीकरण करके सरकार इनको अपने हाथों में ले और नहीं तो उन शिक्षण संस्थाओं को जो पहले से अनुदान मिलता आया है उस अनुदान को आप जारी रखें, आप कई बार यह भी कह देते हैं कि 2004-05 अथवा 2005-06 जो भी कट आफ पाइंट या कट आफ डेट आप रख कर उस अनुदान को फ्रीज करना चाहते हैं, वह भी ठीक नहीं है क्योंकि अनुदान का फ्रीज करने का मतलब यह है कि राज्य सरकार के जितने भी आदेश होते हैं वह शिक्षण संस्थाओं को मानने पड़ते हैं, महंगाई बढ़ती है उनको 9,18,27 का बेनिफिट मिलता है और भी कई चीजें समय-समय पर इंक्रीमेंट लगते हैं उसके कारण से ग्रांट इन एड उसकी अनुसार बढ़ती रहनी चाहिए और बढ़ती रही है लेकिन आपने अनुदान को फ्रीज कर दिया तो यह शिक्षण संस्थाएं अपने बलबूते पर नहीं चल पाएंगी लोग कोर्ट में भी जाएंगे और कोर्ट आपको डाइरेक्शन देगा उससे अच्छा है कि वेलफेयर गवर्नमैंट को सुओ-मोटो स्टेप उठाकर ग्रांट इन एड से संबंधित जितने

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

कालेजेज और स्कूलें हैं उनको पूर्व में जिस तरीके से सन् 2001-02 में जो अनुदान मिल रहा था जिन शर्तों के आधार पर मिल रहा था उन्हीं शर्तों पर अनुदान आपको देना चाहिए। धन्यवाद।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रतिनिधि मण्डल माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कल मिला और माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि जो 24.3.2006 का जो आर्डर है वह इन्होंने विदड्रा कर लिया है। अगर यह 24.3.2006 का आर्डर जो कटौती की है अगर वह विदड्रा हो जाता है तो इसका अनुदानित संस्थाओं को जो एड मिल रहा था वह मिलना शुरू हो जाता है। इनके आश्वासन के बावजूद प्रतिनिधि मण्डल सचिव महोदय से मिला था और उनके आधार पर ऐसा लगता है कि यह आर्डर अभी तक विदड्रा नहीं किया गया है।

मूल प्रश्न तो यह है कि पहले यह 24.3 का आर्डर विदड्रा हो और फिर कल्ला साहब ने जो बात कही है, वैसे तो देखिये इम्पोर्टेंट इश्यू बहुत हैं इसके अन्दर कि जहां सरकारी विद्यालय 21624 हैं वहां गैर सरकारी 16642 हैं और सरकारी अध्यापकों की गिनती तो 136528 है और गैर सरकारी में 132000 है। आप देखिये कि क्वालिटी एजुकेशन अगर कहीं से मिल रही है तो प्राइवेट स्कूल और कालेजेज से मिल रही है। इधर ये कटौती बराबर करते जा रहे हैं तो इससे तो गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं जिनसे हम लोग क्वालिटी एजुकेशन की उम्मीद कर रहे हैं और बहुत से ऐसे माननीय सदस्य मिल जाएंगे जो सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसन्द करते हैं। तो मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि यह जो कटौती की जा रही है वह कटौती नहीं की जाए और 24.3 का जो आर्डर है उसे वापस लिया जाए। धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। 2-3 मुद्दे यहां पर उठाये गये हैं, मैं इस बात से सहमत हूं कि प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं का शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है और उनका योग भी है। तीन प्रकार की शिक्षण संस्थाएं हैं। एक सरकार चलाती है, एक समाज या ट्रस्ट चलाते हैं जिनको हम अनुदान देते हैं और तीसरी व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग चलाते हैं वो न तो अनुदान लेती है और न कोई काम करती हैं। जहां तक अनुदान से सम्बन्धित मामला है, मैं हमारे बहुत वरिष्ठ नेता माननीय बी.डी. कल्ला साहब से कहना चाहूंगा कि न

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तो मैंने शिक्षा मंत्री बनने के बाद में यह आदेश किया कि यह पद जो रिक्त हो गया है उसकी जगह नहीं भरा जाए। यह किसी ने किया होगा, मैंने उसको ठीक नहीं किया, मैंने आदेश नहीं किया।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय मंत्री महोदय, एक सैकण्ड। अगर आप इसे ठीक मानते हैं कि यह गलत हुआ है तो उसे वापस ले लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं जो बात कह रहा हूं, सुन लीजिये। मैंने डिमांड के टाइम पर एक बात कही थी और पुनः एक बार आश्वस्त करता हूं कि पिछले वर्ष में जितना अनुदान जिस संस्था को मिला था उतना अनुदान ही रुपये की शक्ल में, अगर किसी को 10 लाख मिला था तो इस साल भी 10 लाख मिलेगा। यह मैंने कहा था। कोई कटौती नहीं की जा रही है। धन्यवाद। वह मैंने कर दिया स्पष्ट।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। स्पष्ट कर दिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि जो 19.12.2005 को आपने आदेश जारी किया था उसको आप विदड्रा कर रहे हैं क्या ? वो आपके वक्त में हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं न तो इसके विदड्रा में हूं, न मैं निकालने में हूं। मैंने सीधा जवाब दिया कि पिछले वित्त वर्ष में...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पहले से आपने कटौती कर ली।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मेरी बात सुनो न। पिछली साल जिस संस्था को 10 लाख मिला तो इस साल उसको 10 लाख मिलेगा, यह मैंने कहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पहले तो कटौती कर ली है न आपने, उसको विदड्रा करो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): वो कर दी सो कर दी। पिछली बार से इस बार कोई कमी नहीं करूंगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने मंत्रीजी, पिछले तीन साल में लगभग 35 करोड़ की कटौती हुई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह सारी कटौती यदि कोई हुई है न, यह सारे जो आदेश निकले हैं वो आपके टाइम पर, आपकी कलम से निकले हैं। मैंने कभी कहा नहीं, आपने किया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरी कलम से कोई... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आपने आदेश किया कि एक भी नहीं भरा जाए। आपने यह आदेश किया कि एक भी पद सृजित नहीं किया जाए। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरी कलम से एक भी आदेश हो तो आप सदन की मेज पर रखिये। (व्यवधान) मेरे हाथ से शिक्षा मंत्रीजी, कोई आदेश नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): शिक्षण संस्थाओं के लिए अगर आदेश यह था कि 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष कटेगा तो बी.डी. कल्ला साहब का आदेश हुआ कि 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष कटेगा। इस सरकार के आने के बाद में कोई आदेश नहीं हुआ, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी गलत बयानी कर रहे हैं। (व्यवधान) मेरा कोई आदेश हो तो आप सदन की मेज पर रखें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे'। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपके पास सरकार है, मेरा कोई आदेश हो तो आप सदन की मेज पर रखें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): सब नोटिफिकेशन निकले हुए हैं। रखने की क्या जरूरत है जब निकले हुए हैं ? सब के पास पहुंचे हुए हैं, निकले हुए हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या पहुंचे हुए हैं, आप सदन की मेज पर रखो न, आप सदन की मेज पर रखो मंगवाकर। (व्यवधान) आपको एक दिन का टाइम देता हूं। मेरे वक्त में कोई 10 प्रतिशत कटौती का आदेश नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आपकी स्मरण शक्ति इतनी कमजोर नहीं है। आपकी स्मरण शक्ति इतनी कमजोर नहीं है कि आपके निकाले हुए आदेश आपको याद नहीं हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने कोई आदेश नहीं किया इसलिए मैं कह रहा हूं। (व्यवधान) मेरे वक्त में आदेश नहीं हुए हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं तो कोई कटौती नहीं कर रहा हूं। बात खतम हो गई।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): कांग्रेस की सरकार के समय यह हो गये थे। देखिये, यह बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि आपने कर्म किये... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे शिक्षा मंत्री के वक्त में 10 प्रतिशत कटौती का आदेश मैंने कोई नहीं किया था और आपके वक्त में हुआ था उसको मैं सदन की मेज पर रखता हूं। यह आपके वक्त में हुआ है और आप हैं तो आप भी सदन की मेज पर रख दें। मैं यह सदन की मेज पर रखता हूं कागज। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): लाओ, मुझे ही दे दो न।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। माननीय सदस्य, इस पर मैं अनुमति नहीं देता हूं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह आदेश आप विदड्रा करेंगे तब जाकर के इन संस्थाओं का कल्याण होगा। (व्यवधान) नहीं तो आप लाठी चलाओ, गोली चलाओ, ये संस्थाएं तो बंद हो जाएंगी और आपके ऊपर लाइबिलिटीज हो जाएंगी, आपको इनको संभालना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तिवाड़ीजी, 2004-05 में आपके मुख्य लेखाधिकारी ने जो अमाउंट तय किया था उसमें से भी आपने पैसा रोका है। 2004-05 में जो तय किया उसमें रोका है आपने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैंने साफ कह दी एक बात कि पिछली बार वास्तविक रुपये का जितना भुगतान हुआ उतना भुगतान इस बार भी हो जाएगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं, तो जो पैसा 2004-05 में आपकी सरकार ने रोका है उसका भुगतान तो करो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैंने कह दिया कि जितना भुगतान वास्तविक रूप से हुआ था उतना इस बार भी हो जाएगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं तो फिर आपने रोका किस आधार पर ? आपके चीफ अकाउंट्स आफिसर ने निर्धारण किया है उसका और आपने पैसा रोक लिया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री भरत सिंह, श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, श्री श्रवण कुमार, श्रीमती ममता शर्मा, डा. सी.पी. जोशी, श्री महीपाल सिंह यादव, श्री बृजकिशोर शर्मा, श्री नाथूराम अहारी, डा. बुलाकीदास कल्ला, श्री हेमाराम चौधरी, श्री मांगीलाल गरासिया, श्री संयम लोढ़ा, मोहम्मद माहिर आजाद, डा. समरजीत सिंह, श्री रामनारायण चौधरी, श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल, श्री खुशवीर सिंह जोजावर, श्री रामचन्द्र जारोड़ा, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री अशोक बैरवा 'खण्डार', सदस्य, विधान सभा मादक पदार्थों के बढ़ते अपराध को ध्यान में रखकर प्रदेश में अफीम की खेती को पूर्ण रूप से बन्द करने के सम्बन्ध में वित्त राज्य मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

मादक पदार्थों के बढ़ते अपराध के मद्देनजर प्रदेश में अफीम की खेती पर प्रतिबन्ध

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 131 के तहत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय मादक पदार्थों के बढ़ते अपराध को ध्यान में रखकर प्रदेश में अफीम की खेती को पूर्ण रूप से बन्द करने के सम्बन्ध में वित्त राज्य मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करता हूं।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 131 के तहत जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्य भरत सिंहजी ने रखा है उसके अन्तर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान की अनुसूची-7 की प्रथम सूची (यूनियन लिस्ट) के 59वें बिन्दु में अफीम की खेती, विनिर्माण, विक्रय एवं निर्यात का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है एवं इसी अधिकार के तहत अफीम की काश्त की अनुमति भारत सरकार के नारकोटिक्स विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। सामान्यत: अफीम के उपलब्ध स्टॉक व आगामी वर्ष में अफीम की संभावित मांग को ध्यान में रखकर ही भारत सरकार इस बात का निर्णय लेती है कि कितने काश्तकारों को कितने क्षेत्र में अफीम काश्त की अनुमति दी जानी है। हमारे राज्य के दक्षिणी जिलों- झालावाड़, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ, भीलवाड़ा एवं उदयपुर तथा इससे लगते हुए मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अफीम की खेती होती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में भी मामूली तौर पर अफीम की खेती होती है। अफीम नीति का निर्धारण भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

निस्संदेह अफीम, स्मैक एवं अन्य मादक पदार्थों की लत एक ऐसी बुराई है, जिसकी रोकथाम के हर संभव प्रयास किये जाने चाहिए। परन्तु इसका निराकरण अफीम की राज्य में खेती बंद करने से नहीं हो सकता। हमारे जनप्रतिनिधिगण इस बात से भली-भांति अवगत होंगे कि हमारे राज्य में डोडा पोस्त एवं अफीम का अधिक प्रचलन राज्य के पश्चिमी एवं उत्तरी जिलों में है जबकि अफीम का उत्पादन विशेषकर दक्षिणी जिलों के अन्दर होता है। माननीय विधायक के प्रस्ताव में भी यह उल्लेख है कि हाड़ौती संभाग में स्मैक की लत के लगभग 10 हजार मरीज हैं जबकि पूरे राज्य में नशे के आदी व्यक्तियों की संख्या 35 लाख बताई गई है। इस उल्लेख से भी यह स्पष्ट होता है कि किसी क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों में नशे की लत का सीधा सम्बन्ध उस क्षेत्र में अफीम उत्पादन होने अथवा नहीं होने से नहीं है।

यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि मात्र हमारे राज्य में ही अफीम की काश्त प्रतिबंधित कर देने से समस्या का निराकरण तो नहीं होगा, बल्कि अफीम काश्त का रकबा हमारे राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित हो जाने पर अफीम की काश्त से होने वाले लाभ से हमारे राज्य के काश्तकार वंचित हो जायेंगे। इन्हीं कारणों से राज्य की किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने संभवतः अफीम की खेती राजस्थान में प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं भेजा है।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्षजी, इस सदन में मैंने अधिकांश बार किसानों की खेती के सम्बन्ध में अपनी बात की है, किसानों के हित की बात की है और मैं यह जानता हूं कि जिस विषय पर ध्यान दिलवा रहा हूं, यह वह खेती है जिससे किसानों को फायदा होता है। एक किसान होने के नाते इस प्रकार का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस सदन में लाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है क्योंकि जहां किसानों का हित होता है, इसमें प्रदेश के 50,000 किसान इस खेती से जुड़े हुए हैं, साढ़े पांच करोड़ की हमारे यहां इस प्रदेश की जनसंख्या है। इस खेती के साथ जहां किसानों को फायदा है, उसके साथ ही बड़े पैमाने तक कम से कम 20 से 30 प्रतिशत जो अफीम की खेती होती है, उसमें से अफीम ब्लैक में काश्तकार बेच रहे हैं और इसका लाभ इस पूरी व्यवस्था को जिन लोगों को इसकी देखरेख करनी है, जो पुलिस प्रशासन है, जो नारकोटिक्स विभाग है और जो अन्य सरकारी लवाजमा है, जिनको

(श्री भरत सिंह)

इसको देखना है कि इसका दुरुपयोग नहीं हो, वह बहुत बड़े पैमाने तक इस अफीम की जो तस्करी हो रही है, इसमें ये विभाग भी शामिल हो गये हैं और आज स्थिति यह हो गई है, जिस संभाग में यह खेती होती है, मुख्य रूप से झालावाड़ लोक सभा की सीट जो है, जिसमें झालावाड़ और बारां हैं, उस झालावाड़ लोक सभा सीट का मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि यही वह क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा अफीम की खेती का दुरुपयोग होता है और दुरुपयोग ज्यादा है और यह अफीम की जब से खेती हो रही है, वह पैदा साउथ-ईस्ट राजस्थान में होता है और जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया है, इसका उपयोग वैस्टर्न राजस्थान में ज्यादा होता है और यह वर्षो से होता आया है। जब कोई गमी हो जाती है वैस्टर्न राजस्थान में तो अमल का दस्तूर है और शादी-विवाद के अन्दर, उसके अन्दर इस प्रकार से इसका उपयोग होता है। जहां तक इसका उपयोग समाज के लिए एक समस्या बनकर सामने नहीं आया था, वहां तक सब कुछ ठीक था मगर अब यह पूरा अर्थ से जुड़ चुका है और एक लघु उद्योग के रूप में यह उद्योग और धंधा फल-फूल रहा है और इसमें हर समाज-जाति के लोग-बाग़ जुड़े हुए हैं और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा दुःखद पहलू है, जो पोलीटिकल व्यवस्था है, उसके अन्दर लोग-बाग़ इस धंधे से जुड़े हुए थे, जिम्मेदार पोस्ट पर आकर बैठने लग गये और जब यह स्थिति पैदा हो गई, तब समाज को खतरा पैदा हो जाता है। हाल ही में अभी भवानी मण्डी के अन्दर जो नगरपालिका के चेयरमैन हैं, उनके घर पर दिल्ली से नारकोटिक्स पार्टी ने रेड की और वहां से उनके लड़के को तस्करी के अन्दर पकड़कर ले गई। यह कोई बहुत पुरानी बात का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। अभी हाल ही में और उसके बाद वह चेयरमैन साहब तो वहां से फरार हो गये और उनके साथ जो लोग-बाग़ जांच करने आये, तो उनके साथ मारपीट हुई। उससे कुछ ही दिन बाद झालावाड़ के जो उप जिला प्रमुख हैं, उनके लड़के को मुम्बई की टीम पकड़ने के लिए आई। जिला परिषद के उप जिला प्रमुख हैं, उनका लड़का है और इस प्रकार से अनेक लोग-बाग़, राजनीति के अन्दर जो-जो शामिल हैं, वे इसके अन्दर शामिल हो गये और इस तरह आज जो हमारी पोलीटिकल व्यवस्था है, वह पोल्यूटेड हो गई है और इससे पोलिटिकल सिस्टम ही पोल्यूटेड नहीं हुआ है, इससे पूरा जनजीवन प्रभावित हुआ है और जैसा मैंने आपको उल्लेख किया है, यह 10,000 का जो आंकड़ा है, यह मैंने मेरी तरफ से आंकड़े पेश नहीं किये हैं, यह आंकड़े पेश किये हैं जो इस क्षेत्र में लोग-बाग़

(श्री भरत सिंह)

कार्य कर रहे हैं, वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनके आंकड़े हैं कि कोटा के अन्दर 10,000 से अधिक स्मैकची हैं। हमारे यहां पर जो कोटा के जन-प्रतिनिधि हैं, वे भी इस बात को जानते हैं। आप कुछ लोहे की चीज लगाते हैं, जो कुछ रेलिंग लगाइये तालाब के किनारे, कहीं कुछ चीज-सामान बाहर पडा हुआ है, उसको ले जायेंगे और पुलिस वाले उनको पकड़ने से इसलिए डरते हैं कि स्मैकची को पकड़ लेंगे तो उनके पास कुछ मिलेगा नहीं और उसको जेल के अन्दर अगर बन्द कर देंगे तो स्मैक और देनी पड़ेगी। उसको पुलिस वाले जेल के अन्दर नहीं रखते हैं। मैं आपको अख़बार के माध्यम से यह बताना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप स्पष्टीकरण पूछे प्रश्न के द्वारा, यह इस तरह से आफेंस कमिट हो रहे हैं, यह इस तरह से गड़बड़ हो रही है, फलां जगह रेड हो रही है, इससे कोई सम्बन्धित बात नहीं है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विषय है कि अफीम की खेती बन्द की जानी चाहिए, उसके लिए मंत्री महोदय की तरफ से जो स्टेटमैंट दिया गया है, उसमें क्या आप स्पेसिफिक स्पष्टीकरण चाहते हैं, उस पर आप कृपया अपनी बात कहें।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो वित्त मंत्रीजी ने दिया है, मगर समस्या यह है, पुलिस से सम्बन्धित है, गृह विभाग से सम्बन्धित है इसलिए...

श्री उपाध्यक्ष: तो वह इस बारे में चर्चा को अलाऊ नहीं करूंगा। पुलिस को क्या करना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बारे में इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को में अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री भरत सिंह (दीगोद): नहीं, मैं उनसे प्रश्न नहीं कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने गम्भीर विषय पर इस सदन का ध्यान दिलाना चाह रहा हूं और मैं इस बात के लिए हमारी पार्टी के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि उस व्यवस्था में, जिससे पूरी राजनैतिक व्यवस्था आपकी अपसैट हो सकती है, उस वोटों की राजनीति से हटकर एक सामाजिक समस्या के ऊपर इस सदन में चर्चा करने की हम....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, पुलिस विभाग की मांग के समय के अन्दर यह विषय उठाया जाना चाहिए था।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री भरत सिंह (दीगोद): मुझे मालूम था कि यह सज्जन बोलेंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मालूम था तो सुन लो आप।

श्री भरत सिंह (दीगोद): क्योंकि बीमारी यही है। मैं यह कह रहा हूं कि राजनीति में इस अफीम से लोग-बाग़ उच्च स्तर पर जा पहुंचे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहूंगा कि....

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मंत्रीजी को बीमारी कहा है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बीमारी यही है। ये मंत्रीजी को बीमारी कह रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): यह तो सभ्य आदमी की निशानी है कि सभ्य आदमी कैसे बोलता है, उसका उदाहरण पेश किया है उन्होंने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहूंगा, मैं माननीय सदस्य से यह जानकारी करना चाहूंगा और यह... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय मंत्रीजी, आप काहे के लिए बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मैं बोलना चाहता हूं। मैं उसी क्षेत्र से आता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां अफीम पैदा होती है और आप भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं और लाख वोटों से अधिक से हार चुके हैं।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, I have not yielded. I have not yielded. He is not the Minister. He is not the minister regarding this question.

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मैं चर्चा में तो भाग ले सकता हूं, कोई भी....

श्री भरत सिंह (दीगोद): इस राजनैतिक व्यवस्था के अन्दर, इस नारकोटिक्स के धंधे से लोग-बाग़ उच्च स्तर पर जा पहुंचे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): कोई भी बात हाउस में आने के बाद कोई भी मेम्बर उस पर रिप्लाई कर सकता है, कोई भी मेम्बर उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है।

श्री भरत सिंह (दीगोद): I have not yielded. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना ही यही है कि इस अफीम के धंधे से लोग-बाग़... (व्यवधान) मंत्री पद तक पहुंचे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो सीधा-सादा कहना यह है कि आप क्या राजस्थान में अफीम की खेती बन्द करवाना चाहते हो?

श्री भरत सिंह (दीगोद): यह कहां है, आप पढ़िये उसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे झालावाड़ और बारां जिले में और चित्तौड़गढ़ जिले में लोगों के पास खेती की जमीन बहुत कम है और अफीम की खेती ही एक ऐसा साधन है, जिसमें कुछ अच्छी पैदावार हो सकती है, इसमें कुछ अच्छी पैदा होती है इसलिए....

श्री भरत सिंह (दीगोद): उपाध्यक्ष महोदय, I am not yielding.

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न तो इन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है और न ही वे कंसर्निंग मिनिस्टर हैं, फिर किस हैसियत से बोल रहे हैं वह? न तो उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा और न कंसर्निंग मिनिस्टर हैं, आप किस हैसियत से अलाऊ कर रहे हैं, आप किस हैसियत से अलाऊ कर रहे हैं उनको माननीय उपाध्यक्ष महोदय?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए अफीम की खेती को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए और जो पट्टे राजनैतिक द्वेष से केन्द्र की सरकार ने झालावाड़ और बारां जिले में तोड़े हैं, उनको पुन: पट्टों को वापस दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा और न ही वह कंसर्निंग मिनिस्टर हैं। न तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा और न ही वह कंसर्निंग मिनिस्टर हैं, फिर किस हैसियत से बोल रहे हैं?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अपने अनुभव की जानकारी देने के लिए... (व्यवधान)

श्री भरत सिंह (दीगोद): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि वह किस प्रकार से... मैं दो-तीन समाचारों का उल्लेख करता हूं। "अफीम तस्कर हिरासत से फरार, नारकोटिक्स विभाग ने किया था गिरफ्तार, नारकोटिक्स दफ्तर से अफीम का तस्कर फरार और जेल में स्मैक ले जाते जवान गिरफ्तार, यह पुलिस से सम्बन्धित है। मुम्बई पुलिस को जिला प्रमुख के पुत्र की तलाशी।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से इस धंधे में जहां आपके नारकोटिक्स, जी.आर.पी., पुलिस और यह सब विभाग के लोग-बाग़ इसमें शामिल हो चुके हैं, उनके खिलाफ रेड हो। इस प्रकार के अनेक कांस्टेबल ले जाते थे, किस प्रकार से आप इनको रोकने की व्यवस्था करेंगे ताकि इस धंधे को जिन लोगों को रोकना है, वही इसमें सब शामिल हो गये तो इस व्यवस्था को किस प्रकार से आप सुधारेंगे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में यह भी लाना चाहूंगा कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। इनका ध्यान आकर्षित हो गया, मंत्रीजी का स्टेटमैंट आ गया। कोई प्रश्न पूछना चाहते हो एक-आध, आपने तो डिबेट चालू कर दी। डिबेट चालू कर दी है आपने (व्यवधान) प्रश्न ही पूछिये।

श्री उपाध्यक्ष: आपने पूछ लिये। स्पेसिफिक प्रश्न पूछ लें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमारा है और हमारा अधिकार है पूछने का।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आप इस प्रकार से पाबन्द कर रहे हो, आप उन अफीम वालों के साथ मिले हुए हो क्या?

श्री भरत सिंह (दीगोद): मैं इनसे यह भी जानना चाहता हूं, मैं एक और स्पेसिफिक पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपका स्पेसिफिक प्रश्न आ गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप अख़बार लेकर नहीं पूछ सकते।

श्री भरत सिंह (दीगोद): जिन लोगों को स्मैक के अपराध के अन्दर, अफीम की तस्करी के अपराध के अन्दर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जिनके लिए वारंट निकले हुए हैं, और वारंट निकलने के बाद भी अगर नगरपालिका का चेयरमैन और वहां का थानेदार उस वारंट निकलने के बाद भी

(श्री भरत सिंह)

सार्वजनिक फंक्शन में मिले तो इस प्रकार की व्यवस्था को आप इस प्रदेश में कैसे रोकेंगे, आप यह बतायें।

श्री उपाध्यक्ष: खैर, वह पुलिस से संबंधित, माननीय जोशीजी।

डा. सी. पी. जोशी: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो कथन कहा है उसी पर प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। पहला कथन माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि भारत सरकार परमिशन देती है। दूसरा उल्लेख यह किया उन्होंने कि यदि हम रकबा प्रतिबंध कर देंगे तो यह रकबा दूसरे प्रदेश में ट्रांसफर हो जायेगा। तीसरी बात, मंत्रीजी ने यह कहा कि लाभ में, किसान को लाभ है इसलिए यह खेती बंद रखना चाहते हैं। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से, वित्त मंत्रीजी से, क्योंकि यह कानून मंत्री तो हैं नहीं, वित्त मंत्री हैं, इसलिए वित्त मंत्रीजी से ही पूछना चाहता हूं मैं कि न तो आप कृषि मंत्री हैं, तो आप जो जवाब दे रहे हैं वह क्या फाइनेंस के आधार पर दे रहे हैं। क्या आपका उत्तर देने का आधार केवल मात्र यह है कि राजस्थान को, राजस्थान से हमारे कंसोलिडेट फंड में पैसा आ रहा है, इसलिए पैसा कम हो जायेगा इसलिए आप कम नहीं करना चाहते।

श्री राजेन्द्र राठौड़: एक्साइज मिनिस्टर भी हैं।

डा. सी.पी. जोशी: तो एक्साइज मिनिस्टर से ही पूछना चाहते हैं, इन्होंने कह दिया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आप मंत्रीजी, इनसे पूछ लो पहले, या तो सुना ही नहीं है आपने, आपको तो बोलना है बीच में, मैंने पूरी एक-एक लाइन सुनी है इन्होंने भाषण दिया जो। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है यह एक्सक्यूज लेने का कि रकबा कम होने से दूसरी जगह रकबा ट्रांसफर हो जायेगा। यदि राजस्थान में कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक रखनी है, यदि राजस्थान में कानून-व्यवस्था आने वाले समय में जिस तरह से दुनिया में अफगानिस्तान के कारण दुनिया की ला एण्ड आर्डर की स्थिति बदल गई, वैसे ही राजस्थान के अंदर यदि हमने इस अफीम की खेती को कम नहीं किया तो झालावाड़, उदयपुर का, चित्तौड़ का जो जिला है उसमें जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं वह आने वाले समय में राजस्थान की एकता और अखण्डता को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जायेगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि मंत्रीजी यह बतायें कि क्या राजस्थान के कस्टम

के अलावा आज हिन्दुस्तान में स्मैक के कारण, अफीम की खेती पहले कस्टम की होती थी, जो कस्टम के कारण लोग अफीम लेते हैं वह पहले एक अलग तरीका था, लेकिन जिस तरह की स्मैक की डिमाण्ड बढ़ गई हिन्दुस्तान में, राजस्थान में अफीम की खेती के कारण स्मैक का बहुत बड़ा कारखाना राजस्थान बन गया है इसलिए राजस्थान में जब स्मैक बन रही है तो राजंस्थान की कल्चर खतम होगी, संस्कृति खतम होगी और राजस्थान में जिस तरह का क्राइम बढ़ रहा है, यही क्राइम जैसे डी, दाउद कम्पनी की बात करते हैं जो दाउद कम्पनी बम्बई में करके दुनिया में दूसरी जगह जाकर बन गई, यह झालावाड़ में यदि इस तरह की स्थिति बनी तो राजस्थान में इस तरह के लोग जाकर पनाह लेंगे दूसरी जगह पर और राजस्थान के लोकतंत्र को खतरा कर देंगे। आज तो नजर नहीं आ रहा माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ को, आज तो राठौड़ साहब को नजर नहीं आता है क्योंकि आज तो फाइनेंस करने वाले, सपोर्ट करने वाले, मेन पावर करने वाले लोग आपके पास आ गये हैं लेकिन आपसे सब टूट जायेंगे, यह कोई आपके पास रहने वाले नहीं हैं....

श्री राजेन्द्र राठौड़: मैं पूछना चाहता हूं, यह डिबेट है क्या उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई डिबेट थोड़े ही है, यह प्वाइंटेड सवाल करें।

डा. सी.पी. जोशी: यह प्वाइंटेड सवाल है कि यह सरकार तस्करों को और अफीम वालों को कम नहीं करके राजनैतिक संरक्षण देना चाहती है। यह प्वाइंटेड प्रश्न है। सरकार बताये कि क्या यह सही नहीं है कि जिस तरह के तत्वों से मिली हुई है, जिस तरह का अभी उदाहरण दिया दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कि आपके तस्कर और पुलिस का आदमी साथ मिले, उसको क्या कहेंगे उपाध्यक्ष महोदय? यह भी प्वाइंटेड क्वेश्चन नहीं है? प्वाइंटेड क्वेश्चन है कि सरकार ट्रांसपरेंट मेनर में जनता के सामने आये कि राजस्थान में ला एण्ड आर्डर की स्थिति नहीं बदले, तस्करी को अफीम मिले और राजस्थान सरकार से...

श्री राजेन्द्र राठौड़: उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मंत्री के स्टेटमैंट के बाद कोई इस तरह वाद-विवाद थोड़े ही होता है।

डा. सी. पी. जोशी: वाद-विवाद है, पचास आदमियों ने दिया है हमने। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: यह पन्द्रह मिनट से भाषण ठोक रहे हैं, पन्द्रह मिनट से भाषण ठोक रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी: यह वाद-विवाद है। यह राजस्थान का भविष्य है। यह राजस्थान का वाद-विवाद नहीं, यह भविष्य है। आज राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब, आज नजर नहीं आ रहा, सत्ता में बैठे हुए हैं, कल सत्ता में आयेंगे जब पता पड़ेगा कि इसका नुकसान क्या हो रहा है और फायदा क्या हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं, आने वाले वर्षों में राजस्थान की एकता और अखण्डता मजबूत रहे, राजस्थान में कानून-व्यवस्था ठीक ढंग से रहे तो राजस्थान सरकार को आगे बढ़ कर भारत सरकार से मांग करनी चाहिए कि राजस्थान में अफीम का रकबा कम किया जाय। जब तक हम अफीम का रकबा कम नहीं करेंगे उपाध्यक्ष महोदय...

श्री मदन दिलावर: यह आरोप लगा रहे हैं, यह बिलकुल गलत है। (व्यवधान) राजस्थान पुलिस ने पकड़ा है अफीम के तस्करी के, हेरोइन के, पहले से ज्यादा हैं।

डा. सी. पी. जोशी: आप होम मिनिस्टर हैं क्या, आप होम मिनिस्टर हैं मान्यवर?

श्री मदन दिलावर: कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के सारे लोग तस्करों से मिले हुए थे। हमने तो पकड़ा है उनको, पकड़ कर जेल की सींखचों में ठूंसा है, गलत बयानी कर रहे हैं माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी: हम तो तस्कर रहे, तस्करी को बढ़ाया, आप यह ढाई साल से....

श्री मदन दिलावर: गलतबयानी कर रहे हैं। गलतबयानी कर रहे हैं आप। कल तक तो आपके जमाने में खुले घूमते थे, आपके साथ बैठते थे, आपके कंधे पर बैठते थे...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी: अब आप खड़े होकर बोलने लग गये, यह कोई कोटा के धर्म का मामला नहीं है...

श्री मदन दिलावर: और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको जेलों की सींखचे दिखाई है।

डा. सी. पी. जोशी: यह धर्म के मामले में...(व्यवधान) यह आपको नजर नहीं आता किसी चीज पर। आज हिन्दुस्तान की, राजस्थान की जनता खराब हो रही है, उनको नशे की हो रही है...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी।

डा. सी. पी. जोशी: उस पर चिंता नहीं है। धर्म के मामले में तो वह एजिटेट हो जाते हैं। आपको धर्म का कमिटमैंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजस्थान में नशेड़ी पैदा नहीं हों, यह भी आपको सोचने की आवश्यकता है। यह आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी।

श्री हेमराज मीणा: उपाध्यक्ष महोदय, अफीम की खेती है, यह तो किसान के रोजगार का साधन है।

डा. सी. पी. जोशी: हैं जी?

श्री हेमराज मीणा: छबड़ा, छीपाबड़ौद, बारां, झालावाड़, जो छोटी-छोटी जोत के किसान हैं, वह अफीम पैदा करते हैं उससे तस्करों का क्या सम्बन्ध है, वह तो उनके रोजगार का सम्बन्ध है।

डा. सी. पी. जोशी: अब समझ में आ गया उपाध्यक्ष महोदय, यह सदस्य...

श्री हेमराज मीणा: उनका रोजगार है यह तो।

डा. सी. पी. जोशी: यह दूसरे सदस्य भी चाहते हैं अफीम बनती रहनी चाहिए।

श्री हेमराज मीणा: पोस्त बेचते हैं या डोडे बेचते हैं, अफीम... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी: उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो दो आदमी खड़े हुए हैं, दो और खड़े होंगे।

श्री हेमराज मीणा: केवल कानून-व्यवस्था की सख्ती होनी चाहिए, यह तो रोजगार के साधन का सवाल है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी।

डा. सी. पी. जोशी: आप भी बोल लेना।

श्री हेमराज मीणा: छोटे रोजगार के लोग हैं, छोटे खेत, काश्तकार हैं, दो-दो बीघा, तीन-तीन बीघा की खेती करने वाले लोग हैं..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ जिले के हमारे काश्तकार अफीम की खेती करते हैं, इससे तस्करों का कोई लेना-देना नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा: उपाध्यक्ष महोदय, उनके रोजगार का साधन नहीं है कोई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक: चित्तौड़ जिले के सभी काश्तकार अफीम की खेती करते हैं और वह नियमानुसार करते हैं, गवर्नमेंट के नियमों से चलते हैं वह, इससे तस्करी का कोई लेना-देना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक : हमारे चित्तौड़ जिले के काश्तकार को यह यदि ऐसा होता है तो उनके ऊपर कुठाराघात होता है...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा: काश्तकार अफीम की खेती करते हैं, उन काश्तकारों का तस्करों से क्या सम्बन्ध है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी: इनको रोको, नहीं तो मैं क्या बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा: वह तो केवल रोजगार का काम करते हैं।

डा. सी. पी. जोशी: उपाध्यक्ष महोदय, पूरी बात बोलूंगा मैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा: हम तो रोजगार के लिए, पेट के लिए...(व्यवधान) अफीम पैदा करते हैं, डोडा पोस्त बेचते हैं, डोडा चूरा बेचते हैं...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय, बैठिये, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हेमराज मीणा: उससे उनका रोजगार चल रहा है, उनका पेट पल रहा है, गरीब काश्तकार हैं उपाध्यक्ष महोदय, वह।

श्री उपाध्यक्ष: आ गई बात आपकी, माननीय सदस्य। अब इन्हें... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : उपाध्यक्ष महोदय, चिंता का विषय यह है कि यह स्मैक झालावाड़ में ही चलती है और राजनीतिक...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा: आप तस्करों को पकड़ो, उनको जेल में डालो, पहले से ज्यादा कार्यवाही हुई है, लेकिन यह अफीम की खेती बंद हो जाय, यह संभव नहीं है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : इससे अपराध फैल रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: मैं सारा ही खुलासा कर देता हूं।

श्री हेमराज मीणा: उपाध्यक्ष महोदय, अफीम की खेती बंद करना, यह ठीक नहीं है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : और यह सरकार अफीमचियों से मिली हुई है, स्मैकचियों से मिली हुई है..(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सब सदस्यों की चिंता है...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: यह प्रश्न यहां क्यों आया, इसका मैं सारा ही खुलासा कर देता हूं...

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : यह स्मैक का कारोबार झालावाड़ में होता है जहां से मुख्य मंत्री आती हैं, वहां अपराध पनप रहे हैं...(व्यवधान) स्मैकचियों का अड्डा बना हुआ है वह।

श्री उपाध्यक्ष: उनको कहने दीजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: 27 जून 2003 को....

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : यह पूरा मंत्रिमण्डल उससे जुड़ा हुआ है, जो जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह...

श्री उपाध्यक्ष: इनके बैठने के बाद आपको बुला लूंगा।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : दस हजार लोग स्मैक पी रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इनके बैठने के बाद आप बोल लें, माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : दस हजार लोग स्मैक पीते हैं। (व्यवधान) और मुख्य मंत्री के यहां अफीम का कारखाना है, स्मैक का, झालावाड़ में।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: यह किसानों को सिर्फ लूटने के लिए... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : झालावाड़ में स्मैक का कारखाना है उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) अगर आप पकड़ते हो तो कारखाने को बंद कराओ, अफीम की खेती खूब करो आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: उन्होंने इस प्रकार की प्रेस कान्फ्रेंस करके कहा कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में अफीम की खेती समाप्त हो जानी चाहिए। पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के हम भी विरोधी नहीं हैं कि कोई तस्करी करता है, कोई स्मैक बनाता है तो उसको नहीं पकड़ें...

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : मुख्य मंत्री महोदय के यहां ही स्मैक का कारखाना है, मंत्री महोदय कहना क्या चाहते हैं, स्मैक का कारखाना झालावाड़ में है, अपराध तो यों पनप रहे हैं, बात चिंता की यह है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इस बात के हामी हैं, इस बात के पक्षधर हैं कि जो भारत सरकार अफीम के किसानों को लाइसेंस के पट्टे देती है वह इस कंडीशन पर देती है कि एक बीघा में आपको इतना...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : दस हजार युवा नशेड़ी हो चुके हैं। युवाओं में स्मैक की लत पड़ गई है, विभिन्न प्रकार के वह अपराध करते हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: सरकार के नियम के अनुसार उनको खेती के पट्टे दिये हैं..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठें, स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये, आपका अंकित, माननीय सदस्य, आप बिना अनुमति..(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : चिंता की बात यह है कि झालावाड़ का..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मेरी बात सुनें आप। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, आप स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय जोशीजी। बीच में नहीं, माननीय जोशीजी को पूरा करने दें बात। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को कहने दीजिये अपनी बात।

डा. सी. पी. जोशी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान में अफीम की खेती को बढ़ाना चाहते हैं, तस्करों को प्रोटेक्शन करना चाहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी: उनको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, मुझे बहुत खुशी है उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई तकलीफ नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, यह इनका सोचना है उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: अफीम की खेती बढ़ाना चाहते हैं, तस्करों को प्रोटेक्शन नहीं करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा अफीम के

(श्री बंशीलाल खटीक)

पट्टे दिये जाते हैं और उन काश्तकारों को अफीम की खेती के द्वारा रोजगार भी मिलता है, यदि सरकार के नियमों के विपरीत यदि कोई काश्तकार जाता है तो वह उस सरकार के नियम के अनुसार दोषी ठहराया जाता है..(व्यवधान) हमारे मुख्य खेती अफीम की है और आस-पास के क्षेत्र चित्तौड़ जिले के इसी खेती के ऊपर आधारित है और यदि सरकार के नियम के खिलाफ यदि कोई होगा तो सज़ा का भागी होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी: क्या सरकार यह करना चाहती है। (व्यवधान) कोई पता ही नहीं, क्या बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। बिराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: अफीम की खेती कर वह अपना रोजगार चलाते हैं...

श्री तगाराम चौधरी : सुनाई बिलकुल नहीं दे रहा है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: तस्करों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। अफीम की खेती बंद होनी चाहिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे बहुत बड़े परिवार, जिस गरीब आदमी के पास बहुत कम जमीन होती है उसका बहुत बड़ा परिवार उससे उसका पालन-पोषण होता है। आप उनके, उन काश्तकारों के पेटों पर लात मार रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य: छोटे-छोटे काश्तकारों के साथ इस प्रकार से कुठाराघात करना ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : इनको तो स्मैक के कारखानों से है, जो झालावाड़ में, हाड़ौती में है, बारां में है, झालावाड़ में है, कोटा में है...

श्री बंशीलाल खटीक: तो उस पर कार्यवाही नहीं हो रही क्या, उस पर कार्यवाही हो रही है जो अफीम के लिए तस्करी करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है, वह अलग बात है। (व्यवधान) जो तस्करी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : उसमें अफीम होती है, वह लोग अपराध करते हैं, तस्करी करते हैं। (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मिले हुए हैं इसलिए तकलीफ हो रही है ...(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): एन.डी.पी.एस. एक्ट में ये खेती और सरकार के ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): अफीम की खेती नहीं वहां से अपराध देखो न ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): वर्षों से करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): यह कोई नयी बात नहीं है ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): भाजपा के माननीय सदस्य अफीम की तस्करी भी करते हैं और अफीम खाकर भी आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): जहां तक तस्करों को पकड़ने का सवाल है तस्कर तो वसुन्धरा सरकार के राज में बहुत ज्यादा पकड़े जा रहे हैं पहले के बनिस्बत।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ...(व्यवधान) नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमारा भी है।

श्री उपाध्यक्ष: आपको भी मौका मिलेगा आप बैठिये। माननीय सदस्य, आप स्पष्ट, आप जनरल जो है... सीधा स्पष्ट।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय, से सीधा प्रश्न है कि क्या सरकार ने जो उत्तर दिया है उस उत्तर के आधार पर राजस्थान में यदि क्राइम बढ़े, राजस्थान में अफीम की खेती के कारण स्मैक की तस्करी बढ़े तो क्या राजस्थान सरकार इस सब विषय के संबंध में चर्चा करके राजस्थान में कानून की व्यवस्था को ठीक करने के लिए या तो किसान को जो खेती कर

(डा. सी. पी. जोशी)

रहा है उसके साथ जो स्मैक का चल रहा है दोनों को अलग-अलग करें। सरकार यह जिम्मेदारी ले कि जो किसान अफीम की खेती कानून के अन्तर्गत कर रहा है और स्मैक के जो कारखानें हैं उन दोनों के बीच में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्मैक के कारख़ानों को रोके और इस तरह के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे जिससे किसान का भी नुकसान नहीं हो और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें या तो सरकार यह बात करे अन्यथा सरकार ने जो उत्तर दिया है यह आपका उत्तर बिलकुल सही नहीं है कि हमारे यहां रकबा कम करने से दूसरे प्रदेश में रकबा बढ़ जाएगा यह आपका माननीय मंत्रीजी उत्तर सही नहीं है आपका उत्तर यह होना चाहिए कि हम तस्करी को रोकेंगे स्मैक को नहीं बढ़ायेंगे यह तो समझ में आता है। आप यह दूसरी जगह रकबा बढ़ जाएगा लाभ कम हो जाएगा इस आधार पर भारत सरकार को हम नहीं लिखना चाहते यह आपका उत्तर कानून सम्मत नहीं है, न्याय सम्मत नहीं है और राजस्थान के लिए तस्करी को रोकने के लिए नहीं है इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी तस्करी को प्रोटेक्ट करना चाहती है किसान के नाम पर करना चाहती है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ...(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी तस्करों को कोई प्रोत्साहन देना नहीं चाहती कोई बचाना नहीं चाहती इसीलए तो मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वसुन्धराजी के राज में सबसे ज्यादा तस्करों को पकड़ा गया है यह आप आंकड़े देख लीजिये ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। एक आदमी। माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तगारामजी के होते हुए आप बात कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, इनका प्रस्ताव नहीं है ये किस आधार पर बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: मैंने परमिशन दे दी है इनको।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इनका कोई ध्यानाकर्षण नहीं है प्रस्ताव हमारा है।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने परमिशन दे दी है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप बताइये कैसे अलाऊ कर सकते हो इनको? कैसे अलाऊ कर सकते हो इनको?

श्री उपाध्यक्ष: बोल सकते हैं ये बोलेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): न तो ये प्रभारी मंत्री हैं और न ही इनका प्रस्ताव है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है इसलिए पहले हमको मौका दिया जाए साहब, इनको बाद में मौका दिया जाए।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): ...(व्यवधान) गहराई से इस डिबेट में क्यों भाग ले रहे हैं ये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): तिवाड़ी साहब, पहले हमको बोलने दीजिये फिर ये जो भी बोलना चाहे बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): सुनें तो सही।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह 'चोर की दाढ़ी में तिनका' है बार-बार खड़े होना 'चोर की दाढ़ी में तिनका' है।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न उठाया है कि न तो ध्यानाकर्षण आपका है न आप जवाब देने वाले फिर भी क्यों बोल रहे हो, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि अफीम पर चर्चा हो रही है इसमें अगर सब लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा । इतना ही असर नहीं होगा इसका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हमारी तरफ से तगारामजी उत्तर दे देंगे। तगारामजी, दो उत्तर। देंगे उत्तर। हां, तगारामजी उत्तर दे देंगे हमारी तरफ से।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाना ये तो नियमों के तहत आता है, करता है और सारी बहस होती है परन्तु आज का ध्यानाकर्षण मेरी समझ में नहीं आया कि कब से तो खेती हो रही है, किस कायदे से हो रही है, किस तरह से किसान करते हैं ये सारी चीजें बहुत पुरानी हैं और वर्षो से है लेकिन आज जो बहस हो रही है जो ध्यानाकर्षण किया जाता है उसमें तो सीधी राजनीति झलकती है ...(व्यवधान) राजनीति की है।

श्री उपाध्यक्षः सुनिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अभी भी अफीम के नशे में ही बोल रहे हैं।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): इस तरह से हौवा मचाकर और टाइम इस सदन का लेते हैं और हमेशा लेते आये हैं अभी-अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे पाइंट ऑफ ऑर्डर। पाइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से एक हौवा मचाया और मैं अभी बाहर गया हूं इनके पाइंट ऑफ ऑर्डर के बाद में। कोई नहीं था वहां पर अजमेर जिले का एक भी किसान नहीं था सब जगह फिर कर आया हूं मैं। मैंने जांच की है आपके दाढ़ी वाले तिनकों की। अब तिनका किसकी दाढ़ी में है? यह हौवा मचाते हो आप इससे क्या आप कुछ आगे बढ़ जाओगे क्या? नहीं बढ़ सकोगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, दाढ़ी है किसके यह भी देख लो तिनका कहां लग सकता है या तो उनके तिनका हो सकता है या सी.पी. साहब के हो सकती है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): (व्यवधान) आप इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगा कर सदन का समय जाया करते हो इस तरह से सदन का समय जाया करने से...।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मेरे तो तिनका है, इनके साफे में छड़ी है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आपको भी जनता बख्शने वाली नहीं है कुछ भी कर लो आप । आप कितना ही इस तरह का हौवा मचा दो कि किसान आये हुए बैठे हैं किसान आये हुए बैठे हैं। मैं किसान हूं और मेरे हृदय में ज्यादा किसान है मेरी रग-रग किसान है ...(व्यवधान) मैं भी आपके जैसा ही किसान हूं। आप यह समझो कि किसान सारा मैं ही हूं ऐसा नहीं है और मैं तो यह कहूं कि ये हमारे साथी जितने भी आप विराज रहे हो उनमें से हाथ से खेती आज की तारीख में कितने करते हैं? मैं करता हूं। अभी करता हूं। अब करके आया हूं और अभी मेरे हाथों के छाले मिटे नहीं हैं जो मैंने खेती में काम किया वो इस वर्ष में इस उम्र में भी, अफीम की हो, चाहे कोई हो, अफीम की भी खेती है । अफीम की खेती कोई चुपचाप से होती है क्या लाइसेंस से हो रही है दूसरी खेती तो होती है यों ही होती है पर यह सरकार के आदेश से होती है ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, अफीम को या तो तगारामजी जानते हैं या आप बराबर जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। एक आदमी।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): नहीं आप तो जानते होंगे आप तो क्योंकि खेती करते और आपने ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मैंने तो हाथ से हल बना-बनाकर के खड़ा किया है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन सवाल...।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कोई स्पेसिफिक स्पष्टीकरण चाहते हों तो वो अलाऊ करूंगा मैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, तीन सवाल। माननीय मंत्रीजी, पूरे राजस्थान में आपके रिपोर्ट के अनुसार गृह विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अपराध घटे हैं लेकिन इन मामलों में राजस्थान में अपराधों का ग्राफ 18 से 20 प्रतिशत आगे बढ़ा है। यह आपके पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट कहती है। ...(व्यवधान) नहीं, यह आपके गृह मंत्रीजी बोले हैं कि हां, राजस्थान में नारकोटिक्स से संबंधित, अफीम-स्मैक से संबंधित 18 से 20 प्रतिशत अपराधों में वृद्धि हुई है ...(व्यवधान) उन्होंने बताया जो बता रहा हूं मैं आपको मैं मेरी तरफ से थोड़े बता रहा हूं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इसमें किसानों का क्या दोष है?

श्री जोगाराम पटेल: इसका ज्यादा अनुभव मेरे को है ...(व्यवधान) एक सेकंड बंशी । इसका सब से ज्यादा मैं बता सकता हूं ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अफीम के तस्करों के ऊपर शिकंजा कसा है।

श्री जोगाराम पटेल: सबसे ज्यादा अपराध एन.डी.पी.एस. के मेरे यहां होते थे और पूर्ववर्ती सरकार के संरक्षण के कारण पकड़ते नहीं थे और अब इन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया इसलिए अपराध कम हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, कोई बात नहीं है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) आपके अन्दर कांग्रेस में कई ऐसे लोग हैं जो तस्करी करते हैं ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने ऐसे लोगों को पकड़ा उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं यह थोड़े कह रहा हूं कि आपने क्यों पकड़ा? आपने ऐसे लोगों को पकड़ा उसके लिए धन्यवाद। एक मिनट आप सुन लें। आप सुनें तो सही।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा तो कोई बोलने लायक नहीं बचेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): खोल दो आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): खोल दूं? शांति से सुन लेना सब।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, सुनेंगे ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप कच्चा चिट्ठा वसुन्धराजी का तो नहीं खोल रहे हैं न ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाम बताना तो मेरा उचित नहीं होगा पर इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के शासन के समय अफीम के तस्करों को बचाने के लिए उनसे भारी तो रकम ली है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): वो तो आपकी पार्टी में चले गये मंत्री हैं आप तो इतना अब कर दो उपाध्यक्ष महोदय, जितने कैसेज में एफ.आर. लगी है इस साल भर में अफीम में और स्मैक में, मेरा इलाका इतना दूर है वहां स्मैकची पैदा हो रहे हैं। सवाल अफीम पैदा करने का नहीं है सवाल यह है कि जो अपराध बढ़ रहे हैं जिसमें जिला प्रमुख का लड़का वहां की मंडी नगरपालिका का चेयरमैन खुद, पुलिस नहीं पकड़ पा रही है सवाल यह है ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): ...(व्यवधान) कंप्यूटर से फोटो मैं आपके साथ बनवा सकता हूं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप चुप रहिये। सवाल यह नहीं है सवाल यह है कि जो अपराध बढ़ रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आज कल तो फोटो किसी के भी साथ खींच सकते हैं। आपकी फोटो मैं हेमामालिनी के साथ बता सकता हूं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ...(व्यवधान) प्रदेश का कांग्रेस सचिव पकड़ा गया है और हिरण की सींग में पकड़ा गया है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अपराध कैसे रुकेंगे ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): रमजान खां ...(व्यवधान) उसके घर में से स्मैक पकड़ी गयी।

कांग्रेस का प्रदेश सचिव है वह । कांग्रेस का प्रदेश सचिव रमजान खान पठान स्मैक और हिरण के शिकार और अफीम के आरोप में पकडा गया। अभी वह अंदर है आपका कांग्रेस का पदाधिकारी । (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, अभी वह कांग्रेस का पदाधिकारी जेल में है । राजसमंद का रमजान खान पठान उसका पुत्र फिरोज खान अभी स्मैक और हिरण के सींगों की तस्करी में वह जेल में है । अभी कांग्रेस के लोगों का और कांग्रेस के पदाधिकारियों का हाल देखो । (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह कांग्रेस बी.जे.पी. का सवाल नहीं है , सवाल यह है कि अफीम के तस्करों को राजनीति से अलग कैसे रखें । आप अफीम का धंधा करो, वो करो । माननीय मंत्रीजी इस पर कार्यवाही कैसे हो जिनके खिलाफ वारंट हो, दिल्ली से हो, मुम्बई से हो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी तो आपके विभाग को हम वाह वाही देंगे, जनता वाह वाही देगी आप तो उनके खिलाफ कार्यवाही कराओ अफीम चार गुना बढ़ाओ लेकिन क्राइम नहीं होना चाहिये । अफीम के तस्कर ..(व्यवधान) यह कर दो आप तो ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इस बात का समर्थन करते हैं । आप सत्य बोलो तो सत्य का सम्मान करते हैं हम ।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य किसी तस्कर का नाम बतायेंगे उसकी जांच करेंगे और उस पर पूरी कार्यवाही करेंगे और जो रिश्वत खाकर जो तस्करी करवाता है उनके बारे में आप बताओगे तो हम पूरी कार्यवाही करेंगे । (व्यवधान) किसी को बख्शा नहीं जायेगा ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं बता रहा हूं, भवानी मंडी नगर पालिका का चेयरमैन .. (व्यवधान) वह नगरपालिका का काम कर रहा है और पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): गुलाब सिंहजी जब मिनिस्टर थे कितने पैसे में एफ.आर. लगाई थी, उसमें दलाली किन-किन लोगों ने दी यह अभी बता दूंगा ना (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप कराइए कार्यवाही ।

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इतना अहम मसला है । अफीम को क्यों बंद करवाते हो । स्मैक पैदा कर रहे हैं, नगरपालिका के चेयरमैन बनकर बैठे हैं, वारंट निकले हुए हैं उन पदाधिकारियों को गिरफ्तार करवा दो माहौल ठीक हो जायेगा । जो भी हो जिस भी पार्टी का हो ।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया कि क्या यह सही नहीं है कि इस वर्ष नारकोटिक्स से संबंधित राजस्थान में 18-20 परसेंट अपराध बढे हैं ।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): आप बिलकुल गलत कह रहे हो ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अगर यह गलत है तो मैं रिजाइन करता हूं नहीं तो आप कर देना । 18 प्रतिशत आपने बताया है आपकी रिपोर्ट में ।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): आपको रिजाइन नहीं करना ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने जेल की किताब पढी होगी, कटारिया साहब वाली नहीं पढी होगी । दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि नारकोटिक्स विभाग के अनुसार 20 से 30 प्रतिशत अफीम जो काश्तकार पैदा करते हैं उनसे स्मैक बनाने वाले उनसे चुपचाप ले जाते हैं और सब से सर्वाधिक स्मैक के कारखाने आपके बारां और झालावाड में है, इस बात से आप इंकार नहीं करते । आज तक जितने भी अपराधी पकडे गये हैं सबसे ज्यादा वह बारां, झालावाड और चित्तौड़गढ़ इस एरिया में पकडे गये हैं इस बात से भी आप इंकार नहीं करते और इस बात से भी आप इंकार नहीं कर सकते कि जिन

(श्री हरिमोहन शर्मा)

जन-प्रतिनिधियों को आपने दल-बदल कर इस प्रभाव के कारण कि हम इस प्रकार के धंधे करने वालों से हमारी पार्टी को मजबूत करेंगे, आपने दल बदल करवाया इससे भी आप इंकार नहीं करते और आप इस बात से भी इंकार नहीं करते कि जिन नगरपालिका के चेयरमैन को जिस प्रकार भवानीमंडी के उप प्रमुख के खिलाफ जिस प्रकार के स्मग्लिंग के मामले चले वह आपकी पार्टी के सदस्य हैं इस बात से भी इंकार नहीं करते इन बातों का जवाब दे दो ।

श्री तगाराम चौधरी : यह जो आप आरोप लगा रहे हो वह बिलकुल निराधार है । मैं फिर कहूंगा (व्यवधान) मैं इधर आया हूं उधर से आपसे परेशान होकर ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ दो स्पेसिफिक बातें पूछना चाहूंगा राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ी है इसकी चिंता हम नहीं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी की है और राजस्थान हाई कोर्ट ने इसी मार्च महीने में राजस्थान सरकार के गृह सचिव को नोटिस देकर यह पूछा है कि राजस्थान में जो मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं आंकड़े उठाकर देख लें बाकी सब जगह का तो छोड़ो पुष्कर जैसे पवित्र तीर्थ में 25 फरवरी, 05 को 3 किलो 700 ग्राम चरस, 7 अप्रैल को 7 किलो 150 ग्राम अफीम, 9 अप्रैल को 1 किलो 250 ग्राम चरस । मैं पूरा फिगर नहीं पढ़ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह सब ठीक है, यह जो आपके आंकडे हैं आप विषय पर आ जाइए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जो विषय है उस पर आ जाइए ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं एक मिनट में अपनी बात पूछ रहा हूं । 18 मामले खाली तीर्थराज पुष्कर में सामने आये हैं । मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि एन.डी.पी.एस. एक्ट के सैक्शन-5 में प्रावधान है कि जो यह तस्कर हैं उनकी सम्पत्ति कुर्क की जा सकती है । राजस्थान सरकार ने इन दो सालों में एक भी तस्कर की सम्पत्ति सैक्शन-5 में कुर्क की हो तो आप बता दो ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य पहले मेरी बात सुनें आप । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्रीजी का उत्तर कराओ एक घंटा हो गया । एक घंटा 10 मिनट से यह मामला चल रहा है ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा साथ में निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण कीजिए । आप पहले बात सुनिए ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मेरा प्रस्ताव है । आपके माध्यम से मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं, साथ में जवाब दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष: आप मेरी बात तो सुनें, आपको मौका देंगे । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में विशेष तौर से जो उल्लेख किया गया है कि मादक पदार्थों के बढते अपराध को ध्यान में रखकर प्रदेश में अफीम की खेती को पूर्ण रूप से बंद करने के संबंध में वित्त राज्य मंत्री क्या करते हैं । अपराध बढ रहे हैं, घट रहे हैं ..

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप पूरा पढ़िये, आप खाली हैडिंग मत पढिये, आप पूरा प्रस्ताव पढ़िये ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अपराध के लिये कहा है हमने तो अपराध के लिये क्यों नहीं बोलेंगे ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): बढते अपराध के प्रति चिंता है ।

श्री उपाध्यक्ष: तो बढते हुए अपराध के बारे में बोल तो दिया आपने ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कैसे नहीं बोलेंगे अपराध के बारे में? हमारा कहना है अपराध बढ रहे हैं इसे रोका जाये । बेसिक आर्ग्युमैंट है । आप बंद कर दीजिए इसको । बेसिक प्रिमिसेज ही यह है कि अपराध बढ रहे हैं इसे रोका जाये यही तो बात कह रहे हैं हम ।

श्री उपाध्यक्ष: अपराध बढ रहे हैं इसके बारे में कोई विवाद नहीं है ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यही तो बता रहे हैं आप तो मान ही नहीं रहे हैं, मंत्रीजी तो मान ही नहीं रहे हैं । मंत्री तो मना कर रहे हैं कि अपराध नहीं बढे हैं, आप कह रहे हो कि अपराध बढ़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष: जनरल बात हो रही है यह तो ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपका रिकार्ड कह रहा है कि अपराध बढे हैं और मंत्रीजी कह रहे हैं कि नहीं बढे हैं । आप की बात माने या किसकी माने ।

श्री उपाध्यक्ष: बढ़ते अपराध की वजह से अफीम की खेती बंद करने की बात थी उस पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आ गया कि अफीम की खेती राज्य सरकार बंद नहीं कर सकती केन्द्र सरकार ही बंद कर सकती है । आप का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी इसी विषय में ही है कि अफीम की खेती बंद की जानी चाहिये ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अफीम की खेती इसलिए नहीं बंद की जाये, अफीम की खेती इसलिए बंद की जाये कि अपराध बढ रहे हैं यह हमारा आर्ग्युमैंट है ।

श्री उपाध्यक्ष: अफीम की खेती की वजह से अपराध बढ रहे हैं इसलिए अफीम की खेती बंद की जानी चाहिये वह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का नहीं है अब आप क्या स्पष्टीकरण चाहते हो ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, हम यह नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अपराध बढ रहे हैं इसलिए बंद की जाये ।

श्री भरत सिंह (दीगोद): हम अपराध के संबंध में बात कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इसका संबंध सीधा अपराध से है और अपराध की वजह से पूरा समाज दूषित हो रहा है इसलिए हमने यह बात कही है । अपराध बढ़ता जा रहा है और माननीय सदस्य ने जो कहा है पुलिस ने अपनी उपलब्धि यही बताई है । पुलिस का जो पहला प्रतिवेदन पेश हुआ है उसमें उन्होंने जो अफीम की तस्करी पकड़ी है उसी को अपनी उपलब्धि बताई है और यह सही है कि पूरे प्रदेश में नारकोटिक्स के क्राइम में बढोत्तरी हुई है और यह पुलिस के डाक्युमैंट में है ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि हमारे प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों की जो चिंता इस प्रस्ताव के माध्यम से हम लाये हैं उसमें बढ़ते अपराध के बारे में निवेदन है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसमें पाइंट आफ आर्डर नहीं आ सकता । जीरो आवर में पाइंट आफ आर्डर नहीं आ सकता यह व्यवस्था दी हुई है । उपाध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में पाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता आपने व्यवस्थाएं दी हुई हैं । जीरो आवर में पाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता अध्यक्ष की व्यवस्था दी हुई है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ... (व्यवधान) उसमें स्पेसिफिक प्रश्न पूछ सकते हैं वाद विवाद नहीं होगा उस पर । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि 131 में ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव आया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मंत्रीजी के स्टेटमैंट के बाद कोई स्पष्टीकरण हो वह पूछ सकते हैं (व्यवधान) कोई वाद विवाद नहीं होगा ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): स्पष्टीकरण ही पूछ रहे हैं जवाब आया ही नहीं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पिछले डेढ घंटे से वाद विवाद हो रहा है ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मान्यवर, पांच साल तक आपके भाषण सुने हैं। आज नये-नये कानून लाने जा रहे हो, पाँच साल तक आपके भाषण सुने हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसमें इसका स्कोप है वह स्कोप सिर्फ यह है कि क्या राजस्थान में अफीम की खेती बंद की जाये या नहीं । सवाल इस बात का है कि माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि राजस्थान में अफीम की खेती बंद की जाये उस पर अगर कोई स्पष्टीकरण पूछना हो तो पूछ लें यह । राजस्थान में अफीम की खेती बंद की जाये सवाल इस बात का है । उस पर कोई पूछना है तो पूछ लें, डेढ घंटा लगा दिया ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): सवाल इस बात के साथ दूसरा सवाल है उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो जवाब मंत्रीजी ने दिया इसके साथ में गृह मंत्रालय को भी जवाब देना वाजिब था। आप अगर मानते हैं राजस्व के मामले में, राजस्व की आपको चिंता है कि अपराध तो बढ़े पर हमारा राजस्व कम नहीं होना चाहिये(व्यवधान) तो क्या झालावाड़ में स्मैक की रिफाइनरी लगाना चाहते हो, इसके लिए कानून बनाना चाहते हो, यह व्यवस्था कर दीजिए या फिर अपराध रोकने के लिए व्यवस्था कर दीजिए । जो लिप्त है वह बार-बार खड़े हो रहे हैं । आपका कारखाना तो है नहीं मंत्री महोदय, यहां (व्यवधान) बारां, झालावाड़, कोटा में अपराध बढ़ रहे हैं इसके लिए चिंता किसने की, हमारा निवेदन आपसे है कि आप इस अपराध को रोकने के लिए व्यवस्था करवा दीजिए । अफीम की खेती खूब करें पर उसकी व्यवस्था ठीक की जावे ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अपराध रोकने के लिए हमारी चिंता है, इसकी व्यवस्था गृह मंत्रालय करे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आपका जवाब वाजिब है पर गृह मंत्रीजी को भी इसमें जवाब देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मुख्य विषय यह था और यह है कि क्या बढ़ते हुए अपराधों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अफीम की खेती बंद करने का विचार रखती है ? राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट जवाब दे दिया गया ..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने स्टेटमैंट ही गलत दिलवाया है, अगर अपराध बढ रहे हैं तो गृह मंत्री को जवाब देना चाहिये था, वित्त मंत्री को तो मालूम ही नहीं है । (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): स्मैक का कारखाना लगाना चाहते हैं तो उद्योग मंत्री भी बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मूल...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अगर स्मैक का कारखाना (व्यवधान) उद्योग मंत्री भी बोले, बहुत मंत्री शामिल हैं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस बात को लेकर (व्यवधान) राजस्थान में अफीम की खेती को बंद की जाए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, यह नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह राजस्थान के हजारों किसानों पर कुठाराघात करना चाहते हैं ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): चिंता यह है, बढ़ते अपराध को ध्यान में रखकर मूल भावना इसमें यह है, राजस्थान में बढ़ते अपराध की भावना मूल है उसमें । (व्यवधान)

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय मंत्रीजी ने गलत बयानी की । (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): प्रदेश के युवा, झालावाड़, हाडौती के सभी अफीम..(व्यवधान)

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्षजी, इन्होंने बात को घुमा दिया ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मूल भावा आपकी है, यहां पढ़ लें, आप राजस्थान के किसानों को कह रहे हैं अफीम की खेती बंद की जाए ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): युवा पीढ़ी का नाश हो रहा है । पूरे प्रदेश के युवाओं को नशे की लत लगा देना चाहते हो । (व्यवधान) अपराध को बढ़ावा देना चाहते हो मूल भावना यह है । सारा जो झगड़ा है वह झालावाड़, हाडौती में है । स्मैक का कारखाना झालावाड़ में है । बड़े अफसोस की बात है कि जहां से मुख्य मंत्री आती हैं वहां व्यवस्था ठीक नहीं है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रदेश में अफीम की खेती को पूर्णतया बंद करने के संबंध में (व्यवधान) वित्त मंत्रीजी ध्यान आकर्षित करेंगे...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बढ़ते अपराध को ध्यान में रखकर.. (व्यवधान) मादक पदार्थों को...

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): झालावाड़, कोटा, बारां में..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सारे सदन को गुमराह कर रखा है। किसानों के पेट पर लात मारकर, यह उस खेती को बंद कराना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य: कारखाना बंद कराइये । (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): चीरा लगता है। तीन-तीन बार चैकिंग होती है उसकी, आप किसान को चोर बता रहे हो? (व्यवधान) बारां, चित्तोड, झालावाड़ जिले में अफीम की खेती बंद कराना चाहते हो।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय मंत्रीजी को मूल भावना समझ में नहीं आई, बढ़ते अपराध से लेकर था । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सामने आना चाहिये इनको और कहना चाहिये अफीम की खेती बंद कराना चाहते हैं ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप पढ़िये, आप पढ़िये क्या लिखा है हमने, हमने लिखा है मादक पदार्थ के अपराध (व्यवधान) फालतू बात करते हो आप ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): राजस्थान का किसान देख रहा है, किसानों के साथ कुठाराघात कर रहे हो । इन्होंने मजाक बना रखा है । किसानों के साथ कुठाराघात कर रहे हो । (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): खेती बंद कराना चाहते हो । आपकी मंशा अफीम की खेती बंद कराने की है । आपकी मंशा किसानों की खेती बंद कराने की है । आप किसानों की खेती बंद कराना चाहते हो । अपराध बंद कराओ, खेती क्यों बंद कराना चाहते हो । (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): किसानों को बेरोजगार करने में तुले हुए हैं आप लोग । चित्तौड़ जिले में एक मात्र खेती अफीम की होती है । (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): अपराधों को रोकना चाहिये पर खेती बंद नहीं होनी चाहिये । आप खेती को क्यों बंद कराना चाह रहे हो? छोटे काश्तकारों को..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): खेती को बरबाद करना चाहते हो । (व्यवधान) निवाला कोसना चाहते हो, यह हम नहीं होने देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हम खेती को बरबाद नहीं होने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): नियमानुसार खेती होती है ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अन्याय कर रहे हो ।(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यह किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य: अफीम के पट्टे दिये जाते हैं सरकार के द्वारा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): नियमों के अनुसार खेती होती है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो भी प्रतिपक्ष के सदस्य बोल रहे हैं वह अफीम की खेती के बारे में बिलकुल नहीं जानते । मैं अफीम का लाइसेंस, खेती करता हूं, मुझे अच्छी तरह से इस बात की जानकारी है कि अफीम की काश्त करने वाला काश्तकार पौधे को छोटे से लेकर जब उसकी चिनाई होती है, रोज नारकोटिक्स विभाग के जो नम्बरदार नियुक्त हैं, अफीम कितनी निकली है, कितना वज़न है रोज जाकर रजिस्टर में एंट्री करानी पड़ती है और यदि उसमें 100 ग्राम भी अधिक या 100 ग्राम भी कम हो गई तो उसके खिलाफ ए.डी.पी.सी. एक्ट के अन्तर्गत केच चलता है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, परन्तु आज यह खेती क्यों बंद कराना चाह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): आप खेती क्यों बंद कराना चाह रहे हो? आप किसानों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो । यह किसानों की रोजी-रोटी का सवाल है । छोटे किसानों की रोजी-रोटी का सवाल है जिनके पास वास्तव में दो-दो, चार-चार बीघा जमीन है, वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाएंगे ?

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): कांग्रेस के शासन में एक-एक लाइसेंसधारी को 10-10, 15-15 बीघा काश्त करने का लाइसेंस मिलता था, प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका समानीकरण करते हुए हरेक छोटे से छोटे काश्तकार को दस-दस आरी का लाइसेंस दिया, नतीजा यह हुआ कि उसे समझे नहीं आप (व्यवधान) पोश्त का ठेका, डोडा चूरा का ठेका, इतिहास उठाकर देख लीजिए आजादी के बाद से अब उदयपुर सम्भाग में, झालावाड़ में, बूंदी में, चित्तौड़ में, मंसौर में, बारां में, रतलाम में, अफीम की तस्करी करने वाले कौन हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वह इनके समर्थक हैं, इनके नेता हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इस पार्टी में बैठे हैं (व्यवधान) वारंट किन के निकले हुए हैं, हमारी पार्टी के (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): युवा कांग्रेस के अध्यक्ष (व्यवधान) प्रतापगढ के थाने में फोटो लगा हुआ है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): खेती की बात मत करिये (व्यवधान) ढाई साल में क्या हो गया ?

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): प्रतापगढ़ के थाने में फोटो लगा है वह आपके कांग्रेस के..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बंद करिये, बंद करिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): उनका धन्धा वहां ठप्प हो गया । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने उस इलाके की जनता को गुमराह करने के लिए एक नारा दिया था कि पोश्त की खेती बंद होनी चाहिये । यह विफल रहे और इसका नतीजा यह हुआ कि उस इलाके में इनका सुपडा साफ हो गया यह वापिस उसको दोहराकर कहना चाहते हैं अफीम का लाइसेंस बंद होना चाहिये । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): स्थगन प्रस्ताव रखने के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): तस्करी करने वालो को बंद करिये, क्यों रोको, बंद करिये (व्यवधन) उनको तो मंत्री बना रहे हो आप ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): आज भी चित्तौड़गढ़ जिले में कितने तस्करी ..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्री का पद दे रहे हो, आप ऐसे लोगों को मंत्री का पद दे रहे हो और कह रहे हो कि हम अपराध खतम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लाइसेंस कौन देता है, अफीम की खेती का लाइसेंस केन्द्र सरकार देती है, दिल्ली की सरकार अफीम की खेती का लाइसेंस देती है, क्या बात करते हो, हमें पाठ पढ़ा रहे हो । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पाइंट आफ आर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लाइसेंस कौन देता है अफीम की खेती का केन्द्र सरकार देती है । हमें पाठ पढ़ा रहे हैं । किसानों के दुश्मन हो... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): खिलवाड़ कर रहे हैं किसानों के साथ । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पाइंट आफ आर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । भरत सिंहजी । मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं फिर आपका ध्यान, आप सुनेंगे (व्यवधान) पाइंट आफ आर्डर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 131 में, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में पाइंट आफ आर्डर के द्वारा...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के पूर्व मंत्री के पुत्र के कारखाने में नशीली गोलियां पकड़ी गईं। (व्यवधान) माननीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, यह कौन से मुंह से बात करते हैं ।

इन्हीं के मंत्री के पुत्र के कारखाने में नशीली गोलियां पकड़ी गयीं। आपके राज में यह हुआ और उसके ऊपर एफ.आर. लगायी गयी। उनको आप बचाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सुनिये।

व्यवस्था का प्रश्न

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दिये वक्तव्य पर बहस नहीं हो सकती

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1981 में, 9.3.81 में जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी उस समय 'श्री परसराम मदेरणा, सदस्य विधान सभा ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि जो कॉल अटेंशन मोशन पर माननीय सदस्य, श्री घनश्याम तिवाड़ी ने रखा है वह रुल 131 के अन्तर्गत है और रुल 131 यह कहता है "Calling attention to matters of urgent public importance :- A member may, with the previous permission of the Speaker call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date."

फिर इसमें उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, आपने जो आज की तारीख निश्चित की थी, मिनिस्टर स्टेटमैंट देंगे, मिनिस्टर ने स्टेटमैंट दिया। रुल 131 में प्रावधान है कि यह स्टेटमैंट ब्रीफ होना चाहिए। उन्होंने स्टेटमैंट पूरा पढ़ दिया। पढ़ने के बाद में कुछ सप्लीमैंट्री पूछी गयी इसके बाद कृषि मंत्रीजी ने

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

इंटरविन किया और उन्होंने फिर कुछ पाइण्ट्स एड किये, फिर कुछ प्रश्न पूछे गये। फिर मुख्य मंत्रीजी ने इंटरविन किया। फिर इसके बाद ब्रीफ स्टेटमैंट देने वाले प्रभारी मंत्रीजी ने कुछ आंकड़े दिये, इन आंकड़ों के बाद फिर प्रश्न पूछे गये, फिर कृषि मंत्रीजी ने अभी कुछ स्पष्टीकरण दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर के जरिये मेरा निवेदन है कि रुल 131 पार्ट-2 यह कहता है कि ''There shall be no debate on such statement at the time it is made."

मैं ऐसा मानता हूं कि इस कॉल अटेंशन को लेकर राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में एक फुल-फ्लेश डिबेट चल रही है। यह डिबेट मेरा मानना है कि रुल 131 के अन्तर्गत ब्रीफ स्टेटमैंट मांगते हैं, वह मेम्बर कॉल अटेंशन करने के बाद एक-दो प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर इसकी अवहेलना की जाती है तो रुल 282 के अन्तर्गत क्लोजर मूव करता हूं। यह डिबेट आज के बिजनस के ऊपर नहीं है इसलिये क्लोजर मूव करता हूं कि इस डिबेट को समाप्त किया जाए।'

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ज्यादा डिबेट का स्कोप नहीं है। इसमें एक-आध प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि ज्यादा हो तो आप क्लोजर मूव कर सकते हैं और इसलिये इस बिजनस को यहीं समाप्त करके, इसमें बहुत ज्यादा लम्बा स्कोप नहीं है। कॉल अटेंशन के जरिये प्रश्न पूछ लिये गये, सारा जवाब आ गया, जो कुछ कहना था, कह दिया। अब इसका ज्यादा स्कोप नहीं है और इसलिये अब मैं समझता हूं कि सदन को अधिकार अपने हाथ में ले लेना, यह अपनी परम्परा नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये, मैं उनको अलाऊ कर रहा हूं एक बार। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पाइण्ट आफ आर्डर, जो माननीय मुख्य सचेतकजी ने उठाया है, यह ऐब-इनिशियो गलत है। इसलिये गलत है कि जीरो अवर में जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वगैरह उठाये जाते हैं तो आपकी स्वयं की व्यवस्था दी हुई है कि जीरो अवर में कोई भी...

श्री उपाध्यक्ष: यह जीरो अवर नहीं है। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है ना, बिजनस ऑफ हाउस से संबंधित है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं यह कह रहा हूं ना, यह जीरो अवर है या जीरो अवर नहीं है, यह बतायें पहले तो आप। यदि यह जीरो अवर है तो इसमें आपकी खुद की व्यवस्था दी हुई है आपकी (व्यवधान) कोई भी माननीय सदस्य जीरो अवर में पाइण्ट आफ आर्डर रेज नहीं कर सकता है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 1981 में जब आप मंत्री थे, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, 1981 में आप मंत्री थे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप विराजें, आप विराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उस समय का यह पाइण्ट आफ आर्डर था, अध्यक्षीय व्यवस्था है। क्या विराजें इसमें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप खड़े थे तो मैं बैठा हुआ था। मैं बोल लूं, उसके बाद बहस कर लें। आप विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप बुद्धिमान हैं, ऐसा बोलें जिसे लोग सुनें। आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि आप ऐसा बोलें जिससे लगे कि आप बोल रहे हैं, कल्ला साहब बोल रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, अभी कालिंग अटेंशन मोशन के बारे में जो उन्होंने अध्यक्षीय व्यवस्था सुनायी है, वह व्यवस्था एक अलग प्रकार की है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह पाइण्ट आफ आर्डर रेज नहीं कर सकते हैं। इसलिये इसको तो आप निरस्त करें। जहां तक सवाल है कि हम स्वयं ने इसके बारे में आपको लिखकर दिया है, कॉलिंग अटेंशन मोशन पर हमारे हस्ताक्षर हैं, हमको ही प्रश्न पूछने का मौका नहीं दे रहे हैं आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सबको नहीं होता है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमको मौका दें। जिन्होंने कोई हस्ताक्षर नहीं किये, वे बोल रहे हैं, इस हाउस को आर्डर में रखें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: समय तो दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप कृपा करके हमको मौका दें ताकि हम अपनी बात कह सकें।

श्री उपाध्यक्ष: आप स्पष्टीकरण कोई चाहते हैं तो मैं परमिशन दे दूंगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, मैं चाहता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): स्पष्टीकरण चाहते हैं न, आप मौका तो दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हो गयी, बहुत हो गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह अफीम की खेती बंद कराना चाहते हैं, यह किसानों के साथ कुठाराघात है। इन्होंने अपनी बात कह दी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना कि जीरो अवर चल रहा है, पहली बात तो ज्यों ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले लिया, त्यों ही जीरो अवर समाप्त हो जाता है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): नहीं, आपके कहने से, जीरो अवर खतम करेंगे उस समय होगा, आप तो जीरो अवर समाप्त नहीं कर सकते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ज्यों ही बिजनस चालू होता है, आपने तो केवल प्रशासन को गलतफहमी में रखा है, यह विधान सभा है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आप यह व्यवस्था दे दें कि जीरो अवर में पाइण्ट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता है। (व्यवधान) लेकिन आप यह व्यवस्था दे दें। हम जब पाइण्ट आफ आर्डर उठाते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं उठा सकते हैं और इनको इजाजत है। इसलिये आप इसके ऊपर फैसला करें। एक फैसला करें। अगर जीरो अवर में पाण्इट आफ आर्डर उठाया जा सकता है, इनको अलाऊ करें। या इनकी बात को एक्सपंज कराएं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, यह विधान सभा है, यह इससे नहीं होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले डेढ घण्टे से इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। इसका स्कोप सिर्फ इतना ही था कि इनका कहना यह था कि अफीम की खेती बंद करें। मंत्रीजी ने उत्तर दे दिया, अफीम की खेती भारत सरकार जो लाइसेंस देती है उसके अनुसार होगी, नियमानुसार होगी। बात खतम हुई। अब ये और क्या चाहते हैं।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): अफीम की तस्करी रोको। (व्यवधान) पहले तस्करी रोको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): मादक पदार्थों की तस्करी रोकने की बात करो। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बताया कि वहां चीरा लगाते हैं, आदमी आते हैं तो फिर यह पश्चिमी राजस्थान..(व्यवधान) सुनिये, मेरी बात सुन लीजिये। यह पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जो अफीम हो रही है वह कहां से आ रही है? चीरा रोज लगता है तो कफर यह कहां से आ रही है, तगारामजी को पूछो, जोगारामजी को पूछो। इनके अफीम कहां से आ रही है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): रोज चोरी होती है। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने मेरी बात शुरू की थी, मैंने शुरू में ही यह कहा था कि अफीम की खेती किसानों के लिये ज्यादा लाभदायक है। (व्यवधान) मेरी मूल भावना जो इसमें है, मैं इसको आपको पढ़कर सुना देता हूं, पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप बात बदल रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह लिखित में दिया है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): यह अफीम की खेती होती है, यह अफीम की खेती बंद करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अफीम की खेती नियमानुसार राजस्थान में हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह लिखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मैं एक बात... (व्यवधान)

श्री भरत सिंह (दीगोद): प्रश्न इसकी मूल भावना से है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मूल भावना लिखी हुई है। प्रदेश में अफीम की खेती को पूर्ण बंद करने के सम्बन्ध में। (व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह (दीगोद): मैं पढ़कर सुनाता हूं। झालावाड़ जिला ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पढ़कर सुना रहा हूं। आपकी अनुमति से पढ़कर सुना रहा हूं। प्रदेश में अफीम की खेती को पूर्णतया बंद करने.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अफीम की खेती बंद करना चाहते हैं। ये किसानों के दुश्मन हैं। ये अफीम की खेती बंद करवाना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): तस्करी को रोकिये। यह तस्करी को रोकिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद): भवानी मण्डी नगर पालिका के अध्यक्ष के घर से पुलिस ने छापा मारकर उनके पुत्र को गिरफ्तार किया। पहले भी अनेक नेताओं पर अफीम तस्करी में लिप्त होने पर अंगुली उठती रही है तथा पुलिस व नारकोटिक्स विभाग प्रभावशाली लोगों की गतिविधियों को नजरअंदाज कर देता है जिसके कारण से... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप क्या प्रस्ताव पढ़ रहे हैं?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): प्रदेश में मादक तस्करी बंद करिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं, नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रदेश में अफीम की खेती को बंद करने ....यह प्रस्ताव है इनका।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अफीम की खेती बंद करेंगे। (व्यवधान) काश्तकारों के ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हो, काश्तकारों के ऊपर। (व्यवधान) काश्तकारों की खेती बंद करने की बात कर रहे हो, काश्तकारों के हिमायती बन रहे हो। अफीम की खेती को बंद करने के लिये प्रस्ताव आया है, लिखित में है। (व्यवधान) चित्तौड़ में जाना बंद कर देंगे वे। चित्तौड़ जिले में आपका जाना बंद रहेगा। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह (दीगोद): सरकार की अफीम की तस्करी रोकने की क्या योजना है, वह तो बताएं, मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, माननीय सदस्य।

श्री भरत सिंह (दीगोद): पूरे प्रदेश में, अपराध सबसे आगे हैं राजस्थान में, राजस्थान सरकार की क्या योजना है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अफीम की खेती बंद नहीं होनी चाहिए। प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि राजस्थान में अफीम की खेती बंद हो, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): तस्करों को, हम चाहते हैं तस्करों को प्रोटेक्शन नहीं दे सरकार। यह हमारी मांग है। हम यह आरोप लगाना चाहते हैं

(डा. सी. पी. जोशी)

कि सरकार तस्करों को प्रोटेक्ट कर रही है। रोकिये आप उनको। हमारा आरोप है इस सरकार पर, तस्करों को प्रोटेक्शन दे रही है, रोकिये इसको। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह (दीगोद): जो अपराध में लिप्त हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, उन लोगों को गिरफ्तार करिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, यह कोई रिकार्ड पर नहीं जाएगी, यह बात आपकी। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके प्रस्ताव के अन्दर भी यह था। यही आपने (व्यवधान) सुनिये आप, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यह लिखा है कि युवा पीढ़ी... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके प्रस्ताव के अन्दर भी यही था और यही आपने, सुनिये आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लिखा है ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, सुनिये आप। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये आप। पढ़ दिया, बात सुनिये। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: पहले सुनिये तो सही। ... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री भरत सिंह (दीगोद): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री भरत सिंह (दीगोद): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कल्लाजी, बात सुनिये पहले मेरी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, एक बार स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय कल्लाजी। पहले मैं निवेदन कर दूं आपको। पहले निवेदन कर दूं। माननीय सदस्य, मैं एक बार फिर यह जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश हुआ है और उसके ऊपर, युवा पीढ़ी को बरबाद होने से बचाने हेतु प्रदेश में अफीम की खेती पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है अतः इस संबंध में राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से पहल करने की आवश्यकता होगी, इस पर आप ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपने पूछ लिया और मंत्रीजी ने कह दिया ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री भरत सिंह (दीगोद): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री उपाध्यक्ष: क्या पढ़ूं? चर्चा इस पर नहीं हो सकती। माननीय सदस्य, विराजिये आप। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री भरत सिंह (दीगोद): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री भरत सिंह (दीगोद): ×××

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, मैं आपका ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री भरत सिंह (दीगोद): ×××

श्री उपाध्यक्षः नहीं, पूरा पढ़ने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय सदस्य, पूरा पढ़ने के बाद चाहते क्या हैं?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपकी मंशा यह है कि खेती बंद हो जानी चाहिए ... (व्यवधान) पूरा पढ़ने के बाद, पढ़ देंगे ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री उपाध्यक्षः आपका प्रस्ताव है। आपका प्रस्ताव रखा हुआ है ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव है यहां पर ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री भरत सिंह (दीगोद): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय । आप पहले जवाब सुनिये। जवाब सुनिये पहले। पहले जवाब सुनिये। नहीं अब सुनिये। ... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान) आप बैठिये, दो मिनट में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि ... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, तो क्या कोई छुट्टी दे रखी है क्या? छुट्टी दे रखी है क्या सरकार ने कोई? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आता होगा, आता होगा तो। पकड़ सकते हैं लोग। आता है तो लोग पकड़े भी जाते हैं, जेलों में भी जाते हैं ... (व्यवधान)

श्री भरत सिंह (दीगोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: ऐसा नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी चिन्ता, सारा सदन चिन्तित है। ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सारा सदन इसमें चिन्तित है। ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी मंशा आ गयी है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

(भारी शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : ×××

श्री भवानी सिंह राजावत: ×××

श्री अशोक खण्डार:×××

श्री सी. डी. देवल:×××

श्री हेमाराम चौधरी:×××

श्री लक्ष्मीनारायण दवे:×××

श्री संयम लोढ़ा:×××

श्री हेमाराम चौधरी:×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

मादक पदार्थों के बढ़ते अपराध के मद्देनजर प्रदेश में अफीम की खेती पर प्रतिबन्ध

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन के अंदर माननीय सदस्यों द्वारा चिन्ता व्यक्त की गयी और बार-बार यह कह रहे हैं कि अफीम की खेती को इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये कहा कि उसको बंद करो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा वर्ष 2004-05 में कुल कृषकों की संख्या 43,532 थी, जो 4353.72 हैक्टेयर क्षेत्र के अंदर अफीम की खेती करते थे। 2005-06 में केन्द्र सरकार ने इसको घटाकर जो क्षेत्रफल था 4353 से घटाकर 3491.58 हैक्टेयर कर दिया तो इस खेती को बढ़ाने का, घटाने का मैंने मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बताया था कि सारा का सारा क्षेत्राधिकार नारकोटिक्स विभाग, जिसे केन्द्र सरकार देखती है, उसके क्षेत्राधिकार में यह बात आती है। अफीम की कितनी पैदावार करनी है, वह खपत के अनुसार मैं मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बता चुका हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगा जब आप सामने विपक्ष में बैठे हैं, आपकी केन्द्र के अंदर सरकार है। आप इस क्षेत्रफल को घटा सकते हैं तो क्यों नहीं आप अपनी केन्द्र सरकार से अनुरोध करके इस खेती को भी बंद करवा दीजिये। हमारी क्या जरूरत है?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप प्रस्ताव रखिये, हम करवायेंगे। रखिये, प्रस्ताव लाइये। इतनी हिम्मत है तो प्रस्ताव लाइये। शेम करने से क्या

(डा. सी. पी. जोशी)

होता है? रखिये प्रस्ताव। प्रस्ताव रखिये यहां पर। शेम बोल रहे हैं, प्रस्ताव लाइये। खाली भाषण देने से काम चलता है क्या? भाषण दे रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): राजस्थान सरकार तो प्रस्ताव ले आये। आप तो करने की मंशा स्पष्ट कर दें। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): आपको लाना चाहिये था और आप बार-बार यह कह रहे हैं कि पुलिस उससे मिली हुई है। हमारे आबकारी विभाग के अंदर ई.पी.एफ. फोर्स का जो गठन आबकारी नीति के तहत किया गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा आप बार-बार झालावाड़ की बात कर रहे हैं। झालावाड़ के अंदर, अकेले झालावाड़ में 79 केसेज दर्ज किये गये और उसके अंदर 123 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): और बारां के अंदर 106 प्रकरण दर्ज हुए उसके अन्तर्गत 171 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार से कोटा ग्रामीण के अंदर 22 प्रकरण दर्ज किये गये उनमें 34 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर में 43 प्रकरण दर्ज किये गये, 80 मुलजिमों को वहां गिरफ्तार किया गया, चित्तौड़ के अंदर 106 प्रकरण दर्ज हुए, उसके अंदर 134 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। (व्यवधान) इस प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं, पहले जवाब सुन लें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब ही नहीं सुनना चाहते।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): ×××

परिनियत संकल्प

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2006

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006, श्री रामनारायण मीणा। श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2005 पर परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा परिनियत संकल्प, जो पेश किया है, यह सदन महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 को प्रख्यापित राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2005 (2006 का अध्यादेश संख्या-1) को अस्वीकार करता है।

(समय : 15.17 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी इस बात को जानते हैं कि विधान सभा का फोरमेशन जिस कानून के तहत हुआ है, प्रजातंत्र में उसकी भावना की कद्र करनी चाहिये। (व्यवधान) कौन पैदा हो गया ये, जानता हूं मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भावना है प्रजातंत्र की, उस भावना की कद्र हमको करनी पड़ेगी। आप दिसम्बर में इसको लाये। यह सही है अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो पार्टी आज शासन में है, उसके लिये कहा जाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास करती है। ठीक है, प्रजातंत्र में हमको ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिससे वोट प्रभावित करें तो मेरा अर्ज करना यह है कि अब जिस तरह का माहौल बन रहा है, एक लाइन बनती जा रही है सारी इंस्टीट्यूशंस को पूंजीवादियों को देना, सरकारी इंस्टीट्यूशंस में मास्टरों का नहीं रहना, बिल्डिंगों का नहीं रहना। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से अर्ज करना चाहूंगा बहुत-से कालेजेज ऐसे खुले हैं, मैंने देखा है, मैं आपको बिल्डिंग बता सकता हूं शिक्षा मंत्रीजी, और वह आप कर सकते हो। आपकी क्षमता पर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। कालेज खुल गया,

(श्री रामनारायण मीणा)

दस लड़के नहीं पढ़ते हैं और कालेज का ठप्पा लगाकर उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इसलिए आपकी भावना इसमें क्या है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं संक्षेप में यह अर्ज करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी से कि कृपा करके आपकी जो भावना है वह कांस्टीट्यूशन के मुताबिक रहनी चाहिये और जो आप इसको लाये हो, लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप विधान सभा के माध्यम से लाते, या कुछ करना था, वह करते। अब एक तो इसकी भावना आप पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ इसको खिसकाओगे नहीं, जो इसमें मैंने पढ़ा है, उसमें मैंने देखा है, आप इस आधार पर विधेयक ला रहे हो। अध्यादेश की जो भावना है उसी के मुताबिक आप विधेयक ला रहे हो तो अध्यादेश भी उसी भावना के अनुरूप नहीं है जो भावना राजस्थान के प्रजातंत्र में सभी को मिलाकर जो वाली भावना है, जिसके तहत चल रहा है आप साइड वाइज इसको कर रहे हैं इसलिए मेरा आपसे अर्ज करना है कि यह सही परिस्थितियों में नहीं लाया गया, सही भावना से नहीं लाया गया, सरकार की भावना शुद्ध नहीं थी इसलिए कृपा करके इसको अस्वीकार किया जायेगा सदन के द्वारा तो ठीक रहेगा इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2005 है इसको अस्वीकार किया जाए। मैं यही विनती इस सदन से आपके माध्यम से करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के आर्टिकल 213 के अन्तर्गत परिनियत संकल्प माननीय उप नेता, रामनारायणजी ने प्रस्तुत किया है, में आपसे आग्रह करूंगा, सदन से आग्रह करूंगा कि इसको निरस्त किया जाए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कारण बताएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): कारण क्या हैं, बाकी बाद में कर लेंगे बहस।

अध्यादेश जारी होने के साथ ही यह दो-तीन कारण थे जिसके कारण से लाना पडा और वो कारण तो मैं बाद में जब उस पर बहस होगी तब बता दूंगा। (व्यवधान) बता दूंगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इसमें क्या बात है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अभी बता देता हूं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पहली बात तो यह है कि यह पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं समाजवादी व्यवस्था में है, सरकारी विश्वविद्यालय है और आपके कोटा में ही व्यवस्थित किया है इसलिए मुझे आपसे आशा थी कि कोटा में जो एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है उसका आप कम से कम विरोध नहीं करेंगे, एक।

दूसरा, इसके लिए भवन के निर्माण के हेतु भूमि चिह्नित की जा चुकी है और इसके जारी करने के बाद में 12 पदों का सृजन कर दिया गया है और 2005 और 2006 में डेढ़ करोड़ रुपये का बजट आबंटन कर दिया गया है और कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 16.02.06 को और कुल सचिव द्वारा 01.03.06 को तथा विधि अधिकारी द्वारा 06.03.06 को कार्य ग्रहण कर लिया गया है। विश्वविद्यालय के भावी स्वरूप के निर्माण हेतु तीन विशेषज्ञों की समिति बना दी गयी है। इस समिति में प्रोफेसर रामाराव हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टैडीज, बैंगलोर हैं, प्रोफेसर बी.के. जोशी हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टैडीज, बैंगलोर हैं, प्रोफेसर बलबीरा रेड्डी हैं जो कुलपति, विश्वेसरिया टैक्निकल यूनिवर्सिटी, कर्नाटक हैं, यह तीनों मिलकर इसके स्वरूप का वो करेंगे और चूंकि हमारे पास इतने ज्यादा, अब 146 तकनीकी संस्थान हो गये हैं और भिन्न-भिन्न स्थानों पर जो अलग-अलग अपने विश्वविद्यालय हैं उनमें परीक्षा के कारण से एकरूपता नहीं थी इसलिए टैक्निकल यूनिवर्सिटी जल्दी बन जाने से ए.आई.सी.टी.ई. से मान्यता लेंगे और परीक्षा अगली बार से करने लग जाए, इस व्यवस्था के लिए और चूंकि बजट का आबंटन करना था और आपके कोटा के लिए करना था इसलिए इसको अध्यादेश के द्वारा हम लाये हैं और वैसे मैं इस बात से सहमत हूं जहां तक संभावना हो राज्य सरकारों को या केन्द्र सरकार को अध्यादेश का माध्यम ना अपना कर बिल का माध्यम ही अपनाना चाहिए। यह प्रजातांत्रिक सिद्धांत भी है, पार्लियामैंट्री डेमोक्रेसी का प्रमुख अंग भी है और इसको हम स्वीकार भी करते हैं लेकिन यहां इस प्रकार की परिस्थितियां थीं जिसके कारण से अध्यादेश लाना पडा। उसके कारण मैंने आपको बताये।

अत:, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि परिनियत संकल्प को निरस्त किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 को प्रख्यापित राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय

अध्यादेश, 2005, (2006 का अध्यादेश संख्या-1) को अस्वीकार करने का जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

मंत्रीजी, अब आप विचारार्थ करें।

विधेयक पर विचार

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का सोच वैसे तो स्वागत योग्य है लेकिन यह विधेयक जिन प्रावधानों के साथ लाया गया और सरकार ने जिस तरह का सोच बजट प्रावधान के माध्यम से दिया है उससे यह नहीं लगता कि यह तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक राजस्थान में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता की बढ़ोतरी में किसी तरह का सहायक साबित होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मात्र डेढ़ करोड़ रुपये का बजट प्रावधान लेकर के सरकार तकनीकी विश्वविद्यालय जैसा संस्थान चालू करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष: 185 है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अभी-अभी मंत्रीजी ने डेढ़ करोड़ रुपये कहा है। मैं करेक्ट कर लेता हूं।

एक डिग्री कॉलेज भी, अगर साधारण सा इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोलना है तो कम से कम तीन करोड़ रुपये का इनीशियल एस्टेब्लिशमैंट का खर्चा होता है जब यह ढंग का इन्जीनियरिंग कॉलेज चल पाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एक्ट पर यह सरकार लेकर के आयी थी और तब जब चर्चा हुई थी और छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले के सन्दर्भ में जब चर्चा हुई थी तब इन सब बातों का जिक्र किया गया था कि एक स्तर का प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमैंट

(श्री संयम लोढ़ा)
किस रूप में होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। आज यह तकनीकी विश्वविद्यालय आप खोलने जा रहे हैं पर उन तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए वह सोच सरकार के पास नहीं है। मात्र 12 व्यक्तियों का चयन आपने किया है और आप एक यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं।

राजस्थान में निजी क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा के दरवाजे खोलने का काम बहुत पहले शुरू होना चाहिए था। इस लिहाज से हम बहुत पिछड़ गये। 90 दशक में जो काम होना चाहिए हमने नहीं किया। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश सारे स्टेट उस 90 दशक में निजी क्षेत्र में प्रवेश कर गये और वहां उनके उस वक्त शुरू किये गये संस्थानों ने एक प्रतिष्ठा अर्जित की और आज राजस्थान में 46 इन्जीनियरिंग कॉलेज होने के बाद भी राजस्थान का बच्चा और राजस्थान का अभिभावक वहां के कॉलेजों को अपनी प्राथमिकता देता है और अपने बच्चों को आज भी वहां पढ़ाने के लिए भेज रहा है और उसका कारण क्या है कि राजस्थान में निजी क्षेत्र के कुकुरमुत्तों की तरह यह कॉलेज तो उभर कर आ गये, चाहे वह एम.बी.ए. का कॉलेज हो, चाहे इन्जीनियरिंग कॉलेज हो, आर.पी.ई.टी. के टैस्ट में 17 परसेंट मार्क्स लाने वाले बच्चे को भी इन्जीनियरिंग के अन्दर प्रवेश मिला है और बाद में तो इतनी सीटें खाली बच गयीं कि जिन्होंने प्रवेश में परीक्षा नहीं दी उनको भी इन्जीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन देना, राजस्थान के इन्जीनियरिंग कॉलेज के यह हालात बने हुए हैं।

जरूरत इस बात की है कि कम से कम इस बात की तो हम व्यवस्था करें, इस बात का तो प्रयास करें कि उन इन्जीनियरिंग कॉलेज में राजस्थान के उन प्राइवेट में पढ़ने वाले उस नव-युवक को 8-10 हजार रुपये की नौकरी तो मिल जाए। आज हालात ऐसे बने हुए हैं उन निजी क्षेत्र के माध्यमों की इतनी प्रतिष्ठा भी नहीं बन सकी है कि एक नौजवान अपने परिवार के गुजारे के लायक आजीविका प्राप्त कर सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक में जो यह सेक्शन-14 के अन्दर कुल सचिव के सम्बन्ध में जो प्रावधान दिया है- 'इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुल-सचिव राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान राज्य की सेवाओं के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।' क्या होगा इस विश्वविद्यालय की स्वायतता का? आप दूसरे

(श्री संयम लोढ़ा)

यूनिवर्सिटी के एक्ट उठा कर देख लो। कुल-सचिव का पद एक चयनित पद के रूप में रखा गया है और इसलिए रखा गया है कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बनी रहे और विश्वविद्यालय का भी मैं आपको सन्दर्भ देना चाहता हूं। आज तो आपने यह सारी यूनिवर्सिटी में व्यवस्था कर दी है कि आप कुल-सचिव के पद पर राजस्थान सरकार के अधिकारी को भेज रहे हैं लेकिन यह एक्ट में प्रावधान नहीं था और राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर जब शुरूआत के अन्दर यह अधिकारी को लगाने का प्रयास किया गया था तब हाई कोर्ट तक में लोग गये और हाई कोर्ट से स्टे लेकर के भी आये और आपने स्थायी रूप से यह जो व्यवस्था की है कुल-सचिव के पद पर अधिकारी को लगाने की यह व्यवस्था बहुत गलत है इसमें आपको चयनित पद की व्यवस्था, जो यथावत विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बनाये रखने के लिए रखी गयी है दूसरी यूनिवर्सिटीज के अन्दर वही रखनी चाहिए। अगर किसी कारण से चयनित पद पर इसकी व्यवस्था नहीं हो सके तब यह इस बात की व्यवस्था की जा सकती है कि सरकार का अधिकारी इस पद पर भेजा जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधेयक के सैक्शन 22 के 'घ' की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं- '(घ) निर्वाचित सदस्य:- विश्वविद्यालय के और उसके घटक महाविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा अपने में से तीन वर्ष के लिए निर्वाचित किये जाने वाले, विश्वविद्यालय आचार्यों, संकायाध्यक्षों, घटक महाविद्यालयों के निदेशकों से भिन्न, विश्वविद्यालय या उसके घटक महाविद्यालयों के दो अध्यापक, जिन्हें जिस वर्ष में निर्वाचन करवाये जाते हैं, उसके ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की एक जनवरी को राजस्थान में उच्चतर शिक्षा की किसी भी संस्था में अध्यापन का सात वर्ष से अन्यून का अनुभव हो।'

अब इसमें आपने इस पूरे के अन्दर स्टुडेंट्स के रिप्रजेंटेशन का प्रावधान क्यों नहीं रखा? चूंकि आपने स्टूडेंट्स के रिप्रजेंटेशन का प्रावधान नहीं रखा है इसलिए सरकार को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि इस विधेयक के अन्दर स्टूडेंट्स के रिप्रजेंटेशन की भी वो व्यवस्था करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विधेयक के सेक्शन-26 में संकायों की संरचना और कृत्यों के संबंध में जो प्रावधान किया है इसके मैं सब सेक्शन-4 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें आपने दिया है सम्बद्ध महाविद्यालयों से राज्य सरकार

(श्री संयम लोढ़ा)

द्वारा नाम निर्देशित, एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्राचार्य और संकाय के प्रत्येक विषय में एक स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष, अब यह राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित की क्या आवश्यकता थी ? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सम्बद्ध महाविद्यालयों की अपनी समस्याएं होती हैं, अपनी कठिनाइयां होती हैं इसलिए यह नाम तय करने का अवसर राजस्थान सरकार को सम्बद्ध महाविद्यालयों को देना चाहिए जिससे उनकी जो कठिनाइयां, उनकी समस्याएं हैं उनके सम्बन्ध में वह अपनी बात रख सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सेक्शन-29 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो सदस्यता सम्बन्धी अनुपूरक उपबंध के सम्बन्ध में है। इस प्रावधान की क्या आवश्यकता है? इस प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है यह अनावश्यक रूप से बिल्कुल रखा गया है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको हटा दिया जाना चाहिए।

अब आखिर में मैं एक और प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सेक्शन-33 विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी इसके सब सेक्शन-2 में आपने प्रावधान दिया है परिनियमों द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किये जायेंगे, इसकी क्या आवश्यकता है, लिखित संविदा की क्या आवश्यकता है और यह प्रावधान रखने के पीछे सरकार की क्या मंशा है ? जब सारे टीचर्स का सलेक्शन चाहे वह प्रोफेसर हों, एसोसिएट प्रोफेसर हों उसके निर्धारित मानदण्ड हैं । इसका मतलब यह कि कान्ट्रेक्ट बेसिस पर आप इस प्रावधान को रखना चाहते हो और शिक्षकों के शोषण की व्यवस्था को इसमें चालू रखना चाहते हो । एक सेक्शन-12 के सब सेक्शन-8 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य इसमें आपने प्रावधान दिया है पूर्वोक्त के अध्यधीन रहते हुए कुलपति विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन और पदच्युति संबंधी बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करेंगे। माननीय मंत्रीजी यह काम कुल सचिव का है और यह वाइस चांसलर का काम नहीं है कि वह नियुक्ति, निलम्बन और पदच्युति के संबंध में आदेश जारी करें । इस काम के लिए विश्वविद्यालय के अन्दर कुल सचिव की व्यवस्था की गई है ।

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि यह कई प्रावधान ऐसे हैं इस विधेयक के अन्दर जो

(श्री संयम लोढ़ा)

विसंगतिपूर्ण हैं और सरकार को जिस तरीके से राजस्थान की मुख्य मंत्री ने अपना सोच प्रकट किया था दाबोस के माध्यम से कि वह राजस्थान को एक नई आर्थिक दुनिया में ले जाना चाहती हैं तो आप यह तकनीकी विश्वविद्यालय जो बनाना चाहते हैं देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में इसको स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार के खजाने से खुले दिल से पैसा निकालो और उसकी व्यवस्था करो जिससे यह इन्स्टीट्यूट हिन्दुस्तान का नहीं दुनिया का एक आदर्श इन्स्टीट्यूट बन सके और चूंकि आपका इरादा, आपकी मंशा, सरकार की सोच और सरकार की इच्छाशक्ति कमजोर नजर आती है और जो प्रावधान विसंगतिपूर्ण आपने विधेयक में सम्मिलित किए हैं इसलिए आवश्यकता है कि इसमें राजस्थान की जनता की राय जानी जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए आपके माध्यम से इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री सी. पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार को तो इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में सोचा और टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान स्टेटमैंट आफ आब्जेक्ट एण्ड रीजन्स जो एक्ट थे उन्हीं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं आपने लिखा

‘‘Massive private investment in Technical Education Sector has resulted in establishment of a large number of technical institutions in last 7-8 years in the State. Presently 46 Engineering College, 40 institutions conducting MBA programme, 23 institutions conducting MCA programme, 35 institutions conducting B. Pharmacy and D. Pharmacy courses and one institution conducting B. Arch. Programme are affiliated to general Universities of the State and have obtained the approval of All India Council for Technical Education. It has been experienced that general Universities are not able to provide adequate attention to these technical courses for improving academic standard and are not equipped with machinery to regulate academic activities and monitor the maintenance of prescribed norms in such technical institutions.”

एक तो आपने आब्जेक्टिव एक आधार यह बनाया कि जो

(डा. सी. पी. जोशी)

यूनिवर्सिटीज हैं वह टेक्निकल यूनिवर्सिटीज की, टेक्निकल कोर्सेज की इन नीड्स को कैटर करने में असफल रहे । दूसरा आपने लिखा माननीय अध्यक्ष महोदय,

"The ongoing economic reforms and industrial globalization has created enormous opportunities of gainful employment for technically trained manpower having skills of global standards."

आपने यह लिखा है कि ग्लोबल स्टैण्डर्ड की स्किल हो, उन लोगों को रोजगार मिल सकेगा यह संभावना है

"....It has become imperative to ensure coordinated expansion of technical education as well as providing high quality education in technical institutions by promoting research and updating the curriculum as per contemporary needs."

तीसरा लिखा है माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे

"Therefore, the State Government had decided to establish the Rajasthan Technical University for achieving excellence in Technical Education and to meet the needs of the students under the ever changing, the words I am putting 'every putting', academic and global industrial scenario, and to promote research facilities in technical institutions."

माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्निकल जो नालेज में एक्सपांशन हुआ है उस टेक्निकल नालेज में एक्सपांशन करिकुलम एकेडेमिक यूनिवर्सिटी का बीस पच्चीस साल तक नहीं बदले तो भी बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है । आज एम.ए. की डिग्री हिन्दी पालीटिकल साइंस, फिलोसोफी उसके करिकुलम को उठाकर देख लें वह पन्द्रह, बीस, पच्चीस साल से जो करिकुलम था उस करिकुलम को कमेटी आफ कोर्सेज, बोर्ड आफ स्टेट्यूटरी जिसने भी पास किया उसमें कोई मेजर चेन्जेज नहीं आए पर टेक्निकल एजूकेशन में आज इनोवेशन इतने तेज गति से हो रहे हैं कि यदि अपडेट नालेज और अपडेट करिकुलम आपने नहीं किया तो छात्र पिछड़ जाता है । अस्सी के दशक में यह सारा हिन्दुस्तान में शुरू हो गया था टेक्निकल एजूकेशन का कान्सेप्ट। जब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तीस-तीस हजार लड़के टेक्निकल एजूकेशन लेकर निकल रहे थे तब राजस्थान में करीब चार-पाँच हजार आदमी हम टेक्निकल एजूकेशन में निकाल पा रहे थे । राजस्थान सरकार की फाइनेंशल स्थिति इस प्रकार की नहीं थी और आज जितनी संस्थाओं का मैंने आपको

(डा. सी. पी. जोशी)

बताया कि आज 46 इंजीनियरिंग कालेज या जितने भी हैं टेक्निकल कालेज उन टेक्निकल कालेज को एस्टेब्लिश करने में गवर्नमैंट की भूमिका गौण है। यह सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो भी लगे हैं, आए हैं यहां पर वह प्राइवेट एंटरप्रिन्योर के कारण आए हैं

The word I am using 'private entrepreneurs'. I am not using the Academicians. I am using the 'private entrepreneurs'.

जिन लोगों को एंटरप्रिन्युअल एक्टिविटीज करनी थीं, जिनको यह समझ में आ गया था कि सर्विस सैक्टर में आने वाले समय में धन कमाने का माध्यम हो सकता है, ऐसे लोगों ने जो क्वालिफाइड नहीं हैं They are not qualified. They don't have technical degree. उन्होंने इंजीनियरिंग कालेज एस्टेब्लिश किये, उन्होंने बी फार्मा कालेज एस्टेब्लिश किये, एम.बी.ए. कोर्सेज किए तो यह वह लोग हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने इंस्टीट्यूशन कोई एकेडेमिक एक्सीलैंस को बढ़ाने के लिए एस्टेब्लिश नहीं किए हैं, यह वह लोग हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए थे पैसा कमाने के लिए, प्रोफिट करने के लिए Because they are the entrepreneurs. उनको समझ में आ गया था कि आने वाला युग सर्विस सैक्टर का होगा, सर्विस सैक्टर में किस तरह की व्यवस्था होगी, कैसे हम करेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे जिस तरह का फी स्ट्रक्चर है उस फी स्ट्रक्चर के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने इंजीनियरिंग कालेज और जितने प्राइवेट कालेज आए हैं, उन प्राइवेट कालेज में उस एंटरप्रिन्योर ने केवल मात्र एक काम किया है ए.आई.सी.टी.ई से परमिशन ली है जमीन सरकार से ली है, लोगों से पैसा लिया है। खुद की पूंजी नहीं लगायी है और एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन खाली खड़ी कर दी । आज सारी एकेडेमिक एक्सीलेंस की जो हम बात कर रहे हैं, वह एकेडेमिक एक्सीलेंस के साथ कम्प्रोमाइज है । मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी बताएं कि आज कितने इंजीनियरिंग कालेज हैं जिनमें प्रोफेसर हैं, आज कितने इंजीनियरिंग कालेज हैं जहां रीडर हैं ? जितनी नयी विधाएं आ गयी हैं टैक्नोलोजी में, उतनी नयी विधाओं के काम्पीटेण्ट टीचर जिनका आपने प्रोविजन किया फैकल्टी के अन्दर, आठ साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसे आदमी को एकेडेमिक कौंसिल में लेंगे, ऐसे आदमी को फैकल्टी में लेंगे ।

(डा. सी. पी. जोशी)

मैं आपसे विनम्र शब्दों में, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, कहना चाहता हूं, राजस्थान में आप इंजीनियरिंग कालेज कोटा जो सरकार का निकालते हैं, जोधपुर का निकालते हैं, एम.आर.ई.सी. तो आपके हाथ में नहीं रहा । जितने कालेज मैंने बताये इनके अलावा एक भी ये 46 जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आज के दिन 75 प्रतिशत पोस्ट जो प्रोफेसर की हैं, जो रीडर की हैं वे रिटायर्ड आदमियों से भरी हुई हैं । वे आदमी आज की डेट में आपकी ए.आई.सी.टी.ई. के नार्म्स के अन्दर क्वालिफाइड नहीं हैं । लेकिन क्योंकि एकेडेमिक एंटरप्रिन्योर्स ने अपने यहां कालेज खुलवा दिया, हमने परमिशन दे दी, फैकल्टी में अब रिक्रूटमैंट हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारा राइडर है या नहीं है हमने वहां इंजीनियरिंग कालेज की एजूकेशन के संबंध में बात कर दी।

हमने यहां पर बड़ा लिखा कि क्वालिटी आफ एजूकेशन को मेन्टेन करेंगे, ग्लोबली यह चीजें हो रही हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि यह जो यूनिवर्सिटी बनाई है यह जो एक्ट आप ला रहे हैं इस एक्ट में माननीय मंत्रीजी यह बताएं कि यह एक्ट प्रोग्रेसिव है या एक्ट रिग्रेसिव है ? मैं आरोप लगाना चाहता हूं 'वर्ड' आरोप यह जो आप विश्वविद्यालय का बिल लाए यह 'प्रोग्रेसिव' नहीं है। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं मैं उदाहरण देकर बताऊंगा आपको इसमें आपने ऐसे क्लाज बनाये हैं जहां स्टेट गवर्नमैंट का टोटल इंटरफियरेंस है। स्वायत्ता खतम कर दी आपने, स्वायत्ता के नाम पर आपने सारी चीजें स्टेट गवर्नमैंट की ले लीं । स्टेट गवर्नमैंट वहां इंस्पेक्शन करवा सकती है। स्टेट गवर्नमैंट इंस्पेक्शन करके डाइरेक्शन देगी। उस डायरेक्शन को मानना विश्वविद्यालय के लिये मजबूरी होगी। 50 साल के बाद भी आज भी स्टेट गवर्नमेंट अपना शिकंजा कसना चाहती है विश्वविद्यालय के ऊपर और चाहती है कि एक्सीलेंस ग्लोबलाइजेशन के आधार पर हो। यह हमारा सोच नेगेटिव सोच है। यह हमारा सोच पिछला सोच है। यह आने वाला सोच नहीं है। आने वाले सोच, हम उदाहरण देना चाहते हैं इसलिये हमारी सरकार ने लॉ यूनिवर्सिटी एस्टब्लिश की। मान्यवर, लॉ यूनिवर्सिटी जब जोधपुर में हमने एस्टब्लिश की तो हमने एक्सीलेंस, आज कल इस संस्था में एक्सीलेंस इंडिवीजुअल आदमी के पास होता है। मित्रा नाम का आदमी था जिसने बंगलोर में लॉ यूनिवर्सिटी एस्टब्लिश किया। उस आदमी को हमने जोधपुर में वाइस चांसलर बनाया। वहां पर सरकार का कोई नॉमिनी

(डा. सी. पी. जोशी)

नहीं है, चांसलर वहां पर चीफ जस्टिस हैं। हमने उस सरकार के एस्टब्लिशमैंट में कोई इंटरफियरेंस नहीं किया, फ्रीडम दी मिस्टर मित्रा को। आप फैकल्टी लाइये। जैसी चाहिये, फैकल्टी एस्टब्लिश करिये। आज लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान की हिन्दुस्तान की दो तीन यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें एक यूनिवर्सिटी है।

आज कल टैक्निकल यूनिवर्सिटी आपने एस्टब्लिश की तो मन में कल्पना थी कि यह सरकार जिसके मन में यह कल्पना है एक्सीलेंस की, वह ऐसे आदमी को लाकर एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी बनायेगी जिससे लोग कह सकें पीछे से हमने स्टार्ट किया लेकिन आने वाले वर्षों में राजस्थान भी टैक्निकल एजुकेशन में ऐसा मैन पावर और ऐसे स्टेंडर्ड के स्टूडेंट यहां पर निकल रहे हैं, जो हम दस साल पिछड़ गये, पन्द्रह साल पिछड़ गये, उसको हम कम्पनसेट कर पायेंगे। दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय, कि हम राजस्थान सरकार, जिसमें हमारी सरकार भी है, मैं यह कहूं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। सरकार फैसेलिटीटर बन गयी एंटरप्रिंयोर्स को कमाने के लिये, वर्ड यूज करना चाहता हूं मैं कि सरकारें फैसिलिटीटर बन गयी पैसा कमाने वालों को सहायता देने के लिये। यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी थी सोसायटी में एक्सीलेंस की एजुकेशन इम्पार्ट हो। क्या एक्सीलेंस की एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिये हमने इसमें कोई प्रोविजन रखा है ? हमने एक्सीलेंस करने के लिये नहीं रखा। हमने इसमें केवल मात्र स्पेस दे दी है कि कैसे वह आदमी इंजीनियरिंग कालेज खोल दे, ए.आई.सी.टी.ई से परमिशन ले ले। लड़कों की भर्ती कर दे। पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, आज क्वालिफाई टीचर हैं या नहीं हैं, उस पर हमने ध्यान देने की कोई व्यवस्था नहीं की। हमने क्वालिटी से कम्प्रोमाइज करने का काम किया और उस एंटरप्रिंयोर्स को, जो वर्ड मैंने यूज किया, उस एंटरप्रिंयोर्स को पैसा कमाने के लिये सरकार फैसेलिटीटर का काम कर रही है कि कैसे उन लोगों को मौका दे कि ज्यादा पैसा कमा सकें और सोसायटी को सब स्टेंडर्ड के इंजीनियर निकलें, सब स्टेंडर्ड के एम.बी.ए. निकले, सब स्टेंडर्ड के बी. फार्मा निकलें। 20-25 साल बाद हम यह कह सकें कि राजस्थान में एम.बी.ए. के इतने लड़के थे। इंजीनियरिंग के इतने लड़के थे लेकिन उनकी क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं रह पायी जितनी आज ग्लोबल यह

(डा. सी. पी. जोशी)

फैक्ट्रीज आ रही हैं, जितनी यह प्राइवेट एंटरप्राइजेज आ रहे हैं वहां राजस्थान का लड़का नहीं हो पायेगा।

आज अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे आउट-सोर्सिंग के लिये पता लगा लें आप। राजस्थान में हमने आउट सोर्सिंग प्रारम्भ की। आई.टी. के क्षेत्र में पता लगा लें हम कितने राजस्थान के निकले लड़के वहां बी.ई., आई.टी. लोग आउट सोर्सिंग में हैं ? मेरा आरोप है। अध्यक्ष महोदय, आरोप का मतलब मैं इंट्रोस्पेक्शन करना चाहता हूं। मेरे खुद का यह तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आज आउट सोर्सिंग में भी 100 में से 75 लड़के राजस्थान के बाहर के हैं, 25 लड़के राजस्थान के हैं। तो 75 लड़के जो बाहर के आकर यहां पर आउट सोर्सिंग में कर रहे हैं जब हमारा लड़का बाहर निकलेगा तब आउट सोर्सिंग का एक सोर्स हो जाएगा और यहां का लड़का डिग्री लेकर घूमेगा, अनएम्प्लायड रहेगा। आज से 15-20 साल पहले मैन पावर डिपार्टमैंट खोला था। आप याद करिये 20-25 साल पहले मैन पावर डिपार्टमैंट था। बी.ई. पास लड़का उसमें रजिस्ट्रेशन करवाता था उसको नौकरी नहीं मिलती थी तब तक मैन पावर से उसको पैसा मिलता था। क्या राजस्थान सरकार भी यह टेक्निकल एजुकेशन स्टार्ट करके आने वाले वर्षों में ऐसे मैन पावर को खड़ा करना चाहती है जिनको जॉब नहीं मिल सकती, जिनको और कोई काम नहीं मिल सके। मैन पावर में रजिस्ट्रेशन करके सरकार एक बेरोजगार की फौज खडी कर सके और वह हमको खड़े होकर कहे कि हम बी.ई. पास हैं, हमको रोजगार देने की व्यवस्था कीजिए। एक ओनस खड़ा हो जाएगा इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यदि इन विश्वविद्यालयों को बनाने का था तो सबसे पहले आप इसमें फ्लेक्सीबिलिटी रखें। उसमें फ्लेक्सीबिलिटी रखते रिक्रूटमैंट की। मुझे याद है कि हम छोटे थे, कॉलेज में हमने पढ़ना ही प्रारम्भ किया था । जब जोधपुर यूनिवर्सिटी को जोध साहब ने एस्टेब्लिश किया था, जोधपुर यूनिवर्सिटी में आज कुछ भी हुआ है, जोध साहब के कारण। वहां फैकल्टी को रिक्रूटमैंट करने का पूरा का पूरा अधिकार जोध साहब को था जो वाइस चांसलर थे इसलिए जोधपुर यूनिवर्सिटी एक्सीलेंट बनी। नामवर सिंह जैसे आदमी आये, जिससे जोधपुर यूनिवर्सिटी का एक नाम बना और जोधपुर यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश हो गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी इस तरह का अध्याय रहा है लेकिन आज हम टेक्निकल

(डा. सी. पी. जोशी)

एजुकेशन यूनिवर्सिटी यहां पर लगाना चाहते हैं, किस एक्सीलेंस के आदमी को हमने यहां पर आइडेंटिफाइड किया है? क्या राजस्थान में कोई आदमी एक्सीलेंस का बाहर है ही नहीं। आज मिस्टर मेहता हैं, बहुत बड़े केमेस्ट्री के आदमी हैं। दुनिया में उनका नाम है। मिस्टर गोरधनलाल मेहता राजस्थान के रहने वाले हैं। ऐसे आदमियों को हमने कोई आइडेंटिफाई किया है जिनको हम आइडेंटिफाई करके लेकर आते। आज आई.टी. में राजस्थान के बहुत से आदमी हैं, जिन्होंने अमरीका में एस्टेब्लिश किया है, नाम किया है। सिलिकन वैली में उन्होंने नाम किया। इनमें से किसी आदमी को लेकर आते। वाइस चांसलर बनाते। वह बनाकर नये करिकूलम लाता और करिकूलम को लाकर नये बच्चों को कहता कि आने वाले जमाने में यह करिकूलम है, इससे आगे बढ़ सकते हैं। हमने यह व्यवस्था नहीं की। हमने सारी व्यवस्था यह की कि रिक्रूटमैंट में 1974 का राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक्ट का क्या प्रोविजन है टीचर के अपाइंटमैंट का, इसी क्लॉज को हमने इसके अन्दर भी रख दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि जो कुछ हम नये विचारों की चीज करना चाहते हैं, विचार हमारा नया है, सोच हमारा नया है लेकिन हम ड्रेग कर रहे हैं। हमारा पिछड़ापन हम आगे जाने के बजाय पीछे बढ़ने का काम करना चाहते हैं। जो क्लॉज आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वह क्लॉज जिससे मेरी बात को आप जस्टिफाई कर पायेंगे कि ऐसे कौनसे क्लॉजेज हैं जिन क्लॉज में आप, अब आपने कितना अच्छा लिखा है। यूनिवर्सिटी को बनाने के समय तो टीचर के लिए कहना चाहता हूं, न आपने डिफाइन किया है, टीचर का, इसमें टीचर लिख दिया।

‘‘teacher” means a person appointed or recognized by the University for the purpose of imparting instruction or conducting and guiding research and includes a person who may be declared by the Statutes to be a teacher.”

यूनिवर्सिटी के सारे एक्ट में टीचर कौन होता है, उसकी परिभाषा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में देखिये पी.जी. पढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था है? कितने साल तक पढ़ाओगे जब पी.जी. के लिए एलीजिबल होंगे। फैकल्टी के लिए किस तरह की व्यवस्था होगी। एग्जामिनर बनेगा उसके क्या नियम हैं, क्या कानून है? कितने साल तक पढ़ाने वाला टीचर एग्जामिनर बन सकता है, पी.जी. का एग्जामिनर बन सकता है? स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, नियम और कानून बने हुए हैं। आपने टीचर कर दिया। जो नया आदमी

(डा. सी. पी. जोशी)

निकला और उसने जोइन किया, पढ़ा रहा है उस आदमी को टीचर डिफाइन कर देंगे आप। टीचर डिफाइन करने का यह तरीका नहीं है। टीचर तो एडहोक भी होता है। टीचर तो टेम्प्रेरी भी होता है, टीचर तो परमानेंट भी होता है। टीचर को डिफाइन कैसे करेंगे आप? टीचर को डिफाइन करने के लिए जो आपने इसमें स्टेट्यूड आर्डिनैंस में व्यवस्था की है उसमें डिफाइन कीजिए कि टीचर का मतलब कौन टीचर? टीचर, नया कॉलेज खुला, किसी आदमी को लाकर खड़ा कर दिया, वह पढ़ाने का काम कर रहा है और आपने उसको टीचर डिफाइन कर दिया क्योंकि आपने इसमें लिख दिया

‘‘teacher” means a person appointed or recognized by the University for the purpose of imparting instruction or conducting and guiding research.”

आपने इंस्ट्रक्शन कह दिया । वह कह देगा कि यह बी.ई. पास लड़का है, मिला नहीं, मैं इसको पढ़ाने का काम कर रहा हूं। यह तो टीचिंग इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट कर रहा है एज ए टीचर है इसलिए एक तो आपको ऑपरेशनली डिफाइन करना पड़ेगा कि टेक्निकल एजुकेशन में जो टीचर है उसकी डेफिनेशन दूसरे जो एकेडेमिक यूनिवर्सिटी के टीचर की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन से अलग आप डेफिनेशन कर सकें। आपने अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा पेज 50 पर- The Objects of the University.

मुझे पता नहीं कि इस आब्जैक्ट को कैसे आप पूरा करेंगे?

‘‘to generate and promote a sense of self-respect and dignity amongst the weaker sections of the society.’’ अब मैं यहां पर समझना चाहता हूं । मैंने यूनिवर्सिटी के सारे एक्ट देखे हैं। इस यूनिवर्सिटी में आपको कैसे यह कोई सपना आया कि इस यूनिवर्सिटी के अन्दर हमने आब्जैक्ट बनाये हैं-

‘‘to generate and promote a sense of self-respect and dignity amongst the weaker sections of the society.”

आपने बहुत अच्छा मन में सोचा कि हम वीकर सेक्शन के लिए करेंगे पर करेंगे कैसे इसके संबंध में आगे जो क्लॉज हैं उसमें आपने कोई व्यवस्था नहीं की है।

‘‘to strive to promote competitive...”

वर्ड देखिये।

(डा. सी. पी. जोशी)

''to strive to promote competitive merit and excellence as the sole guiding criterion, the words I am using 'as the sole guiding criterion' in all academic and other matters relating to students." Is it possible? रिजर्वेशन का जमाना है। क्या आप लड़कों को यह बता सकते हैं ?

''to strive to promote competitive merit and excellence as the sole guiding criterion in all academic and other matters relating to students."

हम कोई भी चीज इतना अच्छा आब्जेक्टिव रखा है, उसके पीछे प्रेक्टिकल क्या प्राब्लम है उसको हमने नहीं रखा। हमें तो किसी की नकल करनी थी वह नकल में क्या-क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं वह हमने इसमें जोड़ दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं, सेक्शन 5 में देखिये पेज 52 पर, 9 नम्बर पर –

''to monitor and evaluate the academic performance of affiliated colleges and recognized institutions for affiliation and periodical accreditation."

अब सारे कॉलेज 90 परसेंट आपके प्राइवेट हैं। 90 परसेंट कॉलेज जो आपके टेक्निकल सब प्राइवेट कॉलेज हैं, अब प्राइवेट कॉलेज में जो एण्टरप्रिन्योर्स है, जो एण्टरप्रिन्योर्स टेक्निकली साउण्ड नहीं है, जो आदमी एम्प्लाय कर रहा है उनका पूरा उद्देश्य पैसे कमाने का है। उन पैसे कमाने वाले लोगों को आप कैसे उनके कालेज में मानीटरिंग करेंगे, इसका कोई यार्ड स्टिक बनाया है क्या ? आपने आज 5-7-8, 20 साल हो गये, जितने कालेज चल रहे हैं, इनमें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, फैकल्टी है कि नहीं है, उसका इनपुट हमने लिया कि नहीं लिया, यदि हमने नहीं लिया और इसमें हम साइलेंट रहे तो जो एफीलिएटेड कालेज हैं उसके एकेडेमिक एक्सीलेंस के साथ में कम्प्रोमाइज हो जायेगा इसलिये अध्यक्ष महोदय, आपने लिखा है 54 में। एक बहुत बड़ा क्लाज लिखा है, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसमें पावर एण्ड ड्यूटीज आफ मिनिस्टरी में है, आपने इसमें लिखा है

''to comply with and carry out any directive issued by the State Government from time to time, with reference to above powers, duties and responsibilities of the University."

इतना बड़ा जो कहते हैं खतरनाक, खतरनाक वर्ड मैं यूज रहा हूं। आपने क्या लिखा है

(डा. सी. पी. जोशी)

''to comply with and carry out any directive issued by the State Government from time to time, with reference to above powers, duties and responsibilities of the University.''

आपने जो यह सैक्शन 5 के अन्दर पावर एण्ड ड्यूटीज आफ मिनिस्टरी में लिखा है। उसमें आपने यह क्लाज जो 22 है उसमें लिख दिया कि यह शर्ते स्टेट गवर्नमैंट की हैं इनकी कम्पलाइंस करनी पड़ेगी। कम्पलाइंस कर लेंगे उसकी फ्रीडम तो रही नहीं जो आप आर्डर लिखकर भेजोगे उसमें उसको कम्पलाई करना होगा, एडमिशन कीजिए, करना पड़ेगा । बिलो परसण्टेज है, करना पड़ेगा रिजल्ट निकालना है वह भी करना पड़ेगा, यही हो रहा है आजकल । लोगबाग प्राइवेट में एडमिशन कर लेते हैं, आपके रूल्स को मानते नहीं हैं, रूल को मानने के लिए मैनेजमैंट वाला एडमिशन कर देता है फिर लड़का घूमता है और वह अपील करता है पेरेन्ट्स को कि रिजल्ट निकालो आप। आप उठाकर देख लीजिए पिछले आठ साल से हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने जो टेक्निकल एजुकेशन को इम्पार्ट कर रहा है उसने ए.आई.सी.टी.ई. के नार्म्स के बाद अपने मैनेजमैंट कोटे में लड़कों को भर्ती किया है आपके नियम और कानून नहीं माने।

यूनिवर्सिटी से मिलकर के एग्जाम कंडैक्ट कराये हैं और बाद में आपने उसका रिजल्ट निकाला है । एक भी एग्जाम्पल नहीं है एवरी ईयर ऑफ दी ईयर यह प्रेक्टिस प्रिवेल कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को भ्रष्टाचार करने के लिए वह फीस लेते हैं । फीस लेने के बाद एक व्यवस्था बनी हुई है और मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप पता लगा लीजिये कि ऐसे लड़कों के रिजल्ट क्यों निकल रहे हैं । हर समय हम नोटिस देते हैं फिर हम रेगुलाइज करते हैं । पाँच हजार रुपये दे दीजिये, दस हजार रुपये दे दीजिये और रिजल्ट निकाल दीजिये । उनको समझ में आ गया है कि दस हजार रुपये जमा करके एक लाख रुपये में भर्ती करते हैं तो दस हजार देकर के रिजल्ट निकालने में क्या तकलीफ है । मैं समझता हूं कि हमें यह भी समझने की आवश्यकता है । यहां हमने यह प्रोविजन क्यों रखा है?

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं इंस्पेक्शन एंड इनक्वायरी, अध्यक्ष महोदय, सबसे खतरनाक क्लॉज है, 56 सेक्शन 8

''Section 8. Inspections and inquiry. The State Govern-

(डा. सी. पी. जोशी)

ment shall have the right to cause an inspection to be made by such buildings,..."

यह पढ़ लीजिये । शिक्षा मंत्रीजी, आज चांसलर को आपने डमी बना दिया है । चांसलर का कोई काम नहीं है । सेरेमोनियल है, बैठा रहे चांसलर है। स्टेट गवर्नमेंट ने ले लिया, इंस्पेक्शन करने का, इनक्वायरी करने का । उस इंस्टीटयुशन के संबंध में सब करने का, पूरे के पूरे क्लाज स्टेट गवर्नमेंट ने ले लिये हैं । हम न तो ऑटोनोमस चाहते हैं प्राइवेट एंटरप्रिन्योर को फैसेलिटी का काम कर रहे हैं । आपने सारे प्रोविजन कर दिये । मैं उन प्रोविजन को पढ़ना नहीं चाहता । अब मैं उसमें कहना चाहता हूं कि आप चैक कर लीजिये, आपने पूरा का पूरा कर दिया इसमें क्या लिखा है? छठे में पढ़िये

(6) If the University authorities do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation which the University authority may furnish, issue such directions as it may think fit, and the University authority shall be bound to comply with such directions."

आप्शन नहीं है, सरकार जो हमारी है, सरकार हमारी सेक्युलर सरकार है । आपकी सरकार की विचारधारा है, विचारधारा के आधार पर संस्था खोलोगे, जिस विचारधारा का आदमी नहीं हैं उसको आप डायरेक्शन देंगे कि तुम इस विचारधारा के नहीं हो आपको यह काम करना पड़ेगा । जब आप विचारधारा के आधार पर चलाना चाहते हैं, संस्थाओं को विचारधारा के आधार पर चलाना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष: आप ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं यहां पर ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): तो विचारधारा के आधार पर डायरेक्शन देंगे । आप यह बतायें कि यह क्लाज लेकर के आप किस संस्था को बचायेंगे । डायरेक्शन देने का अधिकार आपने ले लिया । तो यह तो सरकार जो सेक्युलर सरकार है, कोई भी सेक्युलर सरकार नहीं है वह कह देगी कि यह इंस्टीटयुशंस इन-इन चीजों को फालो करती है, सरकार कहे यह ठीक नहीं है, इंस्ट्रेक्शन देगी तो कैसे रोकोगे आप । सरकार का अधिकार बन गया । कानून बना लिया आपने । अब हमसे पास करवाकर हमारे हाथ काटोगे । वीसी तो कांग्रेस की आइडियालोजी का प्रचार कर रहा है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियालोजी का प्रचार कर रहा है, यह सेक्युलर आइडियालोजी का प्रचार कर रहा है, हमारी

(डा. सी. पी. जोशी)

आइडियालोजी को नहीं मान रहा है । आप चाहोगे तो इंस्पेक्शन कमेटी बैठाकर उसको नोटिस देने का आपको अधिकार है । यह विश्वविद्यालय की हायर एजुकेशन में आज दिन तक कभी ऐसी व्यवस्था नहीं थी ।

अध्यक्ष महोदय, फिर आगे देखिये आपने वाइस चांसलर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ शिक्षा मंत्रीजी, इलेवन,

''The Vice-Chancellor. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor, on the advice of the State Government upon recommendation of a Section Committee consisting of;

one person nominated by the Board not being a person connection with the University, or any affiliated or constituent college; (ii) one person to be nominated by the Chancellor who shall also be the convener of the Committee; (iii) two persons….."

माननीय अध्यक्ष महोदय देखिये,

''…two persons nominated by the State Government."

दो पर्सन तो स्टेट गवर्नमैंट नोमिनेटेड कर देगी, एक पर्सन वह नोमिनेटेड कर देगा, चांसलर को क्या करना है । सरकार चाहेगी उसी को अपोइंट करना है, काहे को हम नाटकबाजी कर रहे हैं । माननीय शिक्षा मंत्री जी टू पर्सन नोमिनेटेड बाई दी स्टेट गवर्नमैंट में यह तो राइडर डाल सकते थे आप कि यह दो पर्सन अपोइंटमेंट करेंगे वह टेक्निकली ए.आई.सी.टी.ई. के प्रिंसिपल लेवल के होंगे, वाइस चांसलर लेवल के होंगे, इन फील्ड के होंगे, इन फैकेलिटी के होंगे । यह तो कम से कम आप इसमें प्रोविजन रखते । मान्यवर, आज दिन तक किसी भी यूनिवर्सिटी के एक्ट को उठाकर के देख लें उस यूनिवर्सिटी में यूजीसी का नोमिनी होता है यदि एकेडेमिक यूनिवर्सिटी है, ए.आई.सी.टी.ई का नोमिनी होता है, आपने ना इसमें ए.आई.सी.टी.ई का नोमिनी रखा ना आपने यूजीसी का नोमिनी रखा । आप ए.आई.सी.टी.ई से एफिलिटेड होना चाहते हैं लेकिन आपने इसमें प्रोविजन नहीं रखा है । शिक्षा मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अपोइंटमेंट का पहला प्रोविजन होगा जिसमें एआईसीटीई. या यूजीसी का कोई प्रोविजन नहीं किया है । स्टेट गवर्नमैंट मेहरबानी करके इसमें करेक्शन करे और इसमें प्रोविजन रखे कि

वह आदमी आपको वैसे ही स्टेट गवर्नमैंट की सलाह के बिना कोई

(डा. सी. पी. जोशी)
वाइस चांसलर अपोइंट नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम सलेक्शन के सर्च में तो आप कॉम्पिटेंट आदमी को लगाइये । वो अधिकार भी आप खतम करना चाहते हैं । ए.आई.सी.टी.ई के नोमिनी को नहीं दे रहे हैं । सरकार जिसको चाहेगी, उस सरकार के दो आदमी मिलकर के वाइस चांसलर को अपोइंट कर लेंगे । एक तरफ आपने चांसलर को बाउंड कर दिया है । राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक्ट में कही भी गवर्नमैंट की एडवाइज का प्रोविजन नहीं है । लेकिन सरकारें आने के बाद में सरकारों ने नियम बना लिया कि स्टेट गवर्नमैंट की राय के बिना चांसलर अपोइंट नहीं कर सकता है । आपने स्टेट गवर्नमैंट की राय की बाध्यता कर दी । उधर आपने ए.आई.सी.टी.ई के प्रोविजन को हटा दिया । आप मान्यवर चैक कर लें, किसी भी चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी को उठाकर के देख लें, वहां पर आपको मेडिकल कौंसिल को रखना चाहिये । यहां पर आपको ए.आई.सी.टी.ई को रखना चाहिये । यूजीसी को जिसने वहां यूजीसी को रखा हुआ है, यह पहला आपने वाइस चांसलर के अपोइंटमेंट का प्रोविजन रखा है जिसमें ए.आई.सी.टी.ई का या जो कॉम्पिटेंट है जिसका भी वह प्रोविजन नहीं रखा है आपने और वाइस चांसलर को अपोइंट करना चाहते हैं । मान्यवर मैं नहीं समझ पाया ।

अध्यक्ष महोदय, आपने इसमें सैक्शन 2 में लिख दिया कि 62 ईयर का आदमी को हम वाइस चांसलर बनायेंगे । 6 में आपने नई बात और रखी है

''(6) Notwithstanding anything contained in sub section (1) to sub section (5), the first Vice-Chancellor of the University shall be appointed by the Chancellor on the advice of the State Government for a period not exceeding three years on such terms and conditions as the State Government may determine.''

पहला वाइस चांसलर तो 62 साल से ऊपर भी बन सकता है क्योंकि आपने इधर तो लिख दिया सैक्शन 2 में कि

''(2) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty two years, whichever is earlier.''

यह तो आपने प्रोविजन कर दिया वाइस चांसलर के रेगुलर अपोइंटमेंट में और पहले वाइस चांसलर के अपोइंटमेंट में आप साइलेंट रह गये । आपने

(डा. सी. पी. जोशी)
लिखा ही नहीं 62 ईयर का । 70 साल का चाहो तो भी अपोइंटमैंट कर सकते हो, 75 साल का चाहे तो भी कर सकते हो, आपके मन में कोई 80 साल का बाकी बचा हो तो उसको भी चाहो तो उसको भी रख सकते हो । रखो आप, लेकिन आप आइडेंटिटीफाई करिये कि एक्सिलेंस कोई आदमी हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है । आप फर्स्ट वाइस चांसलर ऐसा लेकर आ रहे हैं जिसका एक्सिलेंट हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है । लेकिन इस राइडर के नाम पर अप ऐसे आदमी को लेकर आ रहे हैं जिसने 62 ईयर को कंप्लीट कर लिया है और वह आगे जाकर के तीन साल तक बर्डन रहे तो यूनिवर्सिटी आपकी टेक आप नहीं कर पायेगी । यदि आपकी मंशा ठीक है तो एक्सिलेंस आदमी को लाकर के बना रहे हैं तो मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है, आपको करना है । लेकिन यह जो प्रोविजन आपने बनाया, आप वाइस चांसलर को अपोइंट कर चुके हैं कि मुझे तो पता नहीं, अब जब आप अपोइंट कर चुके हैं तो उसके एक्सिलेंस के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं । उसकी जो ग्लौरी है, उसका जो प्रभाव है, वह जयपुर के बाहर निकला है कि राजस्थान की बाउंड्री से बाहर निकला है या हरियाणा तक जाकर रूक गया है या साउथ तक उसका प्रभाव है । मुझे जानकारी नहीं है । लेकिन मैं सोचता हूं कि आपके मन में कल्पना होगी तो आपने ऐसे आदमी से लाकर के स्टार्ट किया होगा, लेकिन यह प्रोविजन रखने के पीछे मेरे दिमाग में यह था कि दो चीजों में कंट्राडिक्शन नहीं करें ।

अध्यक्ष महोदय, फिर आप देखिये, इसमें लिखा है कि -

‘‘(9) If, in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor willfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him…..”

अब आप देखिये इसमें, ऊपर आपने वाइस चांसलर को वैकेंसी के लिए, अपोइंटमैंट के लिये चांसलर को कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के एडवाइज पर करेगा, पर इसमें एक क्लाज माननीय शिक्षा मंत्रीजी जो आगे जाकर आपको और सरकार को तकलीफ देगा । सरकारें कांग्रेस की हो सकती हैं, सरकारें बीजेपी की हो सकती हैं । सेन्टर में सरकार दूसरी पार्टी की होगी, गवर्नर अपोइंटमैंट उसका हो गया, इसमें जो नवां क्लॉज है पेज 59 में इसको पढ़िये आप

‘‘If, in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor willfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it other-

(डा. सी. पी. जोशी)
wise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor."

यह वाइस चांसलर को रिमूव करने के लिये दसवें क्लाज में रखिये आप, वह सरकार को नहीं पूछेगा चांसलर, यह आप समझ लीजिये, आपने जो, मेरा जैसा चांसलर बन गया, घनश्यामजी शिक्षा मंत्री हैं तो उसको सस्पैंड करके दूसरे आदमी को चार्ज दूंगा, सरकार को नहीं पूछूंगा । यह जो आपने क्लाज बनाया है क्लाज 9 और 10 को मत करिये । 9 और 10 क्लाज में जब सरकार और चांसलर के एक दूसरे के इंट्रेस्ट केलेश करेंगे तब चांसलर 10 सेक्शन के अंदर वाइस चांसलर को केवल यह कहेगा कि आप सेलेरी मिलेगी घर बैठिये और इसमें लिख दिया है

"The function of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified by the order."

चांसलर आर्डर कर देगा वह आदमी वाइस चांसलर का काम करेगा । सरकार कुछ नहीं कर सकेगी । आपने ऊपर तो सरकार के सब पावर लिये हैं। अगर होशियार चांसलर होगा वह उस वाइस चांसलर को सस्पैंड करके, इनक्वायरी करके, अपने मन के आदमी को वाइस चांसलर का काम देगा । उसको उस एक्ट के अंतर्गत आप नहीं रोक सकेंगे । आप इसमें चैक कर लीजिये 9 और 10 के अंतर्गत ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें आपने डिप्टी वाइस चांसलर की पोस्ट भी रखी है उसमें क्या लिखा है कि -

"(4) The Pro-Vice-Chancellor shall get an honorarium of rupees one thousand per month."

अब उस डिप्टी वाइस चांसलर के पास में गाड़ी होगी कि दूसरे कुछ होंगे, एक हजार रुपये मिलेगा । आपको डिप्टी वाइस चांसलर की पोस्ट क्रिएट करनी है तो उसके साथ जितने पर्क्स हैं उनको भी आपको डिफाइन करना चाहिये । केवल मात्र उस पोस्ट के साथ एक हजार रुपये का जो प्रोविजन किया है वह भी सेफीशिएंट नहीं है । रजिस्ट्रार के संबंध में, आज दिन तक रजिस्ट्रार का सलेक्शन विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी करती है । एक्ट में प्रोविजन नहीं है । दस-पंद्रह सालों में सरकारों में जो भी सरकार रही है, इन सरकार ने रजिस्ट्रार का अपोइंटमेंट गवर्नमेंट के आर.ए.एस. आफिसर से करने

(डा. सी. पी. जोशी)

का कर दिया है । जब आर.ए.एस. ऑफिसर रजिस्ट्रार बनता है तो वाइस चांसलर के और रजिस्ट्रार के बीच में काम ठीक ढंग से नहीं होता है । मैं चाहता हूं कि यह टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी है तो रजिस्ट्रार का रोल सबसे इंम्पोर्टेंट है । अब यहां लिख दिया है कि

''(3) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Registrar shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the officers in the services of the State of Rajasthan.''

आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं और आर.ए.एस. ऑफिसर को आपने इतना काम्पिटेंट मान लिया है कि वह जो नई विधा आयी है जो टेक्निलाजी में नयी चीजें आयी हैं वह आर.ए.एस. ऑफिसर जानता है । और रजिस्ट्रार के रूप में वह काम कर पायेगा । आपका यहां पर प्रोग्रेसिव विचार होता तो आप यहां पर एक ऐसे रजिस्ट्रार की कल्पना करते जो इन विधाओं के बारे में कॉम्पिटेंट होता और उसको टेन ओवर चार या पाँच साल होता । उसकी परमानेंट नियुक्ति आप नहीं करते क्योंकि हर पाँच या सात साल में टेक्नोलाजी एजुकेशन में बहुत ज्यादा बदलाव हो रहे हैं । आपने आर.ए.एस. ऑफिसर को रजिस्ट्रार बना दिया । आज आर.ए.एस. ऑफिसर को रजिस्ट्रार बनाकर के जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसमें आप क्या परिवर्तन करना चाहते हैं । मुझे आज दिन तक समझ नहीं आया कि हम किस तरह की स्थिति बनाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, फाइनेन्स ऑफिसर

''(1) The Finance Officer shall be the whole time officer of the University.''

इसमें भी आपने सरकार के आदमी को फाइनेन्स ऑफिसर लगा दिया, स्टेट के पावर भी ले लिए फाइनेन्स ऑफिसर को आपने पावर कर दिए, मैं नहीं समझता कि फाइनेन्स ऑफिसर के जब सारे पावर ले लिए तो आपने इसमें फिर व्यवस्था क्यों की है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, कम्पट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एक नई चीज शुरू हो गई। बीस-पच्चीस साल तक रजिस्ट्रार का फंक्शन था, एग्जामिनेशन कण्डक्ट कराने का, आज रजिस्ट्रार सेरीमोनियल है, उसे मालूम ही नहीं है कि एग्जामिनेशन कराने का काम कम्पट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की एक नई पोस्ट हमने खड़ी कर दी। यह कम्पट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन कौन

(डा. सी. पी. जोशी)

बनता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जितनी भी घपलेबाजी हुई है, एग्जामिनेशन के बारे में जितने केसेज बने हैं कम्पट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रेस्पोंसिबल था कि नहीं। उसका अपोइण्टमेण्ट किसने किया? सारे विश्वविद्यालयों में एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रार ही रेस्पोंसिबल है सारे एग्जामिनेशन कण्डक्ट कराने का लेकिन हमने कम्पट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की नई पोस्ट क्रिएट की है, उस पोस्ट पर भी हमने व्यवस्था की है कि पोस्ट वेकेंट होगी तो उसे वाइस चान्सलर जिसको चाहेगा उसको चार्ज दे देगा। मैं समझता हूं कि यह भी बहुत बड़ी आज एग्जामिनेशन इण्टीग्रिटीवाइज ठीक ढंग से कण्डक्ट हो जाए यह सबसे बड़ा चेलेंज है विश्वविद्यालयों के सामने जो परीक्षाएं हैं वह परीक्षाएं सही हो, ढंग से हो, उसमें बेइमानी नहीं हो, बच्चों के साथ पेपर लीक करने का मामला नहीं हो। आज सारे कम्पट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के साथ एक नेक्सस बना हुआ है, जो नेक्सस बना हुआ है, यह नेक्स्स विश्वविद्यालयों में अशांति पैदा कर रहा है। छात्र नेता हो चाहे एम्पलोई नेता हो एक ऐसा नेक्सस बन गया है माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि आज जो एग्जामिनेशन में पेपर सेटर है, इवोल्यूशन करने वाले आदमी हैं उनका एक ऐसा नेक्ससबन गया है कि एक आदमी उस नेक्सस का यदि पार्ट है तो उसको दस-दस, बीस-बीस हजार का एग्जामिनेशन का काम मिल रहा है। यदि वह उस नेक्सस का पार्ट नहीं है तो उसे काम नहीं मिल रहा है। क्या आपने कभी इसको चैक किया है? कौन आदमी कॉपी जांच रहा है, पाँच-पाँच और दस-दस साल तक वही आदमी बीस-बीस हजार कॉपियां जांच रहा है और दूसरे आदमी को चान्स नहीं मिल रहा है। एक कॉकस बन गया है, एक ट्रेड मोमेण्ट बन गया है कि आप मुझे वोट देंगे तो मैं आपको यह काम दूंगा, सारे विश्वविद्यालयों में यह बहुत बड़ा कॉकस बन गया है, उस कॉकस को तोड़ने की जरूरत है। यदि बच्चों के साथ न्याय हो, सही ढंग से परीक्षा पद्धति लागू हो, कम्पीटिशन की सही ढंग से व्यवस्था हो तो इस कॉकस को तोड़ने की आवश्यकता है। कॉम्पीटेण्ट एग्जामिनर हो, कॉम्पीटेण्ट एग्जामिनर ही कॉपी जांचे बच्चों की तो उसका इवोल्यूशन ठीक ढंग से होगा लेकिन यदि हमने उस कॉकस के आधार पर यह व्यवस्था की है तो अध्यक्ष महोदय, बच्चों के साथ जो परिणाम निकल रहे हैं वह दु:खद परिणाम निकल रहे हैं और टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अन्दर तो यह बहुत बड़ी जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सब्जेक्ट टीचर का जो इण्टरक्शन है वह बहुत इम्पोटेण्ट चीज है, यदि

(डा. सी. पी. जोशी)

आज प्रेक्टिकल के अन्दर इण्टरनल एग्जामिनेशन में एग्जामिनर नाराज हो जाए तो अच्छा भला पढ़ने वाला व्यक्ति 100 में से 90 नम्बर ला सकता है, थ्योरी में, वह प्रेक्टिकल में फेल हो जाएगा। यह आज सबसे बड़ी तकलीफ है, आज सुसाइड के सबसे ज्यादा केस हो रहे हैं टैक्नीकल एजूकेशन के अन्दर, हॉस्टलों के अन्दर रहने वाले व्यक्ति सुसाइड कर रहे हैं सबसे ज्यादा, उसके मन में बहुत कुण्ठा हो जाती है जब थ्योरी में अच्छे नम्बर आते हैं और प्रेक्टिकल में उसको नम्बर नहीं आते हैं तो उनके मन में कुण्ठा हो जाती है। आज एक बहुत बड़ा चेलेंज टैक्नीकल यूनिवर्सिटी के सामने है कि कैसे इन बच्चों की कुण्ठाओं को रोके। उनका सही असेसमेण्ट हो, वह सही असेसमेण्ट के लिए कैसे सही एग्जामिनर अपोइण्ट हो, यह भी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी करने की आवश्यकता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में भी ध्यान रखने की आवश्यकता है।

‘‘(17) Estate Officer and Dean of Students Welfare.”

इसकी आपने कल्पना की है। स्टूडेण्ट वेलफेयर डीन कौन बनेगा, इसमें अथोरिटी डिफाइन आपने कर दी तो लैक्चरर, प्रोफेसर लेवल के आदमी तो आपके है ही नहीं प्राइवेट कॉलेजों में, आप कहां से बनाएंगे प्रोफेसर लेवल के आदमी को, वह कमेटी का मैम्बर है, लेक्चरर आपके है ही नहीं, आपने विधा कर दी, आपने ऑर्डिनेन्स ऑफ स्टेट्यूट के प्रोविजन रखे, उसमें ध्यान रखें क्यों आपने एक अच्छा काम किया है कि आपने ऑर्डिनेन्स ऑफ स्टेट्यूट, इन चीजों की व्यवस्था की है। उसमें इन चीजों का ध्यान रखेंगे इस पर मेरा अनुभव यह कहता है कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी, ऑर्डिनेन्स ऑफ स्टेट्यूट आज के दिन चांसलर के घर से निकलता ही नहीं है। आप रिकार्ड उठा कर देख लें, जितने भी विश्वविद्यालयों ने ऑडिनेन्स ऑफ स्टेट्यूट बनाकर चांसलर के यहां भेजे हैं वह आज दिन तक निकल कर नहीं आए हैं, यह प्रोविजन भी रख दिया है, उस प्रोविजन के बाद भी विश्वविद्यालयों में स्टेट्यूट और ऑर्डिनेन्स कोई बने हुए हैं तो केवल मात्र राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही बने हुए हैं, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बने हुए हैं। यह प्रोविजन करने का कोई फायदा नहीं है। यदि स्टेट्यूट ऑफ ऑर्डिनेन्स के सम्बन्ध में व्यवस्था नहीं करें, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इसमें मुझे पता नहीं कैसे ओमिशन हो गया आपसे, मेरी जानकारी ठीक न हो तो आप चैक कर लें। पेज 65, अथोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज, पेज 21 पर आपने अथोरिटी डिफाइन की है।

(डा. सी. पी. जोशी)

The Board of Management, (ii) The Academic Council; (iii) The Finance Committee; (iv) The Examination Committee;

फिर आपने बोर्ड ऑफ फैकल्टी की जगह फैकल्टीज कर दिया, ठीक है, इम्प्रूव कर दिया। अब आप लिख सकते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ, पूरा यहां तो बोर्ड ऑफ स्टडीज लिख दिया और आगे आप देख लीजिए बोर्ड ऑफ स्टडीज के बारे में एक शब्द नहीं लिखा है। आप चैक कर लीजिए। 21 के अन्दर जो डिफाइन की है, अथोरिटी, उस अथोरिटी में आपने बोर्ड ऑफ मेनेजमैंट के बारे में लिखा है। एकेडमिक कॉसिंल के बारे में लिखा है, फाइनेन्स कमेटी के बारे में लिखा है, एग्जामिनेशन कमेटी के बारे में लिखा है, फैकल्टी के बारे में लिखा है लेकिन बोर्ड ऑफ स्टडीज के लिए एक शब्द भी नहीं है इसमें। इधर आपने अथोरिटी बना दी उसमें अथोरिटी के बारे में आपने प्रोविजन नहीं किया यह कैसे आपने इसमें ओमिशन हो गया, आप चैक करिए कि इसके अन्दर किया है बोर्ड ऑफ स्टडी के प्रोविजन है, बोर्ड ऑफ स्टडीज के प्रोविजन हैं तो इस विश्वविद्यालय में रिसर्च के सम्बन्ध में क्या प्रोविजन हैं, रिसर्च के अन्दर आपने कोई व्यवस्था नहीं की। कहीं मेंशन नहीं किया कि रिसर्च व्यवस्था कैसी होगी। हर विश्वविद्यालय में रिसर्च के सम्बन्ध में अलग से व्यवस्था होती है कि कौन रिसर्च गाइड कर सकेगा उसके नियम और कानून बने हुए हैं, उसका पी.जी. डीन होता है, अलग होता है, आपने ऐसी व्यवस्था नहीं की तो इसमें आपने मेजर ऑमिशन किया है। बोर्ड ऑफ स्टडीज का, अथोरिटी में तो नाम लिख लिया लेकिन बोर्ड ऑफ स्टडीज के सम्बन्ध में एक भी शब्द आगे इसमें नहीं लिखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिए आपने "Constitution of the composition of board management" माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें भी मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने सरकारी अधिकारी तो रख दिए, एक दो तीन चार पाँच, चार-पाँच रख दिए, सरकारी अधिकारी पर आपने नोमीनेट मैम्बर नहीं रखा। "two persons nominated by the Vice-Chancellor from amongst the Deans for one year."

अब आप आपके फैकल्टी फार्मेसी की भी है, फैकल्टी आपके एम.बी.ए. की भी है, फैकल्टी आपके इन्जीनियरिंग की भी है। अब कौन से दो प्रोफेसर लेंगे आप। एक विधा का प्रोफेसर दूसरी विधा के बारे में जानता भी नहीं है। मैं समझता हूं कि हर फैकल्टी से आप एक-एक आदमी ले लेते। मैं समझता हूं कि इसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। two eminent educationists to be nominated by the Chancellor for three years."

(डा. सी. पी. जोशी)

मान्यवर, दो एमीनेण्ट एजूकेशनलिस्ट क्वालीफाई

"two eminent educationists of technical education."

तब उसकी कोई उपादेयता होगी बाकी मेरे जैसे आदमी को आप बनाकर वहां भेज देंगे, मैं तो पढ़ा हुआ, बी.ए., एम.ए. कर रखा है, मैं टैक्नीकल एजूकेशन के बारे में समझूंगा भी नहीं, और एजूकेशनलिस्ट का सर्टिफिकेट तो आप ही देंगे कि सरकार ने मुझे एजूकेशनलिस्ट डिक्लेयर कर दिया तो एजूकेशनलिस्ट तो कहलवाऊंगा। मैं उस विधा के बारे में जानता भी नहीं। वहां बैठा रहूंगा मैं, एक आध आदमी का अपाइंटमेंट करवा दूंगा एजूकेशनलिस्ट के नाम पर। यही होता रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसको चैक करिए, दो एमीनेंट एजूकेशनलिस्ट आपने रखे हैं तो एमीनेंट एजूकेशनलिस्ट वह आदमी होने चाहिए जो उस विधा के हों, उस फैकल्टी के हो तब तो उसका पूरा उपयोग हो सकेगा, वह कण्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, यदि वह नहीं हो तो कोई कण्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे।

श्री अध्यक्षः आप तो हो एमीनेंट एजूकेशनलिस्ट। आपको तो किया जा सकता है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अब आपको अधिकार है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जिस कलम से रखोगे तो मुझे मिल जाएगा, अभी तो आपने मुझे दिया नहीं।

श्री अध्यक्षः मैंने क्या गलत कहा?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है, आपने मुझे नोमीनेट किया है, आप मुझे नोमीनेट करेंगे तब मान लूंगा। आपका सर्टिफिकेट अभी तो नोमीनेट नहीं किया है तो सरकार की एडवाइज पर आपको करना पड़ता है, वह आप नोमीनेट करोगे नहीं मुझे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह यहां से ज्यादा सर्विस वाइस चान्सलर बनने के लिए तैयार हो तो कर सकते हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं अभी छोड़ देता हूं, आज ही मैं बैठ जाता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं तैयार हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पूछ लो आपके भारती विद्या भवन से, मना कर देंगे कि इनको नहीं बनाएंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): भारती भवन वालों को मैं संतुष्ट कर दूंगा, आप तो तैयार हो जाओ।

श्री अध्यक्ष: इनके झांसे में मत आ जाना। मैं आपको राय दे रही हूं, इनके झांसे में मत आना।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं आप सही कह रहे हो माननीय अध्यक्ष महोदय, एकेडमिक कॉसिंल के सम्बन्ध में भी माननीय शिक्षा मंत्रीजी मेरा निवेदन है कि एकेडमिक कॉसिंल के कम्पोजिशन को भी आप अप डेट करिए, अब उसमें लिख दिया

''(iii) one Professor from each Faculty.." यह ठीक किया। one Principal/Director of a constituent college to be nominated by he Vice-Chancellor." अब आपके सारे एफिलेटेड कालेज इतने ज्यादा हैं तो आप एफिलेटेड कॉलेजों में से इन्होंने कालेज लीजिए, बी फार्मा से लीजिए, आप अलग से लीजिए, वह तो आपने लिए नहीं, आपने लिख दिया वन प्रिंसीपल, आपने इसमें लिखना पड़ेगा, वन प्रिंसीपल आप एम.बी.ए. का रखिए, एक बी. फार्मा का रखिए, एक इन्जीनियरिंग का रखिए, तब जाकर एकेडमिक कॉसिंल आपकी अपडेट बनेगी। बाकी एकेडमिक कॉसिल में दो-तीन आपके फैकल्टी का रिप्रजेंटेशन नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से आपने लिखा है, "one teacher other than the principal."

स्टेट गवर्नमेंट क्यों नोमीनेट करेगी? एकेडमिक कॉसिल में, स्टेट गवर्नमेंट का यह भी लिखा है कि एकेडमिक कॉसिल में एजूकेशनलिस्ट कौन होंगे, यह अधिकार सरकार ने ले लिए, आप यह अधिकार तो वाइस चान्सलर को दीजिए कि कौन अपोइंट करेगा, कौन अपोइंट नहीं करेगा, यह आप चैक कर लीजिए। एकेडमिक कॉसिंल के कम्पोजिशन में। माननीय अध्यक्ष महोदय, फाइनेन्स कमेटी आपने बनाई, फाइनेन्स कमेटी में बोर्ड ऑफ मेनेजमेंट का एक भी रिप्रजेंटेटिव नहीं लिया। आप फाइनेन्स कमेटी को चैक कर लीजिए, फाइनेन्स कमेटी में आपने वी.सी. को बनाया है, सैक्रेटरी ऑफ टैक्नीकल एजूकेशन को बनाया है, सैक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, फाइनेन्स को बनाया है, रजिस्ट्रार को बनाया और फाइनेन्स ऑफिसर को बनाया पर आपने इसमें बोर्ड ऑफ मेनेजमेंट का एक भी आदमी नहीं लिया है। आप इसमें मेहरबानी करके इन ऑफिसर्स के अलावा बोर्ड ऑफ मेनेजमेंट का आदमी भी रखकर He may

(डा. सी. पी. जोशी)
be Professor, he may be Lecturer or he may anybody else. उसका भी रिप्रजेंटेशन होना चाहिए। आपने फाइनेन्स कमेटी बना दी, उसमें आपने ऑमिशन कर दिया, मैं समझता हूं कि आप इसको भी चैक करें कि उसको कैसे ठीक करेंगे। आपने फैकल्टी के कम्पोजिशन में लिखा है वन पोस्ट ग्रेज्यूएट कालेज, आपके अभी पी.जी. कॉलेज हैं नहीं, मान्यवर, पी.जी. कॉलेज का आप चैक कर लें, एकाध डिपार्टमेंट में चल रहे होंगे इन्जीनियरिंग कॉलेज में, उसको रख दिया तो यहां पर चैक कर लें, में चार कॉलेजो में चल रहा है, फैकल्टी में वहां पर प्रोफेसर किया है, नहीं चल रहा है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि वहां प्रोफेसर है या नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आपने यह फैकल्टी ठीक करनी है तो यह जो कॉलेज हैं

''(iv) one post-graduate college Principal and one post-graduate department head...''

इसको आप चैक कर लें, इसमें एफिलेटेड कॉलेज को भी जगह दीजिए जिससे उसका ठीक ढंग से रिप्रजेंटेशन मिल सके। मैं आपके ध्यान में 33 लाना चाहता हूं

''(33) Teachers and Officers of the University.

मान्यवर, हम टैक्नीकल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं और प्रोविजन क्या रखा है आपने?

Save as otherwise provided in this Act, the appointment of teachers and officers of the University shall be made in accordance with the provisions of the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974.''

यह टैक्नीकल एजूकेशन के लिए आउट डेटेड है, आप यहां टैक्नीकल यूनिवर्सिटी में आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी आपको इसमें नए ढंग से करना है तो इन कॉलेजों का ऑमिशन करिए और आप फुल पावर दीजिए वाइस चान्सलर को यदि आपने कम्पीटेंट वाइस चान्सलर लिया है, वह जिनको चाहता है हायर करे, फायर करे और कम्पीटेंट आदमी को टीचर बनाए बाकी यूनिवर्सिटी का 1974 का एक्ट है, मैं बताना चाहता हूं कि 1974 के एक्ट के अन्तर्गत केवल मात्र छह महीने का टेम्प्रेरी अपोइण्टमेंट हो सकता है। हम यह भी प्रोविजन नकल करके रख दिया। मैं समझता हूं कि हमने एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई, आप इसको भी करिए, यह ऑमिशन नहीं करेंगे, यह

(डा. सी. पी. जोशी)

इसके साथ रिलेवेंट नहीं है, यह जो ऑलरेडी एक्ट बना हुआ है, दूसरे विश्वविद्यालयों में भी यह काम नहीं कर पा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1974 के एक्ट में रिजर्वेशन का तो कंसेप्ट ही नहीं है।

रिजर्वेशन तो विश्वविद्यालय में 1980 के बाद का है। जो एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का रिजर्वेशन हुआ है यह तो 1980 के बाद का प्रोविजन है। 1974 में तो विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। इसलिए आप चैक कर लीजिए 1974 का एक्ट आपको रिजर्वेशन में, सलेक्शन के अंदर कहीं आपके लिए प्रोब्लम क्रिएट नहीं कर दे। मैं समझता हूं इसका प्रोविजन आपको निश्चित रूप से करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, 35 कंट्रोल ऑफ दी स्टेट गवर्नमेंट। आपने ऊपर भी सब अधिकार ले लिए। इधर भी आपने कंटोल लिख दिया।

''Where the State Government funds are involved, the University shall abide by the terms and conditions...''

आप उसमें क्रिएटिंग दी पोस्ट, आनरेरियम देने, सब चीजें सरकार से पूछे बिना विश्वविद्यालय कुछ नहीं कर सकती। अब ऐसी कोई लंगड़ी दौड़ कराकर आप विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाना चाहते हैं? दोनों पैर में आपने प्लास्टर लगा दिया, कैसा विश्वविद्यालय बनेगा? आप चैक कर लें। यह क्लॉज इसलिए लाये हैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी, राजस्थान विश्वविद्यालय के फाइनेंस में सब चीजें मालूम हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के फाइनेंस, रिक्रूटमेंट में जो प्रोब्लम क्रिएट हो गईं उसके कारण यह प्रोब्लम हो गई, लेकिन हम क्यों आशा करें कि जो पास्ट में हो गया वह भविष्य में भी होता रहेगा। हमें इसके लिए ओपन माइंड में आना चाहिए और ओपन माइंड में आने के लिए हमको फ्रीडम देनी चाहिए। यदि फ्रीडम नहीं देंगे, हम पैर बांधकर दौड़ाना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय न स्वायत्तता ले पाएगा और न कुछ काम कर पाएगा।

आपने एक्सप्लेनेशन में लिख दिया।

''The above conditions shall also apply in respect of the posts created from any other funds...''

अब यह तो कभी नहीं था यूनिवर्सिटी अपने खुद के रिसोर्सेज जनरेट करे, उसमें किसी आदमी को लगाये तो वह परमिशन सरकार से लेनी पड़ेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आगे पढ़ो।

''....which may in long term likely to cause financial implications to the State Government."

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैंने आगे पढ़ लिया। आप बताएं, मैं पढ़ लूंगा। मैंने एक-एक क्लॉज पढ़ ली है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैंने पूरा पढ़ लिया है। I am thoroughly aware about this. राजस्थान यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल मैस के कारण हमारी सरकार ने किया है। हमने एम.ओ.यू. करवाया है, सब चीजें हमें मालूम हैं। जोधपुर है, लेकिन आप इसको चैक कराएं, जोधपुर और राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोई इंडिविजुअल इस तरह का आ जाए, वे दूसरी यूनिवर्सिटी की ग्रोथ को रोक पाएंगे यह हमारा एक्सपीरियंस है? नहीं, हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। हमें ट्रस्ट करके काम करना पड़ेगा। ट्रस्ट की बजाय उल्टा काम कर रहे हैं। मिस्ट्रस्ट से काम करना चाहते हैं। मैं समझता हूं मिस्ट्रस्ट की आवश्यकता नहीं है, ट्रस्ट से काम करना चाहिए। 50 साल के बाद कोई एग्जाम्पल आया है इस तरह का? 50 साल में तो एक एग्जाम्पल नहीं आया। लेकिन पास्ट ने इतना ट्रेक कर रखा है, हमने सब प्रोविजन अंदर रख दिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह भी कहना चाहता हूं

''Education of the financial control by the State Government in emergency measures....."

यह भी प्रोविजन कर दिया जैसे सरकार इमरजेंसी में फेल हो जाए तो संविधान में व्यवस्था है कि भारत सरकार टेक ओवर कर लेगी। आपने यह भी व्यवस्था कर दी 36 में। यह क्या लिखा है-

"If the State Government is satisfied that owing to mal-administration, the word 'mal-administration', or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may, by a notification, declare that the finance of the University shall be subject to the control of the State Government and shall issue such other directions as it may deem fit...."

आप जो फाइनेंस कंट्रोल आफिसर कर रहे हो, आपका आदमी वह क्या करेगा? आर.ए.एस. आफिसर लगा रहे हो। उन आदमियों के होने के बाद यदि यूनिवर्सिटी के फाइनेंस खराब हो रहे हैं तो सबसे पहले उन आदमियों को ट्रांसफर पर लीजिए वे बैठकर वहां पर किस तरह पार्टी बन रहे हैं, उनकी

(डा. सी. पी. जोशी)

जिम्मेदारी नहीं बनती है, लेकिन आपको उनकी इनकंपीटेंसी को इग्नोर करके 36 में यह प्रोविजन रख दिया कि मिस्मैनेजमेंट के नाम पर यदि किसी यूनिवर्सिटी को टेक ओवर करना है तो विश्वविद्यालय में यह प्रोविजन भी रख दिया स्टेट गवर्नमैंट चांसलर को नहीं पूछेगी, स्टेट गवर्नमैंट खुद ही टेक ओवर कर लेगी। यह तो इमरजेंसी का, 356 का आर्टिकल का मालूम है। जिन चीजों से आप पोलिटिकली फाइट करते रहे हो उसी पोलिटिकल प्रोविजन को आप इसमें कर रहे हो। आप इमरजेंसी के बड़े विरोधी रहे हैं, इमरजेंसी में जेल जाने का अवसर भी मिला है, बड़ा संघर्ष किया है। अब यह क्या कर रखा है? जो चीजें हमने अनुभव कीं उन चीजों का प्रोविजन हमने यहां कर दिया। मैं समझता हूं कि हम कैसी प्रोग्रेसिव व्यवस्था करना चाहते हैं इसके बारे में माननीय शिक्षा मंत्रीजी आप ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं 46, टेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स। टेम्प्रेरी अरेंजमैंट्स आप देख लीजिए, आपने 1974 एक्ट का हवाला दे दिया और इसमें आपने लिख दिया "At any time after the commencement of this Act..."

वी.सी. चाहेगा तो ''The Vice-Chancellor may make temporary appointments, subject to the approval of the Board at its next meeting following the making of such appointments."

इसमें भी आपको कंडीशन डालनी पड़ेगी। 1974 के एक्ट में छह महीने से ज्यादा अपाइंटमैंट नहीं हो सकता। इसमें आप एक साल का अपाइंटमैंट देंगे तो इंक्रीमैंट क्लेम करेगा, फिर वह कैरियर एडवांसमैंट का क्लेम करेगा, फिर आप उसको रोक नहीं पाएंगे। आप यहां पर उसको चैक करिए कि आने वाले समय में यह प्रोब्लम क्रिएट नहीं हो, इसके संबंध में आप ध्यान रखिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यह कहना चाहता हूं आप यह देख लें

''The Chancellor shall after taking such advice from the State Government as he deems necessary, decide the question and his decision shall be final."

रिमूवल ऑफ दी डिफिकल्टीज में आपने चांसलर साहब को बहुत मेहरबानी की है, आप पहले चैक कर लें कि आप विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में संविधान में आजादी के बाद चांसलर को यह माना गया है कि चांसलर हायर एजुकेशन के संबंध में रेस्पोंसिबल है। धीरे-धीरे हमने चांसलर के रोल को

(डा. सी. पी. जोशी)

स्किंक कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रोल को बढ़ा दिया। ऑटोनोमी के नाम पर हम विश्वविद्यालय में अपना शिकंजा कसना चाहते हैं, यह शिकंजा आगे आने वाले समय में टेक्नीकल एजुकेशन की ग्रोथ को रोकेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप यह बिल लाये हैं, इस बिल में आपके पास प्रोविजन हैं क्योंकि आपने इसमें ऑर्डिनेंस और स्टेट्यूट के प्रोविजन किये हैं। मैं आशा करता हूं कि आप ऑर्डिनेंस और स्टेट्यूट के संबंध में एलोबरेट करेंगे कि आपके मन में क्या कल्पना है जिससे आने वाले समय में हमारी टेक्नीकल यूनिवर्सिटी है वह एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी बने, लोग याद कर सकें राजस्थान में विश्वविद्यालय का जो प्रोडक्ट है दुनिया में उसकी मांग बढ़े और राजस्थान का नाम भी हो सके इस उद्देश्य से यदि आप बिल लाये हैं तो मैं स्वागत करता हूं और मुझे लगता है पास्ट अनुभवों के आधार पर आप जिन चीजों को इसमें लाए हैं यह मुझे कंपेल करता है यह बात करने के लिए कि मान्यवर, अच्छा और उचित होता जनमत जानने के लिए इसको परिचालित करते।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं थोड़ा बोलूंगा। मैं यही बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सबके अपने-अपने मौलिक विचार हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा संभाग जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर उभरकर सामने आया है, मैं पूर्ववर्ती सरकार को तो इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां विश्वविद्यालय की स्थापना की। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य जो उस समय वित्त मंत्री थे विवादों के बाद, लेकिन फिर भी आपने ..(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह स्थापना वैसे की बीकानेर के नाम के आगे कोटा ऊपर लिखकर यों लगा दिया। वह है मेरे पास।

श्री अध्यक्ष: कोटा यूनिवर्सिटी की स्थापना 1990 में हुई थी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उसी के फलस्वरूप कोटा का जो एक वातावरण बिगड़ता हुआ चला जा रहा था दूसरे संदर्भ में कोटा को जाना जाने लगा था, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के कारण और कुछ निजी शिक्षण संस्थाओं

(डा. हरिमोहन शर्मा)

को कोचिंग के लिए जो वहां पर इंस्टीट्यूट्स कायम हुए उसके माध्यम से कोटा शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र में उभरकर सामने आया।

मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का और सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं उन्होंने कोटा में यह तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने की जो पहल की और जो आदेश दिया वह स्वागत योग्य है और इससे कोटा संभाग ही नहीं पूरे राजस्थान में तकनीकी शिक्षा के मामले में जो अब तक कमियां रही हैं, जो हमारा पिछड़ापन रहा है इस विश्वविद्यालय के खुलने से वह पिछड़ापन दूर होगा।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं अच्छा होता सब लोगों की, वैसे तो पूरे राजस्थान की है, लेकिन फिर भी अपने-अपने निवास स्थान से, अपने-अपने जिले से, अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र से एक विशेष लगाव रहता है। माननीय कल्ला साहब ने पहले भी एक एतराज किया था, मैं उस बात को दोहराता हूं, ''अच्छा होता, इस राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम के साथ आप कोटा भी जोड़ देते।'' अगर आप कोटा जोड़ देते तो एक बहुत अच्छी उपलब्धि होती और जिस प्रकार का तर्क माननीय कल्ला साहब ने आपको नाम के मामले में दिये हैं, सील के मामले में दिये हैं उन बातों के मामले में दिये हैं तो जिस प्रकार बीकानेर विश्वविद्यालय के साथ बीकानेर जुड़ा है, उदयपुर के साथ उदयपुर जुड़ा, जोधपुर के साथ जोधपुर जुड़ा तो हमारी भावनाओं के अनुसार अगर आप इसके साथ कोटा जोड़ते हैं तो और अधिक आप एक अच्छा कदम उठाएंगे और हमारी भावनाओं को इससे बल मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 30 करोड़ का इन्होंने पूरा बजट एस्टीमेट किया है और रेकरिंग एक्सपेंडिचर के लिए 1.50 करोड़ का उसमें किया है। कुल मिलाकर आपने 1.50 करोड़ के आसपास इसमें ट्रांसफर किये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह बता दें उसमें यह लिखा हुआ नहीं है कितने समय में इस सारी पूंजी का निवेश आप कर देंगे। आपने लिखा है उसकी अवेलेबिलिटी पर, यह नहीं लिखा कि आप इस विश्वविद्यालय की विधिवत रूप से मय भवन के, मय आर्थिक साधन संपन्नता के इनको कब तक पूर्ण रूप का दर्जा दे देंगे ताकि विश्वविद्यालय केवल नाम का विश्वविद्यालय न रहे और यह विश्वविद्यालय वाकई वास्तविक रूप में

(डा. हरिमोहन शर्मा)

विश्वविद्यालय दिखे जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट हो, जिसकी शिक्षण संस्थाओं के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वह डवलप्ड रूप में हो। आपने इसमें समय सीमा निर्धारित नहीं की, आपने इसकी टाइम अवेलिबिलिटी के आधार पर और समय पर जैसे आपको साधन उपलब्ध होंगे उस आधार पर उसको लिखा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं यह सही है कि राजस्थान जिस प्रकार से कर्नाटक, जिस प्रकार से तमिलनाडु, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की निजी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से, जिस प्रकार से इंजीनियर्स और डाक्टर्स वर्षों पहले पैदा हो गये।

वह कमी यहां पर है और इस प्रकार की व्यवस्था करने के राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ-साथ तकनीकी रूप से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास राजस्थान सरकार ने किया वह एक अच्छा प्रयास है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इसकी फंडिंग पूरी नहीं होगी तब तक इसकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं होगी जब तक इसको तत्काल प्रभाव से आप पैसा नहीं देंगे, इसके साथ क्वालिटी के मेंटीनैंस की बात है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, क्वालिटी के मामले में जो यहां की राजस्थान यूनिवर्सिटी का हाल देख रहे हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज का हाल देख रहे हैं आप, सरकार के और सभी विधिवेत्ताओं के, सब लोगों के सफल प्रयास के बावजूद भी ग्रेजुएशन का बी.ए. के और इनके पर्चे आउट हो जाते हैं, इस तकनीकी शिक्षा में अगर इस प्रकार के पर्चे आउट होने का सिस्टम बना रहा या उसको हम चेक नहीं कर पाए तो कैसे इंजिनीयर पैदा होंगे, कैसे इसमें एम.बी.ए. वाले पैदा होंगे, कैसे इसमें तकनीकी लोग पैदा होंगे उसकी कल्पना आपको कर लेनी चाहिए और एक माकूल व्यवस्था आपको करनी चाहिए कि जिस प्रकार पेपर आउट होने का सिस्टम चारों तरफ चल रहा है ऐसी कोई माकूल व्यवस्था हो कि जिसके कारण हमारे जो तकनीकी इंजिनीयर्स हैं जो एम.बी.ए. करने वाले लोग हैं वह पेपर्स से लीक आउट करने के माध्यम से अपनी डिग्री से सर्वाच्च स्थान नहीं प्राप्त कर लें बल्कि जो मेहनत करके जो ईमानदारी से और जो बुद्धिजीवी और सफल करने वाले व्यक्ति ने उसको वास्तविक रूप से डिग्री मिले। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं आपके कि माननीय आपने सैक्शन 22-में बोर्ड का गठन किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक क्या करना था, मैं समझ नहीं पाया कि हमारी राजस्थान विधान सभा की अध्यक्षजी के दो विधायकों को नोमीनेट

(डा. हरिमोहन शर्मा)

करने का अधिकार दिया जाता था तीन साल में, इसमें आप उठाकर देख लें सरकार को है, विधान सभा अध्यक्ष को नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय विधायकों की जहां भी नियुक्ति करनी होती है वह नियुक्ति माननीय अध्यक्ष महोदय की सहमति से ही होती है और इसकी प्रक्रिया भी वही चल रही है।

श्री अध्यक्ष: आपने तो राज्य सरकार लिख रखा है, कहां विधान सभा अध्यक्ष है? राज्य सरकार लिख रखा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इसमें लिखने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप क्षमा करना, जितने यूनिवर्सिटी के एक्ट इससे पहले के हैं सब के अन्दर विधान सभा अध्यक्ष के द्वारा ही मनोनयन है, यह पहली बार 'राज्य सरकार' किया है आपने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं, फिर भी इसकी फाइल तो आपके पास आई ही थी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): फाइल तो आएगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): एक मिनट सुनिए, क्योंकि विधायकों का कहीं भी मनोनयन करना होगा तो वह आपकी अनुमति के बिना नहीं हो सकता इसलिए कर ही नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष: आप प्रपोज करके भेजते हैं मुझे तो मैं ना भी नहीं करती हूं लेकिन वह अधिकार मेरा है, जिस अधिकार को आप छीन रहे हो। इस अधिकार को राज्य सरकार छीन रही है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह आपकी उदारमना और सहृदयता है, सरकार नहीं छीन रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह ठीक है लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष: ऐसा कभी हुआ नहीं है कि राज्य सरकार अपनी ओर से नाम नोमीनेट करके भेजे तो मैं काटकर अपना नहीं करती हूं लेकिन यह इतना राज्य सरकार को भी चाहिए कि लिबर्टी तो कम से कम विधान सभा अध्यक्ष को दे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): विधान सभा अध्यक्ष को ही दे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आपकी ही लिबर्टी है और आपकी ही उदारता है, साहब। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं, आप भी तो कुछ उदारता दिखाइए, सारी उदारता अध्यक्ष महोदय ही दिखाती रहेंगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): 'द्विदिय वस्तु गोविन्दम्, तुभ्यमैव समपर्येत।'

बधाई एवं आभार

श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा को राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ की कार्यकारिणी के सदस्य पद पर मनोनयन

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अच्छे वातावरण में हमको बहुत खुशी है और हमको बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे राष्ट्र मण्डल संसदीय समिति कार्यकारिणी समिति में आपका जो नोमीनेशन हुआ है, सदन के नेता महोदय और प्रतिपक्ष के नेता महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि वह जो यह सम्मान हमको मिला है, आपके मार्फत राजस्थान को और राजस्थान विधान सभा को उसके बारे में बधाई दें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ की कार्यकारिणी का सदस्य बनने पर आपको हम सब की ओर से बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगी। बड़े हर्ष का विषय है कि 1959 में राष्ट्र मण्डल संससदीय संघ का राजस्थान शाखा के गठन के बाद पहली बार संघ की कार्यकारिणी की समिति में राजस्थान को प्रतिनिधित्व मिला है, इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत बधाई और लोक सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री सोमनाथ चटर्जी ने शाखा की कार्यकारिणी समिति में भारत क्षेत्र में जो अभी-अभी रिक्त हुए पद पर उसमें सदस्य पद पर अपना मनोनयन किया है और मुझे कहते हुए बड़ी ही खुशी है कि राजस्थान विधान सभा की माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमती सुमित्रा सिंह वर्ष 2007 में भारत द्वारा आयोजित होने वाली सी.पी.ए. के 53वें वार्षिक सम्मेलन तक राष्ट्र मण्डल संसदीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में काम करेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बार फिर से राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ की कार्यकारिणी का सदस्य चुने जाने पर अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हम सब का नाम, राजस्थान का नाम और इस देश का नाम उस शाखा के अन्दर जरूर रोशन करेंगी। हम सब की ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई।

श्री अध्यक्ष: मैं सदन के नेता की और सभी माननीय सदस्यों की, सम्पूर्ण सदन की ओर से आपका आभार प्रकट करती हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, पहले प्रतिपक्ष के नेता कुछ कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब अध्यक्षजी तो क्या पुकारें, मैं ही कह देता हूं प्रतिपक्ष के नेता।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सदन के माननीय नेता महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है, हमारी विधान सभा की माननीया अध्यक्षाजी जिस उच्च पद पर विधान सभा का प्रतिनिधित्व करेंगी इसके लिए विधान सभा अपने आपको गौरवान्वित महसूस करती है और हमें इस बात का फक्र है कि आपका लाभ राष्ट्र मण्डल के अन्दर जो पार्लियामेंटरी एसोसिएशन है उसको आप सदस्यता के रूप में सुशोभित करेंगी। मैं मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से आपका हृदय से अभिनन्दन करता हूं, आपको मुबारकवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं सदन के माननीय नेता की, सत्ता पक्ष की और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों की इन शुभकामनाओं के लिए और इस बधाई के लिए बहुत-बहुत आभारी हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सचेतक साहब, कोई और प्रस्ताव भी ला रहे हैं तो ले आइए न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इस बधाई के वातावरण में तो आप भी शिक्षा मंत्रीजी को बधाई दे दें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, मैंने तो शुरूआत में ही यूनिवर्सिटी की दे दी न।

श्री अध्यक्ष: शुरू में तो तारीफ की है इन्होंने।

विधेयक पर विचार

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, 2006

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): शुरू में क्या अभी बीच में भी की है, साहब।

मैं राजस्थान सरकार को इस बात के लिए तारीफ और उनको बधाई देता हूं कि कोटा में उन्होंने तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने के लिए यह प्रयास किया और स्वीकृति जारी की, जो कमियां हैं वह मैंने आपको बता दी। मैं इसके साथ दो बात कह कर मेरी बात समाप्त करता हूं। माननीय अध्यक्षजी, स्वायत्तता के मामले में डा. सी.पी. जोशी ने और आप सभी लोगों ने इसको देखा, धीरे-धीरे जो भी सत्ता में रहते हैं, चाहे ये पक्ष वाले रहें, चाहे वह विपक्ष

(श्री हरिमोहन शर्मा)

वाले रहें, चाहे कोई भी रहे, उनको अपनी हुकूमत की परवाह करने के उद्देश्य से स्वायत्तता पर हम हमेशा ही रोक लगाते रहे हैं, हम उन कायदे कानूनों को अपनी इच्छानुसार ऐसा बनाते हैं कि जो अपने को सर्वाधिक रूप से अपनी शक्ति में कमी नहीं आने दे, चाहे वह कोई भी लोकतंत्र में, चाहे ग्राम पंचायतों का सवाल हो या कोई दूसरा सवाल हो तो कोई भी अधिकार देने से, उन अधिकारों का डेलीगेशन, पावर डेलीगेट करने से हर संस्था, हर अधिकारी, हर नेता, हर मंत्री उससे कतराता रहा है जैसा कि राजस्थान में जोधपुर लॉ विश्वविद्यालय में जिस प्रकार की अव्यवस्था है, अगर हम उसी प्रकार की व्यवस्था इसमें भी करें तो वह और ज्यादा उपयोगी हो सकता है और अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपके सामने अभी गत 2,5,7 दिनों में अनेक ऐसे सवालात आए कि हमारी शिक्षा के द्वारा हमारी संस्थाओं के द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकों में जिस प्रकार का हवाला दिया जा रहा है, ऐसी आप व्यवस्था करें कि हमारे कानून और व्यवस्था की स्थिति भी बनी रहे और हम ऐसा आभास भी नहीं होने दें जिस प्रकार का अभी आपके सामने पहले एक आया था कि उसमें हमारे राष्ट्रीय नेताओं की तुलना एक गधे से की थी, जिसमें “A donkey is like a housewife.”, यह आपके नाइंथ क्लास के चैप्टर में है।

श्री अध्यक्ष: इस तुलना को कितनी बार दोहराएंगे आप ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह 4 तारीख को छपा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, इस पुस्तक को गलत कोट किया जा रहा है, उसमें किसी राष्ट्रीय नेता का हवाला नहीं है, पुस्तक के अन्दर सिर्फ नेताओं का हवाला है और यह आप जांच करवा लो नेताओं की खाल मोटी होती है कि नहीं होती है, इसमें क्या दिक्कत है?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): और इसमें जो लिखा है नाइंथ के चैप्टर में माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, जांच अधिकारी कौन होगा? (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): गधों का मेला होता है (व्यवधान) उसमें पूरे राजस्थान से गधे आते हैं (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, संयमजी की

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

तो सबसे मोटी खाल है वैसे ही ...(व्यवधान) मेरे यहां गधों के मेले का जब किसी ने कोई उद्घाटन नहीं किया न ...(व्यवधान)

एक सैकण्ड। मेरे यहां गधों के मेले का किसी ने उद्घाटन नहीं किया तब अजमेर से महिला कॉलेज की एक बालिका ने लैटर लिखा कि मुझे दु:ख है कि आप इस गधों के मेले के उद्घाटन के लिए गधों के पास गये, आपको चाहिए था कि किसी मनुष्य से इस मेले का उद्घाटन करवाते। तो वास्तव में वो मानते ये ही हैं कि नेताओं का ही होगा... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं आपका दो बातों की ओर ध्यानाकर्षित कर दूं। टाइम्स ऑफ इण्डिया में चार अप्रैल को लिखा है - "A donkey is like a housewife." यह क्लास नाइंथ के चैप्टर में लिखा हुआ है और उसने यह भी कमेंटरी की उसके साथ कि "Incidentally the State is run by the woman Chief Minister, Vasundhra Raje." आप इसको दिखवा लें। इसके साथ ही एक बात जो बारां, कोटा, झालावाड़ में जिस हिन्दी ज्ञान सरोवर साहित्य संगम में जो अल्पसंख्यकों का चित्र छापा है उस चित्र को भी आप हटा दें क्योंकि आंदोलन हो चुके हैं, सब जगह ज्ञापन दे चुके, कलक्टर से मिल चुके ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। उस पुस्तक को आप जब्त करके जो भी वैधानिक कार्यवाही कर सकते हैं वो करें। मुझे अवसर दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रशेखर बैद (अनुपस्थित), श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (अनुपस्थित) श्री जोगाराम पटेल।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट लेना चाहूंगा। राजस्थान पत्रिका में 22.3.2006 को गांधीजी के बारे में मोहन लाल सुखाड़िया...

श्री अध्यक्ष: यह आप बीच में कहां आ गये ? बीच में क्या आ गया ?

श्री हीरालाल (निवाई): ये कह रहे हैं न, गांधीजी को अपमानित किया वो ही बात बता रहा हूं। एक मिनट मैं लूंगा। मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रबन्ध अध्ययन संकाय के निदेशक प्रोफेसर पी. के. जैन ने केन्द्र एवं राज्य सरकार से मांग की है कि 'ब्रह्मचर्य एण्ड हिज वुमन' एसोसियेशन के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के चीफ लाइब्रेरियन गिरिजा

(श्री हीरालाल)

कुमार जो रिटायर हो गये हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है उसमें गांधीजी के बारे में लिखा कि गांधीजी के करीब दर्जन महिलाओं से अंतरंग सम्बन्ध थे जिसमें से पांच महिलाएं विदेशी थीं। इस प्रकार से हमारे राष्ट्रपिता का अपमान किया। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उनके खिलाफ भी कार्यवाही करो।

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी, उन्होंने जो उठाया है उसे भी देख लीजियेगा। श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: थैंक्यू। श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक यहां...

श्री अध्यक्ष: भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं तो जनमत जानने हेतु क्यों कर दिया फिर?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): इसलिए कि कम से कम बोलने का मौका तो आप देंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पहली बार राजस्थान में...

श्री अध्यक्ष: जनमत की बात करें तो फिर भूरि-भूरि प्रशंसा कैसे होगी?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): अभी हमारे मैम्बर सी. पी. जोशी जी ने भी की और हरिमोहनजी ने भी की है जो कट्टर आलोचना करते हैं। उनकी इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा यह बिल पेश किया। माननीय अध्यक्षजी, दुनिया ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और आज भी हम राजस्थान वाले...

श्री अध्यक्ष: आप थर्ड स्टेज पर बोलना। भूमि-भूरि प्रशंसा कर रहे हो तो थर्ड स्टेज पर बोलना।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): दूसरी स्टेट के मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं।

श्री अध्यक्ष: जनमत जानने में प्रशंसा करोगे...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जनमत प्रशंसा नहीं करेगा क्या इसकी?

श्री अध्यक्ष: उल्टी बात कर रहे हो आप।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): जनमत जानने के लिए सी. पी. साहब ने एक घंटे तक भाषण दिया।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, ठीक है बोलिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आज दुनिया ने बहुत विकास किया, दुनिया में ऐसी-ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं टैक्नीकल नाम पर और इतनी अधिक टेक्नोलॉजी डवलप हो गई हैं, उसकी दौड़ में यदि हम पीछे रह गये। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर या पग से पग मिलाकर साथ नहीं चल पाये तो दुनिया की दौड़ में हम पीछे रह जाएंगे। माननीय अध्यक्षजी, अमेरिका में स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत मानी हुई यूनिवर्सिटी है, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन की मानी हुई है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मानी हुई है। मैं चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नीकल यूनिवर्सिटी भी इसी प्रकार का नाम करे। मैं इसके लिए सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। आई.आई.टी. ने बहुत तगड़ा नाम कर रखा है। जितने आई.आई.टी. के इंस्टीट्यूशंस हैं, आज वहां कैम्प्स सलेक्शन हो जाते हैं। आज भी हमारे टैक्नीकल पर्सन इधर-उधर मारे-मारे घूम रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलता है। एम बी ए का हमारा अहमदाबाद का आई.आई.एम., उसका कैम्पस सलेक्शन हो जाता है। वहां पर जो एजुकेशन लेता है उसका कैम्प्स सलेक्शन हो जाता है और अभी-अभी हमारे समाचार पत्रों में आया है कि कैम्प्स सलेक्शन के जरिये आई.आई.एम. वाले को 85-85 लाख एक साल का ऑफर दिया है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही उचित कदम आपने उठाया है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं आपने सैक्शन 11 में, 12 में वाइस चांसलर के लिए कहा है, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या क्वालिफिकेशन होगी उसकी, क्या उसके स्टेण्डड्र्स रखेंगे, किस प्रकार का व्यक्ति इसका वाइस चांसलर होगा, उसकी आउट स्टैण्डिंग परफार्मेंस को आप किस प्रकार से जांचेंगे, कैसे वो उसको गाइड करेगा। क्या आप हमारे ऋषि-महर्षि जो हिन्दुस्तान में हुए हैं, ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं, अथर्ववेद में जो हमारे कई फार्मूले हैं, क्या उन फार्मूलों के बारे में भी इस टेक्नीकल यूनिवर्सिटी में कुछ काम करेंगे ? महर्षि कर्णाद हुए उन्होंने काफी हमारा विकास किया और काफी आविष्कार किया। और भी कई संत, महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने काफी प्रकार

(श्री शांतिलाल चपलोत)

की ऋचाएं लिखकर के कई प्रकार के फार्मूलों का नाम किया है। क्या उसके बारे में भी पुरातन जो हमारा ज्ञान है उसको मिलाकर के किसी न किसी प्रकार से आप उनके ज्ञान का उपयोग कराना चाहेंगे या नहीं कराना चाहेंगे?

मैं माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी का ध्यान आपके मार्फत् इस बात पर दिलाना चाहता हूं, आज तक सौर ऊर्जा पर लोगों ने जरूर काम किया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस टेक्नीकल यूनिवर्सिटी में आप सौर ऊर्जा का कोई उपयोग करने की किसी न किसी प्रकार की फैकल्टी बनाने का विचार रखते हैं ? क्या कभी इस बारे में सोचा है ? आज की तारीख में सूर्य की लाइट अभी हमारे यहां 37-38-39 डिग्री सैल्सियस का तापमान विधान सभा के बाहर है। इतनी ज्यादा गर्मी कहीं पर भी नहीं होगी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वास्तव में आप किसी प्रकार का विकास करना चाहते हैं, ऊर्जा का संकट मिटाना चाहते हैं तो सौर ऊर्जा के बारे में कोई न कोई विभाग बनायें जिससे बार-बार की जो बिजली की कमी आती है वो भी और यह सब बातें कम हो जाएं। आप यदि वास्तव में चाहते हैं तो हमारे किस प्रकार से ऑयल के बारे में जानकारी होगी, नेचुरल ऑयल, नेचुरल गैस के बारे में कोई न कोई अलग से विभाग बनायें। आज विधायें बदल गई हैं, वो के वो ही, केवल यदि हम सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उससे कोई ज्यादा स्टेट का भला नहीं होने वाला है। आज आर्कीटैक्चर किसी प्रकार से कर रहे हैं, आप डिजाइनिंग के बारे में किसी प्रकार की कोई फैकल्टी खोल रहे हैं या नहीं? इस प्रकार की कई बातें हैं। यदि आप इस प्रकार का काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस टैक्नीकल यूनिवर्सिटी का बहुत ज्यादा भला हो सकेगा। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कहते हुए केवल एक इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको विश्व स्तर पर ले जाने के लिए, अणु के बारे में, परमाणु के बारे में, जिस प्रकार से अणु का खण्डन करके, परमाणु का खण्डन करके जिस प्रकार से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं उसमें भी इस प्रकार का कोई न कोई सब्जैक्ट रखवाने की चेष्टा करें जिससे यह ऑल प्रूफ यूनिवर्सिटी मानी जाए और हिन्दुस्तान ही नहीं, दुनिया में राजस्थान का नाम हो। इसी कामना के साथ आपने जो मुझे अवसर दिया, मैंने जो अपना अमेंडमैंट मूव किया उसको मैं वापस विद्ड्रा करता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय इस बिल के पास होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय बिल के पास होने तक बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बिल पास होने तक बढ़ा दिया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006

श्री अमराराम धोद (अनुपस्थित), डाक्टर एन.एस. गुर्जर (अनुपस्थित), श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (अनुपस्थित), श्री जोगेश्वर गर्ग (अनुपस्थित)।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इस सदन की पुरानी परम्परा है, व्यवस्थाएं हैं, आसन की तरफ से जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जाते हैं, वे जब यहां उपस्थित नहीं होते हैं तो यह परम्परा बनी है कि आसन की तरफ से वे नाम पुकारे नहीं जाने चाहिए तो वह आप पुकारती हैं, वह यहां गैर हाजिर रहते हैं।

श्री अध्यक्ष: मुझे क्या पता वह हैं कि नहीं हैं? यह मुझे कैसे पता लगेगा, जब तक नाम नहीं पुकारूंगी?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): रहना चाहिए लेकिन वह नहीं हैं, फिर भी आप पुकारती हैं।

श्री अध्यक्ष: नाम नहीं पुकारूंगी तो मुझे कैसे पता लगेगा कि यहां बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, वह आपके सामने नजर में रहना चाहिए, पूरा सदन आपकी नजर में रहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: कोई एक साथ में, कम से कम 200 हो तो नहीं देख सकती ना।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके द्वारा नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य के लिए लाजिमी है कि वह खड़ा हो, नहीं बोलना चाहे तो आपसे माफी मांगे, वह गैर हाजिर भी नहीं हो सकता नाम लिखाने के बाद। आप पुकार लेते हैं उसके बाद में सीधा आसन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष: ऐसी कोई परम्परा मुझे तो याद नहीं है। नाम भी पुकारे जाते हैं कई बार, लोग यहां पर प्रजेंट नहीं भी रहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): दिखवा लीजिये, मुझे आपत्ति नहीं है। मैंने तो पाइंट आउट किया है, आप दिखवा लीजिये। ऐसी व्यवस्था है, परम्पराएं रही हैं।

श्री अध्यक्ष: थैंक्यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। श्री जोगेश्वर गर्ग (अनुपस्थित), डाक्टर जालमसिंह रावलोत (अनुपस्थित), श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले चूंकि इस विश्वविद्यालय की स्थापना कोटा शहर में हुई है, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का और मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार और अनुसंधान आदि के क्षेत्र में विकास करने की कल्पना के साथ जो तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं और कोटा में जो खोलने का निर्णय किया है, इसके लिए कोटा की जनता की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों से आई.आई.टी., पी.ई.टी., पी.एम.टी., सी.पी.एम.टी. आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग की तैयारी के लिए कोटा देश का बड़ा भारी केन्द्र बन गया है और जब गत बार तकनीकी यूनिवर्सिटी खोलने के प्रावधान की चर्चा राजस्थान सरकार ने की तो स्वाभाविक रूप से कोटा में इसकी मांग बढ़ी। तकनीकी शिक्षा में, तकनीकी के क्षेत्र में कोटा आज देश का बहुत भारी केन्द्र बन गया, उस बात को दृष्टिगत रखते हुए तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कोटा में की जानी चाहिए और कोटा के आम आदमी की भावना को राजस्थान की सरकार ने समझा, यह तो स्वागत योग्य कदम है लेकिन मैं आपके माध्यम से कुछ मौलिक सुझाव माननीय शिक्षा मंत्रीजी को देना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: देओ सुझाव, मौलिक सुझाव हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): जब कोटा में तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने के लिए बात प्रारम्भ हुई तो आम आदमी के मन-मस्तिष्क में कोटा के इंजीनियरिंग कालेज की सेवाओं और उसके मूलभूत ढांचे को ध्यान में रखकर परिकल्पना की गई थी। एक्ट को पढ़ने के बाद कोटा के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इंजीनियरिंग कालेज की भूमिका के बारे में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नजर नहीं आया और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वास्तविक अर्थों में हम राजस्थान में तकनीकी शिक्षा का विकास करना चाहते हैं और तकनीकी विश्वविद्यालय की उपयोगिता साबित करना चाहते हैं तो अच्छा होता कि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कोटा की चल-अचल सम्पत्ति, शिक्षक, सभी कर्मचारी तकनीकी विश्वविद्यालय में समायोजित किये जाते क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप अभियांत्रिकी महाविद्यालय कोटा को तकनीकी विश्वविद्यालय घोषित करते तो जो उसकी विशेषता है, Engineering College, Kota has about 90% of faculty who have acquired higher education from IITs and nationally reputed institutes. Educated supporting staff are well trained, laboratories and libraries are well equipped and 361 acres of land and buildings, phone, fax and inter-net connectivity and local area network computer joining all departments, और रेलवे की और अन्य प्रकार की सुविधाओं का उल्लेख है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इसमें प्रावधान किया, कोटा में आलरेडी दो यूनिवर्सिटीज चल रही हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इस एक्ट के हिसाब से इस यूनिवर्सिटी में केवल एडमिनिस्ट्रेटिव बाडी के रूप में यह काम करेगी और एफिलिएशन कालेजों को देगी। ऐसी एक यूनिवर्सिटी हाड़ौती विश्वविद्यालय जो चल रहा है पिछले कई सालों से, उसको अपने पढ़ने के लिए भी कभी ई.एस.आई. हास्पिटल में और कभी किसी सरकारी बिल्डिंग के दफ्तरों का सहारा लेना पड़ता है और आपने प्रावधान किया है वित्तीय ज्ञापन में कि इसके लिए 30 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और आवर्ती व्यय के लिए प्रतिवर्ष अनुमानतः 1.58 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जिसमें समयबद्ध वृद्धि होगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि अगर इस गति से इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तो अपडेट यूनिवर्सिटी के स्वरूप में आने के लिए इसको 15 साल लग जायेंगे और जिस ग्लोबल मानसिकता से हमने तकनीकी की क्षेत्र में एडवांस उपलब्धि हासिल करने के उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की है। 15 साल बाद एडवांस टैक्नोलोजी कितनी इस स्थिति में जाकर पहुंचेगी, इस बारे में कल्पना हमारे पास में होनी चाहिए। अच्छा होगा माननीय शिक्षा मंत्रीजी, कि अगर हम कोटा के इंजीनियरिंग कालेज को यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेड करके इस 30 करोड़

(श्री प्रहलाद गुंजल)

रुपये की राशि को फैकल्टी को प्रमोट करने के लिए काम में लेंगे तो निश्चित रूप से वहां के इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधार पर हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी खड़ी कर पायेंगे और तकनीकी क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारी होगी।

मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि पिछले दिनों भारत सरकार ने जनरल एग्रीमैंट फोर टैरिफ एण्ड सर्विसेज (गेट) की संविदा पर हस्ताक्षर किये और इसके बाद मल्टीनेशनल स्तर पर तकनीकी यूनिवर्सिटी देश और प्रदेश में आयेंगी और उनके अपने इतने एडवांस कोर्सेज होंगे, रोजगार ओरिएंटेड कोर्सेज होंगे तो उनकी प्रतिस्पर्द्धा में हम इस गति से कर पायेंगे, यह बहुत बड़ा चैलेंजिंग सब्जैक्ट हमारे सामने होगा इसलिए इसकी प्रारम्भिक शुरूआत अच्छी होती, हम एक बहुत बड़ा, वैल-डवलप्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ इंजीनियरिंग कालेज को प्रमोट करते तो शायद हम एक कल्पना को साकार करने की ओर आगे बढ़ते। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का भी बेस यही है कि सामान्य यूनिवर्सिटी में और टैक्नीकल यूनिवर्सिटी में अन्तर होना चाहिए। इनका बेस इन्होंने प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में माना है और इसमें एक सुझाव और देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप परफेक्ट एक्ट लेकर आये हैं, कहीं एक्ट में कोई एतराज नहीं है। यूनिवर्सिटी खुल गई, उसकी स्थापना हो गई और उसके कार्यकलाप के, विधान के लिए हम एक्ट लेकर आये हैं। इस एक्ट को मैं समझता हूं कि अगर हम इसको आई.आई.टी. की तर्ज पर इन्टरनेशनल मापदण्डों पर खरा उतरने के लिए सीनरजी ग्रुप का प्रावधान करते जिससे सीनरजी ग्रुप के कोर्स और सेलेबस को इण्डस्ट्री की मांग के अनुरूप बनाये जाने को सुनिश्चित किया जाता। चूंकि तकनीकी विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण बात इंजीनियरिंग और टैक्नोलोजी होती है। हमारे यहां लेटेस्ट टैक्नोलोजी का ट्रांसफर और कोलोब्रेशन सामान्य उद्योगों के माध्यम से होता है और इसलिए मेरा सुझाव है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि तकनीकी विश्वविद्यालय के औद्योगिक यूनिवर्सिटी इंट्रक्शन का काम भी प्रभावी रूप से हो, इसके लिए विद्वान, नये-नये इनोगेटिव बिन्दुओं को समझ सकें, इसके लिए इण्डस्ट्रियल इंट्रक्शन कौंसिल के चैप्टर (4) में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए था, वह अपेक्षा मैं आपके माध्यम से राजस्थान के शिक्षा मंत्रीजी से करना चाहता हूं और इसी प्रकार आफिसर्स आफ यूनिवर्सिटी की टीम में डीन आफ इण्डस्ट्रियल इंट्रक्शन का भी एक पद होना अत्यन्त आवश्यक है और उसके दायित्व और कर्त्तव्य, विशेषज्ञों की टीम के द्वारा तैयार किये जाने चाहिए और इसी प्रकार से बोर्ड आफ गवर्नेस एण्ड कमेटीज में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

एजुकेशन के स्थान पर इण्डस्ट्रियलिस्ट, टैक्नोक्रेट्स जैसे एम.टैक., इंजीनियर्स आदि होने चाहिए। उद्योगों के अन्दर भी ख्याति प्राप्त टैक्नोक्रेट को डेपुटेशन पर लाने के लिए भी विशेष प्रकार के प्रावधानों का इस एक्ट में उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि हम एडवांस टैक्नोलोजी के आधार पर विद्यार्थियों को ज्ञान और अनुभव दे सकें। औद्योगिक विकास को नई दिशा प्रदान करने हेतु तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रबन्धन और बोर्ड के ख्याति प्राप्त औद्योगिक संस्थानों को भी हमें इसमें नामित करने का प्रावधान रखा जाना चाहिए और तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की मांग के अनुरूप बनाने हेतु पाठ्यक्रम में समय-समय पर संशोधन करने के लिए बोर्ड आफ इण्डस्ट्रीज में भी, बोर्ड आफ स्टडीज में भी औद्योगिक संस्थानों को नामित करके सदस्य बनाया जाना चाहिए।

यह सारी चीजों का ध्यान रखकर, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो जिस प्रकार की कल्पना तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हमारी है, हम निश्चित रूप से उसमें सफल हो पायेंगे। इसी विश्वास के साथ मैंने इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव दिया था, मैं उसको वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री जुबेर खान। आप नहीं बोलना चाहते?

श्री जुबेर खान: अगले वाले में, पहले इसको तो रिजेक्ट कराइये जनमत जानने वाले को।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, वह साथ ही होगा। दोनों का साथ ही होगा, पहले यह होगा, फिर आपका। हां, आप बोलिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कोई लम्बा समय नहीं लूंगा, जो लोग, खास तौर से नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े विस्तार से इस बिल के ऊपर सुझाव दिये, चर्चा करी, जो कमियां रही हैं वह भी बताई। मैं तो इतना निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय, यह सही है कि इस तरह के विश्वविद्यालय की स्थापना की राजस्थान में आवश्यकता थी और उसको इस सरकार ने पूरा किया है, इसके लिए तो मंत्री महोदय, आपको मैं बधाई देता हूं। आपने जो एक, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा था, स्पेसिफिक मैं अपनी बात कहना चाह

(श्री जुबेर खान)

रहा हूं कि आपने जो रखा है, यह सलेक्शन ऑफ वाइस चांसलर, अधिकतर तीन ही सदस्य होते हैं जो वाइस चांसलर का सलेक्शन करते हैं, चाहे वह दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएलएनयू हो, जो कि फेमस यूनिवर्सिटी है, उसमें एक गवर्नमैंट का नोमिनी होता है, एक विश्वविद्यालय की तरफ से होता है या यू.जी.सी. की तरफ से और एक गवर्नर की तरफ से होता है। आपने जो राज्य सरकार से दो नोमिनी रखे हैं कि दो सदस्य राजस्थान सरकार नोमिनेट करेगी, इसको आप हटाइये, इसको एक ही रखिये। एक चांसलर यानि कि गवर्नर का नोमिनी होगा, एक आपके किसी यू.जी.सी. या ए.आई.टी.सी. जहां से हो जाय और एक सरकार का नोमिनी हो जाय, तीन आदमी मिलकर वाइस चांसलर का सलेक्शन करें। एक तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं। दूसरा मेरा सुझाव आपको है कि जो आपने यह रखा है, इसमें काफी कमेटियां, यह बोर्ड बनाये हैं, जैसे अथारिटीज आफ द यूनिवर्सिटी, द बोर्ड आफ मेनेजमैंट, द एकेडेमिक काउंसिल, द फाइनेंस कमेटी, द एग्जीक्यूशन कमेटी, द बोर्ड आफ फेकल्टीज, बोर्ड आफ स्टडीज एण्ड सो आन, इसमें निवेदन यह है कि विश्वविद्यालय कोई भवन का नाम नहीं होता, विश्वविद्यालय उसको बोलते हैं कि जहां पढ़ने वाले छात्र हों, पढ़ाने वाले अध्यापकगण हों, मेनेजमैंट करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर हों, कर्मचारी हों और एक वातावरण हो, एक कम्पाउण्ड होता है, केम्प्स होता है उसको हम विश्वविद्यालय कहते हैं और विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी अगर किसी की संख्या होती है तो वह छात्रों की होती है। आपने किसी भी बोर्ड में छात्रों का नोमिनेशन नहीं रखा। यह तो कोई, आज तकनीकी विश्वविद्यालय में पढ़े-लिखे, इंटेलीजेंट क्रीम स्टूडेंट्स देश के, अपने प्रदेश के आयेंगे, आज इतनी बड़ी संख्या में छात्र जो पढ़ेंगे, उनको कोई न कोई तरीका निकाल कर, अध्यक्ष महोदय, उनका रिप्रजेंटेशन होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं होता। किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है।

श्री जुबेर खान: चाहे आप नोमिनेशन के थ्रू रखिये, चाहे मेरिट के हिसाब से रखिये। बहुत से विश्वविद्यालयों में, आप बता दीजिये, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी या जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एकेडेमिक काउंसिल में, एग्जीक्यूशन कमेटी में क्या छात्रों का प्रतिनिधित्व नहीं है। बिलकुल है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी है, बनारस विश्वविद्यालय में भी है, जाम्बिया विश्वविद्यालय में भी है, सब में है।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान की तो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है।

श्री जुबेर खान: आज हमारे सामने यह चर्चा होती है, होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। जब इतनी बड़ी छात्र संख्या है, आप छात्रों का रिप्रजेंटेशन एकेडेमिक काउंसिल, बोर्ड आफ मेनेजमैंट में आपको देना चाहिए, मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं। वैसे करेंगे आप जो करिये, लेकिन सुझाव अच्छा है कि छात्रों का, छात्र राजनीति आप भी करते थे, आपने भी बहुत से ज्ञापन दिये होंगे कि छात्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यह राजेन्द्रजी राठौड़ भी रहे, हम भी रहे हैं तो सब को हमको छात्रों का प्रतिनिधित्व इन कमेटीज में, इन बोर्ड्स में रखना चाहिए, कोई एक-दो छात्र इसको कोई बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड में कोई गलत दिशा में ले जायेंगे। तीसरा, आपने जो टू मेम्बर्स, सेक्शन 21 में जो है- "two members of State Legislature to be nominated by the State Government for three years ..." आप इसमें देखिये, परम्परा यह रही है कि आप इसमें स्पीकर महोदय को कहिये," ... two members of State Legislature to be nominated by the Speaker, Rajasthan Legislative Assembly for three years..." क्योंकि स्पीकर साहब भी खुद भी देखती हैं, कौन लोग ऐसे हैं कि जो इसमें शिक्षा जगत में, तकनीकी शिक्षा में या विश्वविद्यालयों के मामलों में कौन जानकारी रखते हैं, नालेज रखते हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा तो है नहीं कि सरकार को कान्फीडेंस में लेकर ही कोई नोमिनेशन करेंगे। तो आप उदार मन दिखाकर, आज हमारी नेता सदन की ने, प्रतिपक्ष के नेता ने जो हमारी आदरणीय अध्यक्ष महोदया को इतना बड़ा मान-सम्मान मिला है राजस्थान को कि आज कामन वेल्थ पार्लियामैंट्री एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेम्बर का सलेक्शन हुआ है तो आज यह बिल पास होने जा रहा है, उनकी अध्यक्षता में हो रहा है तो यह कम से कम आप विधान सभा का मान-सम्मान रखिये जिससे आप बिल पास कर रहे हैं कि जो दो विधायक आप लेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा नोमिनेट किये जायेंगे। इसमें मैं समझता हूं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह तीन सुझाव मैं आपको देने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं और इसीलिए मैंने इस बिल में अभी कुछ कमी है इसलिए इसको प्रवर समिति को सौंपा जाय, मैंने यह प्रस्ताव दिया था कि अगर प्रवर समिति को सौंपेंगे तो ऐसी कुछ चीजें हैं, कमियां रह गई हैं, उनको हम दूर करके इसमें इनकार्पोरेट कर सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक को जनमत जानने के लिए और प्रवर समिति को सौंपने के लिए जो प्रस्ताव था उन दोनों प्रस्तावों पर जिन माननीय सदस्यों ने अभी अपने वक्तव्य दिये हैं, मैं, अध्यक्ष महोदय, बिलकुल विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो मुद्दे उठाये हैं, एक्ट के बारे में, एक्ट के सेक्शंस के बारे में और सारे तकनीकी विश्वविद्यालय के स्वरूप के बारे में, वह आलोचनात्मक नहीं हैं, वह सुझावात्मक हैं और मैं निश्चित रूप से स्वयं भी इसको स्वीकार करता हूं और मैं अधिकारियों को भी निर्देशित करने की कोशिश करूंगा और विश्वविद्यालय से भी आग्रह करूंगा कि जो तीन हमने इसमें रखे हैं, आर्डिनेंस के लिए, इंस्टीटयूशंस के लिए और रेगुलेशंस के लिए, उन तीनों का पालन हो और तीनों के अंदर इस प्रकार के प्रावधान किये जायं ताकि हम उनकी स्थिति के हिसाब से इस विश्वविद्यालय को बना सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि राजस्थान से पहले जवाहर लाल नेहरू टेक्नालाजी यूनिवर्सिटी थी आंध्र प्रदेश में, राजीव गांधी टेक्नीकल यूनिवर्सिटी भोपाल में, मध्य प्रदेश में, विश्वैसैरेया टेक्नीकल यूनिवर्सिटी बेलगांव, कर्नाटक में, पंजाब टेक्नीकल यूनिवर्सिटी जालंधर में, यू.पी. टेक्नीकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, वेस्ट बंगाल टेक्नीकल यूनिवर्सिटी कलकत्ता में, डाक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टेक्नीकल यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालाजी केरल में, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में, राजस्थान में अब यह विश्वविद्यालय बन रहा है। अपन अगर देखें कि जिन राज्यों में पहले विश्वविद्यालय बन गये, आज तकनीकी क्षेत्र में वह सारे प्रांत राजस्थान से बहुत आगे हैं। राजस्थान तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ गया, जैसा माननीय सी.पी. जोशी और संयम लोढ़ा, दोनों ने कहा था, मैं भी स्वीकार करता हूं कि राजस्थान आज तकनीकी क्षेत्र में सबसे कम अगर श्रेणी में आया तो है, अध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे पास सिर्फ 42 हजार स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग में है, जो बी. फार्मा में हैं, जो डी. फार्मा में हैं, जो आर्किटेक्ट में हैं, जो एम.सी.ए. में हैं, इन सब में मिलाकर, अगर राष्ट्रीय एवरेज के बराबर लाना हो तो हमारे यहां 75 थाउजेण्ड की आवश्यकता है, तो अब राष्ट्रीय एवरेज से आज 30 हजार कम हैं। इसका कारण यह था कि आज से दस साल पहले, पन्द्रह साल पहले, मैंने जिन विश्वविद्यालयों का नाम लिया, उन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राज्यों ने अपने यहां टेक्नीकल विश्वविद्यालय बनाये, उनसे संबंधित किया और अपने काम को आगे बढ़ाया और इस कारण से अपन देखेंगे कि राजस्थान पिछड़ गया और राजस्थान अगर बराबर आना चाहता है तो उसको 470 नये संस्थान इस हेतु और खोलने पड़ेंगे जो इंजीनियरिंग कालेज के भी होंगे, जो एमसीए के भी होंगे, जो डी. फार्मा के भी होंगे, बी. फार्मा के भी होंगे, आर्किटेक्ट के भी होंगे, जो मिलकर सारे तकनीकी संस्थान अपन खोलें तो हम हिन्दुस्तान के एवरेज में आ सकते हैं। यह तो हिन्दुस्तान की स्थिति हो गई। अगर बाहर की स्थिति देखें, अध्यक्ष महोदय, तो हमारी हालत और भी खराब है। दुनिया के जो देश हैं, जापान में एक हजार आदमियों पर 110 आदमी टेक्नीकल शिक्षा में हैं, जर्मनी में 86 हैं, इजरायल में 76 हैं, यू.एस.ए. में 55 हैं, कोरिया में 46 हैं, ब्राजील में 30 हैं, चीन में 8.1 है और हिन्दुस्तान में 3.5 हैं। तो दुनियों के देशों के एवरेज में भारत बहुत कम है और भारत के एवरेज में राजस्थान बहुत कम है, इसलिए टेक्नीकल विश्वविद्यालय की राजस्थान में सबसे बड़ी आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष: बाद में आप क्या बोलेंगे, जनमत पर ही इतना बोल देंगे तो, अभी तो एक बार और बोलना पड़ेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बाद में क्या बोलना है। बाद में पारित पर बोल लेंगे, नहीं आप कहें तो यहीं ...

श्री अध्यक्ष: मर्जी आपकी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जैसा आप कहें वैसा कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: नहीं जैसा आप चाहें मुझे क्या।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आज तो आपका साहब, हम तो सब आपको बधाई देकर और आपके सम्मान में हैं पूरा सदन और राजस्थान पूरा गौरवान्वित है और मैं तो पर्टीकूलर हूं।

श्री अध्यक्ष: बोलो-बोलो आप। बोलिये-बोलिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): तो कटौती कर दूं?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ...(व्यवधान) आप तो कथनी को करनी दिखाइये और मैंने जो प्रस्ताव दिया उसको स्वीकार कराइये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): पंचायती राज मंत्री कह रहे हैं कि खाना दे रहे हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय की तरफ से।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): नहीं, आपकी तरफ से।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): ...(व्यवधान) लड्डू तो खिलाओ।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय की तरफ से तो होना चाहिए।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्षजी की तरफ से नहीं सरकार की तरफ से होगा इतनी लेट लेकर आये उसकी पेनल्टी के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय की तरफ से तो नहीं होगा अध्यक्ष महोदय के लिए मेरी तरफ से हो सकता है आप चाहे जब। जब चाहो तब।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान) आप वाइंडअप करना चाहते हैं दो चीजों पर आप जरूरी बोलें। आज आर.पी.ई.टी. और आरमेट दोनों एग्जामिनेशन इर्रिलेवेंट हो गये हैं और इसका फाल आउट यह हो रहा है कि बच्चे बारहवीं में प्रैक्टिकल पढ़ ही नहीं रहे हैं और सारी स्कूलों में प्रैक्टिकल के नाम पर जो टीचर्स के लिए पीरियड बता रखे हैं उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन को आधार मान लें बारहवीं के लिए उसी के आधार पर आर.पी.एम.टी. में एडमिशन दें और आरमेट में तो आपकी जितनी सीटें हैं उतने लड़के बैठते ही नहीं तो यह पेरेंट्स पर हम पेनल्टी लगा रहे हैं । ये दो फैसले आप बड़े कर लें मैं नहीं समझता कि आपका क्या इसके पीछे है क्योंकि अब सी.बी.एस.ई. ने भी कर लिया लेकिन आप लीड लें आरमेट में तो कर ही सकते हैं ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर एम.बी.ए. में एडमिशन दें और आर.पी.ई.टी. के संबंध में भी आप कोई निर्णय करें तो राजस्थान में हमारे जो स्कूल की एजुकेशन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा और ये जो कोचिंग क्लासेज का धंधा चल रहा है वो खतम होगा और आखिर में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब ग्यारहवीं क्लास थी, बारहवीं, तब फर्स्ट ईयर का लड़का पी.एम.टी. में जाता था तो यूनिवर्सिटी के टीचर पेपर सैट कर रहे थे आज बारहवीं क्लास है तब भी यूनिवर्सिटी का टीचर ही पेपर सैट कर रहा है। बारहवीं का जो एग्जामिनेशन है वो तो बोर्ड सी.बी.एस.ई. कर रहा है तो कम

(डा. सी. पी. जोशी)

से कम ये एग्जामिनेशन भी करवाना है तो बारहवीं का जो बोर्ड का टीचर है वो ही पेपर सैट करे और वो ही काम करे । यूनिवर्सिटी के टीचर ये काम कर रहे हैं वो कोचिंग क्लासेज कर रहे हैं वो भी पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं और स्कूलों में भी पढ़ाई नहीं हो रही है । दो मेजर चीजों के संबंध में सरकार को कोई फैसला करना चाहिए अन्यथा ये डबल फीस ले रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन हो रहा है और बच्चों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है । हमारी जितनी सीटें हैं उतने लड़के कंपीट नहीं कर पा रहे हैं तो इस बारे में सोचा जाना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी चर्चा को बीच में जो माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया इसके बारे में कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी स्वयं इस बात का प्रयत्न किया सबसे पहले हिन्दुस्तान से और मैं शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में बंगलोर में इस बात को बोला था कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है और वो ज्यादती है ये पी.एम.टी., पी.ई.टी. जितन आपकी परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं के कारण से जो कम पढ़ने वाला लड़का है वो बढ़िया कोचिंग इंस्टिट्यूट्स में जाता है और बारहवीं की तो केवल उनको थर्ड ग्रेड में सेकिंड ग्रेड में किसी में डिग्री मिल जाए, डिग्री लेते हैं सर्टीफिकेट लेते हैं और उसमें बैठकर वो जाना चाहता है इसलिए हमने प्रस्ताव बनाया प्रस्ताव बनाकर कमेटी बनायी और हमारी कमेटी की इस बारे में रिकमंडेशन भी आ गयी और उस रिकमंडेशन को हम राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल में भेजने वाले थे उसके पहले तमिलनाडु ने इस प्रकार का आदेश जारी करके इनको समाप्त कर दिया इनको समाप्त करने के बाद उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गये और एक कारण से उस समय सुप्रीम कोर्ट में स्टे हुआ है तो हम इंतजार कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय इसमें किस बात का फैसला देता है उसके बाद में निश्चित रूप से राजस्थान सरकार इस लाइन में सोच रही है सारे एग्जामिनेशन हायर सैकेण्डरी और सीनियर सैकेण्डरी है उसके सर्टीफिकेट में जो मैरिट आती है उस मैरिट के आधार पर विद्यार्थियों का चयन हो तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र सभी प्रकार के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा। दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष: आप बिल पर।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आरमेट का भी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां आरमेट ... इसी प्रकार का आपको मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं जो मैंने ...

श्री अध्यक्ष: आपको बिल से साइड ट्रेक कर दिया इन्होंने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं साइड ट्रेक वैसे होता नहीं हूं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): इसको पास कर दें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): पास ही करना है तो चलो बोल देता हूं। यह भी एक इसी का इश्यु है। दूसरा इश्यू मैं इसी बात का कह रहा था कि जैसे हमने बी.एड. के कॉलेजेज खोले उसमें हमने सबको एन.ओ.सी. दी। एन.ओ.सी. दी तो लोगों ने कहा कि इतने कैसे आपने खोल दिये लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने एन.सी.ई.टी. ने जो इसका सारा देती है उन्होंने पहले 31 दिसम्बर तक तय कर रखा था कि 31 दिसम्बर तक आएंगे तब देंगे अब उन्होंने छूट कर दी कि नहीं कभी भी आओ और कभी भी खोलो इसका कारण है कि राजस्थान के लड़के जम्मू और कश्मीर में वहां मैरिट के आधार पर एडमिशन होता है बी.एड. पन्द्रह हजार प्रतिवर्ष करने के लिए जाते हैं । पन्द्रह हजार लड़के राजस्थान के प्रतिवर्ष वहां बी.एड. करने जाते थे उस सिस्टम को समाप्त किया। राजस्थान में कालेज खुल गये और आज बी.एड. में यहां इसी प्रकार परीक्षा पढ़ाई हो रही है। अब यह पढ़ाई भी कंपीटिशन के आधार पर कई बार लोग कहते हैं इनके प्रोफेसर कमजोर हैं पढ़ाने वाले कमजोर हैं यह बात ठीक है जो नये इंस्टिट्यूशन आये हैं उनमें इनकी कमी है लेकिन जब ओपन कंपीटिशन होगा तो इनके फीस भी नियंत्रित होगी और उनमें पढ़ाने वाले स्टेण्डर्ड के बच्चे भी आएंगे और इसी प्रकार हम इस व्यवस्था को करने की कोशिश करेंगे। इस बिल के बारे में जो आपको बता रहा था कि हमारा जब इस प्रकार का ज्ञान है कम हो गया हमारे पास साइंटिस्ट कम हो गये हैं हमारे पास टैक्निकल नौ हाउ के लोग कम हैं और इसके कारण से राजस्थान पिछड़ा है और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बीस और चौबीस साल के एज ग्रुप में जो वोकेश्नली ट्रेंड लड़कों का परसेंटेज चाहिए वो हमारा कितना कम है। रशियन फैडरेशन में 86.89 है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 95.89 प्रतिशत है, इजराइल में 81.23 है और इंडिया को केवल 5.06 है। हम भारतीय स्तर पर भी और प्रान्तीय स्तर पर भी दोनों स्तरों पर तकनीकी शिक्षा में पीछे हैं इसलिए तकनीकी शिक्षा का विस्तार हो इसके लिए विश्वविद्यालय की आवश्यकता थी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कोटा इसके लिए इस समय उत्तम स्थान था इसलिए कोटा में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
इसको किया गया । लेकिन यह सारे राजस्थान को रिप्रजेंट करता है और राजस्थान में तकनीकी शिक्षा कैसे बढ़े यह हमारा बहुत शोचनीय और विचारणीय विषय है, यह केवल सरकार का ही नहीं यह सारे सदन का है कि हम किस प्रकार से हमारे बच्चों को शिक्षा दे सकें। अभी एक पत्रिका में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि तीन बातें छपी थीं। पहली बात यह छपी, भारत की जो फोर्ब्स पत्रिका है जिसमें विश्व के अरबपतियों की लिस्ट निकलती है उसमें भारत के अरबपतियों की संख्या बढ़ी, दूसरी लिस्ट उन्होंने निकाली भारत की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनकी संख्या कितनी बढ़ी तो तैंतीस कंपनियां हमारी दुनिया के कंपीटिशन करने के हिसाब से उस स्टेण्डर्ड से आ गयी और तीसरी चीज जो उन्होंने निकाली जो हमारी शिक्षा से जुड़ी हुई है वो निकाली कि आगे आने वाले बीस वर्षों में जो जोब क्रियेट होंगे उनमें सबसे ज्यादा जोब जापान से भी ज्यादा जोब क्रियेट आने वाले बीस वर्षों में भारतवर्ष में होंगे । तो वो जोब क्रियेट जो होने वाले हैं हिन्दुस्तान में उसके लिए जो प्रदेश तकनीकी ज्ञान में आगे बढ़े हुए होंगे उन प्रदेशों के लड़के ठीक प्रकार से पढ़ सकेंगे तो इस विश्वविद्यालय के बनाने के पीछे जो हमारा लक्ष्य है वो यह है। किसी एक आदमी को दामोदरजी शर्मा को वाइस चांसलर बना दिया या बारह आदमियों को लैक्चरार बना दिया, हमें एजुकेशन के बारे में अपने चिन्तन को अब निश्चित रूप से बदलना पड़ेगा। मैं यह जानता हूं कि आज जो यह बिल आया है यह बिल परिपूर्ण नहीं है कोशिश की है परिपूर्ण बनाने की वो ही सैक्शंस हैं, एक अध्याय है जिसमें डेफीनेशंस आती हैं, एक है जिसमें उसके अधिकारी आते हैं, एक है उसमें संस्थाएं आती हैं। वो सारा का सारा एक सिस्टम है लेकिन इस सिस्टम के बाहर अगर हम नहीं निकले, हायर एजुकेशन में कितना कम परसेंटेज है मैंने शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में जब बात की और उस परसेंटेज को देखा तो आज हमें बड़ी तकलीफ है हमारा प्राथमिक का उच्च प्राथमिक का और हायर एजुकेशन का क्या दे रहे हैं हम लोगों को 41 प्रतिशत दुनिया का एवरेज है हायर एजुकेशन का जो लड़के प्राइमरी में भर्ती होते हैं उनसे 41 प्रतिशत और हमारे यहां पर जो प्राइमरी में भर्ती होते हैं उनके 8 प्रतिशत आज 28 लाख लोग हैं पहली क्लास में और बीस हजार लोग हैं एम.ए. फाइनल की पीजी क्लासेज में । कहां तक कितनी डिफरेंस जाकर कम हो जाता है और वो सारा डिफरेंस पड़ता है सोशियली बैकवर्ड जो लोग हैं चाहे शिड्यूल्ड कास्ट हो, चाहे शिड्यूल्ड ट्राइब

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
हो, चाहे महिलाएं हों इसलिए इसके जो ओब्जेक्ट्स और रीजंस लिखे थे उसमें लिखा है कि इस सब लोगों को अधिक से अधिक तकनीकी शिक्षा तकनीकी ज्ञान देकर इनको आगे बढ़ाया जा सके यह भी विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य इसका है और यह हमारा सामाजिक दायित्व भी है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय के बारे में दो चार बहुत महत्वपूर्ण बात कही गयी हैं स्वायत्ता का एक मुद्दा अध्यक्ष महोदय, बार बार उठता है इस पर दो प्रकार के विवाद चलते हैं स्वायत्तता किस प्रकार की किसी एक विश्वविद्यालय के कारण से दूसरे विश्वविद्यालय के अधिकार खतम हो या स्वायत्तता कम हो मैं इसके पक्ष में बिलकुल नहीं हूं। एक स्वायत्ता है प्रशासनिक, एक स्वायत्तता है वित्तीय और एक स्वायत्तता है शैक्षणिक । शैक्षणिक स्वायत्तता का मैं शत प्रतिशत पक्ष में हूं । विद्या परिषद में, अकेडमिक कोंसिल में सब्जैक्ट को सिलेबस को अपना सारा चयन करने में नयी विधाओं को आमंत्रित करने में विश्वविद्यालय को पूर्ण स्वायत्तता होनी चाहिए मैं इसके पक्ष में हूं। मैं चांसलर महोदय के अधिकारों में भी कटौती के किसी प्रकार पक्ष में नहीं हूं लेकिन मैं दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं एक उदाहरण तो अब इसमें नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इंक्वायरी सीधी कर सकते हैं, हां है, इसमें जान बूझकर प्रावधान किया मुझे भी वो प्रावधान अखरा था।

लेकिन क्या स्थिति हुई अभी जोधपुर विश्वविद्यालय के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया कि इसकी जांच की जाये। जांच करने का अधिकार हमारे पास नहीं है । हमने एडिशनल एडवोकेट जनरल को बुलाया और जनरल को बुलाकर महामहिम राज्यपाल महोदय के पास भेजा । हाई कोर्ट ने कंटेम्पट का नोटिस हमको दिया और स्वीकृति जब तक हमको नहीं मिले हम जांच कैसे करें । इसलिए कई बातें जो कई बार अरुचिकर भी होती हैं उनको भी एक्ट में किसी कारण से डालना पडता है । इसी प्रकार का एक उदाहरण मैंने पहले दिया था राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में । राजस्थान विश्वविद्यालय का एक्ट सबसे पहले बना, राजस्थान यूनिवर्सिटी आई, सारा काम उसमें हुआ। बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जो हमारे अन्य एक्ट में नहीं है । लेकिन धीरे-धीरे किसी एक राज्य सरकार की मैं बात नहीं करता हूं सब राज्य सरकारों ने देश भर में, अभी हमारे यहां पर एक और विवाद चल रहा है आज जो कॉमन लॉ है 11 राज्यों में बन चुका है जिसमें महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है यूनिवर्सिटियों के लिये एक कानून बन गया है

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उस एक कानून के अंतर्गत जिस प्रकार की व्यवस्था है उसका आज यूनिवर्सिटी के सारे टीचर विरोध कर रहे हैं, जो शिक्षाविद् हैं वह भी विरोध कर रहे हैं । यह बहस का मुद्दा है मैं इसको छेडना नहीं चाहता लेकिन वहां भी स्वायत्तता के बारे में बहुत बडी बहस हो रही है कि स्वायत्तता किस चीज की । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मैं इस बात का पक्षधर हूं शैक्षणिक स्वायत्तता पूर्णत: होनी चाहिये लेकिन जहां तक वित्तीय प्रावधान है और वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत जहां सरकार को इस विधान सभा में दायित्व है, उत्तरदायित्व है जवाब देना पडेगा, जिम्मेदारी है इस सदन के प्रति क्योंकि पैसा देने का काम इस सदन का है, मांगों के आधार पर है । यह राजस्थान की जनता की सर्वोच्च संस्था है इसलिए कोई भी विश्वविद्यालय हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे पंचायत हो, चाहे और कोई स्वायत्तशासी संस्था हो वह इस सदन के प्रति उत्तरदायी है और इस सदन में सरकार जवाब देती है इसलिए सरकार को इतना अधिकार तो विश्वविद्यालयों में होना ही चाहिये कि वह वित्तीय अनियमितताओं के बारे में, वित्तीय इर्रेगुलिटीज के बारे में जांच कर सके, उनका नियंत्रण कर सके । केवल इतने संशोधन के मैं पक्ष में हूं और इसी कारण से यह प्रावधान किया गया है । इस प्रावधान से अगर कोई दिक्कत आयेगी तो मैं संशोधन करने के लिये हमेशा तैयार हूं, खुला है इस बात के लिये और मैं चाहता हूं इस प्रकार का प्रावधान निश्चित रूप से होना चाहिये ।

एक मुद्दा यहां पर उठाया कांस्टुएंट कालेज के लिये । मुझे अच्छी तरह याद है पिछली बार भी जब हम मेडिकल यूनिवर्सिटी का बिल पास कर रहे थे तो नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य और श्री शांतिलालजी चपलोत ने यह मुद्दा उठाया था कि यह जो घटक कालेज हैं उनकी क्या स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा हिन्दुस्तानभर में एक बहस चल रही है, मुझे सौभाग्य नहीं मिला है नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, बी.डी. कल्ला साहब और हमारे गुलाबजी कटारिया और देवनानीजी को इन सबको यह सौभाग्य मिला हुआ है कि यह शिक्षाविद् हैं और शिक्षा के उस माहौल से निकल कर आये हैं लेकिन मैं नहीं आया हूं । लेकिन मैं जो पढता हूं कि एक बहस चल रही है कि यूनिवर्सिटी का स्वरूप क्या हो । कई लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी पढाई के एक्सीलेंस का केन्द्र होना चाहिये इसलिए विश्वविद्यालय केवल अपने यह जो घटक कालेज हैं उन तक ही सीमित होने चाहिये और जिस क्षेत्र में वह खडे हुए हैं, परिसर तक उनका लिमिटेशन होना चाहिये। कुछ

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लोग कहते हैं कि नहीं यह एफिलेटेड कालेज जो इनके साथ हैं वह मिलकर होना चाहिये । कुछ कहते हैं संघटक कालेज होने ही नहीं चाहिये और केवल परीक्षा लेने का, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का केन्द्र होना चाहिये । यह आजकल बहुत से बुद्धिजीवियों और सबमें एक विचार का विषय है और इस समय हमने यह तय किया कि अभी यूनिवर्सिटी बन रही है और इसके सैक्शन 3 में हमने प्रावधान रखा है कि तकनीकी शिक्षण संस्थान को विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय घोषित किया जा सकता है । अभी हम इस पर पहुंचे नहीं हैं लेकिन हमने दो कमेटियां बनाई हैं । एक कमेटी हमने बनाई है ईसरो के चेयर मैन जो के. कस्तुरी रंजन हैं उनकी अध्यक्षता में । उनकी एक मीटिंग हो चुकी है, महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिल चुके हैं, सरकार से भी मिल चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जुलाई तक वह एक छोटी अंतरिम रिपोर्ट देंगे जिस पर राजस्थान विश्वविद्यालय शामिल है, जिसकी कई बातें उनको संभलाई है । वह बहुत बड़े आदमी हैं और मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे यहां पर उस कमीशन का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया । उनके साथ और भी बहुत से लोग हैं और वह लोग मिलकर राजस्थान की हायर एजुकेशन कैसी हो, यूनिवर्सिटी का स्वरूप कैसा हो, संघटक कालेज कैसे हो, एफेलेटेड कालेज कैसे हो और किस प्रकार और इन्वस्टमैंट करके इन विश्वविद्यालय के स्वरूप को ठीक किया जा सकता है इसके लिये हमको रिपोर्ट दें । इसके लिये दो कमेटी बनाई है । पर्टीकूलर यहां के लिये जो हमने कमेटी बनाई है उसमें तीन लोग हैं जो केवल टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिये राय देंगे । उन तीन लोगों के नाम अभी मैंने आपको बताये थे जो तीनों इसके ज्ञाता हैं एक हैं- प्रोफेसर रामाराव जो नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एडवांस स्टेडीज, बंगलोर में है । एक हैं- प्रोफेसर वी.के. जोशी जो नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एडवांस स्टेडीज बंगलोर में है। तीसरे हैं- प्रोफेसर बलवीरा रेड्डी जो कुलपति टेक्निकल कालेज, कर्नाटक हैं । इन तीनों की हमने एक कमेटी बनाई है और यह कमेटी इस तकनीकी विश्वविद्यालय के स्वरूप, इसका विस्तार, इसका आगे बढना, इसके आर्थिक संसाधन इन सब पर रिपोर्ट करके देगी ताकि जिस लक्ष्य के लिये हम इस विश्वविद्यालय को बनाना चाहते हैं उस विश्वविद्यालय का हम स्थान प्राप्त कर सकें । इसलिए प्रहलाद गुंजल और अन्य माननीय सदस्यों ने जो यह मामला उठाया था कि कोटा की जो कालेज है उसको जोडा जाये । अब इसमें यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विचार कर रहे हैं कि कोटा की जोडा जाये, यहां जयपुर वाला तो हमारा उसमें चला ही गया है लेकिन उदयपुर भी है, बीकानेर भी है, जोधपुर भी है इन सबका एक सम्मिलित स्वरूप हो कि वहां का स्वरूप हो इस सब पर विचार किया जायेगा । इसी प्रकार मेडिकल के बारे में भी सवाईमानसिंह मेडिकल कालेज हो कि सारे हो इसलिए सैक्शन-3 में हमने इसको रखा हुआ है ताकि इस काम को पूरा किया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय, मैं तुलना नहीं करना चाहता राज्य सरकार के कंट्रोल के बारे में मैंने बता दिया । बहुत से हमारे बिल हैं धीरे-धीरे कर के आना शुरू हुए हैं एकदम से नहीं था, पूर्ण स्वायत्तता थी धीरे-धीरे जो भी सरकारें आती गईं एक-एक कंट्रोल करती गई । बीकानेर, कोटा में भी हुआ, सब में हुआ उन बातों से मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता । अध्यक्ष महोदय, कुल-सचिवों के बारे में और उनकी सेवाओं के बारे में भी कहा गया है । यह राज्य सरकारें किस प्रकार से काम कराये तो आम तौर पर एक परम्परा और परिपाटी हो गई है कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं उनको सचिव के रूप में रखते हैं । एक संवाद और प्रशासनिक सहजता बन पाती है । सरकार से सरकारी विभागों में काम कराने के लिये कुलपति आये उसके बजाय रजिस्ट्रार आये और वहां सरकार उसके माध्यम से सम्पर्क करे इसलिए उसकी नियुक्ति को भी मैं ठीक ही मानता हूं ।

अध्ययन बोर्ड के बारे में और अध्यापक की जो परिभाषा है यह सारी जो बातें कही गई हैं मैंने बताया कि मैंने इनको बहुत ही गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेकर मैं चाहूंगा इन सब बातों का मैं निराकरण करूं । ओर्डिनेंस में, रेगुलेशन है उसमें स्टेड्यूज में हम उनका समाधान करें लेकिन राजस्थान में जब तक हम तकनीकी शिक्षा को बढावा नहीं देंगे, जब तक नये संस्थान क्रिएट नहीं कर पायेंगे तब तक हम विश्वविद्यालय के व्यापक स्वरूप को हम प्रचारित नहीं कर सकते । इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान में पंचायत समिति में जहां संस्थान नहीं है वहां पर प्रक्रिया का सरलीकरण कर के आई.टी.आई. सब जगह खोले जाये । सब पंचायत समितियों में आई.टी.आई. खोले इसके लिये हमने एक व्यापक प्रारूप बनाया है सरकारी क्षेत्र में और गैर सरकारी क्षेत्र में । दूसरा यह भी हमने तय किया है कि हमारे जितने भी तकनीकी संस्थान है सबको हम एजुसेट से जोड दे। एजुसेट से जोडने से सारे आई.टी.आई., आई.आई.टी. से जुडेंगे और सबसे जुडने के बाद

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उनकी दक्षता बढ़ेगी । तीसरा, हमने तय किया है कि जो हमारा शिक्षा मंडल बना है उसका सुदृढ़ीकरण किया जायेगा और एक उद्योगों की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे । कुछ उद्योगों से हम पूछेंगे कि आपको किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है ताकि कैंप्स से ही उसका सीधा सलेक्शन हो सके। इस प्रकार के उद्योगों का हम चयन कर रहे हैं और विश्वविद्यालय उसके आधार पर उनसे बात कर के इस प्रकार के पाठ्यक्रम चलायेगा । प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करने का भी हमने तय किया है । उद्योगों की मांग के अनुसार यूरोपीय भाषाओं का कार्यक्रम यह हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है इसका कारण मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था। यूरो ने एक रिपोर्ट दी उसके अंतर्गत यूरोपीय देशों में जन्म और मृत्यु की दर शून्य हो चुकी है । वहां पर जितने लोग जन्म लेते हैं उतने ही मरते हैं और बूढे लोगों की संख्या बढ़ रही है । पेंशन पर रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है काम करने वालों की संख्या कम हुई है । उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि 2025 तक उनको पांच करोड लोग केवल यूरोप के बाहर से उनको सर्विस सैक्टर में आवश्यकता होगी तो अमेरिका भी पूरी नहीं करेगा, अफ्रीका भी पूरी नहीं करेगा ।

श्री अध्यक्ष: भारत ही करेगा ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): दाढ़ी वाले सब माननीय सदस्य मुझे माफ करें क्योंकि वह आंतकवादी के नाम से इनसे डरे हुए हैं, तो उनको ज्यादा चांस नहीं मिलेगा और चीन ने..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कमेंट्स करने का सदुपयोग कर लिया, आपने तरकीब निकाल ली है ।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मंत्रीजी, आपको एक बात पूछना चाहूंगा, आपने हर पंचायत में आई.टी.आई. खोलने की बात कही स्वागत करता हूं लेकिन उनके लिए आप निजी क्षेत्र में अपना कोई धन्धा-पानी करने के लिए, प्रशिक्षण तो ले लेते हैं लेकिन धंधा करने के लिए कोई ऋण भी देने की व्यवस्था कराये तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आपने बहुत बढिया सुझाव दिया । अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि उनकी आवश्यकता है, तो चीन ने इसके लिए यूरोपीय भाषायें पढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया है उसके

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अंदर ज्यादा से ज्यादा मेन पावर एक्सपोर्ट कर सके लेकिन चीन के बजाए हमको यह पहला स्थान मिलेगा क्योंकि अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाएं हैं उनमें भारत आज उससे बहुत आगे है और इसीलिए यूरोपिय भाषाओं को यहां पर पढ़ाने के लिए हम इस प्रकार का काम कर रहे हैं । भाषा कार्यक्रम प्रारम्भ कर रहे हैं । उस कार्यक्रम से बाहर जाने वाले लोगों को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को इससे लाभ मिल सकेगा, इस प्रकार का भी इसमें काम करेंगे । केवल उन्हीं संस्थाओ को मान्यता होगी जो वेश्वि‍क स्तर के अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित होंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, आज हमारी जितनी आई.टी.आईज हैं, क्या पढ़ा रहे हैं हम ? 15-20 वर्ष पहले जो डीजल इंजन हमने ले लिया, हमारे संसाधनों से आज हम उनको रिप्लेस नहीं कर पाये । कई जगह तो ऐसे इंजन है जो चलते ही नहीं है जो चलन से ही बाहर हो गए हैं । टर्बो और इस प्रकार के इंजन आ गए हैं वह कौन खरीदकर उनमें दे । बहुत हालत खराब है उनकी, इसलिए नया ट्रेंड उनमें प्रारम्भ हो, नये इस प्रकार के सारे संसाधन हो इसको भी इस नीति के अंदर वेश्वि‍क अत्याधुनिक उपकरणों के संयत्र होंगे और उनकी किस प्रकार व्यवस्था की जाए, किस प्रकार संधारण किया जाए, किस प्रकार उनको लाया जाए इन सब बातों के अंदर भी हम कार्यवाही करेंगे ।

सभी अभियांत्रिक महाविद्यालयों को हम ने तय किया है कि आई.आई.टी. दिल्ली से जोड़ दिया जाएगा । आई.आई.टी. दिल्ली से सारे हमारे इंजीनियरिंग कालेज जुड़ेगे उसके बाद में इनके स्तर पर, आप कह रहे थे नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य हमारे इंजीनियरिंग कालेजों का आज वह स्तर नहीं बन पाया, नहीं बन पाया । प्राइवेट सैक्टर के आए हैं और प्राइवेट सैक्टर को तो इनमें आना ही पड़ेगा । प्राइवेट सैक्टर नहीं आयेंगे तो हम जैसे पहले पिछड गए, मैं धन्यवाद दूंगा पिछली सरकार को कि इन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज खोल दिए, अगर वह नहीं करते तो हम एक साथ इन कामों को नहीं खोल सकते थे, इसलिए हमने खोला ।

जिस प्रकार आठ पोलीटैक्नीक जो हमारे हैं उनको नेशनल बोर्ड आफ एक्रीडिशन से प्रत्यारण कराने का हमने तय किया है । उनकी लिस्ट भी जारी करेंगे । केवल प्रत्यारण हम उनका ही नहीं कराएंगे हम राजस्थान में जितने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भी इंस्टीटयूट प्राइवेट सैक्टर में, सरकारी सैक्टर में काम करेंगे उनका एक्रीडिशन कराएंगे । उनकी लिस्ट जारी करेंगे और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यह पता लगेगा कि वह एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एक नम्बर का इंस्टीट्यूट है, दो नम्बर का है । साथ-साथ यह भी लिखेंगे कि कैम्प्स से कितने सलेक्शन इंस्टीट्यूट से पिछली बार हुए हैं या आगे होने जा रहे हैं । जब तक इन सब बातों को नहीं जोड़ेंगे तब तक टैक्नीकल यूनिवर्सिटी का कोई मतलब नहीं रहेगा । कैम्प्स इंटरव्यू हो इस बात की व्यवस्था करेंगे । बाड़मेर में हम पेट्रो-केमिकल टैक्नोलोजी के नाम का नया विषय डालना चाहते हैं । इस प्रकार टैक्नीकल एजुकेशन में यह काम करके इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में यह कहना चाहूंगा कि तकनीकी यूनिवर्सिटी आज समय की आवश्यकता है । समय की आवश्यकता को पूरी करने के लिए और राजस्थान को तकनीकी ज्ञान में विश्व स्तर का बनाने के लिए राजस्थान की भावी पीढ़ी तकनीकी ज्ञान में प्रशिक्षित होकर अग्रणी बने इसलिए इस बिल को लाया गया है । सदन के सभी माननीय सदस्यों ने स्वागत किया है उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं । उन्होंने जो सुझाव दिया उन सुझावों का निश्चित रूप से क्रियान्वित करने की कोशिश करूंगा और आपसे प्रार्थना करता हूं कि जनमत जानने के लिए जो संकल्प है उसको निरस्त कराया जाए ...

श्री अध्यक्ष: जनमत भी और सलेक्ट कमेटी का भी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): और सलेक्ट कमेटी का भी वापिस ले लें और इसको विचारार्थ स्वीकार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक 2006 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक 2006 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

व्यवस्था

एप्रोप्रिएशन बिल से पूर्व सी.ए.जी. की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए

राज्य के वितीय लेखों पर महालेखाकार के प्रतिवेदनों का सदन पटल पर उपस्थापन

इससे पूर्व कि तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाए मैं माननीय सदस्यों को एक व्यवस्था देना चाहूंगी। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने 2-3 दिन पूर्व सी.ए.जी. की रिपोर्ट एप्रापिएशन बिल और बजट के बाद में पेश करने के बारे में आसन से व्यवस्था चाही थी इस संबंध में मैंने विभिन्न विधान सभाओं से जानकारी प्राप्त की, लोकसभा से भी जानकारी प्राप्त की। करीब-करीब 8-9 विधान सभाओं में यह व्यवस्था है कि वहां पर बजट के चाहे बाद में हो लेकिन एप्रोपिएशन बिल के पास होने से पूर्व वहां पर सी.ए.जी. की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है ।

पंजाब में जो मुझे सूचना प्राप्त हुई है, as and when received from Finance Department. It can be laid before the budget is presented or passed by the House. मतलब जैसे ही बजट होता है बजट के साथ हो जाती है ।

केरला में, as soon as it is received from the C.A.G. कभी भी, चाहे फरवरी के महीने में हो चाहे कभी भी हो जैसे ही आती है वैसे ही प्रस्तुत हो जाती है ।

नागालैण्ड में भी prior to laying of the budget in Assembly. बजट प्रस्तुत करने से पूर्व पेश हो जाती है।

कर्नाटक में भी after presentation of budget and is a must before passing of the Appropriation Bill. बजट से तो बाद में लेकिन एप्रोपिएशन बिल के पास होने से पूर्व सी.ए.जी. की रिपोर्ट मिल जाती है।

आन्ध्रप्रदेश में भी usually in the month of March. During present session, submitted on 27th of March and Appropriation Bill was passed on 28th of March. मतलब एक दिन पूर्व उन्होंने पेश की । इस साल का दिया उन्होंने बाकी क्या प्रेक्टिस है इस बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं ।

(श्री अध्यक्ष)

आसाम के बारे में यह है, if reports are received from the C.A.G., the same are presented before the House on the first day of the session of the Assembly. असेम्बली के पहले दिन वहां पर सी.ए.जी. की रिपोर्ट पेश हो जाती है ।

देहली में भी बजट के बाद में और एप्रोपिएशन बिल से पूर्व पेश होती है कभी-कभी नहीं भी हो पाती है लेकिन दोनों ही इन्स्टांसेज देहली में है ।

इसके अलावा बाकी कई असेम्बलीज में बाद में भी होती है जैसे छत्तीसगढ़ में बाद में होती है, वेस्ट बंगाल में बाद में होती है, गुजरात के बारे में है कि nothing to do with the presentation of the Budget. बजट से कोई ताल्लुक नहीं है कभी भी, पीछे भी, पहले भी हो जाती है।

हिमाचल में भी on the last day of the session of Assembly. जब असेम्बली का लास्ट होता है सब पास होने के बाद में, जब होती है ।

लोकसभा में यह प्रेक्टिस है कि practice obtaining is that C.A.G. report is submitted after presentation of Budget but before the Appropriation Bill is to be taken up.

यह व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं के बारे में मैं चाहूंगी कि राज्य सरकार भी एज फार एज पोसिबल जहां तक हो अच्छा ही रहेगा क्योंकि एक सार्थक बहस हो सकेगी । इससे सिस्टम भी इम्प्रूव होगा । इसलिए मैं चाहूंगी कि राजस्थान सरकार भी इस बारे में सदन में यदि एप्रोपिएशन बिल से पूर्व सी.ए.जी. की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे तो उचित रहेगा, ठीक रहेगा ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006

अब आप। विचारार्थ लेने के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): विचारार्थ के लिए हां-ना कराइये।

श्री अध्यक्ष: आप विचारार्थ के लिए मूव तो करिये। मूव कर दिया ? अच्छा ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, एक बार, if it is possible, जो प्राइवेट एफिलेटेड कालेज आ रहे हैं, इंजीनियरिंग कालेज हैं उसमें टेली-एजुकेशन जो कन्सेप्ट है, जैसे मेडीकल में टेली-मेडिसन का

(डा. सी. पी. जोशी)

कान्सेप्ट है वैसे टैली-एजुकेशन का उन इंस्टीटयूट में मेंडेंटरी करिये जहां फैकल्टी नहीं है आईआईटी से लिंक कर रहे हैं उसमें आप जो एन.ओ.सी. दे रहे हैं उस एन.ओ.सी. में कंडीशन डालिये यदि वह अपने फैकल्टी के रिक्रूटमैंट नहीं करते है तो टेली एजुकेशन से लिंक करके, बच्चों को अपडेट बनाने के लिए व्यवस्था करेंगे क्योंकि आपने जो विश्वेसरैया कॉलेज का जो नाम दिया है हमारे जो राष्ट्रपतिजी हैं, वे उद्घाटन करने गये थे और उन्होंने कहा यह लागू किया है। साउथ के अन्दर टेली-एजुकेशन का कंसेप्ट टेक्निकल एजुकेशन में लागू किया है। यह आपसे निवेदन है। हमें एफर्ट्स करने चाहिए और बाकी आपने जो प्रस्ताव रखा है, हम चाहते हैं इसको आप पास करायें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड-2, संशोधन प्रस्तुत करेंगे आप।

विधयेक पर खण्डश : विचार

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, अध्यक्ष महोदय, खण्ड-2 में उप खण्ड (III) में विद्यमान अभिव्यक्ति 'अखिल भारतीय शिक्षा परिषद' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' प्रतिस्थापित की जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 संशोधित रूप से स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 से 20 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 से 20 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 3 से 20 स्वीकार किये गये।

खण्ड-21, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, खण्ड-21 में उप खण्ड-4 (V) में विद्यमान अभिव्यक्ति 'संकाय बोर्ड' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'संकाय' प्रतिस्थापित की जाए। 'संकाय' शब्द पर्याप्त है इसमें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-20 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-21 संशोधित रूप से स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-21 संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

खण्ड-22, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे। इसमें आप यह विधान सभा अध्यक्ष वाला कर देना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): कर देंगे, आपका आदेश है।

अध्यक्ष महोदय, खण्ड-22, (क) उप खण्ड (I) भाग (ख) के उप भाग (IV) में विद्यमान अभिव्यक्ति 'सदस्य-सचिव' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'सचिव' प्रतिस्थापित की जाये,

(II) भाग (घ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'उसके घटक महाविद्यालयों' के पश्चात् और अभिव्यक्ति, आपका मान लिया है मैंने अभिव्यक्ति 'राजस्थान में उच्चतर तकनीकी शिक्षा' प्रतिस्थापित की जाये,

(ख) उप-खण्ड (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति 'बोर्ड की बैठक में उपस्थित एक-तिहाई सदस्यों' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'बोर्ड के एक-तिहाई सदस्यों' प्रतिस्थापित की जाये,

(ग) उप-खण्ड (5) में विद्यमान अभिव्यक्ति 'सदस्य-सचिव' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'सचिव' प्रतिस्थापित की जाये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय वाला नहीं किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): वह तो आ ही जाएगा।

श्री अध्यक्ष: वह नहीं किया आपने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): तो मैं उसको बोल कर कर दूं।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलकर कर दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप छूट दें तो आपकी अनुमति से इसमें 2 माननीय सदस्य जो मनोनीत होंगे...

श्री अध्यक्ष: वह राज्य सरकार के बजाय आपको यह कहना है कि विधान सभा अध्यक्ष ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): राज्य सरकार के बजाय अध्यक्ष की अनुमति से ...

श्री अध्यक्ष: अनुमति नहीं, विधान सभा अध्यक्ष 2 सदस्यों को मनोनीत ...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): द्वारा, अनुमति नहीं, विधान सभा अध्यक्ष के द्वारा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): ठीक है, अध्यक्ष महोदय, वह करायेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-22 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड-22 संशोधित रूप से स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-22 संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

खण्ड 23 से 50 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 23 से 50 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 23 से 50 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

(श्री अध्यक्ष)

श्री घनश्याम तिवाड़ी अब राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 संशोधित रूप से पारित किया जाए, प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 को संशोधित रूप से पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: कोई सदस्य बोलना चाहेंगे, आप बोलना चाहेंगे? बोलिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): कल्ला साहब इसलिये बोल रहे हैं कि मैंने आपका विद्वता में नाम ले लिया, इसलिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सही बात है। कोई बात आपको कह दें और आपके समझ में आ जाए तो आप कर दें। थर्ड रीडिंग पर बोलने का एक अधिकार होता है।

श्री अध्यक्ष: वह तो है ही।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, 2005 आप लेकर आये हैं, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, कोटा से आपको क्या दिक्कत है, इसके आगे कोटा लगा देते।

श्री अध्यक्ष: 2006 है, 2005 नहीं है, तकनीकी विश्वविद्यालय, 2006 है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, 2006 यही मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: 2005 बोले थे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जो अध्यादेश आया था उसको आपने इसमें किया है, इसमें कोटा का नाम आपको एड करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहता हूं कि केवल मात्र यह लिख देने से कि इसका मुख्यालय कोटा होगा, आप मुहर जो लगायेंगे उस पर कोटा का नाम नहीं लिख सकेंगे। इसमें आपको क्या दिक्कत है? इसमें आप कोटा का नाम जोड़ दें, एक बात।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्रीजी, क्या दिक्कत है कोटा के नाम पर?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): दूसरा, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, यह सरकारीकरण हो रहा है विश्वविद्यालयों का, पहले वाइस चांसलर की नियुक्ति में हमेशा, एक गवर्नर नामिनी, एक गवर्नमैंट नामिनी, एक सिंडिकेट के नामिनी और एक यू.जी.सी. के नामिनी होते थे। अब आपने इसमें दो नामिनी सरकार के किये हैं। यह मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। यह संस्थाओं का सरकारीकरण किया जा रहा है। इसी प्रकार से बोर्ड आफ मैनेजमैंट में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप लोगों ने शुरू किये हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने 2-2 नामिनी कभी नहीं किये। एक-एक नामिनी किया है । वैसे भी गवर्नमैंट की सलाह से वाइस चांसलर की नियुक्ति आप करने जा रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): तो कल्ला साहब हम आपसे कमजोर हैं क्या? आपने एक किया, हमने दो किये। हम आपसे कमजोर हैं क्या? (व्यवधान) मैं तो मजाक कर रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप विश्वविद्यालय की आटोनामी को खतम करने जा रहे हैं। इसलिये मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं। आप विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को खतम करने जा रहे हैं। इसलिये मुझे थर्ड रीडिंग पर बोलना पड़ रहा है। आप धीरे-धीरे विश्वविद्यालयों का सरकारीकरण कर रहे हैं। जो बोर्ड आफ मैनेजमैंट, जो सर्वोच्च संस्थान है इसका, इसकी भी आप स्थिति देखें तो नाम निर्देशित व्यक्तियों में कुलपति द्वारा, संकायाध्यक्षों में से एक वर्ष के लिये नाम निर्देशित दो व्यक्ति, कुलपति द्वारा एक वर्ष के लिये नामनिर्देशित दो विश्वविद्यालय के आचार्य, उसके बाद देखिये, राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के लिये नाम निर्देशित किये जाने वाले सम्बद्ध महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालयों से और दूसरा प्राइवेट महाविद्यालयों से होगा। राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिये नामनिर्देशित किये जाने वाले राज्य विधान मण्डल के दो सदस्य। राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिये नाम निर्देशित किये जाने वाले 2 विख्यात शिक्षाविद्, 6 नामिनी। अब वाइस चांसलर क्या करेंगे? वाइस चांसलर के तो 4 नामिनी सिर्फ। गवर्नमैंट के 6 नामिनी, तो सरकारी यूनिवर्सिटी हो गयी। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्रीजी ऐसा किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है कि जहां इतना अधिक नामिनेशन राज्य सरकार का हो। इसलिये आप इसकी स्वायत्तता को कमजोर करने के

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

लिये यह जो विधेयक लाये हैं, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। इसके साथ-साथ आपने इसके ऊपर और डाल दिये हैं, शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग, निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय का कुल सचिव, सदस्य-सचिव। तो यह सारी की सारी यूनिवर्सिटी को एक तरीके से गवर्नमैंट आफिस की तरह आप बनाने जा रहे हैं। यह बिलकुल उचित नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटीज आटोनामी के आधार पर आधारित हैं जिसकी फाइनेंस की व्यवस्था, जिसकी पढ़ाई की व्यवस्था, पाठ्यक्रम की व्यवस्था और इसके अलावा अनुसंधान वगैरह, यह सब स्वतंत्र रूप से होते हैं। लेकिन आपने इस स्वायत्तता के ऊपर चोट पहुंचाई है और ज्यादा से ज्यादा लोग गर्वनमैंट के डालकर इसका जो सरकारीकरण किया है, मैं यह उचित नहीं मानता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी के लिए इन्होंने लिखा है कि हम 30 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बनाएंगे। कब तक बनाएंगे इसके लिए कोई समय नहीं दिया है। मतलब दस वर्ष में बनेगी, पांच वर्ष में यह यूनिवर्सिटी बनेगी, बीस वर्ष में बनेगी, आप यह स्पष्ट करें। आपके इससे ऐसा लगता है कि वह अपने जैसे भाग्य से कोई यूनिवर्सिटी बनती है, वैसे बन जाएगी। आप यह बतायें कि पांच साल में हम यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनाकर देंगे। तीन साल में बनाकर देंगे और उसका ब्लॉक - ग्रांट का जो एक साल का पैसा बताया है 1 करोड़ 85 लाख, मैं समझता हूं कि यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, बहुत कम है। 1 करोड़ 85 लाख में तो कोई कॉलेज भी नहीं चलता। आपकी यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी? यूनिवर्सिटीज पिछले वर्षों में राजस्थान में हमने भी बनायीं लेकिन उसके लिए हमारी यह मंशा थी कि हम राजस्थान की इन यूनिवर्सिटीज को विकसित करेंगे। आज पुरानी यूनिवर्सिटीज की ब्लॉक-ग्रांट किसी की 25 करोड़, 30 करोड़ और ऊपर में 75 करोड़ रुपये हैं लेकिन इन यूनिवर्सिटीज को आप एक-एक करोड़, डेढ़-डेढ़ करोड़, पोने दो-दो करोड़ रुपये देकर या 1 करोड़ 85 लाख रुपये जो आपने वित्तीय ज्ञापन में दिया है, इससे यह यूनिवर्सिटी चलने वाली नहीं है। हाफ-हर्टेड कोई काम करना नहीं चाहिए इसलिए यदि आप यूनिवर्सिटीज को डवलप करना चाहते हो, उसमें अनुसंधान करना चाहते हो और टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें यदि एरोनोटिक्स का विभाग यदि जोड़ दिया जाता है तो वह खुद ही 500 करोड़ का है। स्पेस इंजीनियरिंग को यदि आपने जोड़ दिया तो वह भी माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम 5000 करोड़ रुपये से स्पेस इंजीनियरिंग शुरू नहीं हो

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

सकती है। हम चाहते हैं कि हमारे यह टेक्निकल यूनिवर्सिटी बने तो उसमें जो विषय अभी तक इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाये जाते हैं, वे विषय भी पढ़ाये जाएं लेकिन वे कब पढ़ाये जाएंगे जब उसके लिए कोई बजट का प्रावधान हो और उसके लिए कोई वित्तीय व्यवस्था हो। यह 1 करोड़ 85 लाख में जो यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि यह बीरबल की खिचड़ी के बराबर है इसलिए आपको चाहिए कि कोटा नगर के लोगों को, कोटा सम्भाग के लोगों को खुश करना चाहते हो तो फिर इसके लिए थैली खोलो। थैली तो आपने बंद कर रखी है और ऐसा लगता है कि इसकी बिल्डिंग वगैरह भी केवल एक एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटी के रूप में आप।

श्री अध्यक्ष: थैली तो मौका आने पर खोलेंगे। थैली मौका आने पर खोलेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कहां खोलेंगे?

श्री अध्यक्ष: 1 करोड़ 85 लाख से तो खोल दिया और अगले साल खोल देंगे। ... (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): आपने जो यूनिवर्सिटी कोटा में खोली थी 10 लाख रुपये ही दिये थे। केवल दस लाख। परीक्षा की कापियां भी रखने की जगह नहीं थी और जो ई.एस.आई. के हास्पिटल में नीचे के तहखाने में रखवायी हमने। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वह बजट का अन्तिम वर्ष था। एक-एक करोड़ रुपया दिया था और वह सामान्य विश्वविद्यालय थे और हमारा राज होता तो अभी देखते उसकी ब्लॉक ग्रांट होती अभी 25 करोड़ रुपये। 25 करोड़ रुपये होती, आप क्या बात करते हो? आपकी तरह थोड़े ही हैं जो सौतेला व्यवहार करें, आप उपेक्षा करते हैं। आप बीकानेर की उपेक्षा करते हो, कोटा की उपेक्षा करते हो, यह हम नहीं चलने देंगे। आप यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटीज के हिसाब से ... (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): आप तो बीकानेर में भी ज्यादा नहीं कर पाये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या नहीं दे पाये?

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): जब यूनिवर्सिटी खोली बीकानेर विश्वविद्यालय में ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली, देखिये उसका कितना बजट है। हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): बीकानेर विश्वविद्यालय में कितना दिया था?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बीकानेर विश्वविद्यालय के बाद तो आप पधार गये।

श्री अध्यक्ष: एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कितने साल हुए हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमने खोली थी 87 में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, तो बस इतने सालों में तो होना ही था। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, तो उसका बजट हमने बढ़ाया, वर्ल्ड-बैंक से हम पैसा लेकर आये, उसको डवलप किया। इनके भरोसे वह यूनिवर्सिटी डवलप नहीं हुई है ... (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): उदयपुर एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय को आपने कितना दिया यह तो बताइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अभी यह तो छोड़ो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को कितना पैसा दिया है, मेरे ख्याल से आज उसके असेट्स होंगे 150 करोड़ से ऊपर ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इनको पता ही नहीं है न, इनको पता ही नहीं है आप जो बता रहे हो। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): जब खोली थी तब कितना दिया था?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): छोड़िये आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने बताया न 150 करोड़ के असेट्स हैं उसके। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जमीन की कीमत बढ़ गयी होगी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): हमारा शासन आएगा तब कर देंगे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मुझे लगता है कि मेरे बोलने पर मंत्रीजी को बड़ी परेशानी हो रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मंत्रीजी तो राज़ी है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): थर्ड रीडिंग में ही आप इतने घबरा रहे हो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं, कोई नहीं घबरा रहे हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वह तो मैं बाहर गया हुआ था अमेंडमैंट, नहीं तो अभी 10-12 बजते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वरना आपको पता लग जाता।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वरना 10-12 बजते।

श्री अध्यक्ष: हां, यह तो पोल में करा लिया पास आपने। यह तो पोल में पास करवा लिया आपने, यह होते तो पता लगता आपको। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इनको अमेंडमैंट का टाइम ही नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैंने इनको याद किया था।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं बाहर गया हुआ था।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पढ़ने का समय नहीं मिल था अमेंडमैंट का?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं बिना पढ़े ही इतना बोल रहा हूं, पढ़ने पर पता नहीं कितना बोल जाता। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं यह कहता हूं कि इनकी यह आदत पड़ी हुई है, चाहे प्रदेश कांग्रेस की मीटिंग हो, चाहे कोई पब्लिक मीटिंग हो और चाहे यहां हो। हम नहीं चलने देंगे और हम ऐसा कर देंगे और फिर यह कहकर चले जाते हैं। (व्यवधान) क्या बोलकर आये हैं वह भी कुछ पता नहीं चलता। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने अभी नहीं चलने देंगे की बात की? मतलब सरकारी मुख्य सचेतक कोई व्यवधान आता है तो उसको दूर

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

करते हैं, अध्यक्ष महोदय, यह ऐसे मुख्य सचेतक हैं जो व्यवधान नहीं होता है तो पानी में आग लगाने का काम करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप नेता प्रतिपक्ष की तरह ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यह काम तो मेरे को दे दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पद व्यवधान मंत्रालय का मेरे पास है आजकल, व्यवधान मंत्रालय इधर कर दिया इन्होंने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः पानी में आग लगाने की बात तो आपके नेता प्रतिपक्ष करते हैं, आप क्यों कर रहे हो? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): चलो मैंने उनका अनुमोदन कर दिया। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): चलिये आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्जामिनिंग बोडी के रूप में यह नहीं रहनी चाहिए। आप आसन को प्रभावित नहीं कर सकते हैं शिक्षा मंत्रीजी। आप पीछे वालों को प्रभावित कर सकते हैं, आसन जो है वह दोनों का है, पक्ष और प्रतिपक्ष का।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नवरात्रा है, जाना है।

एक माननीय सदस्यः आप यह कह रहे हैं नवरात्रा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, तो बस मैं जल्दी ही खतम कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि एग्जामिनिंग बोडी इसको नहीं बनायें और इसमें कुछ ऐसे सुधार करें जिससे टेक्निकल एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा अनुसंधान हो, इसकी स्वायत्तता सभी प्रकार से रहे और यहां ऐसा लगता है कि आपने इसमें स्टाफ की व्यवस्था तो पूरी संविदा पर कर दी। संविदा के ऊपर आधारित यूनिवर्सिटी कभी चल नहीं सकती। आप हमें यह बतायें कि इस यूनिवर्सिटी में आप परमानेंट सलेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे और इसमें जितना भी स्टाफ होगा वह परमानेंट नेचर का होगा? आप सब जगह पैरा स्टाफ लगा रहे हो। हमने आपके स्टेटमैंट पढ़े हैं कि राजस्थान में अब जो भी नई नौकरियां आएंगी उसमें प्रोवेशन पीरियड पर आप रखेंगे। तो इस यूनिवर्सिटी में आपकी व्यवस्था क्या रहेगी? यूनिवर्सिटी में क्या आप पैरा स्टाफ लगाएंगे? संविदा पर स्टाफ लगाएंगे ? परमानेंट स्टाफ लगाएंगे? इन सब प्रकार की व्यवस्थाओं को आपको अपने प्रत्युत्तर में बताना चाहिए और अन्त में मैं यह

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटीज के लिए जब तक आप उनको स्वायत्तता नहीं देंगे, जब आप उनको पूरी छूट नहीं देंगे तब तक यूनिवर्सिटीज डवलप नहीं हो पाएंगी। इनको सरकारी विभाग नहीं बनाकर इनको एक तरह से एक्सलेंस का सेंटर बनाइये। एकेडेमिक एक्सलेंस जब आएगी जब यूनिवर्सिटीज को अपने आप पनपने दिया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूंगा कि आप प्रबंध बोर्ड में वाइस चांसलर के सलेक्शन में जो आपने सरकारीकरण किया है, इसको आप वापस लेकर पहले जो प्रावधान किये हुए हैं कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के सलेक्शन में केवल मात्र सरकार का एक नॉमिनी हो और प्रबंध बोर्ड में भी जो आपने 10-12 आदमी, दस से ज्यादा आदमी आपने लगाये हैं, उनको आप फ्रीज करके वाइस चांसलर के जितने नॉमिनी हैं, उसके बराबर नॉमिनी आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो लेकिन इससे ज्यादा नॉमिनी करने का मतलब यह हुआ कि वाइस चांसलर तो शिक्षा मंत्री कहेगा वैसा करेगा या शिक्षा सचिव कहेगा, टेक्निकली शिक्षा सचिव कहेगा वैसा करेगा और एक बात और कहना चाहूंगा मैं स्वयं यूनिवर्सिटी की मीटिंग्स में, बोर्ड आफ मैनेजमैंट का, सिंडीकेट का मैम्बर रहा हुआ हूं। मैं देखता हूं कि सैक्रेटरी लोग जाते नहीं हैं। डिप्टी सैक्रेटरी या और कोई लोग चले जाते हैं। यह प्रावधान करना बिलकुल ठीक नहीं है। आप या तो पहले से ही उप सचिव को बना दीजिए और यदि सैक्रेटरी का प्रावधान है तो सिंडीकेट वगैरह की मीटिंग में कभी भी उनके नॉमिनी नहीं जाते हैं, उनके असिस्टेंट सैक्रेटरी नहीं जाते हैं यह आपने यूनिवर्सिटीज का जो एक डिग्रेडेशन किया है यह बहुत खतरनाक है। खराब है। मैं इसको कतई उचित नहीं मानता हूं इसलिए यदि यूनिवर्सिटीज को सही ढंग से आपको पनपाना है तो उसमें जितने भी आपके भी नॉमिनी हैं, उनके फिर नॉमिनी हो जाएंगे और उनके फिर नॉमिनी हो जाएंगे तो इससे यूनिवर्सिटी में सही डिसीजन नहीं हो पाएंगे इसलिए इन संशोधनों को करके यदि आप पारित करेंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा और यह यूनिवर्सिटी अच्छी बन पाएगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कल्ला साहब जो भी बात कहते हैं, उसको बहुत गम्भीरता से लेता हूं। पिछली बार भी आपने एक बात कही थी कि जयपुर, कोटा, यह सब जुड़ने चाहिए, इसके बाद मैंने सारे विश्वविद्यालयों के एक्ट मंगाये हैं और जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उनके दस के एक्ट मंगाये हैं। दस मैं पढ़ रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी एक्ट है, यह हैदराबाद में है, नाम आगे नहीं है। राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यह भोपाल में है, मध्यप्रदेश

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में, नाम आगे नहीं है। विश्वैसरिया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कर्नाटक में है, नाम आगे नहीं है। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर में है, नाम आगे नहीं है। यह ग्यारह की ग्यारह इस प्रकार से है। इसी प्रकार से मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी एक्ट, 1962, नाम आगे नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट जयपुर, न उदयपुर है और न जयपुर है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी एक्ट, बस।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का नाम जुड़वाया है, हमने खुद जुड़वाया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आपने जो बात कह दी ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, यह सब नाम जुड़े हुए हैं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, यह सब नाम जोड़े हुए हैं। आप मत जोड़िये लेकिन आप निश्चित मानिये कि डाक में व्यवधान आएगा उसमें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उसमें आएगा तो बाद में भी देखेंगे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उसका नाम नहीं लगा सकेंगे फिर। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आज इसी प्रकार से दो-तीन बातें कहकर मैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगी कि अधिनियमन् सूत्र, नाम आदि यह सब हो गये, पास हो चुका है। इसलिए अब कहने से कोई मतलब नहीं है। इससे पूर्व कहना चाहिये था तब तो कोई बात होती, अब तो कोई मतलब नहीं है। पास हो चुका।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बात कहकर खतम कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: चाहे तो कर सकते हैं। वह कह रहे हैं चाहे तो कर सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): टेली एजूकेशन के बारे में कहा था तो मैंने कहा था कि अभी जो हमारे इंजीनियरिंग कालेज हैं, उनको एजूसेट से जोड़ रहे हैं। अब जितने प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज हैं, वह भी अगर सरकार से आग्रह करेंगे तो उनको एजूसेट से जोड़कर टेली एजूकेशन की सुविधा उपलब्ध करायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से एक बात यहां उठाई गई विश्व व्यापार संगठन के बारे में, तो विश्व व्यापार संगठन के कारण से अगर हमने विश्वविद्यालय को मजबूत नहीं किया तो दो साल बाद में विश्व की प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमारे यहां आयेगी और वह हमारे विश्वविद्यालयों के साथ नहीं करेंगे तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैंने राजस्थान सरकार की ओर से तीन सुझाव मानव संसाधन मंत्री को दिये हैं। पहला सुझाव हमने दिया है कि चीन ने इसमें एक संशोधन किया है। चाइना ने संशोधन करके कहा है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी इन विश्वविद्यालयों की होगी जिनके साथ वह समझौता करेंगे तो हम भी यह चाहेंगे कि विश्व के दूसरे जो विश्वविद्यालय आयें डब्ल्यू.टी.ओ. के आधार पर, उनमें हमारे विश्वविद्यालयों की साझेदारी हो। इसलिए हमारे विश्वविद्यालयों का स्तर मजबूत करना पड़ेगा। यह भी हमने सोचा है। पैरा-मेडिकल कालेज को राजस्थान में पहली बार प्रारम्भ कर रहे हैं, जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के संबंध में बात उठी। मैंने कल भी कहा था चार क्वेश्चन करके पास करने के कारण से यह जो सारी बीमारियां इस कारण से पैदा हुई हैं, इसलिए परीक्षा के पूरे सिस्टम को डवलप करने के लिये हमने उसमें तय किया और कल मैंने उसके बारे में बताया था। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, दो और महत्वपूर्ण बातें कहकर मैं समाप्त करूंगा। अब एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। दुनिया में सबसे बड़ी समस्या पानी की है उसके बारे में एक बहुत बड़ा सम्मेलन अभी हुआ था और वह सब्जैक्ट ऐसे हैं जिनको भी हर हालत में उनको करना चाहिये निर्लवणीकरण पानी का। बहुत बड़ी टैक्नोलोजी का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि निर्लवणीकरण एक ऐसा सब्जैक्ट है जो अगर सफल हो गया, भारतीय वैज्ञानिक इस पर लगे हुए हैं, तो दो पैसे में यह मिनरल वाटर की बोतल उपलब्ध हो जाएगी और चावल समुद्र के पानी से पैदा होगा। ऐसा चावल का बीज पैदा कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी टैक्नोलॉजी है तो इसकी पढ़ाई की आज बहुत आवश्यकता है। इसी प्रकार सोलर एनर्जी की और विंड एनर्जी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पर भी बहुत आवश्यकता है। इसके बारे में भी हम विचार करेंगे। अब अध्यक्ष महोदय, इसको पारित करने के साथ मैं माननीय कल्ला साहब का बहुत सम्मान करता हुआ दो बात कहना चाहूंगा । एक तो श्रीमान् कल्लाजी, जब आप शिक्षा मंत्रीजी थे तब आपने वर्ष 2001-2002 की स्थिर ब्लॉक ग्रांट में से जिन संस्थाओं के पदों की संख्या व उस पर होने वाले व्यय से 10 प्रतिशत की दर से कमी की जाये। यह आर्डर आपका निकाला हुआ है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कहां निकाला हुआ है? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आपका ही, मैं थोड़े था उस समय। (व्यवधान) आप थे । सरकार आपकी थी। (व्यवधान) सुन तो लो, पहले पूरी सुनो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: I will give you an opportunity.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 2003 में ? 2003 में मैं क्या हायर एजूकेशन का मिनिस्टर था क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): तो कौन था?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप बताइये, आपकी नोलेज से पूछ रहा हूं मैं? (व्यवधान) मैं हायर एजूकेशन मिनिस्टर था क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): 2001-2002 में। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पिछले कार्यकाल में हायर एजूकेशन की मिनिस्टरी कभी नहीं रही। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): शैलेन्द्र जोशी थे। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): 2001-02 में। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सी. पी.जोशी थे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, 2001-02 में मैं नहीं था। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आपकी सरकार का भाई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: If I remember correctly, you were there.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, आपकी सरकार थी। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं हायर एजूकेशन मिनिस्टर था ही नहीं। (व्यवधान) मैं कभी नहीं रहा।

श्री अध्यक्ष: शैलेन्द्र जोशी थे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं शिवचरणजी के वक्त में हायर एजूकेशन मिनिस्टर था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हायर एजूकेशन मिनिस्टर तो शैलेन्द्रजी थे। लेकिन आप एजूकेशन मिनिस्टर थे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं नहीं था, मैडम। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): चलो आपकी सरकार थी। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं हायर एजूकेशन मिनिस्टर नहीं था। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं नहीं था। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मंत्रिमण्डल में सामूहिक जिम्मेदारी होती है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अब हमने 24-3-2006 को यह कह दिया है कि पिछले साल 2004-05 में दी गयी वास्तविक अनुदान राशि के बराबर दी जाएगी, किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। यह आदेश जारी कर दिया है। इसलिए प्राइवेट निजी शिक्षण संस्थाओं वाले अनुदान में हमने कोई कमी नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको पारित किया जाए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बिलकुल गलतबयानी कर रहे हैं। 2004-05 में मुख्य लेखाधिकारी ने अनुदान का जो निर्धारण किया था, आपने उसमें लाखों रुपये रोक लिये, आप लाखों रुपये बहाल करो, तब वह वास्तविक भुगतान माना जाएगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 को संशोधित रुप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 संशोधिक रूप से पारित किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 5 अप्रैल, 2006 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.55 बजे बुधवार, दिनांक 5 अप्रैल, 2006 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

केकड़ी में खनन लीज हेतु लम्बित आवेदन

379. श्री गोपाल लाल धोबी (केकड़ी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में गत तीन वर्षों में क्वार्टज फैल्सफार एवं माइका के लिये खनन लीज हेतु किस–किस व्यक्ति ने कहां–कहां के लिये कब–कब आवेदन किया?

(2) प्राप्त आवेदनों में से किस-किस व्यक्ति को कब-कब खनन लीज आबंटित की गई?

(3) कौन-कौन से आवेदन किन-किन कारणों से निरस्त किये गये और कौन-कौन से आबंटन विचाराधीन हैं? विवरण व्यक्तिवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में गत तीन वर्षों में खनिज क्वार्टज, फैल्सफार, एवं माईका के लिए कुल 61 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कब-कब व कहां-कहां का विवरण परिशिष्ट 'अ' में वर्णित है।

(2) प्राप्त आवेदन पत्रों में से 4 आवेदकों को लीज आबंटित की गई है। किस-किस को व कब-कब की सूचना संलग्न परिशिष्ट ''ब'' पर वर्णित है।

(3) प्राप्त आवेदन पत्रों में से 26 आवेदन पत्र निरस्त किये गये हैं। जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट ''स'' पर तथा शेष 31 आवेदन पत्र लम्बित रहें जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट ''द'' पर वर्णित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बाली की स्वीकृत सड़कें

382. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली के लिए कुल राशि रुपये 109.65 लाख की लागत से 9 सड़कें स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कब? इस बाबत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

216]

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि इन स्वीकृत सड़कों के निर्माण पर पत्रांक कृषि ग्रुप-2 प.-4/53/(3-11) दिनांक 14 जुलाई 2004 द्वारा रोक लगाई तथा पुनः 5 अगस्त, 2005 को स्वीकृतियां जारी की गई एवं पुनः पत्रांक प. 3 (15) कृषि/ग्रुप-2/2005 द्वारा रोक लगा दी गई और अब पत्रांक 2798-280 दिनांक 2 फरवरी, 2006 द्वारा कृषि उपज मंडी सुमेरपुर ने नवीन बी.एस.आर. के आधार पर इन सड़कों की पुनः स्वीकृति सिफारिश सरकार को प्रेषित की है? यदि हां, तो कार्य पर बार-बार क्यों रोक लगाई गई? उस बाबत जारी समस्त आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या क्षेत्रीय विधायक द्वारा जनहित में उक्त महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण, स्वीकृति बाबत सरकार को पत्र लिखे गये हैं? यदि हां, तो पत्रों की प्रतियां एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार शीघ्र इन सड़कों की स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। वास्तव में विधान सभा क्षेत्र बाली में कृषि (ग्रुप-2) विभाग के पत्रांक प.7(3) कृषि/ग्रुप-2/2003 दिनांक 24.7.2003 द्वारा विशेष मरम्मत योजना के अन्तर्गत 74.74 कि.मी. लम्बाई की 21 सड़कों हेतु रु. 207.38 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थीं स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट अ-1-I एवं अ-1-II पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। बाली विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत विशेष मरम्मत की 8 सड़कों के कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण प्रशासक, राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पत्रांक 201-202 दिनांक 23.6.2004 के द्वारा रोक लगाई गई थी। पत्र की छाया प्रति परिशिष्ट अ-3-I पर संलग्न है। यह सही है कि रोकी गई सड़कों के कार्य को पुनः प्रारम्भ करने की स्वीकृति राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3(15)कृषि/ग्रुप-2/2005 दिनांक 5.8.2005 द्वारा जारी की गई थी। पत्र की छाया प्रति परिशिष्ट अ-5 पर उपलब्ध है। दिनांक 5.8.2005 की स्वीकृति के क्रम में पूर्व के संवेदकों द्वारा कार्य करने से मना करने पर पुनः नई निविदायें आमंत्रित कर अन्य ठेकेदारों से कार्य करवाने हेतु प्रकरण विचाराधीन है।

पत्रांक 2798-2801 दिनांक 2.2.2006 (परिशिष्ट अ-6-I से II) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति सुमेरपुर द्वारा नहीं लिखा गया है बल्कि अधिशासी

(कृषि विपणन मंत्री)

अभियन्ता, कृषि विपणन बोर्ड सुमेरपुर द्वारा लिखा गया है। इस पत्र के द्वारा कार्यों की आवश्यकता के अनुरुप संशोधित अनुमान बनाकर स्वीकृत करने हेतु लिखा गया है।

(3) माननीय क्षेत्रीय विधायक द्वारा इन कार्यों को करवाने हेतु राज्य सरकार को लिखे गये पत्र की छाया प्रति परिशिष्ट अ-15 व अ-16 पर संलग्न है। रोकी गयी सड़कों को नये तकमीने के आधार पर स्वीकृत कर दिया गया है।

(4) जी हां। उपरोक्तानुसार स्वीकृत कर दी गई है।

(विवरण आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

टिब्बी के विद्यालयों में रिक्त पद

384. **श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची** (टिब्बी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में कितने विद्यालय क्रमोन्नत किये गये? इनमें कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने-कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कराने का सरकार विचार रखती है?

(2) गत दो वर्षों के दौरान विधान सभा क्षेत्र टिब्बी क्षेत्र में कितने नये प्राथमिक विद्यालय सृजित किये गये, इनमें कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने-कितने पद रिक्त हैं? सरकार रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कराने का विचार रखती है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में स्थित राजीव गांधी पाठशालाओं को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रावतसर एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावतसर में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में 18 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं 7 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में तथा 2 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है, जिनमें स्वीकृत रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

रिक्त पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में

(शिक्षा मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 41 प्राथमिक विद्यालयों में से 27 प्राथमिक विद्यालय प्रारंभ हुए हैं, जिनमें 54 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्वीकृत पदों में से 19 पद रिक्त हैं।

तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जा सकेंगे। स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'ख' संलग्न है।

(3) जी हां। वर्ष 2006-07 में समस्त राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया है।

(4) मापदण्डानुसार किसी भी ब्लाक की ग्रामीण महिला साक्षरता दर 46.13 प्रतिशत से कम एवं जेंडर गेप 21.59 प्रतिशत से अधिक होने परे कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोला जा सकता है। इस क्रम में राज्य के 130 ऐसे ब्लाक्स वर्ष 2006-07 के लिए चिन्हित किये गये हैं, किन्तु टिब्बी ब्लाक में उक्त मापदण्ड पूर्ण न होने से इसका नाम सूची में नहीं है।

(5) राज्य सरकार वित्तीय प्रावधानों के तहत एवं निर्धारित संख्या में छात्र विषय/संकाय का अध्ययन करने हेतु उपलब्ध होने पर अतिरिक्त संकाय एवं अतिरिक्त विषय/संकाय प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान करती है। राउमावि टिब्बी एवं राबउमावि रावतसर में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार ही कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट ''क''

टिब्बी में गत दो वर्ष में क्रमोन्नत विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	प्राचार्य	2	1
2.	प्रधानाध्यापक	7	5
3.	व्याख्याता	6	6
4.	वरिष्ठ अध्यापक	50	33
5.	अध्यापक	65	2
6.	शारीरिक शिक्षक	1	0

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
7.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	0
8.	वरिष्ठ लिपिक	2	1
9.	कनिष्ठ लिपिक	6	4
10.	चतुर्थ श्रेणी	4	0

परिशिष्ट ''ख''

टिब्बी में वर्ष 2004-05 तथा 2005 -06 के खुले प्राथमिक विद्यालयों का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	विद्यालय का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	2004-05	राप्रावि 7 के डब्ल्यू डी	02	-
2.		राप्रावि 4-5 एन डब्ल्यू डी	02	-
3.		राप्रावि 34 आर डब्ल्यू डी	02	-
4.		राप्रावि 2 ए पी एम	02	01
5.		राप्रावि 4 डी डब्ल्यू डी	02	-
6.		राप्रावि 5 आर डब्ल्यू एम	02	-
7.		राप्रावि सरदारपुरा खालसा	02	-
8.		राप्रावि 26 आर डब्ल्यू डी	02	-
9.		राप्रावि 8 एसटीबी चन्दरवाली	02	-
10.		राप्रावि वार्ड नं. 18-20 टीबी	02	-
11.		राप्रावि बुधवालिया	02	-
12.		राप्रावि रणजीतपुरा	02	-
13.		राप्रावि 10 एनडीआर	02	-
14.		राप्रावि बा. धन्नासर	02	-
15.		राप्रावि हरिजन बस्ती खोड़ा	02	-
16.		राप्रावि सलेमगढ़ मासानी	02	-
17..		राप्रावि वार्ड नं. 3 रावतसर	02	02

क्र.सं.	वर्ष	विद्यालय का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	2005-06	राप्रावि वार्ड नं. 18 रावतसर	02	02
2.		राप्रावि 4-5 आर डब्ल्यू बी	02	02
3.		राप्रावि 1 एन के रणजीतपुरा	02	-
4.		राप्रावि चक 6 एस पी डी (बी)	02	02
5.		राप्रावि चक 4 जेड डब्ल्यू	02	02
6.		राप्रावि 11 डी पी एल डबलीकलां	02	02
7.		राप्रावि 6 एस एम डब्ल्यू मैनावाली	02	02
8.		राप्रावि चक 2 एम डी मेहरवाला	02	02
9.		राप्रावि 13 ए जी मिर्जेवालीमैर	02	02
10.		राप्रावि 7 एम जेड डब्ल्यू	02	-
11.		राप्रावि 5 एस एस डी (बी)	खुला नहीं है।	-
12.		राप्रावि 7 डी डब्ल्यू एम	खुला नहीं है।	-
13.		राप्रावि वार्ड नं. 1 रावतसर	खुला नहीं है।	-
14.		राप्रावि 12 के डब्ल्यू डी	खुला नहीं है।	-
15.		राप्रावि वार्ड नं. 10 रावतसर	खुला नहीं है।	-
16.		राप्रावि 2 के डब्ल्यू डी	खुला नहीं है।	-
17.		राप्रावि 5 के डब्ल्यू डी	खुला नहीं है।	-
18.		राप्रावि चक 1 एच डी	खुला नहीं है।	-
19.		राप्रावि चक 1-2 के के एस एन	खुला नहीं है।	-
20.		राप्रावि गांव फोगल	खुला नहीं है।	-
21.		राप्रावि 4 एल के	खुला नहीं है।	-
22.		राप्रावि 3 एस पी एम	खुला नहीं है।	-
23.		राप्रावि 3 एम जी डब्ल्यू	खुला नहीं है।	-
24.		राप्रावि14 ए जी भोमपुरा	खुला नहीं है।	-

भरतपुर जिले में दूषित पानी वाले ग्रामों हेतु शुद्ध पेयजल आपूर्ति

385. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर हेतु स्वीकृत पेयजल योजनाएं निर्धारित समय अवधि समाप्त होने पर भी पूर्ण नहीं हुई हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार जिला भरतपुर के नगर, कामां, डीग, कुम्हेर व नदबई तहसीलों के दूषित पानी वाले ग्रामों में शुद्ध पेयजल सुलभ कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना के स्वीकृत प्रथम चरण-प्रथम भाग में सम्मिलित गांवों को ढाई वर्षों में लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

प्रथम भाग के पूर्ण होने पर प्रथम चरण के द्वितीय भाग की स्वीकृति पर निर्णय उपरान्त क्रियान्वयन सम्भव होगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में स्वीकृत खनन क्षेत्र में वन/सरकारी/निजी खातेदारी भूमि का मास्टर प्लान में इन्द्राज

386. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में स्वीकृत खनन क्षेत्र कितना है? इस खनन क्षेत्र में से कितने क्षेत्र में वन क्षेत्र है व कितने में सरकारी जमीन है व कितने क्षेत्र में निजी खातेदारी जमीन है?

(2) क्या सरकार द्वारा सभी स्वीकृत लीज क्षेत्रों में वन भूमि, सरकारी भूमि व निजी खातेदारी भूमि का इन्द्राज कर लिया गया है? यदि नहीं, तो यह कार्य किन-किन जिलों में पूर्ण कर लिया गया और कहां-कहां बाकी रहा है? इसे कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

(3) क्या इन्द्राज किये गये क्षेत्र को मास्टर प्लान में शामिल कर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

लिया गया है? क्या यह मास्टर प्लान जन-साधारण के लिए उपलब्ध है? यदि नहीं, तो इसे कब तक पूरा करवा कर जनता के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 1,59,229.71 हैक्टर खनन क्षेत्र स्वीकृत है। स्वीकृत खनन क्षेत्र में से वन क्षेत्र, सरकारी जमीन एवं निजी खातेदारी जमीन का क्षेत्रफल वृत्तवार परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

(2) स्वीकृत लीज क्षेत्रों में वन भूमि, सरकारी भूमि व प्राइवेट भूमि का इन्द्राज किया गया है। जिनमें से 11 जिलों में पूर्ण रूप से इन्द्राज किया गया एवं 21 जिलों में आंशिक एवं अपूर्ण है। जिसमें कार्यवाही राजस्व विभाग से अपेक्षित है। राजस्व विभाग से अमलदरामद पूर्ण कराने की शीघ्र कार्यवाही की जा रही है। जिलों में पूर्ण एवं अपूर्ण अमलदरामद किये जाने सम्बन्धी सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। जिन खनन क्षेत्रों में इन्द्राज कर लिये गये हैं, उनको मास्टर प्लान कर शामिल कर लिया गया है। मास्टर प्लान जनसाधारण को देखने के लिए उपलब्ध है। नियमानुसार फीस जमा कर मास्टर प्लान का अवलोकन किया जा सकता है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

क्र.सं.	वृत्त	कुल स्वीकृत खनन क्षेत्र (हैक्टर में)	वन क्षेत्र (हेक्टर में)	सरकारी भूमि क्षेत्र (हेक्टर में)	निजी खातेदारी
1	2	3	4	5	6
1	कोटा	9852.963	3691.632	3388.943	2772.388
2	जयपुर	19360.2208	3451.5533	8777.4858	7131.1817
3	जोधपुर	19719.284	1383.908	11530.593	6804.777

1	2	3	4	5	6
4	बीकानेर	38059.042	135.73	17776.866	20146.446
5	उदयपुर	23966.5651	1495.8267	11643.3011	10827.4364
6	भीलवाड़ा	13584.0293	794.58	7135.617	5653.8323
7	भरतपुर	24687.6216	2021.387	19722.1801	6934.2345
योग		**159229.71**	**12973.6170**	**79874.9860**	**60270.2954**

नोट :-

1. राज्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत खनन सम्बन्धी 135 प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा 4331.3014 हैक्टर्स वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई है शेष वन भूमि जो खनन लीज के अन्तर्गत आती है उसके प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में कार्यवाही राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के मध्य विचाराधीन है। वन भूमि में केन्द्र सरकार की अनुमति के बाद ही खनन कार्य की स्वीकृति दी जाती है।
2. भरतपुर खनि अभियन्ता कार्यालय के 300 खनन पट्टों का रेवेन्यू मेप पर अंकन नहीं होने से क्षेत्रवार स्थिति स्पष्ट नहीं है।

परिशिष्ट-2

अमलदरामद किये गये की जिलेवार सूचना

क्र.सं.	**निम्न जिलों में आंशिक अमल दरामद शेष हैं।**	**क्र.सं.**	**निम्न जिलों में पूर्ण रूप से अमलदरामद किये गये।**
1.	कोटा	1.	झालावाड़
2.	बून्दी	2.	चित्तौड़गढ़
3.	उदयपुर	3.	भीलवाड़ा
4.	जयपुर	4.	बांसवाड़ा
5.	सीकर	5.	डूंगरपुर
6.	नागौर	6.	राजसमन्द

1	2	3	4
7.	टोंक	7.	अजमेर
8.	बीकानेर	8.	जैसलमेर
9.	चूरू	9.	श्रीगंगानगर
10.	जोधपुर	10.	हनुमानगढ़
11.	सिरोही	11.	अलवर
12.	पाली		
13.	बाड़मेर		
14.	जालौर		
15.	बारां		
16.	भरतपुर		
17.	धौलपुर		
18.	करौली		
19.	दौसा		
20.	सवाईमाधोपुर		
21.	झुंझुनूं		

पुलिस थाना बागरा (जालौर) में दर्ज नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी

387. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले के बागरा थाना क्षेत्र में मार्च, 2006 के ब्राउन शुगर व हेरोइन की तस्करी का मामला पकड़ा गया है? यदि हां, तो कब व कितने मूल्य की ब्राउन शुगर व हेरोइन पकड़ी गई?

(2) उक्त मामले में किन-किन व्यक्तियों को लिप्त पाया गया तथा उनमें से किन-किन व्यक्तियों को किस धारा में गिरफ्तार किया गया? नाम, पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल)

(3) क्या उक्त प्रकरण में विधान सभा क्षेत्र निवाई के भी कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन? क्या पकड़े गये व्यक्तियों का पूर्व में भी आपराधिक रिकार्ड रहा है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में कुछ अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है? यदि हां, तो किन-किन को? क्या सरकार इन्हें गिरफ्तार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 6 मार्च, 2006 को एक मामला ब्राउन शुगर व हेरोइन का पकड़ा गया, जिसमें 2 ग्राम हेरोइन व एक किलोग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपये हो सकती है।

(2) उक्त मामले में लिप्त/गिरफ्तार व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। विधानसभा क्षेत्र निवाई के 4 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट ''क'' में संलग्न है।

उक्त गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से एक रामकिशन पुत्र लक्ष्मण गुर्जर नि. थली बासड़ा (हमीदपुर) थाना बरौनी जिला टोंक के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 198/02 धारा 341, 323 भादस पुलिस थाना बरोनी से चालान न्यायालय में पेश हुआ है, जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है। बाकी व्यक्तियों के खिलाफ पूर्व का आपराधिक रिकार्ड नहीं है।

(4) उक्त प्रकरण में अपराधी की गिरफ्तारी शेष है, जिसका विवरण परिशिष्ट ''क'' में संलग्न है। इसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

परिशिष्ट ''क''

जिला जालौर के बागरा थाना पर 6 मार्च, 2006 को दर्ज मुकदमा नम्बर 28/06 धारा 8/21, 22 एन.डी.पी.एस. एक्ट में लिप्त/गिरफ्तार व्यक्तियों की सूची

क्र.सं.	नाम पता मुल्जिम	धारा	विशेष विवरण
1.	रामअवतार पुत्र राम कल्याण गुर्जर उम्र 27 वर्ष नि. थली बासड़ा (हमीदपुर) थाना बरौनी जिला टोंक	8/21, 22 एन.डी.पी.सी. एक्ट	
2.	श्री रामकिशन पुत्र लक्ष्मण गुर्जर उम्र 21 साल नि. थली बासड़ा (हमीदपुर) थाना बरौनी जिला टोंक	8/21, 22 एन.डी.पी.सी. एक्ट	
3.	श्री गिरधारी लाल उर्फ गिरधर कुमार पुत्र लाड़ूलाल जैन उम्र 35 साल नि. पहाड़ी, थाना बरौनी जिला टोंक	8/21, 22 एन.डी.पी.सी. एक्ट	
4.	श्री सूरजकरण पुत्र रामकरण गुर्जर उम्र 24 साल नि. थाना निवाई, जिला टोंक	8/21, 22 एन.डी.पी.सी. एक्ट	
5.	श्री सुरेश कुमार पुत्र सीताराम जाट उम्र 24 साल नि. गोल थाना बोली जिला सवाई माधोपुर	8/29 एन.डी.पी.सी. एक्ट	
6.	श्री सीताराम पुत्र बालूराम जाट, उम्र 48 वर्ष नि. गोल, थाना बौली जिला सवाई माधोपुर	8/29 एन.डी.पी.सी. एक्ट	
7.	श्री भगवान सहाय पुत्र श्री राम नारायण शर्मा, पत्रकार, पंजाब केसरी, नि. थाना कोतवाली जिला टोंक	8/29 एन.डी.पी. सी.एक्ट	
8.	श्री छोटू उर्फ छोटा पुत्र गिरिराज गुर्जर नि. बोली, जिला सवाई माधोपुर	8/29 एन.डी.पी.सी. एक्ट	गिरफ्तारी शेष है।

उक्त व्यक्तियों में से विधान सभा क्षेत्र निवाई के गिरफ्तार व्यक्तियों की सूची

क्र.सं.	नाम पता मुल्जिम	धारा
1.	रामअवतार पुत्र राम कल्याण गुर्जर उम्र 27 वर्ष नि. थली बासड़ा (हमीदपुर) थाना बरौनी जिला टोंक	8/21, 22 एन.डी.पी.सी. एक्ट
2.	श्री रामकिशन पुत्र लक्ष्मण गुर्जर उम्र 21 साल नि. थली बासड़ा (हमीदपुर) थाना बरौनी जिला टोंक	8/21, 22 एन.डी.पी.सी. एक्ट
3.	श्री गिरधारी लाल उर्फ गिरधर कुमार पुत्र लाडूलाल जैन उम्र 35 साल नि. पहाड़ी, थाना बरौनी जिला टोंक	8/21, 22 एन.डी.पी.सी. एक्ट
4.	श्री सूरजकरण पुत्र रामकरण गुर्जर उम्र 24 साल नि. थाना निवाई, जिला टोंक	8/21, 22 एन.डी.पी.सी. एक्ट

रायपुर (भीलवाड़ा) के अकाल राहत कार्यों में कारीगरों को सामग्री मद से भुगतान

388. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायपुर में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कारीगरों का भुगतान सामग्री मद में करने का आदेश जारी किया गया है?

(2) क्या राज्य में निर्माण करने वाली बी.एस.आर में मेटल कम्पोन्ट भी माना गया?

(3) क्या आज से पूर्व में चल रहे अकाल राहत कार्यों में कारीगर का भुगतान मेटल से किया गया या इसी वर्ष से लागू किया गया?

(4) कारीगर का भुगतान मेटल में करना था, तो पूर्व में अधिकारियों ने कारीगरों का भुगतान लेबर में क्यों किया? इसके लिए कौन अधिकारी/ कर्मचारी दोषी है?

(5) क्या सरकार इनके विरुद्ध कार्यवाही करने या आदेश में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सी.आर.एफ. (केन्द्रीय सहायता कोष) नार्म्स में केवल अकुशल श्रमिकों के मजदूरी की भुगतान की व्यवस्था होने के कारण कुशल श्रमिक (कारीगर) का व्यय डोवटेल कार्यकारी विभाग की सामग्री मद से देने की व्यवस्था है। इसलिए राज्य सरकार ने इस प्रकार के आदेश सभी जिलों के लिए जारी किये हैं।

(2) बी.एस.आर. में इस प्रकार के वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं होती है।

(3) भारत सरकार द्वारा सी.आर.एफ. के नार्म्स मे दिनांक 15.9.04 को संशोधन किया गया है। जिसमें सी.आर.एफ. मद से केवल अकुशल श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान ही अनुमत किया है। अतः इन आदेशों के बाद से कारीगर का भुगतान सामग्री मद से करने की व्यवस्था लागू की गई है। इन आदेशों से पूर्व भारत सरकार द्वारा जारी सी.आर.एफ. के नार्म्स के आदेशों में रोजगार सृजन हेतु एस.जी.आर.वाई. के नाम्र्स लागू थे, जिसमें सामग्री मद

भी सी.आर.एफ. से राशि व्यय कराना अनुमत था। अतः इन आदेशों से पूर्व सी.आर.एफ. मद सें सामग्री के तहत ही कुशल श्रमिक (कारीगर) का भुगतान व्यवस्थित किया जाता था।

(4) उत्तर बिन्दु संख्या 3 में दिया हुआ है।

(5) जी नहीं। क्योंकि सी.आर.एफ. नार्म्स में संशोधन करना भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

धौलपुर जिले में पाले से हुए नुकसान का मुआवजा

389. **श्री बनवारी लाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला धौलपुर में वर्तमान समय में पाला गिरने से फसलें नष्ट हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन गांवों में?

(2) क्या सरकार जिन गांवों में पाले से फसलें नष्ट हुई हैं उनका सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि धौलपुर जिले की तहसील राजाखेड़ा के 118 गांवों में पाला पड़ने से फसलों को नुकसान हुआ है। जिन गांवों में नुकसान हुआ है उनकी सूची संलग्न है।

(2) फसल के नुकसान की गिरदावरी कराई जाकर सर्वे करा लिया गया है। जिसके अनुसार सरसों एवं आलू की फसल में 17 प्रतिशत नुकसान हुआ है। राज्य सरकार द्वारा पाले से फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा नहीं दिया जाता है बल्कि आपदा राहत कोष के माददण्डों में फसलों को हुए नुकसान पर कृषि आदान अनुदान दिये जाने का प्रावधान है किन्तु पाला पड़ने पर फसलों को हुये नुकसान पर कृषि आदान अनुदान भी देय नहीं है।

राजस्व ग्रामों की सूची तह. राजाखेड़ा जिला धौलपुर

क्र. सं.	नाम राजस्व ग्राम	क्र. सं.	नाम राजस्व ग्राम
1.	महदवार नं. 1	4.	सिघावलीखुर्द
2.	महदवार नं. 2	5.	डिरावली
3.	सिघावली कलां	6.	देवदास का पुरा

क्र. सं.	नाम राजस्व ग्राम	क्र. सं.	नाम राजस्व ग्राम
7.	श्रीनगर	31.	दिची
8.	सिकरौदा	32.	नीमडांडा
9.	डोंगरपुर	33.	बिचौला
10.	विडार	34.	भाऊपुरा बेचिराग
11.	छीतापुरा	35.	कुम्हरपुरा
12.	कछियारा विडार	36.	समौना
13.	सिलावट	37.	गढ़ी ठडावली
14.	जगमोहन का पुरा	38.	जरगा
15.	शेखपुरब्राह्मण	39.	सुल्तानपुर
16.	नदौरा	40.	सिकन्दरपुर
17.	बाजना	41.	रन्छोरपुरा
18.	डिडवार	42.	नाहिला
19.	विल्हैटा	43.	गढ़ीकरीलपुर
20.	कसियापुरा	44.	खुडिला का पुरा
21.	काटरकापुरा	45.	मरैना
22.	जारिहा नं. 1	46.	दानि
23.	जारिहा नं. 2	47.	पाय
24.	बसईघीयाराम	48.	गोलीपुरा
25.	गढ़ीजाफर	49.	चौहानपुरा
26.	बसई कविलाल	50.	फरासपुरा
27.	दगरा	51.	बाहरीपुरा
28.	देवखेड़ा	52.	डमैरा
29.	गढ़ी जोनावद	53.	जुगईपुरा
30.	बावरपुर	54.	अण्डवापुरैनी

क्र. सं.	नाम राजस्व ग्राम	क्र. सं.	नाम राजस्व ग्राम
55.	चाडियनकापुरा	79.	महदपुरा
56.	कमरियनकापुरा	80.	कठूमरा
57.	बसईकारे	81.	गड़राई
58.	सिहोली	82.	बेरखेड़ा
59.	विचपुरी	83.	शंकरपुरा
60.	हनुमान का पुरा	84.	भूड़ा
61.	जैतपुरा	85.	चीलपुरा
62.	मछरिया	86.	टीकैतपुर
63.	माधोपुरा	87.	बक्सपुरा
64.	पहाड़ी	88.	गोपालपुरा
65.	सवितानगर	89.	लालपुर
66.	हथवारी	90.	अतरोली
67.	अनन्दापुरा	91.	नसीलपुर
68.	ढोंडकापुरा	92.	रहसैना
69.	चौधरीकापुरा	93.	सामोर
70.	दिहौली	94.	चंगोरा
71.	शेखूपुरगूजर	95.	मढई
72.	करकारेवरली	96.	नादौली
73.	पुरापतिराम	97.	सागलियापुरा
74.	इन्द्रावली	98.	आम का पुरा
75.	गुनपुर	99.	सदापुर
76.	कठूमरी	100.	जारह
77.	घुरैयाखेड़ा	101.	धारापुरा
78.	पापरीपुरा	102.	बरसला

क्र. सं.	नाम राजस्व ग्राम	क्र. सं.	नाम राजस्व ग्राम
103.	दलेलकापुरा	111.	खनपुरा
104.	गन्हेदी	112.	कंचनपुरा
105.	बीच का पुरा	113.	मिठावली
106.	अजीता पुरा	114.	तोराजपुर
107.	खुडिला	115.	रूंधनाहिला बेचिराग
108.	खुडिली	116.	परसुआपुरा
109.	भगवानपुर	117.	नागर
110.	गोहदुपुरा	118.	सोगली

गोहाना औद्योगिक क्षेत्र में रीको की भूमि पर अतिक्रमण

390. श्री देवी शंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गोहाना में रीको द्वारा 33 के.वी. के ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना हेतु भूमि आरक्षित की गई थी? यदि हां, तो उस भूमि की वर्तमान में क्या स्थिति है?

(2) क्या यह सही है कि रीको की उक्त जमीन पर अनाधिकृत अतिक्रमण किये हुए हैं? यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार रखती है? क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों हेतु दोषी अतिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। रीको औद्योगिक क्षेत्र गोहाना में 33 के.वी. के सब-स्टेशन हेतु भूखण्ड संख्या एस.पी.-2 क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित की गई है। यह भूमि वर्तमान में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ को आबंटित है एवं रिक्त पड़ी हुई है।

(2) जी नहीं। उक्त भूमि अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. को आबंटित है एवं इस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) पंचायत समिति में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

391. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं? यदि हां, तो वर्ष 2003-04 से अब तक यह केन्द्र कहां-कहां खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पंचायत समिति निम्बाहेड़ा व छोटी सादडी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

परिशिष्ट-1

वर्ष 2003-04 से अब तक राजकीय आई.टी.आई. स्वीकृत किये गये की सूची

क्र.सं.	राजकीय आई.टी.आई
1.	राजकीय औ.प्र.सं. फागी (जयुपर)
2.	राजकीय औ.प्र.सं. सांगानेर (जयपुर)
3.	राजकीय औ.प्र.सं. चौमूं (जयपुर)
4.	राजकीय औ.प्र.सं. रैणी (अलवर)
5.	राजकीय औ.प्र.सं. झुन्झुनूं
6.	राजकीय औ.प्र.सं. बाडी (धौलपुर)
7.	राजकीय औ.प्र.सं. खुन्द (सीकर)
8.	राजकीय औ.प्र.सं. बालेसर (जोधपुर)
9.	राजकीय औ.प्र.सं. लूणी (जोधपुर)

क्र.सं.	राजकीय आई.टी.आई
10.	राजकीय औ.प्र.सं. शिव (बाड़मेर)
11.	राजकीय औ.प्र.सं. किशनगढ़ (अजमेर)
12.	राजकीय औ.प्र.सं. जैल, अजमेर
13.	राजकीय औ.प्र.सं. ऊँच्चा (भीलवाड़ा)
14.	राजकीय औ.प्र.सं. खानपुर (झालावाड़)
15.	राजकीय औ.प्र.सं. खेराबाद (कोटा)
16.	राजकीय औ.प्र.सं. केलवाड़ा (बारां)
17.	राजकीय औ.प्र.सं. नौखा (बीकानेर)
18.	राजकीय औ.प्र.सं. करणपुर (श्रीगंगानगर)
19.	राजकीय औ.प्र.सं. बेगूं (चित्तौड़गढ़)
20.	राजकीय औ.प्र.सं. राजसमन्द

झुंझुनूं जिले में संचालित पेयजल योजनाओं पर व्यय

392. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जनता जल योजना को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त योजना किस आदेश से कब शुरू की गई तथा किस आदेश से कब बन्द की गई तथा बन्द करने का क्या औचित्य है?

(2) जिला झुन्झनूं में गांवों व कस्बों में पीने के पानी की कौनसी योजनाओं की क्रियान्विति की जा रही है?

(3) जिला झुन्झुनूं में जनता जल योजना बन्द करने के पश्चात सरकार द्वारा निर्मित टयूबवैल या अन्य स्रोत किस योजना के अन्तर्गत बनाये गये हैं? सभी निर्मित स्रोतों का विवरण मय योजना एवं व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जिला झुन्झुनूं में 12 कस्बे एवं 855 आबाद गांव (2001

जनगणना) विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं। सभी 12 कस्बों में पाइप्ड योजनाएं हैं। ग्रामों में योजना का प्रकार निम्नानुसार है –

योजना का प्रकार	**योजनाओं की संख्या**	**ग्रामों की संख्या**
क्षेत्रीय	40	140
पाइप्ड	110	110
हैण्डपम्प	63	63
टी.एस.एस/जनता जल योजना	542	542
योग	**755**	**855**

आवश्यकतानुसार इन योजनाओं के संवर्धन कार्य करवाए जाते हैं। वर्तमान में प्रगतिरत योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलगन है।

(3) ''जनता जल योजना'' बन्द नहीं की गई है। वर्ष 2005-06 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित स्रोतों की सूची संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(योजनाओं का विवरण एवं सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले की औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण

393. **श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले की तहसील तिजारा के भिवाड़ी चौपानकी खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों में से कौन-कौनसी इकाई जांच में प्रदूषण फैलाने की दोषी पाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन औद्योगिक क्षेत्रों में जांच कब-कब व कौन-कौनसी इकाइयों में की गई? शेष की जांच नहीं किये जाने के क्या कारण रहे?

(3) प्रदूषण फैलाने की दोषी पाई जाने वाली इकाइयां के विरुद्ध सरकार द्वारा कब-कब क्या कार्यवाही की गई व उसके परिणाम क्या रहे? इकाई अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) शिकायत क्षेत्र के अतिरिक्त उक्त औद्योगिक क्षेत्र की सभी इकाइयों द्वारा प्रदूषण रहित होने बाबत क्या सरकार आश्वस्त है? यदि नहीं, तो उन इकाइयों पर अब तक कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार उद्योगों को लाल श्रेणी में रखा गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अलवर जिले की तहसील तिजारा स्थित भिवाड़ी, चौपांकी एवं खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्रों में लाल श्रेणी के 43 उद्योगों को चिन्हित किया गया है। गत दो वर्षों के दौरान की गई जांच में 12 उद्योगों को निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा में जल/वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन/निस्त्राव का दोषी पाया गया। इसमें से 8 उद्योगों में जल प्रदूषकों का निस्त्राव निर्धारित मानकों से अधिक व 4 उद्योगों में वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन निर्धारित मानकों से अधिक पाया गया। संबंधित दोषी उद्योगों की सूची/विवरण संलग्नक ''अ-1'' (जल) एवं ''अ-2'6 (वायु) पर उपलब्ध है।

(2) भिवाड़ी, चौपांकी एवं खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित लाल श्रेणी के सभी 43 उद्योगों की जांच राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा गत दो वर्षों में की गई। जांच संबंधी विवरण संलग्नक ''ब-1'' (जल) एवं ''ब-2'' (वायु) पर उपलब्ध है।

(3) निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा में जल/वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन/निस्त्राव का दोषी पाये गये 12 उद्योगों के विरुद्ध जल अधिनियम, 1974/वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसर कार्यवाही की गई व उसके परिणमों का विवरण संलग्नक ''अ-1'' (जल) एवं ''अ-2'' (वायु) पर उपलब्ध है।

(4) भिवाड़ी, चौपांकी एवं खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त तहसील तिजारा में लाल श्रेणी के 4 उद्योग कार्यरत हैं, जिनका विवरण संलग्नक ''स-1 (जल) एवं ''स-2'' (वायु) पर उपलब्ध है। गत दो वर्षों के दौरान की गई जांच में इनमें से एक उद्योग (मैसर्स एस.आर.एफ. लिमिटेड, ग्राम झिवाना) से दिनांक 10.2.05 को लिये गये नमूनों में जल प्रदूषकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गई थी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उक्त उद्योग को नोटिस दिया गया जिसके परिणामस्वरूप उद्योग ने प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में आवश्यक सुधार कर लिया है।

(सूची/विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

खोखरापार-मुनाबाव मार्ग से अवैध घुसपैठ की रोकथाम हेतु कार्य-योजना

394. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मदन राठौड़)

सरकार द्वारा खोखरापार होते हुए मुनाबाव पहुंचने वाली थार एक्सप्रेस के आवागमन से राज्य में अवांछित एवं गैर कानूनी तरीके से होने वाली घुसपैठ एवं तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

खोखरापार-मुनाबाव थार एक्सप्रेस के आवागमन से राज्य में अवांछित एवं गैर कानूनी तरीके से होने वाली घुसपैठ एवं तस्करी को रोकने हेतु व्यवस्था निम्नानुसार है-

1. मुनाबाव स्टेशन पर सभी प्रकार की इमीग्रेशन चैकिंग भारत सरकार के इमीग्रेशन ब्यूरो द्वारा की जा रही है व कस्टम विभाग द्वारा यात्रियों के सामान की चैकिंग करने की व्यवस्था है।
2. मुनाबाव स्टेशन पर उन्हीं व्यक्तियों को भारत में प्रवेश दिया जाता है जिनके पास वैध पासपोर्ट एवं वीजा होता है।
3. अन्तरराष्ट्रीय सीमा के पास तारबन्दी के नजदीक लोहे के बड़े गेट पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा मजूबत सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
4. ट्रेन के आने जाने के समय पर ही सीमा सुरक्षा बल द्वारा गेट खोला जाता है।
5. मुनाबाव स्टेशन से, जीरो लाइन तक, रेल लाइन के दोनों तरफ 12 फीट ऊंची लोहे की जाली से तारबन्दी की हुई है। तारबन्दी एवं लाइन के बीच दोनों ओर बनी सड़क पर जिप्सी द्वारा सीमा सुरक्षा बल के सशस्त्र जवानों द्वारा रेल के साथ-साथ चल कर एस्कोर्टिंग की जाती है एवं अवांछनीय गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है।
6. तारबन्दी के नजदीक सीमा सुरक्षा बल द्वारा गश्त एवं निगरानी रखने की व्यवस्था की गई है।
7. तस्करी एवं घुसपैठ रोकने हेतु काउन्टर इन्टेलिजेन्स कार्य के लिये मुनाबाव स्टेशन पर सी.आई.डी. (बी.आई.) के स्टाफ द्वारा निरन्तर गश्त एवं निगरानी का कार्य किया जाता है।
8. सीमावर्ती क्षेत्र में ही आसूचना ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल (जी), स्पेशल ब्यूरो कस्टम विभाग आदि के स्टाफ द्वारा काउन्टर इन्टेलिजेन्स के साथ-साथ संदिग्ध एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों पर सतत निगरानी रखी जाती है।

(गृह मंत्री)

9. जोधपुर में भी ट्रेन के यात्रियों की चैकिंग एवं आवश्यक पंजीयन की व्यवस्था की गई है।

10. मुनाबाव स्टेशन पर सुचारू कानून व्यवस्था तथा अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु जी.आर.पी. एवं स्थानीय पुलिस के एक उप निरीक्षक, एक मुख्य आरक्षी एवं 4 आरक्षी की अस्थाई चौकी मय वायरलैस सैट के स्थापित की गई है।

राजस्थान राहत कोष के तहत दी जाने वाली सहायता

395. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजस्थान राहत कोष की स्थापना की गई है? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत किन-किन आपदाओं से क्षति पर कितनी-कितनी राशि की सहायता देने का प्रावधान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा पहली बार राजस्थान राहत कोष की स्थापना की है। इसमें निम्नलिखित आपदाओं से क्षति होने पर सहायता देने का प्रावधान किया गया है :-

1. मनुष्य, पशु एवं फसलों का महामारी से बचाव।
2. खान में बाढ़ का पानी आना या उसके ढहने पर होने वाली आपदा में खोज एवं बचाव का कार्य।
3. बहुमंजिले भवनों के ढहने, कुए के ढहने पर होने वाली आपदा के समय किये जाने वाली खोज एवं बचाव के कार्य।
4. मिट्टी एवं चट्टान ढह जाने तथा कुए में जहरीली गैस से उत्पन्न आपदा में खोज एवं बचाव के कार्य।

मनुष्य, पशुओं एवं फसलों में महामारी का आंकलन निम्न प्रकार से किया जायेगा :-

1. मनुष्यों में महामारी :- विशेष भौगोलिक क्षेत्र या समुदाय में किसी विशेष प्रकार की बीमारी का होना या पाया जाना जो सामान्य अनुमानों अथवा पूर्व के अनुभवों तथा सामान्य स्रोतों से निकाले गये मादपण्डों से अत्यधिक हो।

(सहायता मंत्री)

2. पशुओं में महामारी : किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रभावित करने वाली बीमारी, जिसके त्वरित गति से विस्तार होने की सम्भावना हो एवं जो सामान्य अनुमानों एवं पूर्व अनुभवों के मापदण्डों से अत्यधिक हों।

3. फसलों से महामारी : विशेष भौगोलिक क्षेत्र की फसलों अथवा किसी विशेष फसल के विस्तृत क्षेत्र में लगी बीमारी, जिसके कारण सामान्य अनुभवों एवं पूर्व के अनुमानों से अत्यधिक मात्रा में, क्षति आंकलित की गयी हों।

इन आपदाओं में सहायता दिये जाने के माददण्ड निम्न प्रकार हैं :-

1. राजस्थान राहत कोष के अन्तर्गत शामिल होने वाली विभिन्न आपदाओं के लिये सहायता प्रदान करने के मापदण्ड समय-समय पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे तथा उन्हीं मापदण्डों के आधार पर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा सहायता राशि प्रदान की जायेगी।

2. यदि इस कार्य के अन्तर्गत आने वाली आपदाओं के लिये किसी अन्य विभाग/किसी अन्य योजना/किसी अन्य संस्था या बीमा कम्पनी/मुख्य मंत्री राहत कोष इत्यादि से सहायता प्रदान करने का प्रावधान हो तो उस आपदा के लिये ''राजस्थान राहत कोष'' से सहायता देय नहीं होगी।

''राजस्थान राहत कोष'' से दी जाने वाली सहायता स्थानीय स्तर पर किये गये प्रयासों से प्राप्त सहायता के पूरक के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

4. खान, भवन, कुएं आदि के ढहने की आपदा में खोज एवं बचाव कार्य पर किये गये व्यय का पुनर्भरण, उस सम्पत्ति के स्वामी से भी प्राप्त करने के लिये जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जाना अपेक्षित होगा।

5. जब तक राज्य स्तरीय समिति द्वारा सहायता के मादपण्ड निर्धारित नहीं किये जावें, तब तक की अवधि के लिये निम्न आपदाओं में निम्नानुसार सहायता राशि राजस्थान राहत कोष से प्रदान की जा सकेगी :-

1- कुएं ढहने पर खोज एवं बचाव कार्य के अन्तर्गत जीवित/मृत व्यक्ति को बाहर निकालने पर होने वाले व्यय के लिये अधिकतम 25,000 रुपये की राशि।

2- मिट्टी एवं चट्टान ढह जाने से होने वाली आपदा में खोज एवं बचाव कार्य के अन्तर्गत जीवित/मृत व्यक्तियों को बाहर निकालने में होने वाले व्यय के लिये अधिकतम 25,000 रुपये की राशि।

(सहायता मंत्री)

3- कुएं में जहरीली गैस निकलने से मृत्यु होने की आपदा पर मृतकों को बाहर निकालने पर होने वाले व्यय के लिये अधिकतम 10,000 रुपये की राशि।

भेड़ों के निष्क्रमण सम्बन्धी बैठकों में क्षेत्रीय विधायक की उपस्थिति

396. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में भेड़ों की कुल संख्या कितनी है तथा इनका निष्क्रमण प्रति वर्ष किन-किन जिलों में कितनी संख्या में होता है?

(2) क्या यह सही है कि हाडौती संभाग के कोटा व अन्य जिलों में भेड़ों के निष्क्रमण को लेकर जन प्रतिनिधियों तथा स्थानीय निवासियों से जिला प्रशासन को शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

(3) क्या यह सही है कि भेड़ पालकों व ग्रामीणों के बीच झगड़े में मिश्रोली थाने में एक व्यक्ति की वर्ष 2005-06 में मृत्यु हो गई व पूर्व में भी झगड़े होते रहे हैं?

(4) क्या यह सही है कि रैबारियों व ग्रामीण जनता में चराई को लेकर झगड़ा एक आम बात हो गई? यदि हां, तो क्या इस पर नियंत्रण हेतु मुख्य सचिव स्तर व जिला स्तर पर आयोजित बैठकों में स्थानीय विधायकों को आमंत्रित किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2003 की पशुगणना अनुसार प्रदेश में 100.54 लाख भेड़ें हैं। इनका निष्क्रमण औसतन प्रतिवर्ष जिला कोटा में 1.83 लाख, बूंदी में 1.26 लाख, झालावाड़ में 2.40 लाख, चित्तौड़गढ़ में 2.51 लाख, बारां में 0.81 लाख, भीलवाड़ा में 0.79 लाख, दौसा में 1.03 लाख, भरतपुर में 1.75 लाख, उदयपुर में 0.36 लाख, बांसवाड़ा में 0.54 लाख, डूंगरपुर में 0.72 लाख, धौलपुर में 0.20 लाख, सवाईमाधोपुर में 0.53 लाख, करौली में 0.42 लाख, अलवर में 0.42 लाख एवं राजमसन्द में 0.19 लाख होता है।

(2) जी हां।

(3) झालावाड़ जिले के मिश्रोली थाना अन्तर्गत ग्राम भेसानी में स्थानीय ग्रामीणों एवं भेड़पालकों के आपसी झगड़े में दिनांक 29.9.2005 को श्री मांगीलाल पुत्र श्री कालूसिंह राजपूत की मृत्यु हुई है।

(4) जी नहीं।

सोनियाना (गंगरार) औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं

397. **श्री अर्जुनलाल जीनगर** (गंगानगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सोनियाना तहसील-गंगरार में रीको औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है? यदि हां, तो इस क्षेत्र के विकास हेतु अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त औद्योगिक क्षेत्र में किस-किस प्रकार की औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का विचार रखती है? इन्हें प्रारंभ होने में कितना समय लगेगा?

(3) उक्त क्षेत्र के आधारभूत विकास हेतु बिजली-पानी पहुंचाने के लिए अब तक क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम सोनियाना तहसील-गंगरार जिला-चित्तौड़गढ की 112.78 हैक्टेयर राजकीय भूमि का कब्जा रीको को प्राप्त हो गया है। इसके अलावा 10.40 हैक्टेयर निजी भूमि की अवाप्ति हेतु धारा 4 की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट एसेसमेंट (ई.आई.ए.) का कार्य कराया जा रहा है।

(2) इस औद्योगिक क्षेत्र में वस्त्र आधारित उद्योगों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट एसेसमेंट (ई.आई.ए.) रिपोर्ट आने के पश्चात भारत सकरार से पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त होने पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) औद्योगिक क्षेत्र में बिजली पहुंचाने के लिए विद्युत फीडर के निर्माण का कार्य अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा करवाया जायेगा। औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर विद्युतीकरण हेतु 11 के.वी. तक की पावर लाइन बिछाने का कार्य एवं स्ट्रीट लाइट से संबंधित सम्पूर्ण कार्य रीको द्वारा अन्य आधारभूत सुविधाओं के साथ करवाया जायेगा। उक्त कार्य भारत सरकार से पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त होने पर ही किया जावेगा। भूजल सर्वे के अनुसार क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कम है। क्षेत्र में घोसुण्डा बांध से पानी उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई विभाग से अनुरोध किया गया है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वित्त निगम के कर्मियों को पेंशन/ग्रेचुएटी का लाभ

795. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम के कर्मियों से प्रावधायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) के नाम से उनके वेतन से कटौती की जाती है? यदि हां, तो कब से व किस नियम/अधिनियम के अन्तर्गत? क्या इस नियम/अधिनियम में समय-समय पर हुए संविधान, परिवर्धन अथवा परिवर्तनों की पालना पूर्ण रूप से की जाती रही है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या प्रावधायी भविष्य निधि के नाम पर एकत्रित होने वाली राशि भविष्य निधि के क्षेत्रीय कार्यालय में भेजी जाती है? यदि नहीं, तो क्यों? इस निधि के नाम पर प्राप्त राशि की सुरक्षा और संचालन की व्यवस्था किस नियम और अधिनियम के अन्तर्गत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कर्मियों से प्रावधायी भविष्य निधि अथवा पेंशन लेने के बारे में विकल्प मांगे गये थे? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है?

(4) क्या यह सही है कि पेंशन का विकल्प भरने वाले सभी कर्मियों को पेंशन/ग्रेच्युटी का लाभ दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) जिन कर्मियों को पेंशन/ग्रेचुएटी का लाभ दिया गया वह किस नियम के अन्तर्गत? जिन्हें लाभ दिया गया उनके नाम, पद तथा उन्हें दिया गया आवर्तक और अनावर्तक आर्थिक लाभ का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1958 के अन्तर्गत शुरू से ही कटौती की जाती रही है।

जी हां। परिवर्तनों की पालना पूर्ण रूप से की जाती रही है।

(2) जी नहीं। क्योंकि राजस्थान वित्त निगम भविष्य निधि-अधिनियम 1958 के अध्याय द्वितीय, नियम-5 के अन्तर्गत सी.पी.एफ. से एकत्रित जमा राशि निगम स्वयं अपने पास पी.एफ. में रख सकता है। (प्रतिलिपि संलग्न है) परिशिष्ट ''अ''

(उद्योग मंत्री)

(3) जी हां। कुल मिलाकर अंतिम विकल्पानुसार सी.पी.एफ. के कर्मियों की संख्या 406 एवं पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मियों की संख्या 575 थी।

(4) जी हां। दिनांक 21.6.04 तक सेवा निवृत्त हुये सभी पात्र कर्मियों को पेंशन/ग्रेचुएटी का लाभ दे दिया गया है। तत्पश्चात निगम के संचालक मण्डल के निर्णय दिनांक 21.6.04 के अनुसार पेंशन योजना को वापिस ले लिया गया जिसके कारण लाभ नहीं दिया गया।

(5) कर्मियों को पेंशन/ग्रेचुएटी का लाभ राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी पेंशन अधिनियम 1990 के तहत दिया गया है। जिन्हें लाभ दिया गया, उनकी सूची व विवरण संलग्न है। परिशिष्ट ''ब''

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कपासन के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयां

796. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में निजी/सरकारी, अर्द्ध शासकीय/शासकीय औद्योगिक संयंत्र लगाने की अनुमति दी गई है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र कपासन में उक्त प्रकार के कितने औद्योगिक संयंत्र कहां-कहां लगाने की अनुमति दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। निजी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने व उनमें संयंत्र लगाने हेतु उपक्रमी स्वयं स्वतंत्र होता है तथा राज्य सरकरार से उद्योग लगाने अथवा उनमें संयंत्र लगाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। विभाग द्वारा लघु उद्योगों का केवल पंजीयन किया जाता है। विधान सभा क्षेत्र कपासन में पिछले दो वर्षों में (वर्ष 2003-04 में 12 जाब वर्क संबंधी लघु उद्योग तथा वर्ष 2004-05 में 03 लघु उद्योग) कुल 15 उद्योग कपासन एवं भूपालसागर में स्थापित हुए हैं। वृहद एवं मध्यम उद्योग उक्त अवधि में कपासन विभान सभा क्षेत्र में स्थापित नहीं हुए हैं।

जैतपुरा (जयपुर) औद्योगिक क्षेत्र की बन्द औद्योगिक इकाइयां

797. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार विधान सभा क्षेत्र चौमूं में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह भी सही है कि औद्योगिक क्षेत्र जैतपुरा की 50 प्रतिशत फैक्ट्रीयां बन्द हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु चौमूं से 20 कि.मी. दूर चौमूं रेनवाल रोड़ पर ग्राम मण्डा-भिण्डा, बावडी गोपीनाथ व डोला का बास तहसील चौमूं की 413.19 हैक्टेयर भूमि लिया जाना प्रस्तावित है जिसमें 404.05 हैक्टेयर राजकीय भूमि एवं 9.14 हैक्टेयर निजी भूमि सम्मिलित है। राजकीय भूमि के आरक्षित होने एवं निजी भूमि की अवाप्ति पश्चात अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

(2) जी नहीं। औद्योगिक क्षेत्र जैतपुरा में स्थापित 156 इकाइयों में से 116 इकाइयां उत्पादनरत हैं व केवल 40 इकाइयां बन्द हैं। बन्द इकाइयों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

परिशिष्ट ''अ''

औद्योगिक क्षेत्र जैतपुरा में बन्द इकाइयों की सूची

क्र.सं.	इकाई का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
1.	एस.एस. इण्ड.	G-4	1000
2.	फाइन ग्रनाइट	G-1-9-10,13-16	6000
3.	माहेश्वरी उद्योग	G1-11	1172
4.	प्रतीक एण्ड इण्डिया	G1-18	1000
5.	अलोट इण्ड.	G1-19	1000
6.	श्री बालाजी फैल्टस	G1-27	1981.25

क्र.सं.	इकाई का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
7.	पन्ना पोलिमर्स	G1-32	997
8.	पंचोली आयुर्वेदिक संस्थान	H-51	500
9.	श्री फूड प्राडेक्ट	H1-54	500
10.	यूनिक स्टील	H1-58	500
11.	आई.सी.आई. आयल प्रोडक्ट	H1-59	760
12.	राधिका ग्रेनाइट मार्बल	H1-66	1586
13.	तरण सीमेन्ट कम्पनी	F-77	1000
14.	किशोर इण्ड.	F-83	1439
15.	बंसल आयल प्रोडक्ट	G-88	1420
16.	वैशाली रबर इण्ड.	H-103	457.73
17.	जगदीश टैक्सटाइल्स	H-108	1208.78
18.	मैक्स बेल इण्डिया	H-110	707
19.	गीता उद्योग	H-112	703.50
20.	अग्रवाल इन्टरप्राइजेज	H-115	840
21.	बरूण केमीकल्स	H-116	693
22.	डा. एन. आर. इण्ड.	H-117	700
23.	गीता इलेक्ट्रीकल्स	H-118	700
24.	अनुपम इण्ड.	G-133	390
25.	अलोक इण्ड.	G-134	1462
26.	मेराथन इण्ड.	G-135	1550
27.	भूटोरिया ट्रांसफार्मर	G-139-140	4043.20
28.	राज ट्रांसफार्मर	F-142	1793
29.	अरोरा लेटेक्स उद्योग	G-149(A)	1778

क्र.सं.	इकाई का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
30.	गायत्री गोमी उद्योग	G-150	1002
31.	राज इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन	G-153-154	1401
32.	शेरून पेपर्स	F-162	2814
33.	मरूधर आयल मिल्स	F-170-173	6371
34.	कालिन्दी रेल निर्माण	F-177-178	5414.69
35.	ओम प्रकाश रवि कुमार	F-128	1214
36.	एवरेस्ट रोलिंग मिल	E-54 (A)	3418
37.	प्रतीक इण्डिया	G1-18	1000
38.	श्याम इंक एण्ड प्लास्टिक	H1-54	581
39.	आर.जे. आयरन इण्ड.	G1-28(A)	526.25
40.	श्री मां सैल्स कारपोरेशन	G1-133	1465

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के लघु उद्योगों के विकास हेतु योजना

798. डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में गत दो वर्षों में कितने नये लघु उद्योगों की स्थापना की गई है?

(2) क्या सरकार द्वारा बाड़मेर के हैण्ड प्रिन्ट उद्योग एवं लकड़ी के हस्तशिल्प उद्योग के विकास हेतु कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में लघु ऊ़द्योगों के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़़मेर एवं जैसलमेर जिलों में गत दो वर्षों में स्थापना उपरान्त, पंजीकृत लघु उद्योगों की स्थिति परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) बाड़मेर के हैण्ड प्रिन्ट उद्योग एवं लकड़ी के हस्तशिल्प उद्योग के प्रोत्साहन हेतु निम्न प्रयास किये गये हैं :-

(उद्योग मंत्री)

1. बिक्री कर में छूट का लाभ दिया गया है।
2. हैण्ड प्रिन्ट इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिये जैसोल एवं बालोतरा में ''उच्छिष्ठ उपचारित संयंत्र'' रसायनिक जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये लगाये गये हैं।
3. निर्यात को बढ़ावा देने हेतु जोधपुर में इनलैंड कन्टेनर डिपो खोला गया है।
4. हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित उत्पाद आर.एस.आई.सी. के विक्रय केन्द्रों एवं समय-समय पर आयोजित प्रदर्शनी के माध्यम से विक्रय किये जाते हैं।

(3) बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में गत दो वर्षों में लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार की स्थिति परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

परिशिष्ट ''क''

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में पंजीकृत आर्टिजन/लघु उद्योग की स्थिति

वर्ष 2004-2005

जिला	**कुल इकाई**
बाड़मेर	160
जैसलमेर	175

वर्ष 2005-06

जिला	**कुल उद्योग**
बाड़मेर	155
जैसलमेर	195

परिशिष्ट ''ख''

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में आर्टिजन/लघु उद्योगों के माध्यम से वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में रोजगार की स्थिति

वर्ष 2004-05

जिला	**कुल नियोजन**
बाड़मेर	656
जैसलमेर	388

वर्ष 2005-06

जिला	**कुल नियोजन**
बाड़मेर	733
जैसलमेर	578

हनुमानगढ़ जंक्शन औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों से सर्विस चार्ज/ दण्डनीय ब्याज की वसूली

799. **चौधरी विनोद कुमार** (हनुमानगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन के रीको औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों से सर्विस चार्ज एवं दण्डनीय ब्याज वसूल किया जाता है? यदि हां, तो कब से गत दस वर्षों में उक्त मद में कितनी राशि वसूल की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर उक्त राशि में से कुछ राशि व्यय की गई है? यदि हां, तो गत दस वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई एवं शेष राशि कब तक व्यय करने का सरकार विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त सर्विस चार्ज की दरों में वृद्धि की गई है? यदि हां, तो कब-कब, कितनी-कितनी व क्यों?

(4) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जंक्शन के कई उद्योग वांछित सुविधाओं के अभाव में बन्द हैं एवं सर्विस चार्ज में वृद्धि से अन्य उद्योगों पर भी संकट उत्पन्न हो जाएगा? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सर्विस टैक्स व अन्य दण्डनीय ब्याज समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। रीको के नियमानुसार हनुमानगढ़ जंक्शन के औद्योगिक

(उद्योग मंत्री)

क्षेत्रों में वार्षिक सर्विस चार्जेज वसूल किया जाता है। सर्विस चार्जेज देय तिथि तक जमा नहीं करवाने पर ब्याज वसूल किया जाता है।

औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के उद्योगों से क्रमशः दिनांक 13.7.1982 एवं दिनांक 1.8.1987 से सर्विस चार्जेज वसूल किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में सर्विस चार्जेज के मद में रुपये 40,86,914.00 एवं ब्याज के मद में रुपये 12,98,833.00 वसूल किये गये हैं।

(2) यह सही है कि उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के रखरखाव पर सर्विस चार्जेज के मद में प्राप्त की गई राशि में से स्वीकृत बजट के अनुसार राशि व्यय की गई है। औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के रखरखाव के मद में पिछले दस वर्षों में क्रमशः रुपये 93,70,038.00 एवं रुपये 17,78,587.00 व्यय किये गये हैं।

पिछले दस वर्षों में दोनों औद्योगिक क्षेत्रों से सर्विस चार्जेज एवं ब्याज के मद में रुपये 53,85,747.00 वसूल की गई है जबकि दोनों औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव पर पिछले दस वर्षों में रुपये 1,11,48,625.00 व्यय किये गये हैं। अतः वसूल की गई राशि से रुपये 57,62,878.00 अधिक खर्च किये गये है। औद्योगिक क्षेत्रों में रख रखाव पर आवश्यक व्यय भविष्य में भी स्वीकृत बजट के अनुसार किया जाता रहेगा।

(3) यह सही है कि सर्विस चार्जेज की दरों में प्रतिवर्ष मामूली वृद्धि की जाती है। रखरखाव हेतु व्यय की जाने वाली राशि में प्रतिवर्ष होने वाली सम्भावित वृद्धि को देखते हुए दरों में वृद्धि की जाती है। पिछले 10 वर्षों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। हनुमानगढ़ जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्रों में वांछित सुविधायें उपलब्ध करवाई जा चुकी है। एवं सुविधाओं के अभाव में इकाइयां बन्द नहीं है। सर्विस चार्जेज की वृद्धि से उद्योगों पर कोई संकट उत्पन्न नहीं है। बकाया सर्विस चार्ज एवं ब्याज की राशि को समाप्त करने का कोई विचार नहीं है। सर्विस चार्ज एवं अन्य वसूल की गई राशि आधारभूत सुविधाएं यथा सड़क, रोड लाइट नालियों इत्यादि की मरम्मत एवं रखरखाव व स्ट्रीट लाईट के बिजली के बिलों के भुगतान पर व्यय की जाती है।

जो इकाइयां रुग्ण एवं बन्द हैं, उनसे सर्विस चार्जेज की बकाय राशि पर दण्डनीय ब्याज वसूल नहीं किया जाता है। बन्द पड़ी इकाइयों से दिनांक 8.1.2001 से सर्विस चार्जेज की भी वसूली नहीं की जा रही है।

परिशिष्ट ''अ''

औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़, जंक्शन प्रथम चरण (स्थानान्तरित) गत दस वर्षों में सर्विस चार्जेज वसूली व खर्च का विवरण

वर्ष	सर्विस चार्जेज की दर प्रतिवर्ष प्रति वर्गमीटर में (रु. में)	सर्विस चार्जेज	सर्विस चार्जेज पर ब्याज	खर्चा
1995-96	0.50	124138.00	15523.00	9100.00
1996-97	0.50	97717.00	25799.00	2784310.00
1997-98	0.80	390875.00	103780.00	465305.00
1998-99	0.80	308847.00	2728.00	863688.00
1999-00	0.90	353208.00	3210.00	185151.00
2000-01	0.95	329255.00	148159.00	333639.00
2001-02	1.00	385927.00	63725.00	306703.00
2002-03	1.05	915047.00	3441.00	297006.00
2003-04	1.20	248737.00	12968.00	674071.00 10378.00 (विशेष मरम्मत मद)
2004-05	1.30	446006.00	107824.00	524433.00 2916254.00 (विशेष मरम्मत मद)
योग :-		**3599757.00**	**487157.00**	**9370038.00**

औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़, जंक्शन द्वितीय चरण में गत दस वर्षों में सर्विस चार्जेज वसूली व खर्च का विवरण

वर्ष	सर्विस चार्जेज की दर प्रति वर्गमीटर में (रु. में)	सर्विस चार्जेज	सर्विस चार्जेज पर ब्याज	खर्चा
1995-96	-	-	-	-
1996-97	-	-	-	-
1997-98	1.00	2000.00	-	127517.00
1998-99	1.05	39916.00	584.00	118240.00
1999-00	1.20	48079.00	4079.00	124374.00
2000-01	1.25	30868.00	730.00	220211.00
2001-02	1.40	291548.00	2599.00	99988.00
2002-03	1.50	210670.00	5438.00	137757.00
2003-04	1.60	261941.00	29603.00	378400.00
2004-05	1.70	335667.00	35111.00	572150.00
योग :-		**1220689.00**	**78144.00**	**1778587.00**

बाघेरी योजना से लाभान्वित ग्राम

800. डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा बाघेरी योजना द्वारा किन-किन गांवों को कब तक पानी उपलब्ध करवा दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि योजना के लक्ष्यों के आधार पर कार्य सम्पादित हो रहा है? यदि नहीं, तो योजना के लक्ष्यों को कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा?

उत्तर

(1) बाघेरी का नाका पेयजल परियोजना में सम्मिलित 206 गांवों को निम्नानुसार लाभान्वित करना प्रस्तावित है-

वर्ष 2006-07 में	49 ग्राम
वर्ष 2007-08 में	142 ग्राम
वर्ष 2008-09 में	15 ग्राम
कुल	**206 ग्राम**

वर्षवार लाभान्वित होने वाले गांवों की सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बांदीकुई के नाकारा हैण्डपम्प

801. श्री मुरारीलाल मीणा (बांदीकुई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कितने हैण्डपम्प हैं? इनमें से कितने हैण्डपम्प चालू एवं कितने खराब हैं? खराब में से कितने हैण्डपम्प नाकारा घोषित कर दिये गये?

(2) नाकारा हैण्डपम्प के स्थान पर कितने नये हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये तथा कितने किये जाने शेष हैं?

(3) सरकार उक्त शेष हैण्डपम्प कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में वर्तमान में स्थापित 1685 हैण्डपम्प में से 1526 हैण्डपम्प चालू तथा 159 हैण्डपम्प खराब (मरम्मत योग्य नहीं) है। 159 में से 31 हैण्डपम्प नाकारा घोषित किये जा चुके हैं तथा शेष प्रक्रिया में हैं।

(2) उक्त 159 हैण्डपम्प 80 गांवों में है। इनमें से 13 गांवों में 21 हैण्डपम्प स्वीकृत कर दिये गये हैं। 7 गांवों में मानक अनुसार हैण्डपम्प उपलब्ध हैं। शेष 60 गांवों में 78 हैण्डपम्पों की स्वीकृति पर निर्णय शेष है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) शेष हैण्डपम्पों की स्वीकृति बाबत निर्णय जून, 2006 तक लिया जाना लक्षित है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-802

(स्थगित)

झुंझनूं जिले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कर्मियों के रिक्त पद

803. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले में अधिकारियों/कर्मचारियों के कई पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कहां-कहां, कब से तथा इन्हें भरने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। वांछित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। कनिष्ठ अभियन्ता के 275 पद विभाग में रिक्त हैं। इन्हें शीघ्र भरे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पदोन्नति के शेष पदों के सन्दर्भ में डी.पी.सी. (विभागीय पदोन्नति समिति) शीघ्र सम्पादन के प्रयास किए जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजपुरा (बूंदी) ग्राम में खनन लीज स्वीकृत हेतु वन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट

804. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम राजपुरा तहसील एवं जिला बूंदी में कितनी खनन लीजें स्वीकृत हैं? स्वीकृत खनन लीजों के नक्शे की प्रति एवं खसरा नम्बरान के वर्णन सहित नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम की सीमा में वर्ष 1998 से अब तक की अवधि में नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे ? यदि हां, तो उनमें से किसको स्वीकृत तथा किसका अस्वीकृत किया गया? स्वीकृति एवं अस्वीकृति के कारण सहित नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में 1 जनवरी, 1998 से अब तक की अवधि में आवेदित खनन लीजों के सम्बन्ध में वन विभाग से भी रिपोर्ट मांगी गई है? यदि हां, तो उक्त अवधि में वन विभाग द्वारा प्रेषित पत्रों एवं रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि वन विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में किसी में खनन लीज दी जाने की सहमति तथा असहमति की भिन्न-भिन्न राय व्यक्त की गई है? यदि हां, तो किस कारण तथा इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) बूंदी जिले के ग्राम राजपुरा तहसील व जिला बूंदी में वर्तमान में 110 खनन पट्टे खनिज सेण्ट स्टोन के स्वीकृत होकर धारित है। स्वीकृत खनन क्षेत्रों के नक्शों की प्रति एवं खसरा नम्बरान के वर्णन सहत सूची संलग्न परिशिष्ट-1 पर है।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त ग्राम राजपुरा की सीमा में वर्ष 1998 से अब तक की अवधि में 156 आवेदन पत्र नवीन खनन पट्टों के अनुदान हेतु प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10 आवेदन पत्र स्वीकृत हुए तथा 136 आवेदन पत्र स्स्वीकृत हुए। इनमें से वन विभाग की आपत्ति के कारण मात्र 36 आवेदन पत्र अस्वीकृत हुए, शेष अन्य कारणों से अस्वीकृत हुए हैं। सूची संलग्न परिशिष्ट-2 पर है।

(3) जी हां। यह सही है कि उक्त ग्राम 1 जनवरी, 1998 से अब तक की अवधि में आवेदित खनन क्षेत्रों के संबंध में वन विभाग से भी रिपोर्ट मांगी गई है। उक्त अवधि में वन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रों की छाया प्रतियां संलग्न परिशिष्ट-3 पर है।

(4) खनिज लीज संख्या 91/98 व 97/99 में पूर्व में वन विभाग ने आपत्ति की थी, किन्तु बाद में वन विभाग द्वारा पुनः मौका देखा गया। आवेदित क्षेत्र अभ्यारण्य सीमा के बाहर स्थित होने एवं इसके समीप अन्य खनन लीज होने पर उनमें खनन जारी होने पर अनापत्ति दी गई।

(सूची/प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सहाड़ा में अवैध खनन

805. **श्री कैलाश त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में सरकार द्वारा कितनी खनन लीजों की स्वीकृति कहां-कहां व कितनी-कितनी भूमि पर किन-किन व्यक्तियों को दी गई?

(2) आबंटित भूमि में कहां-कहां क्या-क्या खनिज पदार्थ निकल रहे हैं?

(3) स्वीकृत खनन लीजों के अलावा कहां-कहां अवैध खनन कार्य किया जा रहा है? उनके विरूद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र (तहसील सहाड़ा व रायपुर) में विभाग द्वारा कुल 36 माइनिंग लीज स्वीकृत कर दी गई हैं। कहां व कितनी भूमि पर एवं किन-किन व्यक्तियों को की गई हैं, जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर है।

(2) आबंटित भूमि में विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के आबंटित भूमि में खनिज क्वार्टज, फैल्सपार, मार्बल व अभ्रक निकल रहे हैं। विस्तृत संलग्न परिशिष्ट-1 में वर्णित है।

(3) माइनिंग लीजों के अलावा यदा-कदा स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन किया जाता है एवं विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2005 से अवैध खनन/निर्गमन कर्ताओं के 13 मामले बनाये गये हैं जिनसे खनिज की कीमत एवं कम्पाउण्ड फीस वसूल की गई है जिसकी सूची परिशिष्ट-2 पर है।

(विवरण/सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर जिले के स्टोन क्रेशरों को चेजा पत्थर की आपूर्ति

806. **श्री सुरेश मीणा** (करौली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर की राजस्व सीमा में चेजा पत्थर की कितनी खानें कहां-कहां संचालित हैं?

(2) संचालित खानों में कहां-कहां पर गिट्टी तोड़ने के स्टोन क्रेशर लगे हुये हैं?

(श्री सुरेश मीणा)

(3) क्या यह सही है कि जिला अलवर में संचालित क्रेशरों पर चेजा पत्थर खानों से आ रहा है? यदि नहीं, तो अनधिकृत चलने वाले क्रेशरों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(4) ग्राम बहाली में चलने वाले क्रेशर पर चेजा पत्थर कहां से आ रहा है? पिछले पांच वर्षों में क्रेशर द्वारा गिट्टी के एवज में सरकार को कितनी रायल्टी प्राप्त हुई?

उत्तर

(1) जिला अलवर की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर की कुल 67 खानें संचालित हैं विवरण परिशिष्ट- ''अ'' पर है।

(2) संचालित खानों में से 11 खानों पर गिट्टी तोड़ने के स्टोन क्रेशर लगे हुए हैं। विवरण परिशिष्ट- ''ब'' पर है।

(3) जिला अलवर में संचालित क्रेशरों पर खनिज चेजा पत्थर क्रेशरों के समीप जिला अलवर, भरतपुर एवं दौसा के स्वीकृत खनन पट्टों से प्राप्त किया जाता है। क्रेशरों का निरीक्षण कर उपलब्ध खनिज एवं खान रेकार्ड भी मात्राओं में अन्तर अथवा अनियमितता पाये जाने पर व अवैध खनन पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1987 के नियम 48 व 69 के तहत कार्यवाही करते हुए खनिज की रायल्टी की दस गुना राशि वसूली जाती है।

(4) ग्राम बहाली में स्थित स्टोन क्रेशर पर चेजा पत्थर क्रेशर मालिक श्री ओमप्रकाश गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत लाइमस्टोन के खनन पट्टा एमएल संख्या 301/90 एवं 613/90 निकट ग्राम बहाली तहसील राजगढ़ से प्राप्त ओवर बर्डन, वेस्ट व लाइमस्टोन से प्राप्त किया जाता है। गत 5 वर्षों में क्रेशर द्वारा गिट्टी के एवज में सरकार को 13.57 लाख की राजस्व प्राप्त हुई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

कालानाड़ा तालाब (मकराना) में नियम विरुद्ध आबंटित खनन लीज

807. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नियमानुसार किसी भी जलाशय के बीचों

(श्री राकेश मेघवाल)

बीच या उसके पायतन में कोई खान किसी व्यक्ति को आबंटित नहीं की जा सकती? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मकराना शहर में कालानाड़ा तालाब के बीचों बीच या उसके पायतन में जो कि शिव मन्दिर, कब्रिस्तान/शमशानघाट, पशु चिकित्सालय तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भाकरो की ढ़ाणी के नजदीक है, में कोई खान आबंटित की गई है? यदि हां, तो तालाब के बीच/ पायतन में तथा अन्य सार्वजनिक व धार्मिक एवं शैक्षणिक स्थानों के नजदीक खान आबंटित करने का क्या औचित्य था? क्या सरकार अनियमित खान आबंटन करने वाले दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

(3) क्या नियमानुसार खनिज विभाग के किसी निकटतम रिश्तेदार के नाम खान आबंटित नहीं की जा सकती? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा विभाग में कार्यरत खनिज कार्यादेशक के भाई को खान आबंटित की गई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1986 के नियम 4(5) के तहत राज्य सरकार अथवा लॉकल ओथोरिटी के द्वारा जन उपयोग अथवा किसी विशेष उपयोग के लिए आरक्षित भूमि में अप्रधान खनिज के लिए खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, स्वीकृत क्षेत्र के निकट यदि रेल्वे लाईन, केनाल, अन्य सार्वजनिक स्थल एवं निर्मित भवन इत्यादि हैं तो अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 18(26) के अनुसार 45 मीटर की दूरी छोड़कर खनन कार्य की अनुमति दी जा सकती है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। मकराना शहर के कालानाड़ा तालाब के बीचों-बीच कोई खान आबंटित नहीं की गई है। शिव मंदिर के नजदीक एवं खान संख्या 49/2बी क्षेत्र 200x200 फीट स्वीकृत है। इस मंदिर से 45 मीटर की दूरी छोड़कर शेष खान क्षेत्र के हिस्से में पट्टाधारी खनन कार्य करते हैं। कब्रिस्तान की भूमि के नजदीक कालानाड़ा रेंज की 25 खानें स्वीकृत है। जिसमें 45 मीटर की दूरी छोड़कर खनन कार्य किया जाता है। पशु चिकित्सालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भाकरों की ढ़ाणी से उक्त सभी खानें 45 मीटर से अधिक

(खनिज मंत्री)

दूरी पर स्थित है। जो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 18(26) के अनुसार है। अनियमित खान आबंटन नहीं होने से कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः सूचना शून्य है।

(3) जी नहीं। खनिज विभाग के निकटतम रिश्तेदार के नाम खान आबंटित करने पर प्रधान खनिज रियायत नियम 1960, अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1986 एवं खान एवं खनिज विकास अधिनियम, 1957 में कोई रोक नहीं है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

बूंदी जिले में एक्सेस रायल्टी ठेकेदारों से बकाया राशि की वसूली

808. श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के एक्सेस रायल्टी ठेकेदारों की राशि बकाया चल रही है? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है? 31 दिसम्बर, 2005 तक की ठेकेदारवार बकाया राशि का नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बकायादारों के पास बकाया राशि से अधिक की चल अचल सम्पति है? यदि हां, तो सम्पति की वर्तमान बाजार कीमत के विवरण सहित पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें? यदि सम्पत्ति की कीमत कम है तो इस बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) क्या खनिज अभियन्ता द्वितीय बूंदी द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2005 को बकायादार की सम्पत्ति की नीलामी रखी गई थी? यदि हां, तो सम्पत्ति के नीलाम नहीं हो पाने के क्या कारण रहे तथा इस बाबत दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

(4) क्या ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत सोलवेन्सी प्रमाण-पत्र की जांच सरकार द्वारा करवाई गई है? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा तथा नहीं, तो अब तक करवा ली जायेगी? जांच नतीजे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत हैसियत एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र किसी की सिफारिश पर जारी किये गये हैं? यदि हां, तो किसकी? इस बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(6) क्या ठेकेदारों से बकाया वसूली की जायेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि बूंदी जिले के एक्सेस रायल्टी के पूर्व ठेकेदार श्री रामस्वरूप शर्मा आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, निवासी बूंदी की ओर विभाग की 266.04 लाख रुपये की राशि बकाया चल रही है। बकाया चलने का मुख्य कारण ठेकेदार द्वारा देय किस्त ठेका राशि समय पर जमा नहीं कराना तथा जमा कराने हेतु जारी नोटिस दिनांक 6.5.2004 के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 3290/04 दायर कर दिनांक 21.5.2004 से यथास्थिति के आदेश प्राप्त कर लेना रहा। माननीय उच्च न्यायालय के यथास्थिति आदेश के कारण विभाग उक्त नोटिस पर ठेका खण्डित नहीं कर सका तथा यथास्थिति आदेश के प्रभाव में रहते ठेकेदार ने आगे की देय किस्त राशि भी जमा नहीं कराई। इसके लिए विभाग का अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है, क्योंकि विभाग की ओर से समय-समय पर राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर यथास्थिति आदेश निरस्त कराने का प्रयास किया गया। संविधान के अनुच्छेद 226(3) के तहत उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करा शीघ्र सुनवाई करा विभाग का पक्ष रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 24.8.2004 को संशोधित आदेश याची के विरूद्ध प्राप्त किये गये जिसके अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय ने याची को आदेशित किया कि वह एक सप्ताह में 50 लाख रुपये जमा करायेंगें तथा याचिका निर्णय 15 दिवस में नहीं होने पर आगामी देय किस्त भी जमा करायेगा। याची द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की पालना नहीं करने पर विभाग की ओर से पुन: प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर यथास्थिति आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया, यथास्थिति आदेश दिनांक 29.10.2004 से निरस्त होने पर ठेका दिनांक 29.10.2004 से प्रतिभूमि राशि जब्त करते हुए खण्डित किया गया तथा साथ ही याची के विरूद्ध एक अवमानना प्रकरण 277/04 भी दायर कराया गया है, जो वर्तमान में भी विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार बाकीदार के पास बकाया राशि से अधिक की चल-अचल सम्पत्ति नहीं है। बाकीदार का बूंदी स्थित मकान का वर्तमान मूल्य रुपये 5,34,838/- अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 03.01.2006 से बताया गया है। ठेकेदार द्वारा ठेका लेने हेतु विभाग में वक्त पंजीयन सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर राज्य सरकार को धोखा देने के कारण ठेकेदार

(खनिज मंत्री)

एवं मूल्यांकनकर्ता व चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के विरुद्ध खनि अभियन्ता, बूंदी प्रथम के द्वारा उनके पत्र क्रमांक खअ/बून्दी-प्रथम/2006/1325 दिनांक 29.03.2006 गलत ठेकेदार, मूल्यांकनकर्ता व चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट के विरूद्ध गलत मूल्यांकन व सूचना के आधार पर विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने के कारण पुलिस थाना, सिटी कोतवाली बूंदी में दिनांक 1.4.2006 को एफ.आई.आर सं. 157/06 दर्ज करा दी गई है।

(3) जी हां। खनि अभियंता (वसूली), खण्ड द्वितीय बूंदी द्वारा बाकीदार श्री रामस्वरूप शर्मा का बूंदी स्थित पक्का मकान जो भू-राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 06.12.2004 को कुर्क किया गया था, की नीलामी दिनांक 11.03.2005 को कराई गई, किन्तु किसी भी व्यक्ति की कोई बोली प्राप्त नहीं होने से नीलामी कार्यवाही नहीं हो पायी। सम्पत्ति नीलाम नहीं होने का मुख्य कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई बोली नहीं लगाना रहा। इसमें विभाग का कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। विक्रय अधिकारी द्वारा यह सम्भावना व्यक्त की गई कि सम्भवतया बाकीदार ने अपनी सम्पत्ति का नीलामी मूल्यांकन बहुत अधिक बताया है, जबकि मौके अनुसार वर्तमान में उक्त मकान का बाजार मूल्य इतना नहीं हो सकता। अतः विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, बूंदी को पत्र लिखते हुए उक्त कुर्कशुदा मकान का मूल्यांकन कराया गया तो अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, बून्दी ने उनके पत्र दिनांक 03.01.2006 से उक्त मकान का मूल्यांकन करते हुए वर्तमान मूल्य 534838/- रुपया बताया है। पुनः मकान की नीलामी उदघोषणा पत्र जारी किया जाकर दिनांक 28.03.2006 को की गई, लेकिन खनि अभियन्ता, बूंदी-द्वितीय की रिपोर्ट के अनुसार बोली लगाने हेतु कोई व्यक्ति उपस्थिति नहीं हुआ। पुनः दिनांक 26.04.2006 को नीलामी रखी गई।

(4) जी नहीं। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अपने पत्रांक प. 12(17) खान/ग्रुप-2/2000 दिनांक 27.8.2003 से प्राप्त गाइडलाइन अनुसार साल्वेन्सी प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता है।

(5) ठेकेदार के बूंदी स्थित मकान का मूल्यांकन श्री सत्येश शर्मा (बी.ई.) सर्वेयर एवं लोन असेसर एप्रूव्ड वेल्यूअर, गायत्री नगर, बूंदी द्वारा जारी किया गया है तथा ग्राम भैरूपुरा ओझा स्थित जमीन, कुए एवं मकान का मूल्यांकन हल्का पटवारी ग्राम भैरूपुरा ओझा द्वारा किया गया है। इसके आधार

(खनिज मंत्री)

पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट श्री संजीव वधवा द्वारा आवेदक की समपत्ति एवं दायित्व का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ठेकेदार, मूल्यांकनकर्ता व चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के विरूद्ध गलत मूल्यांकन व सूचना के आधार पर विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने के कारण पुलिस थाना सीटी कोतवाली बूंदी में एफ.आई.आर. सं. 157/06 खनि अभियन्ता बूंदी द्वारा दिनांक 1.4.2006 को दर्ज कराई गई है।

(6) जी हां। भू-राजस्व अधिनियम के तहत वसूली कार्यवाही के प्रयास जारी है। बकाया वसूली हेतु ठेकेदार के बून्दी स्थित मकान की नीलामी दिनांक 26.4.2006 को रखी गई है।

चौमूं में वाहन दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कार्य योजना

809. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय चौमूं के क्षेत्र में वर्ष जनवरी, 2000 से दिसम्बर, 2005 तक घटित कितनी दुर्घटनाओं के प्रकरण दर्ज किए गए? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त दुर्घटनाओं में से मोटर वाहन अधिनियम के तहत कितने प्रकरण दर्ज किये गये?

(3) क्या सरकार इन आकस्मिक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) चौमूं में पुलिस अधीक्षक कार्यालय नहीं है। वहां पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय स्थित है। पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय चौमूं क्षेत्र में सन 2000 जनवरी से दिसम्बर, 2005 तक जो सड़क दुघटनायें हुई हैं, ऐसे दर्ज प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं के दर्ज प्रकरणों की संख्या	दुर्घटनाओं की संख्या जिनमें भा.द.स. की धारा के साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा भी हैं
1	2000	197	70
2	2001	253	135

(गृह मंत्री)

1	2	3	4
3	2002	231	148
4	2003	262	65
5	2004	272	44
6	2005	268	33
योग		**1483**	**495**

(2) प्रश्न के बिन्दु संख्या 1 के उत्तर में अंकित है।

(3) आकस्मिक दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु निम्न उपाय किये गये-

1. हर वर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में समस्त राज्य में यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसमें वाहन चालकों व आम जनता को यातायात नियमों की अधिक से अधिक जानकारी दी जाती है।

2. सम्भावित दुर्घटना-स्थल क्षेत्रों को चिन्हित कराया जाकर दुर्घटना होने के कारणों का विश्लेषण कर उनकी रोकथाम के लिये बहुआयामी एप्रोच से विभिन्न विभागों जैसे नगर निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही के प्रयास किये गये हैं।

3. राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय-समय पर संयुक्त चैकिंग अभियान चलाया जाता है, जिसके दौरान अवैध संचालित एवं ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध मोटरवाहन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। इसमें परिवहन विभाग को पुलिस मदद करती है।

4. दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये पुलिस मुख्यालय द्वारा राजस्थान पुलिस प्राथमिकताएं, वर्ष 2006 में यातायात नियमों की सख्त पालना एवं अन्य ऐजेन्सी के साथ समन्वय स्थापित कर मारक एवं गम्भीर दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राज्य के पुलिस बल हेतु आवास

810. श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में पुलिस कर्मियों के लिए वर्तमान में कितने आवास गृह उपलब्ध हैं एवं क्या यह पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार राज्य के समस्त पुलिसकर्मियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

राज्य में पुलिस कर्मियों हेतु वर्तमान में 15,527 आवास गृह उपलब्ध हैं, जो पर्याप्त नहीं हैं।

जी हां। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर नये आवास गृह बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

झालावाड़ जिले में वाहन चोरी के दर्ज प्रकरण

811. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झालावाड़ के विभिन्न थानों में विगत दो वर्षों में कितने-कितने मोटरवाहन व मोटरसाइकिल चोरियों के मुकदमें दर्ज किये गये? थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में चोरी के मामले में कितने-कितने मुल्जिम गिरफ्तार किये व कितनी चोरियां बरामद नहीं हो सकी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बढ़ती हुई चोरियों को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ के विभिन्न थानों में वर्ष 2004 में मोटरवाहन चोरी के 16 व मोटरसाइकिल चोरी के 125 मुकदमें दर्ज किये गये। वर्ष 2005 में मोटरवाहन चोरी के 13 व मोटरसाइकिल चोरी के 125 मुकदमें दर्ज किये गये। थानेवार सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जिला झालावाड़ के पुलिस थानों में वर्ष 2004 में वाहन चोरी के कुल 141 मामलों में 46 मुल्जिम गिरफ्तार किये गये तथा 77 वाहन चोरी के मामलों में बरामदगी नहीं हो सकी।

वर्ष 2005 में वाहन चोरी के कुल 138 मामलों में 79 मुल्जिमान गिरफ्तार किये गये तथा 82 वाहन चोरी के मामलों में बरामदगी नहीं हो सकी। सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) जिला झालावाड़ में वर्ष 2004 की तुलना में वर्ष 2005 में वाहन चोरी के मामलों में 3 की कमी रही है। फिर भी इन चोरियों की घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला पुलिस द्वारा निम्न कदम उठाये हैं-

1. जिले में गश्त एवं नाकाबन्दी की जा रही है।

(गृह मंत्री)

2. हाइवे मोबाइल गश्त पार्टी लगाई गई है।
3. नाको पर संदिग्ध वाहनों की चैकिंग करने के निर्देश दिये गये हैं।
4. फिक्स पिकेटों पर वाहनों की चोरी करने वालों की तलाश की जाती है।
5. वाहन मिस्त्री व रिपेयर करने वालों पर निगरानी की जाती है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

डूंगरपुर जिले के थानों में चोरी के दर्ज प्रकरण

812. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत दो वर्षों में जिला डूंगरपुर के विभिन्न थानों में चोरी के कितने मुकदमें दर्ज किये गये?

(2) उकत प्रकरणों में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा कितने लोगों को सजा सुनाई गई? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार सीमावर्ती जिला डूंगरपुर में बढ़ती चोरियों को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है?

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर के विभिन्न थानों में वर्ष 2004 में 134 व 2005 में 86 मुकदमें चोरी व नकबजनी के दर्ज हुए हैं।

(2) वर्ष 2004 में 121 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 12 प्रकरणों में 18 लोगों को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई। वर्ष 2005 में 116 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से किसी भी प्रकरण में न्यायालयों द्वारा फैसला नहीं हुआ है।

(3) सीमावर्ती जिला होने के बावजूद डूंगरपुर में चोरियों की घटनाओं में कमी आई है। फिर भी इन घटनाओं की रोकथाम के लिए जिले में निम्न कार्यवाही की जा रही है।

1. वारदातों को रोकने के लिए फिक्स पिकेट बनाये गये हैं।
2. क्षेत्र में संध्याकालीन व रात्रिकालीन गश्त की व्यवस्था की गई है।
3. हाईवे मोबाइल गश्त की जा रही है।
4. सीमावर्ती थानों की सीमा पर नाकाबन्दी की जाती है।
5. सभी स्टाफ को चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए गश्त सुचारू रूप से करने के लिए निर्देश दिये गये हैं।

मेड़ता में रात्रि गश्त हेतु होमगार्ड जवानों की नियुक्ति

813. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में होमगार्ड जवानों को गश्त आदि कार्यों पर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

कानून एवं व्यवस्था की आवश्यक परिस्थितियों में होमगार्ड स्वयं सेवक ड्यूटी पर लगाये जाते हैं। नागौर जिले हेतु प्रति दिन रात्रि गश्त के लिए 30 होमगार्ड स्वयं सेवक लगाये जाने की स्वीकृति दी हुई है। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में भी आवश्यकता अनुसार होमगार्ड स्वयं सेवक नियोजित किए जा सकेंगे।

उत्कृष्ट कार्यों हेतु पदोन्नत पुलिसकर्मी

814. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को उल्लेखनीय कार्य करने बाबत सरकार द्वारा विशिष्ट पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान है?

यदि हां, तो विगत दो वर्षों में किस-किस अधिकारी/कर्मचारी को कौन कौन सा उत्कृष्ट कार्य करने के लिये किन-किन पदों पर पदोन्नत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष पदोन्नति दी गई है, का विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर जिले में कृषि कर्मियों के रिक्त पद

815. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला उदयपुर में कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से कितने पद रिक्त हैं?

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में कृषि अधिकारी के 14, सहायक कृषि अधिकारी के 61 एवं कृषि पर्यवेक्षकों के 344 पद स्वीकृत हैं। इनमें से क्रमशः कृषि अधिकारी के 10, सहायक कृषि अधिकारी के 48 एवं कृषि पर्यवेक्षकों के 141 पद रिक्त हैं।

(2) जी हां। कृषि अधिकारी के वर्ष 1999-2000 एवं आगे के वर्षों की नियति पदोन्नति एवं सहायक कृषि अधिकारी के पदों को तदर्थ पदोन्नति से भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षकों के सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की वांछित स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

बारां जिले में आंवला खरीद केन्द्र की स्थापना

816. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां में कितनी हैक्टैयर भूमि में फल उद्यान हैं? सूची पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला बारां में किसानों के लिये फल खरीद मंडी केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) यह भी सही है कि बारां जिले में आंवले की सर्वाधिक खेती की जाती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर?

(4) क्या यह भी सही है कि आंवले की सर्वाधिक खेती के बाद भी सरकार द्वारा खरीद केन्द्र की व्यवस्था नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार बारां जिले में आंवला खरीद केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बांरा जिले में कुल 472.5 है. क्षेत्र में फलदार बगीचे स्थापित हैं। बगीचों की पंचायत वार सूची संलग्न है।

(2) बारां मंडी के अन्तर्गत फलों की आवक नगण्य होने के कारण ऐसा कोई विचार नहीं है।

(कृषि मंत्री)

(3) बारां जिले में लगाये गये फलदार बगीचों में सर्वाधिक 209.6 हैक्टे. में आंवला के बगीचे हैं। इनमें से सम्पूर्ण 209.6 हैक्टे. वर्तमान में फलन में हैं। बारां जिले में आंवला की खेती बारां, माथनी, मण्डोला, बराना, बरानी, फतेहपुर, कोयला, शंकरपुरा, रटावद, खेडी, चौकी बोरदा, आकेडी, खेराली, कलयापुरा, मामोनी माल, मुगावली, शुभघरा, किशनगंज, अम्लावदा, मिसाई, रानीबडौद, भंवरगढ़ छीनोद, ढुढकी, अम्लसरा, पलायथा, अलीपुरा, गदरेटा, खुशियारा, पीपलखेड़ी, दडा, पचेल कलां, बडवा, कूण्डला, बोरदा, छीपाबडौद परोलिया, रतनपुरा, बम्बोरी बडाये, ढोलम, छबड़ा कवाई आदि में हो रही है।

(4) आंवला का विक्रय भी अन्य फल-सब्जी मण्डियों में किया जा रहा है। इसके लिये कोई विशेष केन्द्र अलग से खोलने की आवश्यकता नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

राजसमन्द के कृषकों को फसल बीमा राशि का भुगतान

817. **श्री बंशीलाल खटीक** (राजमसन्द) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में वर्ष 2004 की खरीफ की फसल बर्बाद होने के कारण राजस्व मण्डल अजमेर एवं राष्ट्रीय कृषि बीमा कम्पनी द्वारा इस क्षेत्र के किसानों को 5 करोड़ 85 लाख 33 हजार 324 रुपये बीमित राशि का भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों व किन कारणों से?

(2) क्या सरकार इस रोकी गई राशि की जांच कराकर किसानों को उक्त राशि दिलवाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र राजसमंद की तहसील राजसमंद एवं रेलमगरा में खरीफ 2004 में बीमित कृषक, बीमित राशि, प्रीमियम राशि एवं दिये गये क्लेम का विवरण निम्नानुसार है :-

(कृषि मंत्री)

फसल मौसम	तहसील	बीमित कृषक संख्या	बीमित राशि लाख में	प्रीमियम राशि लाख में	दिया गया क्लेम लाख में
खरीफ 2004	राजसमन्द	3321	165.99	4.15	0
	रेलमगरा	8474	179.65	5.11	0

फसल बीमा योजना के अनुसार राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा तहसील स्तर पर संसूचित फसल के न्यूनतम 16 फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर प्राप्त औसत उपज के अनुमान यदि गारण्टी उपज से कम प्राप्त होती हैं तो ही उस तहसील के सभी बीमित कृषकों को बीमा क्लेम देय होता है। औसत उपज, गारण्टी उपज से अधिक होने पर तहसील के बीमित कृषकों को क्लेम देय नहीं होता। राजसमंद एवं रेलमगरा तहसील की खरीफ 2004 की फसलों की औसत उपज गारण्टी उपज से अधिक होने के कारण मुआवजा देय नहीं था।

(2) जी नहीं। वर्ष 2004 की खरीफ फसलों के लिए तहसील राजसमंद व रेलमगरा में कोई मुआवजा राशि देय नहीं है।

गेंवा ग्राम (जोधपुर) में प्रस्तावित रिलायंस पैट्रोल पम्प स्थापना प्रकरण

818. श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नेशनल हाइवे नम्बर 114 चौपड़ ग्राम गेंवा जोधपुर पर हिम्मत पैट्रोल पम्प स्थापित है? यदि हां, तो कब से?

(2) पैट्रोल पम्प लगाने के लिये एक पैट्रोल पम्प से दूसरे पैट्रोप पम्प के बीच कितनी दूरी एवं क्या-क्या शर्तें निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रिलायंस इण्डस्ट्रीज द्वारा नेशनल हाइवे नम्बर 114 चौपड़ ग्राम गेंवा जोधपुर पर श्री जगदीश सांखला को पैट्रोल पम्प आबंटित किया गया है? यदि हां, तो आबंटन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री सी.डी. देवल)

(4) क्या यह सही है कि जिस स्थान पर रिलायंस का पैट्रोल पम्प लगाना प्रस्तावित है वह स्थान वर्तमान में कार्यरत हिम्मत पैट्रोल सर्विस से मात्र 275 मीटर की दूरी पर है जबकि परिवहन एवं हाइवेज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दो पैट्रोल पम्पों के बीच 300 मीटर की दूरी होना निर्धारित है? यदि हां, तो यह नियम विरुद्ध पैट्रोल पम्प लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र किस आधार पर दिया गया? इस संबंध में की गई सिफारिशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि प्रस्तावित रिलायंस पैट्रोल पम्प के ऊपर से हाई टेंशन लाइन 132 के.वी. गुजर रही है?

(6) क्या यह सही है कि उकत प्रकरण में श्री विपिन सिंह पुत्र श्री जयनारायण सोलंकी सोढ़ों की ढ़ाणी जोधपुर द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 2005 को शिकायत की गई है? यदि हां, तो शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि इस शिकायत पर सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं की गई और दिनांक 24 जनवरी, 2006 को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक मामलात जोधपुर के आदेश के बावजूद एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों व इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं? क्या सरकार उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है। नेशनल हाइवे नं. 114 चौपड़ ग्राम गेंवा जोधपुर पर हिम्मत पैट्रोल पम्प सन 2003 से स्थापित है।

(2) मिनिस्टी आफ रोड़ ट्रान्सपोर्ट एण्ड हाइवेज (मोर्थ) नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राज मार्गों पर पैट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु माप-दण्ड के संबंध में परिपत्र क्रमांक आर. डब्ल्यू/एन.एच-33023/19/99-डी.ओ-तृतीय दिनांक 25 सितमबर/17 अक्टूबर, 2003 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

मोर्थ के प्रचलित दिशा-निर्देशों के पैरा 6 में अलग-अलग क्षेत्रों के लिए एक पैट्रोल पम्प से दूसरे पैट्रोल पम्प के मध्य अलग-अलग दूरी निर्धारित की गई है। मोर्थ दिशा-निर्देश एवं शर्तें परिशिष्ट-1 के अनुसार हैं।

(3) जी हां। जिला कलक्टर जोधुपर से प्राप्त सूचना के अनुसार

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

रिलायंस इण्डस्ट्रीज द्वारा नेशनल हाइवे नं. 114 चौपड़ ग्राम गेंवा जोधपुर पर श्री जगदीश सांखला को पैट्रोल पम्प हेतु लेटर आफ इनटेन्ट (आशय पत्र) जारी किया गया है। इस आशय पत्र की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। जिला कलक्टर जोधपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि प्रस्तावित पैट्रोल पम्प की दूरी हिम्मत पैट्रोल पम्प से मात्र 275 मीटर है। जिला कलक्टर द्वारा अवगत कराया है कि प्राप्त जांच प्रतिवेदन (रिपोर्ट) के अनुसार दोनों पैट्रोल पम्प की दूरी 300 मीटर से अधिक है। मुख्य अभियंता मोर्थ नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का साइट प्लान अनुमोदित किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ने रिलायन्स के पैट्रोल पम्प हेतु अभी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया है तथा प्रकरण विचाराधीन है।

(5) जी नहीं। जिला कलक्टर जोधपुर ने अधीक्षण अभियंता नगर वृत्त जोधपुर डिस्काम जोधपुर के संदर्भ से अवगत कराया है कि प्रस्तावित स्थल के ऊपर से 132 के.वी. लाइन नहीं गुजर रही है। बल्कि प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के पास से गुजर रही है जिसकी क्षितिजीय दूरी प्रस्तावित पैट्रोल पम्प से 5 मीटर है तथा तकनीकी रूप से डिस्काम द्वारा स्वीकृत दूरी 2.9 मीटर है।

(6) जी नहीं। जिला कलक्टर जोधपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री विपिन सिंह द्वारा दिनांक 23.4.05 को कोई शिकायत नहीं की गई है। विभाग में भी उक्त आशय की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(7) खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को माननीय भ्रष्टाचार निरोधक मामलात जोधपुर के निर्णय दिनांक 24.01.06 के संबंध में एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

(प्रति आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

भीम (राजसमन्द) में रसोई गैस आपूर्ति व्यवस्था

819. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार का गैस वितरण एजेन्सी का क्या मानदण्ड एवं कितनी जनसंख्या का आधार है?

(2) क्या सरकार इन मानदण्डों के अनुरूप 18 हजार जनसंख्या रखने वाले भीम कस्बे में भी गैस वितरण व्यवस्था स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गैस वितरण एजेन्सी का मानदण्ड राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। राज्य में भारत सरकार की तेल कम्पनियों के राज्यस्तरीय समन्वयक द्वारा दी गई सूचना गैस वितरण एजेन्सी का आधार बाजार सर्वेक्षण के तहत वाणिज्यिक पहलुओं व प्रस्तावित स्थान से आपूर्ति की संभावनाओं का विश्लेषण कर तेल उद्योग द्वारा किया जाता है। गैस एजेन्सी का प्रस्तावित स्थान चयन एवं तेल कम्पनी का निर्धारण भी तेल उद्योग द्वारा ही किया जाता है।

(2) भारत सरकार की तेल कम्पनियों के राज्यस्तरीय समन्वयक द्वारा प्रेषित सूचना अनुसार वर्तमान में भीम क्षेत्र में नवीन गैस वितरण व्यवस्था प्रस्तावित नहीं है।

लूणी हेतु नवीन राशन डीलर

820. **श्री जोगाराम पटेल** (लूणी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में राशन विक्रेताओं को राशन सामग्री के वितरण बाबत कमीशन कितना व कब से दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र लूणी में कितने राशन विक्रेता कब से कार्यरत हैं?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में राशन विक्रेताओं की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में राशन विक्रेताओं को राशन सामग्री के वितरण बाबत निम्न प्रकार कमीशन दिया जा रहा है :-

क्र.सं.	**सामग्री**	**कमीशन**	**दिनांक**
1.	खाद्यान्न	8/- प्रति क्विंटल एवं खाली बोरी	01.11.02
2.	चीनी	11.99 पैसे प्रति क्विंटल एवं खाली बोरी	01.4.98
3.	केरोसीन	176/- प्रति किलो लीटर	25.8.03

(2) विधान सभा क्षेत्र लूणी में वर्तमान में 102 उचित मूल्य दुकानें गत 5 वर्ष अथवा इससे भी अधिक अवधि से कार्यरत है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र लूणी के अन्तर्गत कार्यरत उचित मूल्य

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

दुकानदारों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्ताव पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

राज्य के गैर अनुदानित शिक्षण संस्थानों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की अनिवार्यता

821. **डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान में सभी अध्यापकों पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई.एस.आई) लागू की गई है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इसे आवश्यक किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इसे ऐच्छिक करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि गैर अनुदानित विद्यालयों को इससे मुक्त रखा गया है? यदि हां, तो क्यों? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। श्रम मंत्रालय भारत सरकार के अनुमोदन उपरांत राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफ-19(20) एलएण्डई/03 दि. 12.10.04 द्वारा ऐसे शिक्षण संस्थान (पब्लिक, निजी अनुदानित या आंशिक अनुदानित) जो कि व्यक्तिगत, ट्रस्टीज, सोसायटी या दूसरे संगठन, जिनमें बीस या अधिक कर्मचारी 12 माह में किसी भी दिवस मजदूरी पर नियुक्त है या नियुक्त थे, पर कराबी योजना लागू की गई है। उसके आशय बाबत 6 माह पूर्व अधिसूचना क. एफ-19(20) एलएण्डई/03 दि. 3.1.04 जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

(2) माननीय श्रम मंत्री जी, भारत सरकार की अध्यक्षता में दि. 21.12.03 को सम्पन्न कराबी निगम की 125वीं बैठक में निजी शैक्षणिक संस्थानों पर कराबी योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था। तदोपरान्त श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन पश्चात अधिसूचना जारी की गई है। योजना लागू करने का निर्णय श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किये जाने से राज्य सरकार अपने स्तर पर इसे एच्छिक नहीं कर सकती है।

(3) गैर अनुदानित स्कूलों को योजना के आच्छादन (लागू करने) से

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

मुक्त नहीं रखा है। केवल 20 से कम कर्मचारी वाले संस्थान कराबी योजना के आच्छादन से मुक्त है।

(अधिसूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

धौलपुर जिला मुख्यालय हेतु श्रम न्यायालय

822. **श्री बनवारीलाल** (धौलपुर) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि धौलपुर जिले में श्रमिकों के मुकदमों की तादात अधिक हैं? यदि हां, तो क्या सरकार धौलपुर जिला हैडक्वाटर पर श्रम न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। धौलपुर जिले के श्रमिकों के मुकदमों की तादाद 720 है। जज श्रम न्यायालय, भरतपुर द्वारा धौलपुर जिले में कैम्प लगाया जाकर मुकदमों के निस्तारण की कार्यवाही की जाती है। जिला हैडक्वाटर पर श्रम न्यायालय धौलपुर खोलने का सरकार का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

राजगढ़ पंचायत समिति (चूरू) के विद्यालयों में असमान छात्र-अध्यापक अनुपात

823. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) में कितनी पाठशालाएं हैं तथा उनमें छात्रों की कितनी संख्या है? विवरण सदन को मेज पर रखें।

(2) पाठशालाओं में छात्र एवं अध्यापक का अनुपात क्या है?

(3) क्या उक्त पाठशालाओं में निर्धारित अनुपात के अनुसार अध्यापक हैं?

(4) क्या यह सही है कि कुछ शालाओं में मानदण्ड अनुसार अध्यापक ज्यादा एवं छात्र कम हैं? यदि हां, तो ऐसी पाठशालाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त असन्तुलन को दूर करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) में 179 प्रा.वि. 5 प्रा.वि. (संस्कत), 94 उ.प्रा.वि., 2 उ.प्रा.वि. (संस्कृत), 26 मा.वि. 1 प्रवेशिका (संस्कृत), 19 रा.उ.मा.वि. एवं 1 रा.व. उपा.वि. (संस्कृत) संचालित हैं, जिनमें 53885 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। विवरण परिशिष्ट ''क'' पर उपलब्ध है।

(2) राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-अध्यापक अनुपात 40.1 है।

(3) जी हां।

(4) जिन पाठशालाओं में मानदण्ड के अनुसार अध्यापक ज्यादा हैं, उन विद्यालयों की सूची परिशिष्ट ''ख'' संलग्न है।

(5) विभाग द्वारा समय-समय पर छात्र-अध्यापक अनुपात का आकलन कर समानीकरण योजना के अन्तर्गत उक्त अनुपात का संतुलित किया जाता रहता है।

परिशिष्ट ''क''

क्र.सं.	पाठशालाओं की श्रेणी	पाठशालाओं की संख्या	छात्रों की संख्या
1	रा.प्रा. विद्यालय (प्रारंभिक शिक्षा)	179	15802
2	रा.प्रा.वि. (संस्कृत शिक्षा)	05	299
3	रा.उ.प्रा.वि. (प्रारंभिक शिक्षा)	94	20959
4	रा.उ.प्रा.वि. (संस्कृत शिक्षा)	02	367
5	रा.मा.वि.	26	136
6	प्रवेशिका (संस्कृत शिक्षा)	01	10013
7	रा.उ.प्रा.वि.	19	6128
8	रा.उ.प्रा.वि. (संस्कृत शिक्षा)	01	181
	योग	**327**	**52885**

परिशिष्ट ''ख''

जिन पाठशालाओं में अनुपात से अधिक अध्यापक हैं की सूची

क्र.सं.	विद्यालय का नाम
1.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजगढ़
2.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सादुलपुर
3.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजगढ़
4.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ताखलाण बड़ी
5.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भुवाड़ी
6.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कान्द्राण
7.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ढाणा
8.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मिठीरेडुवान
9.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सुडाव
10.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, देवीपुरा
11.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गवातीसुर
12.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ढाणी मोजी
13.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रेजड़ी
14.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, न्यागनबड़ी
15.	राजकीय उच्च प्राथमिक (बालिका) विद्यालय, देदरेवा
16.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हमीरवास

सीकर जिले के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों का समानीकरण

824. श्री अमराराम (धोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में ग्रामीण व शहरी विद्यालयों की शालावार शिक्षक व विद्यार्थी की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमरारा धोद)

(2) शिक्षकों के समानीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये? जनवरी, 2006 तक कितने शिक्षकों का समानीकरण किया गया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्रों में विद्यार्थियों के अनुपात में अधिक अध्यापक कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सीकर के ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों के कार्यरत शिक्षकों एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों का शालावार विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षक समानीकरण योजना 1998 से लागू हुई। जनवरी, 2006 तक किये गये शिक्षकों का समानीकरण विवरण वर्षवार इस प्रकार है :-

वर्ष	द्वितीय ग्रेड	तृतीय ग्रेड
1999-2000	439	5988
2000-2001	-	-
2001-2002	-	7181
2002-2003	-	8862
2003-2004	-	-
2004-2005	-	
2005-2006	-	-

(3) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर छात्र अध्यापक अनुपात का आंकलन कर समानीकरण योजना के अन्तर्गत उनके अनुपात को सन्तुलित करता है। भविष्य में जब भी समानीकरण किया जायेगा। तत्समय उक्त विद्यालयों पर भी विचार किया जायेगा।

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वीकृत पदों से अधिक अध्यापक कार्यरत नहीं हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले में सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत आयोजित शिविर

825. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

(1) जिला पाली में वर्ष 2005-06 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ब्लाकवार कितने बालिका आवासीय शिविर लगाने की स्वीकृति दी गई? क्या स्वीकृति अनुसार आवासीय शिविर लगे? यदि हां, तो कहां-कहां और नहीं तो किस ब्लाक में स्वीकृति से कम शिविर लगे? जिस ब्लाक में शिविर लगे ही नहीं या कम लगे इसके लिए कौन-उत्तरदायी है? क्या सरकार इस कार्य के विलम्ब हेतु उत्तरदायी के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? इन शिविरों में ब्लाकवार प्रति शिविर में छात्र संख्या तथा उन पर हुए व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सर्व शिक्षा अभियान पाली के जिला परियोजना कार्यालय में किन किन सहायक परियोजना समन्वयक ने सत्र 2004-05 तथा 2005-06 में कब-कब कितनी-कितनी अग्रिम राशि किस-किस प्रयोजन हेतु ली गई तथा अग्रिम उठाने के बाद उस राशि का कब-कब समायोजन कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सर्व शिक्षा अभियान पाली के अंतर्गत जिला पाली में सत्र 2005 06 में मन्दबुद्धि बालक/बालिकाओं के अधिगम सुधार हेतु कितने आवासीय/ गैर आवासीय शिविर ब्लाकवार आयोजित किये गये? इन शिविरों में प्रति बालक/बालिका कितना खर्च का प्रावधान था तथा शिविर में प्रति छात्र/ छात्रानुसार कितना व्यय किया गया? क्या इन शिविरों में हुए व्यय का बिल स्वीकृत करने से पूर्व उन शिविर स्थलों की विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति तथा संस्था प्रधानों से अनुमोदन कराया गया यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह शिविर वास्तव में आवासीय थे? कितने व कौन-कौन से आवासीय शिविरों का रात्रिकाल में अधिकारियों ने निरीक्षण किया तथा निरीक्षण के दौरान कितने प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला पाली में वर्ष 2005-06 में बलाकवार, क्रमशः पाली में 2, रोहट में 3, रायपुर में 4, बाली में 2, मारवाड़ जंक्शन में 2, देसूरी में 1, सोजत में 1, जैतारण में 2, रानी में 2 तथा सुमेरपुर में 1, इस प्रकार कुल 20 बालिका आवासीय शिविर आयोजित किये गये। समस्त ब्लाकों में स्वीकृति अनुसार ही शिविर आयोजित किये गये। ब्लाकवार स्वीकृत तथा आयोजित शिविर, छात्र संख्या एवं खर्च का विवरण निम्न प्रकार है :-

(शिक्षा मंत्री)

ब्लाक छात्र संख्या व खर्च का विवरण :-

क्र. सं.	ब्लाक	स्वीकृत शिविर संख्या	आयोजित शिविर संख्या	प्रति शिविर बालिका संख्या				कुल छात्र सं.	खर्च राशि
				I	II	III	IV		
1	पाली	2	2	72	100			172	490000
2	रोहट	3	3	60	60	80		200	500000
3	रायपुर	4	4	100	98	50	50	298	810000
4	बाली	2	2	110	100			210	800000
5	मा.ज.	2	2	70	70			130	400000
6	देसूरी	1	1	115				115	500000
7	सोजत	1	1	105				105	550000
8	जैतारण	2	2	100	50			150	625000
9	रानी	2	2	57	50			107	325000
10	सुमेरपुर	1	1	61				61	320000
योग		20	20	840	528	130	50	1548	5320000

(2) सर्व शिक्षा अभियान पाली के जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में कार्यरत सहायक परियोजना समन्वयक क्रमशः श्री भंवर सिंह चौधरी द्वारा वर्ष 2004-05 व 2005-06 में कुल 5,21,000 रुपये, श्री शिव दत्त चारण द्वारा 3,00,000 रुपये एवं श्री मदन पंवार द्वारा 4,45,000 रुपये का अग्रिम विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु लिया गया, जिसके समायोजन का गतिविधिवार विवरण संलग्न परिशिष्ट पर उलपब्ध है।

(3) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में मंद बुद्धि बालक-बालिकाओं के अधिगम सुधार हेतु कुल 52 आवासीय शिविर आयोजित किये गये। उक्त शिविरों में प्रति बालक/बालिका हेतु 250 रुपये प्रति शिविर खर्च करने का प्रावधान है। इन शिविरों में प्रति बालक/बालिका पर औसतन खर्चा भी लगभग 250 रुपये प्रति शिविर रहा।

जी हां। उक्त शिविर एस.डी.एम.सी. के माध्यम से ही आयोजित किये गये हैं।

जी हां। शिविर पूर्णतः आवासीय थे। सभी शिविरों के रात्रिकालीन सत्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें उपस्थिति लगभग शत-प्रतिशत पाई गई।

परिशिष्ट

अग्रिम का विवरण

क्र. सं.	नाम स.प.अ	वर्ष	दिनांक	गतिविधि का नाम	राशि	समायोजन विवरण	
						समायोजन तिथि	राशि
1.	श्री भंवर सिंह चौधरी	2004-05	17.9.04	शिक्षक प्रशिक्षण बाबत	160000	31.1.05	128436
			8.10.04	बी.एस.एस. शिविर व्यवस्था	40000	24.2.05	154253
			30.11.04	विकलांग मेला आयोजन बाबत्	14000	25.2.05	100000
			8.12.04	आई.ई.डी/सहज शिक्षा केन्द्र के अनुदेशक प्रशिक्षण बाबत्	57000	14.3.05	51981
			24.12.04	एन.पी.ई.जी.ई.एल. अन्तर्गत उपचारात्मक शिविर	100000	19.3.05	50000
			12.1.05	रा.गा.पा. प्रशिक्षण	150000	31.3.05	36330
				योग	**521000**		**521000**

अग्रिम का विवरण

क्र. सं.	नाम स.प.अ	वर्ष	दिनांक	गतिविधि का नाम	राशि	समायोजन विवरण	
						समायोजन तिथि	राशि
1.	श्री शिवदत्त चारण	2004-05	17.9.04	शिक्षक प्रशिक्षण बाबत	80000		
			18.12.04	सामुदायिक गतिशीलता	200000	21.12.04	200000 (पुन: नकद जमा कराये)
						31.1.05	80000
		2005-06	27.7.04	मुख्यमंत्री शिक्षा सम्बल महाभियान बाबत	20000	17.11.05	20000
				योग	**300000**		**300000**

अग्रिम का विवरण

क्र. सं.	नाम स.प.अ	वर्ष	दिनांक	गतिविधि का नाम	राशि	समायोजन विवरण	
						समायोजन तिथि	राशि
1.	श्री मदन पंवार	2004-05	17.9.04	शिक्षक प्रशिक्षण बाबत	80000	31.1.05	80000
			4.12.04	शिक्षक प्रशिक्षण बाबत	100000	14.3.05	173233
			3.1.05	शिक्षक प्रशिक्षण बाबत	125000		
			21.3.05	शिक्षक प्रशिक्षण बाबत	90000	31.3.05	141767
		2005-06	26.12.05	एम.टी. प्रशिक्षण बाबत	50000	-	-
				योग	**445000**		**395000**

फलासिया में अध्यापकों के रिक्त पद

826. श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र फलासिया के विद्यालयों में प्रध्यापकों एवं अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार इन पदों को भरने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र फलासिया के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के 27 एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 187 पद रिक्त हैं।

विधान सभा क्षेत्र फलासिया में संचालित रामावि. एवं राउमावि. में प्राध्यापकों एवं अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से है :-

पद नाम	रिक्त पदों की संख्या
1. प्राध्यापक	30
2. वरि. अध्यापक	45
3. अध्यापक	18

(शिक्षा मंत्री)

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पद भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

देसूरी में सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत करवाये गये निर्माण कार्यों की जांच

827. **श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी में सर्व शिक्षा अभियान के तहत गत दो वर्षों में क्या-क्या कार्य करवाये गये? करवाये गये कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस अभियान के तहत करवाये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच करवाये जाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी में सर्व शिक्षा अभियान के तहत गत दो वर्षों में विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय, टांका निर्माण, प्रधानाध्यापक कक्ष निर्माण आदि के कार्य करवाये गये। करवाये गए कार्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस अभियान के तहत करवाये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच समय-समय पर संबंधित कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता एवं अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाती है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्ष्ेात्र देसूरी में गत दो वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कराये गये निर्माण कार्यों की सूची

वर्ष 2003-04

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	ग्राम पंचायत	लागत लाख में	पंचायत समिति
1	उप्रावि विरमपुरा माताजी	कोटड़ी	1.20	देसूरी
2	राउप्रावि बादोद	बड़ोद	1.20	देसूरी

1	2	3	4	5
3	राउप्रावि जाटो की डोरण	सादड़ी	1.20	देसूरी
4	राउप्रावि राजपुरा	मांडागढ़	1.20	देसूरी
5	राउप्रावि गिराली	दालोप	1.20	देसूरी
6	राउप्रावि दूदापुरा	दूदापुरा	1.20	देसूरी
7	राउप्रावि राजपुरा	मांडागढ़	1.20	देसूरी
		प्रधानाध्यापक कक्ष		
1	राउप्रावि सरथूल	बड़ोद	1.00	देसूरी
2	राउप्रावि जोबा	सुथारों का गुडा	1.10	देसूरी
		शौचालय		
1	राप्रावि इन्द्रस्थल	बड़ोद	0.10	देसूरी
2	राप्रावि चुरापाटीयान	सिंदरोली	0.10	देसूरी
3	राप्रावि चारभुजा की ढ़ाणी	घानेराव	0.10	देसूरी
4	राप्रावि गरासीया कालोनी	घानेराव	0.10	देसूरी
5	राप्रावि किरो की ढ़ाणी	घानेराव	0.10	देसूरी
6	राप्रावि धाणेराव	घानेराव	0.10	देसूरी
7	राप्रावि नवागुडा	कोटड़ी	0.10	देसूरी
8	राप्रावि भैरू का नाका	नारलई	0.10	देसूरी
9	राप्रावि नाडोल नं. 2	नाडोल	0.10	देसूरी
10	राप्रावि नाडोल नं. 3	नाडोल	0.10	देसूरी
11	राप्रावि रेबारियों की ढ़ाणी	नाडोल	0.10	देसूरी
12	राप्रावि मारू ढ़ाणी	नाडोल	0.10	देसूरी
13	राप्रावि दूदिया की ढ़ाणी	दादई	0.10	देसूरी
14	राउप्रावि मौरखा	मोरखा	0.20	देसूरी
15	राउप्रावि जाटों की डोरण	सादड़ी	0.20	देसूरी

1	2	3	4	5
16	राउप्रावि गिराली	ढालोप	0.20	देसूरी
17	राउप्रावि जुना	मोरखा	0.20	देसूरी
18	राउप्रावि झोडा	दूदापुरा	0.20	देसूरी
19	राउप्रावि दूदापुरा	दूदापुरा	0.20	देसूरी
20	राउप्रावि नारलाई	नारलई	0.20	देसूरी
		पेयजल सुविधा		
1	राप्रावि छोडारा माता की ढा	घानेराव	0.15	देसूरी
2	राउप्रावि मगरतलाब	मगरतालाब	0.15	देसूरी
3	राउप्रावि गांथी	गांथी	0.15	देसूरी
4	राप्रावि गुडा देवान सोलंकियान	कोट सोलंकीयान	0.15	देसूरी
5	राप्रावि गरासीया कालोनी	घानेराव	0.15	देसूरी
6	राप्रावि नाडोल नं. 3	नाडोल	0.15	देसूरी
		निर्माण कार्य 2003-04		
		अतिरिक्त कक्षा कक्ष		
1	राउप्रावि निम्बाड़ा	निम्बाड़ा	1.50	रानी
2	राउप्रावि चांगवा	कीरवा	1.50	रानी
3	राउप्रावि विगंरला	वरकाणा	1.50	रानी
4	राबाउप्रावि जवाली	जवाली	1.50	रानी
5	राउप्रावि प्रतापगढ़	निम्बाड़ा	1.50	रानी
6	राउप्रावि जीवन्द कलां	जीवन्द कलां	1.50	रानी
7	राउप्रावि खारड़ा	ढारिया	1.50	रानी
8	राउप्रावि टोकरला	केरली	1.50	रानी
9	राउप्रावि नादाना भाटान	नादाना भाटान	1.20	रानी
10	राउप्रावि भगवानपुरा	इटन्दरा चारणान	1.50	रानी

1	2	3	4	5
11	राबाउप्रावि बालराई	बालराई	1.50	रानी
12	राउप्रावि पुनाडिया	इटन्दरा चारणान	1.20	रानी
13	राउप्रावि इटन्दरा चारणान	इटन्दरा चारणान	1.20	रानी
14	राउप्रावि इटन्दरा मेडतियान	इटन्दरा मेडतियान	1.20	रानी
15	राउप्रावि बोरड़ी	जीवन्द कलां	1.50	रानी
16	राउप्रावि दूदवड़	रानी गांव	1.20	रानी
17	राप्रावि गुडा मेहराम	सालरिया	1.20	रानी
18	राप्रावि चाचोड़ी	चांचौड़ी	1.20	रानी
19	राप्रावि कल्याणपुरा	कीरवा	1.20	रानी
20	राप्रावि बालराई	बालराई	1.20	रानी
21	राप्रावि रानी गांव	रानी गांव	1.20	रानी
22	राप्रावि कीरवा	कीरवा	1.20	रानी
	प्रधानाध्यापक कक्ष			
1	राउप्रावि चांगवा	कीरवा	1.00	रानी
2	राउप्रावि केरली	केरली	1.00	रानी
3	राउप्रावि जीवन्द कलां	जीवन्द कलां	1.00	रानी
4	राउप्रावि विगरला	वरकाणा	1.00	रानी
	शौचालय			
1	राप्रावि जीवन्द खुर्द	जीवन्द कलां	0.10	रानी
2	राप्रावि कीरवा	कीरवा	0.10	रानी
3	राप्रावि खौड	खौड़	0.10	रानी
4	राबाउप्रावि देवली पाबूजी	देवली पाबूजी	0.20	रानी
5	राउप्रावि गजनीपुरा	गजनीपुरा	0.20	रानी
6	राउप्रावि खारड़ा	ढारिया	0.20	रानी

1	2	3	4	5
7	राउप्रावि प्रतापगढ़	निम्बाड़ा	0.20	रानी
8	राउप्रावि पुनाडिया	इटन्दराचारणान	0.20	रानी
9	राउप्रावि रायपुरिया	वणदार	0.20	रानी
		वर्ष 2004-05		
		नवीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन		
1	राउप्रावि सोनाणा	आना	4.25	देसूरी
2	राउप्रावि काना	दूदापुरा	4.25	देसूरी
3	राप्रावि नया अरट जुना	मोरखा	3.00	देसूरी
		अति. कक्षा कक्ष		
1	राप्रावि उन्दरथल	बड़ौद	1.50	देसूरी
2	राप्रावि सांरगवास	आना	1.50	देसूरी
3	राप्रावि मादा	मांदा	1.50	देसूरी
4	राप्रावि विरमपुरा रेबारियान	दूदापुरा	1.50	देसूरी
		शौचालय		
1	राप्रावि मादा	मांदा	0.20	देसूरी
2	राप्रावि रेबारियों की ढ़ाणी सादड़ी	सादड़ी	0.20	देसूरी
		पेयजल सुविधा (टांका)		
1	राउप्रावि विरमपुरा माता जी	कोटड़ी	0.15	देसूरी
2	राप्रावि चार भुजा की ढ़ाणी	घाणेराव	0.15	देसूरी
3	राप्रावि विरमपुर रेबारियान	दूदापुरा	0.15	देसूरी
		निर्माण कार्य की सूची सत्र 2004-05		
		अति. कक्षा कक्ष		
1	राप्रावि हिरणखुरी	इटन्द्रा मेड	1.50	रानी
2	राप्रावि बिजोवा फाटक	बिजावा	1.50	रानी
3	राउप्रावि खोड	खौड	1.20	रानी
4	राउप्रावि चांगवा	कीरवा	1.20	रानी

1	2	3	4	5
		नवीन प्राथमि/उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन		
1	राउप्रावि रानी कलां	रानी कलां	4.25	रानी
2	राउप्रावि दूदवड़	रानी कलां	4.25	रानी
3	राउप्रावि खौड	खौड	4.25	रानी
4	राप्रावि सेदरिया	इटन्द्रा मेड	4.25	रानी
5	राउप्रावि राबडिया	किशनपुरा	4.25	रानी
6	राप्रावि कोलारी रानी गांव	रानी कलां	3.00	रानी
		शौचालय		
1	राप्रावि रूगड़ी	सांवलता	0.20	रानी
2	राप्रावि गुडा रूपसिंह	जीवन्द कलां	0.20	रानी
3	राप्रावि इटन्द्रा मेडतियान	इटन्द्रा मेड	0.20	रानी
4	राउप्रावि पादरली तुर्कान	इटन्द्रा मेड	0.20	रानी
5	राप्रावि किशनपुरा	किशनपुरा	0.20	रानी
6	राप्रावि देवली पाबूजी	देवली पाबूजी	0.20	रानी
7	राप्रावि गुडा भीम सिंह	देवली पाबूजी	0.20	रानी
8	राप्रावि ओडवारिया	भादरलाड	0.20	रानी
9	राप्रावि सोमेसर	सोमेसर	0.20	रानी
10	राप्रावि ह.ब. इन्दरवाड़ा	इन्दरवाड़ा	0.20	रानी
		पानी का टांका		
1	राप्रावि हिरणखुरी	इटन्द्रा मेड	0.15	रानी
2	राप्रावि पादरली तुर्कान	इटन्द्रा मेड	0.15	रानी
3	राप्रावि गुडा भीम सिंह	देवली पाबूजी	0.15	रानी
4	राप्रावि इटन्द्रा मेडतियान	इटन्द्रा मेड	0.15	रानी
5	राप्रावि देवली पाबूजी	देवली पाबूजी	0.15	रानी

केसरीसिंहपुर के क्रमोन्नत विद्यालयो में रिक्त पद

828. श्री ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर में वर्ष 2004-05 व 2005-06 में प्राईमरी से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक कितने स्कूल क्रमोन्नत किये गये व कितने स्कूल नये खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले दो वर्षों में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्कूलों में कहां-कहां कितने-कितने पद सृजित किये गये? क्या स्वीकृत पदों पर अध्यापक लगाये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां कौन कौन व नहीं, तो क्यों?

(3) पिछले दो वर्षों में क्रमोन्नत किये गये प्रत्येक स्कूल में कमरों के निर्माण के लिये कितना-कितना कहां-कहां बजट स्वीकृत किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केसरीसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र में सत्र 2004-05 व 2005-06 में निम्नानुसार स्कूल क्रमोन्नत किये गये हैं।

वर्ष	**नवीन प्रा. विद्यालय**	**प्रावि से उप्रावि**	**उप्रावि मावि**	**मावि से उमावि**
2004-05	05	12	02	01
2005-06	03	09	02	01

विद्यालयवार सूची परिशिष्ट '' क'' संलग्न है।

(2) पिछले दो वर्षों में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्कूलों में सृजित पदों तथा इन पर लगाये गये कार्मिकों का विवरण निम्न प्रकार है :-

विद्यालय का नाम	**स्वीकृत पद**					**लगाये कार्मिकों का नाम**
	प्राचार्य	**प्र. अ.**	**व्या.**	**व.अ.**	**क.लि.**	
			वर्ष 2004-05			
राउमावि, धनुर	1	0	3	0	0	श्री जगरूप सिंह प्राचार्य

(शिक्षा मंत्री)

1	2	3	4	5	6	7
रामावि, दुल्लापुरकेरी	0	1	0	4	0	श्री सोहनलाल प्र.अ.
रामावि कानी	0	1	0	4	0	-
			वर्ष 2005-06			
राउमावि, रोहिडावाली	1	0	3	0	0	-
रामावि महला	0	1	0	2	01	-
रामावि ततारसर	0	1	0	2	1	-

विभाग द्वारा रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) पिछले दो वर्षों में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत चार विद्यालयों में कमरों के निर्माण के लिए निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया :-

क्र.सं.	**विद्यालय का नाम**	**कार्य**	**स्वीकृत बजट राशि (लाखों में)**
	वर्ष 2004-05 में		
1	राउप्रावि 2 सी छोटी	अति. कक्षा कक्ष	1.50
2	राउप्रावि 2 डी बडी	अति. कक्षा कक्ष	1.50
	वर्ष 2005-06		
1	राउप्रावि 1 सी छोटी	अति. कक्षा कक्ष	1.50
2	राउप्रावि 2 डी बड़ी	अति. कक्षा कक्ष	1.50

परिशिष्ट ''क''

केसरीसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र सत्र 2004-05 में क्रमोन्नत/नवीन विद्यालयों की सूची
प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर

क्र. सं.	प्राथमिक विद्यालय से उ.प्रा. विद्यालय	क्र. सं.	प्राथमिक विद्यालय से उ.प्रा. विद्यालय		नवीन प्राथमिक विद्यालय
1.	बालिका फूसेवाला	7.	1 जेड़	1.	4 ए बाई पास साधूवाला
2.	एक्स	8.	2 सी छोटी	2.	कोनी
3.	11 एच	9.	6 दाई	3.	बाबरीयों की ढ़ाणी लठठावाली
4.	2 जी	10.	9 ए	4.	14 जी द्वितीय
5.	5 ए (भोजपुरा)	11.	9 जी	5.	11 एम.एल. बाजीगरों की ढ़ाणी
6.	3 टी	12.	8 एच.एस.		

उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में क्रमोन्नत

1. दुल्लापुरकेरी
2. कोनी

माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत

1. धनूर

सत्र 2005-06 में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत

क्र. सं.	प्राथमिक विद्यालय से उ.प्रा. विद्यालय	क्र. सं.	प्राथमिक विद्यालय से उ.प्रा. विद्यालय		नवीन प्राथमिक विद्यालय
1.	6 एच.एच.	6.	मलकानाखुर्द	1.	14 जी द्वितीय (13जी)
2.	23 जी.जी.	7.	1 बी छोटी बावरियों की ढाणी	2.	वार्ड नं. 1 सादावालीकाठ
3.	1 सी छोटी	8.	10 ए छोटी (10जेड)	3.	1बी छोटी बावरियों की ढाणी
4.	2डी बड़ी	9.	श्रीमती दलीपकौर मोहनपुरा		
5.	3 डी प्रथम				

उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में क्रमोन्नत	
1.	मौहल्ला
2.	ततारसर
माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत	
1.	रोहिडावाली

राज्य की संस्कृत शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

829. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में अनुदानित संस्कृत शिक्षा की कितनी संस्थाएं हैं? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इन संस्थाओं को वर्ष 2004-05, 2005-06 का अनुदान स्वीकृत कर दिया गया? यदि नहीं, तो किन-किन को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त शिक्षण संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को स्वीकृत अनुदान देने का आदेश दिया है? यदि हां, तो क्या इसकी क्रियान्विति कर दी गई? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में अनुदान दे दिया जावेगा?

उत्तर

(1) राज्य में संस्कृत शिक्षा विभाग की 50 अनुदानित शिक्षण संस्थाऐं हैं। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। किन्तु वर्ष 2004-05 में एक संस्था मित्र ज्ञान उ.प्रा.सं.वि. जयपुर ने स्वयं की इच्छा से अनुदान आहरित नहीं किया, तथा वर्ष 2005-06 में दो संस्थाऐं ओंकारनाथ लाटा प्रवे.सं. वि. सरदारशहर एवं संजय बाल निकेतन, जयपुर ने स्वयं की प्रार्थना कर संस्थाऐं बन्द कर दी हैं। अतः शेष 47 संस्थाओं को ही प्रोविजनल अनुदान जारी किया गया, जिसमें से भी 2 संस्थाओं ने स्वयं की इच्छा से अनुदान आहरित नहीं किया है। जिनके नाम निम्नानुसार है।

1. राजेन्द्र बाल मंदिर, उ.प्रा.सं. विजयपुर

(शिक्षा मंत्री)

2. श्री नबदेवर उ.प्रा.सं.वि. धौबलाई

(3) जी नहीं। क्योंकि उपरोक्त शिक्षण संस्थाओं में अनुदान नहीं उठा रही संस्थाओं ने विभाग को लिखित में अनुदान आहरित नहीं करने का निवेदन किया है।

(4) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बजट उपलब्धता की सीमा में ही भुगतान करने के निर्देश दिये हैं, बजट उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा।

परिशिष्ट 'अ'

संस्कृत शिक्षा विभाग से अनुदान एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं की जिलेवार सूची

क्र. सं.	संस्था का नाम	मान्यता स्तर	अनुदान स्तर	प्रतिशत
1	2	3	4	5
जिला-जयपुर				
1.	श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयुपर	आचार्य	आचार्य	90
2.	श्री दादू आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर	आचार्य	आचार्य	90
3.	प्राच्य विद्यापीठ, शाहपुरा बाग जयपुर	आचार्य	शास्त्री	60
4.	श्री खाण्डल विप्र वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, जयपुर	वरिष्ठ उपाध्याय	वरिष्ठ उपाध्याय	80
5.	मानवभारती प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, सांगानेर	प्रवेशिका	प्रवेशिका	60
6.	संजय बाल निकेतन उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, जयपुर	उच्च प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	80
7.	मित्रज्ञान बालिका संस्कृत उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, जयपुर	उच्च प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	90
8.	स्वामी रामकृष्ण उच्च प्राथमिक संस्कृत बालिका विद्यालय, जयपुर	उच्च प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	70

1	2	3	4	5
9.	श्री सरस्वती विद्यापीठ उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, जयपुर	उच्च प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	70
10.	राजश्री उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, जयपुर	उच्च प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	80
11.	शारदा शिक्षा निकेतन प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, जयपुर	प्रवेशिका	उच्च प्राथमिक	60
12.	भारतीय पूर्व प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, जयपुर	प्रवेशिका	उच्च प्राथमिक	70
13.	विश्वबन्धु विद्यामन्दिर उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, जयपुर	प्रवेशिका	उच्च प्राथमिक	50
14.	राजेन्द्र बाल मंदिर प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, जयपुर	प्रवेशिका	उच्च प्राथमिक	50
15.	विक्रम बाल निकेतन उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, जयपुर	प्रवेशिका	उच्च प्राथमिक	50
16.	जनता बाल निकेतन उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, जयपुर	उच्च प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	50
17.	सरस्वती बाल मंदिर उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, आमेर रोड़, जयपुर	उच्च प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	50
18.	रविन्द्रनाथ टैगौर प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, जयपुर	प्रवेशिका	उच्च प्राथमिक	50
19.	राजकन्या उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, जयपुर	प्रवेशिका	उच्च प्राथमिक	50
20.	गांधी ज्ञान मंदिर उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, जयपुर	प्रवेशिका	उच्च प्राथमिक	50
21.	शांतिवीर गुरूकुल जैन पूर्व प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, जयपुर	प्रवेशिका	उच्च प्राथमिक	70

1	2	3	4	5
22.	मानवभारती पूर्व प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, चाकसू जि. जयपुर	प्रवेशिका	उच्च प्राथमिक	70
23.	श्री नर्मदेश्वर उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, धौबलाई	प्रवेशिका	उच्च प्राथमिक	60
24.	सरस्वती बालिका उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, चौमूं	प्रवेशिका	प्रवेशिका	50
जिला-दौसा				
25.	श्री सनातन धर्म शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, लालसोट	शास्त्री	शास्त्री	90
26.	श्री रामानुज महावीर प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, विनौरी	प्रवेशिका	प्रवेशिका	50
जिला-भरतपुर				
27.	नूतन विद्या मन्दिर प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, भरतपुर	प्रवेशिका	प्रवेशिका	50
28.	नेहरू संस्कृत बाल निकेतन, भरतपुर	प्रवेशिका	उच्च प्राथमिक	50
29.	अग्रवाल प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, बयाना	प्रवेशिका	उच्च प्राथमिक	50
जिला-धौलपुर				
30.	श्री कुन्दकुन्द जैन बालिका पूर्व प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, राजाखेड़ा	उच्च प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	90
जिला-सीकर				
31.	जी.आर.चमडिया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, फतेहपुर	आचार्य	आचार्य	90
32.	श्री ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, लक्ष्मणगढ़	आचार्य	आचार्य	90

1	2	3	4	5
33.	जांगीड़ वैदिक वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, फतेहपुर	वरिष्ठ उपाध्याय	वरिष्ठ उपाध्याय	90
34.	श्री संस्कृतम उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, नेछवा	उच्च प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	80
जिला -झुंझुनूं				
35.	श्री विरला आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, पिलानी	आचार्य	आचार्य	90
36.	श्री एम.पी. रूंगटा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, बगड़	आचार्य	आचार्य	80
जिला-चूरू				
37.	श्री राजस्थान ऋषिकुल शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, रतनगढ़	शास्त्री	वरिष्ठ उपाध्याय	80
जिला- उदयपुर				
38.	माधव वरिष्ट उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, उदयपुर	वरिष्ठ उपाध्याय	वरिष्ठ उपाध्याय	80
जिला-डूंगरपुर				
39.	श्री गोवर्धन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, खड़गदा	आचार्य	शास्त्री	90
जिला-चित्तौड़गढ़				
40.	श्री गुरूकुल, चित्तौड़गढ़	शास्त्री	वरिष्ठ उपाध्याय	90
जिला-भीलवाड़ा				
41.	पं. श्री चन्द्रशेखर शास्त्री प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, भीलवाड़ा	प्रवेशिका	प्रवेशिका	90

1	2	3	4	5
जिला-अजमेर				
42.	श्री सनातन धर्म प्रकाशक वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, ब्यावर	वरिष्ठ उपाध्याय	वरिष्ठ उपाध्याय	90
जिला- नागौर				
43.	श्री पारीक वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, मेड़तासिटी	वरिष्ठ उपाध्याय	वरिष्ठ उपाध्याय	90
44.	श्री सनातन धर्म वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, मारवाड़ मूण्डवा	वरिष्ठ उपाध्याय	वरिष्ठ उपाध्याय	70
जिला-टोंक				
45.	श्री सनातन धर्म वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, निवाई	वरिष्ठ उपाध्याय	वरिष्ठ उपाध्याय	90
46.	सिंगोदिया शिक्षा सदन उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, टोंक	उच्च प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	90
जिला-सवाई माधोपुर				
47.	विद्या मंदिर स्कूल, सवाई माधोपुर	उच्च प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	50
जिला-करौली				
48.	दिगम्बर जैन आचार्य महिला महाविद्यालय, श्रीमहावीरजी	आचार्य	शास्त्री	80
जिला-बारां				
49.	सार्वजनिक आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, बारां	आचार्य	शास्त्री	80
जिला-झालावाड़				
50.	श्री राधेश्याम पूर्व प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, भवानीमण्डी	उच्च प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	50

शिक्षा प्रसार अधिकारियों की पदोन्नति

830. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1995 में कितने शिक्षा प्रसार अधिकारियों का चयन किया गया व चयन के समय इनको राजस्थान शिक्षा सेवा के किस केडर में रखा गया था?

(2) पदोन्नति के लिये वर्तमान में इन्हें राजस्थान शिक्षा सेवा के किस केडर में से रखा गया है?

(3) वर्तमान में शिक्षा प्रसार अधिकारी किस पद पर कार्यरत है? क्या इनकी पदोन्नति के लिये कोई नीति निर्धारित की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(4) सरकार इनकी पदोन्नति कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 में 558 शिक्षा प्रसार अधिकारी का राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया गया। शिक्षा प्रसार अधिकारी का पद राजस्थान शिक्षा के ग्रुप-एफ-3 में व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) एवं समकक्ष के पद के साथ रखा गया है।

(2) शिक्षा प्रसार अधिकारी को राजस्थान शिक्षा सेवा के ग्रुप-एफ-3 के पदों पर रखा गया है।

(3) वर्तमान शिक्षा प्रसार अधिकारी की सेवाएं प्रारम्भिक शिक्षा में अति. ब्लाक शिक्षा अधिकारी के पद पर की जा रही हैं। शिक्षा प्रसार अधिकारी का पद व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के समकक्ष है तथा वर्तमान में राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के तहत इनकी पदोन्नति ग्रुप-ई के पद पर की जाती है।

(4) वरिष्ठता क्रमानुसार चयन समिति की बैठक में चयन होने पर पदोन्नति दी जाना संभव होगा।

विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के विद्यालयों में अध्यापकों का समानीकरण

831. श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती वन्दना मीणा)

(1) प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने विद्यार्थियों पर एक अध्यापक के पदस्थापन करने का प्रावधान है?

(2) क्या उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियमानुसार विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षक कार्यरत हैं? यदि हां, तो प्रत्येक विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या एवं कार्यरत शिक्षकों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विद्यार्थियों के अनुपात में अधिक संख्या में पदस्थापित शिक्षकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन सरकार रिक्त पदों पर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सामान्यत: 40 छात्रों पर एक अध्यापक लगाने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। विभाग समय-समय पर छात्र-अध्यापक अनुपात का आंकलन कर समानीकरण योजना के अन्तर्गत उनके अनुपात को सन्तुलित करता रहता है। भविष्य में जब भी समानीकरण किया जायेगा तत्समय उक्त विद्यालयों पर भी विचार किया जायेगा।

अजमेर मण्डल के शिक्षा अधिकारियों द्वारा यात्रा व्यय के मद में आहरित राशि

832. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :-

(1) अजमेर मण्डल के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक एवं प्राथमिक) तथा उप निदेशक (माध्यमिक एवं प्राथमिक) द्वारा वर्ष 2002 से अब तक कितनी-कितनी यात्राएं की गई एवं उन्होंने इस मद से कितनी-कितनी राशि उठाई? नाम, पद व राशि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कोर्ट प्रकरण में सर्वाधिक यात्रा किस अधिकारी ने की व टी.ए. व डी.ए. कितनी राशि का उठाया गया? नाम, पद व आहरित राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे यात्रा कार्यक्रम की सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी?

(श्री नाथूराम अहारी)

(4) क्या सरकार यात्रा के नाम से सरकारी धन का अनावश्यक रूप से आहरण करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है यदि हां, तो क्या और कब तक? व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अजमेर मण्डल के उप निदेशक (माध्यमिक एवं प्राथमिक) तथा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक एवं प्राथमिक) द्वारा वर्ष 2002 से अब तक की गई यात्राओं एवं आहरित की गई राशि का विवरण परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(2) कोर्ट कैसेज हेतु की गई यात्राओं का विवरण एवं यात्रा भत्ता मद में कोर्ट कैसेज के उद्देश्य से उठाई गई राशि का विवरण परिशिष्ट ''ख'' संलग्न है।

(3) विभाग के उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों/कार्यालयों का निरीक्षण करने हेतु मानदण्ड निर्धारित किये हुए हैं। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण का दायित्व भी उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी का ही है।

(4) विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई यात्राएं एवं आहरित राशि का आंकलन विभागीय अंकेक्षण एवं महालेखाकार द्वारा आडिट की जाती है। उक्त आडित रिपोर्टों में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। किसी अधिकारी के विरूद्ध अनावश्यक यात्रा कर राशि आहरित करने की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार शिकायत की जांचोपरान्त तदनुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय/निजी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति

833. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या शिक्षा तकनीकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार राज्य में विद्युत प्रसार/उत्पादन एवं वितरण निगम में शिक्षुता प्रशिक्षण अधिनियम (96) के तहत विद्युत संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु एवं राजकीय/निजी अर्द्धशासकीय प्रतिष्ठानों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्राथमिकता से नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षुता प्रशिक्षण अधिनियम (96) जारी नहीं किया गया है अपितु शिक्षुता अधिनियम 1961 जारी किया गया है।

शिक्षुता अधिनियम 1961 के प्रावधानों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को राजकीय व अर्द्ध शासकीय उपक्रमों सहित निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शिक्षुता प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई है। शिक्षुता अधिनियम 1961 में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु वैधानिक व्यवस्था नहीं है। शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने में प्राथमिकता प्रदान करना नियोक्ता पर निर्भर करता है।

उदयपुर जिले की सिंचाई परियोजनाओं का सुदृढ़ीकरण

834. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर जिले की तहसील मावली की कौन-कौनसी सिंचाई परियोजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लदाना एनीकट, डबोक तालाब, रोडी ताबाल, देवाली तालाब, विजणवास, तालाब, गन्दोली पंचायत, सांगवा तालाब, मोरठ तालाब, बासनी कलां, कलां तालाब, सालरकलां तालाबों का सुदृढीकरण करने व उन्हें बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले की मावली तहसील में वर्तमान में कोई भी सिंचाई परियोजना विचाराधीन नहीं है।

(2) जल संसाधन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है क्योंकि ये तालाब पंचायत समिति के अधीन हैं।

भीमलत बांध (बूंदी) की नहरों के निर्माण कार्यों में व्याप्त अनियमितताएं

835. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला बूंदी के भीमलत बांध की नहरों के निर्माण का कार्य ठेके पर दिया गया था? यदि हां, तो किस ठेकेदार को एवं किन-किन शर्तों पर? शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ठेकेदार ने निर्माण कार्य ''सब लेट'' कर रखा था? यदि हां, तो किन नियमों के तहत?

उत्तर

(1) जी हां। भीमलत अभयपुरा बांध की नहर प्रणाली के जीर्णोद्धार का कार्य मैसर्स भारती कन्सट्रक्शन कम्पनी को आबंटित किया गया था। शर्तो की प्रति परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा सबलेट की स्वीकृति नहीं दी गई है तथा आज भी कार्य का भुगतान मूल ठेकेदार मैसर्स भारती कन्सट्रक्शन कम्पनी को ही किया जा रहा है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सिरोही जिले में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों की मरम्मत

836. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राष्टीय काम के बदले अनाज योजना के सिरोही जिले में शुरू होने के बाद सिंचाई विभाग द्वारा उक्त योजना में कौन-कौन से कार्य करवाए गए? उक्त में से कौन-कौन से निर्माण कार्य टूट गए अथवा क्षतिग्रस्त हो गए? प्रत्येक कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें। इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में करवाए गए कार्य टूट गए हैं? यदि हां, तो उक्त कार्यों का वापस निर्माण नहीं कराने के क्या कारण हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है वापस निर्माण व मरम्मत कब तक की जाएगी? प्रत्येक कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना में सिरोही जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा 37 एनिकटों का निर्माण/जीर्णोद्धार कराया गया विवरण परिशिष्ट ''अ' पर संलग्न है। उक्त में से फगना एनिकट व भुवनेश्वर एनिकट तहसील सिरोही एवं सियावा नदी पर एनिकट नं. 1 सुरपगला तहसील आबूरोड़ क्षतिग्रस्त हुए कार्यों का विवरण प्रपत्र ''ब'' पर संलग्न है। इस बाबत कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) इस योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों में से 3 कार्य आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। भुवनेश्वर एनिकट का कार्य मानसून में ही दुरुस्त कर दिया गया था। फगना एनिकट एवं सियावा नदी पर एनिकट नं. 1 के कार्यों के मरम्मत/जीर्णोद्धार हेतु राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना में ही बचत राशि में से क्षतिग्रस्त एनिकटों की मरम्मत हेतु जिला परिषद सिरोही को प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आगामी मानसून से पूर्व मरम्मत कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ बांध की मुख्य नहर एवं सुन्दरपुरा ब्रांच की भूमि पर अतिक्रमण

837. **श्री हरीशचन्द्र कुमावत** (नावां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम खवारानीजी के राजस्व क्षेत्र में जमवारामगढ़ बांध की मुख्य नहर और इस नहर की सुन्दरपुरा ब्रांच का कुल कितना रकबा सिंचाई विभाग के रेकार्ड के अनुसार है? इस नहर और ब्रांच नहर के नक्शे के प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नहर की ब्रांच को कितने रकबे पर किस-किस व्यक्ति द्वारा अनधिकृत कब्जा करने की शिकायत ग्राम खवारानीजी के निवासियों द्वारा मुख्य मंत्री राजस्थान, सिंचाई मंत्री, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता और सहायक अभियन्ता को कब-कब की गई? शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पटवारी द्वारा भी अनधिकृत कब्जा करने की पुष्टि करके रिपोर्ट की गई लेकिन अनधिकृत व्यक्तियों से कब्जा हटवाने की कार्यवाही नहीं, की गई?

(4) क्या अनाधिकृत व्यक्तियों से कब्जा कब तक हटवाने का इरादा रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग की अनधिकृत कब्जे की भूमि करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति है?

(6) उक्त भूमि से अब तक कब्जा नहीं हटाने के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जमवारामगढ़ बांध की मुख्य नहर का रकबा 44 बीघा 19 बिस्वा है एवं इसकी सुन्दरपुरा ब्रांच का रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा है जो सिंचाई विभाग के नाम अंकित है, नक्शे की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) रामगढ़ बांध की सुन्दरपुरा ब्रांच के ग्राम खवारानीजी के 9 बीघा जमीन (खसरा नं. 112) में ग्रामवासियों में से 9 व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया गया है, इसकी शिकायत सचिव, सिंचाई विभाग के माध्यम से मुख्य अभियंता सिंचाई को प्राप्त हुई थी। शिकायत की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। पटवारी द्वारा अतिक्रमियों की रिपोर्ट की जाकर सभी 9 व्यक्तियों को दिनांक 31.10.2005 को राजस्व विभाग द्वारा बेदखली के आदेश पारित कर दिये गये। पूर्व में विभाग द्वारा राजस्व विभाग के सहयोग से भी बेदखली की कार्यवाही की गई। नहर, पानी की कमी से 1988 से ही नहीं चल रही है। इस कारण ग्रामवासियों द्वारा बार-बार अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति रहती है।

(4) अनाधिकृत व्यक्तियों से कब्जा हटवाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

(5) जी नहीं। नहर सूखी है कुल रकबा में से आंशिक भूमि पर अतिक्रमण है जो डी.एल.सी. के अनुसार 1300 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से 3,51,00 रुपये बनते हैं।

(6) नियमानुसार अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है, अतः कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(नक्शा आदि पुस्तकालय में रखे गये)

माही बजाज सागर परियोजना में कार्यरत-उप ठेकेदार

838. श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माही बजाज सागर परियोजना में मुख्य अभियन्ता से चतुर्थ श्रेणी तक कुल कितने कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं? पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) माही बजाज सागर परियोजना में ऐसे कितने ठेकेदार हैं, ठेकेदार हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है? रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति के साथ सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री जीतमल खांट)

(3) क्या यह भी सही है कि माही बजाज सागर परियोजना में पेटी कान्ट्रेक्टर ठेकेदार भी है, जो कार्य सम्पादित करते हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने ठेकेदार हैं, जिन्होंने पावर आफ अटार्नी पर पेटी कान्ट्रेक्टर ठेकेदारों को कार्य दे रखा है? उनके द्वारा कौन-कौन से कार्य कराये जा रहे हैं? पावर आफ अटार्नी की प्रतियां एवं कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माही परियोजना में मुख्य अभियंता से चतुर्थ श्रेणी तक के कुल 326 कर्मचारी कार्यरत हैं सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) माही परियोजना में 172 ठेकेदार हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। माही बजाज सागर परियोजना में एक ठेकेदार ने पावर आफ अटार्नी पर पेटी कोन्ट्रेक्टर को कार्य दे रखा है जिसे निरस्त कर दिया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

शिवना नदी, बनपुरा ग्राम (चित्तौड़गढ़) में एनीकट निर्माण

839. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि ग्राम बनपुरा, ग्राम पंचायत जाजली, जिला चित्तौड़गढ़ के पास शिवना नदी का पानी एनीकट नहीं होने के कारण बेकार बह जाता है? यदि हां, तो क्या इस नदी पर एनीकट बनाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस एनीकट का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

उत्तर

जी नहीं। चित्तौड़गढ़ जिले के अरनोद तहसील की पंचायत जाजली के बनपुरा ग्राम के पास स्थित शिवना नदी चम्बल बेसिन का हिस्सा है इस क्षेत्र का पानी गांधीसागर बांध में एकत्रित होता है।

ग्राम बनपुरा में शिवना नदी राजस्थान एवं मध्यप्रदेश राज्य की सीमा विभाजन करती है, अतः इस पर कोई भी प्रस्ताव बनाया जाना सम्भव नहीं है।

जोधपुर शहर के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

840. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों व कम्पाउण्डरों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो जोधपुर शहर व जिले में कौन-कौन से पशु चिकित्सालयों में कब-कब से हैं?

(2) उक्त पदों को भरने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं व कब तक उक्त रिक्त पद भर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर शहर व जिले के चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों एवं कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों का विवरण अनुसंलग्नक ''क'' सदन की मेज पर रख दी गई।

(2) पशु चिकित्सा अधिकारी के 200 तथा पशुधन सहायक के 464 पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

अनुसंलग्नक ''क''

जोधपुर शहर व जिले में पशु चिकित्सकों व कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	पशु चिकित्सा संस्था	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सा सहायक	पशुधन सहायक
1	2	3	4	5	6
1.	पशु चिकित्सालय, बिलाड़ा	1(7/2005 से)	-	-	-
2.	पशु चिकित्सालय, खेजडला	-	1(3/2002 से)	-	-
3.	पशु चिकित्सालय, बाला	-	1(7/2000 से)	-	-
4.	पशु चिकित्सालय, साथीन	-	1(3/2002 से)	-	-
5.	पशु चिकित्सालय, मांडलाकलां	-	1(10/2004 से)	-	-

1	2	3	4	5	6
6.	पशु चिकित्सालय, भींयासर	-	1(5/2005 से)	-	1(7/2005 से)
7.	पशु चिकित्सालय, आउ	-	1(2/2003 से)	-	-
8.	पशु चिकित्सालय, केलनसर	-	1(3/2003 से)	-	1(7/2004 से)
9.	पशु चिकित्सालय, भोजासर	-	1(11/99 से)	-	-
10.	पशु चिकित्सालय, ननेउ	-	1(5/2005 से)	-	-
11.	पशु चिकित्सालय, चाखू	-	1(6/2000 से)	-	-
12.	पशु चिकित्सालय, जैसला	-	1(8/2001 से)	-	-
13.	पशु चिकित्सालय, रोहिणा	-	1(3/2002 से)	-	1(7/2005 से)
14.	पशु चिकित्सालय, टापू	-	1(7/2002 से)	1(3/99 से)	-
15.	पशु चिकित्सालय, खेतासर	-	1(4/2000 से)	-	1(7/2005 से)
16.	पशु चिकित्सालय, बापीनी	-	1(3/2004 से)	-	1(7/2004 से)
17.	पशु चिकित्सालय, हतूण्डी	-	1(9/2000 से)	-	-
18.	पशु चिकित्सालय, भूंगरा	-	1(5/2005 से)	-	-
19.	पशु चिकित्सालय, दासानिया	-	1(7/2004 से)	-	-

1	2	3	4	5	6
20.	पशु चिकित्सालय, नाथडाऊ	-	1(2/2003 से)	-	1(7/2005 से)
21.	पशु चिकित्सालय, चामू	-	1(3/2003 से)	-	-
22.	पशु चिकित्सालय, गजसिंहपुरा	-	1(8/2005 से)	1(6/99 से)	-
23.	पशु चिकित्सालय, चाडी	-	1(8/2005 से)	-	-
24.	पशु चिकित्सालय, पूनिया की प्याऊ	-	-	1(4/2002 से)	-
25.	पशु चिकित्सालय, इंद्रोका	-	-	1(8/2002 से)	-
26.	पशु चिकित्सालय, पीपाडशहर	-	-	1(7/2003 से)	-
27.	पशु चिकित्सालय, पीलवा	-	-	1(3/2000 से)	-
28.	पशु चिकित्सालय, लोहावट	-	-	1(9/2001 से)	-
29.	पशु चिकित्सालय, धौलिया बारू	-	-	1(3/99 से)	-
30.	पशु चिकित्सालय, तिवंरी	-	-	1(5/2002 से)	-
31.	पशु चिकित्सालय, केतूमदा	-	-	1(1/2001 से)	-
32.	पशु चिकित्सालय, आगोलाई	-	-	1(9/99 से)	-
33.	पशु चिकित्सालय, मण्डोर (नगर निगम)	-	-	-	1(7/2005 से)

बर्खास्त अनुबंधित सईसों की पुनर्नियुक्ति

841. श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पशु पालन विभाग में अनुबंध के आधार पर सईसों की नियुक्ति की गई थी? यदि हां, तो कब व किस-किस की कहां-कहां पर?

(2) क्या यह सही है कि इन अनुबन्धित सईसों को दिये जाने वाला पारिश्रमिक नियमित वेतनमान पर नियुक्त कर्मचारियों के समकक्ष हो गया है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि अनुबंधित सईसों में से कुछ सईसों को नौकरी से हटा दिया गया था? यदि हां, तो किन-किन को, कब-कब व किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि निकाले सईसों में से कुछ सइसों ने नौकरी से निकाले जाने को गलत मानते हुए सेवा में वापस लेने के लिये आवेदन किया है? यदि हां, तो किस-किस ने व कब-कब? क्या सरकार इनको वापस सेवा में लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक किन-किन को व ,नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 1996-97 में 81 व्यक्तियों को सईस के पदों पर अनुबंध के आधार पर रखा गया था, जिनका विवरण अनुसंलग्नक ''क'' में दर्शाया गया है।

(2) जी नहीं। अनुबंध पर रखे गये सईसों को वित्त विभाग के परिपत्र एफ. 1(5)वित्त/नियम/03 दिनांक 13.01.03 के अनुसार भुगतान किया जा रहा है।

(3) जी हां। अनुबंधित सईसों को नौकरी से हटाये जाने का विवरण अनुसंलग्नक ''ख'' में दर्शाया गया है।

(4) जी हां। निकाले गये 10 अनुबंधित सईसों में से निम्नांकित सईसों ने सेवा में वापिस लेने के लिए आवेदन किया :-

क्र.सं.	नाम	आवेदन दिनांक
1	श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री मांगीलाल, कोटा	20.8.01

(पशुपालन मंत्री)

1	2	3
2	श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, कोटा	11.08.01
3.	श्री शहजाद पुत्र श्री अब्दुल हमीद, कोटा	20.03.01
4	श्री भूर सिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह, बाड़मेर	26.11.97

राजस्थान लोक सेवा में प्रतिनियुक्ति का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थिकरण अधिनियम, 1999 जारी हो जाने के कारण पुन: सेवा में लिया जाना संभव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गैर सरकारी दुग्ध एजेंसियों द्वारा दुग्ध संकलन से प्रभावित दुग्ध उत्पादक संघ

842. **श्री रामलाल** (बनेड़ा) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि एन.डी.डी.बी. मदर डेयरी तथा रिलायंस कंपनी द्वारा राज्य में सीधे ही दुग्ध का संकलन प्रारम्भ करने के प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां, तो इस प्रकार की कार्यवाही दुग्ध संघों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों के हित में होगी? यदि नहीं तो सहकारी क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

एन.डी.डी.बी/मदर डेयरी द्वारा विगत 1 मार्च, 2006 से गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था 'सहेली' के नाम से अप्रत्यक्षत: धौलपुर जिले में दुग्ध संकलन का कार्य प्रारम्भ किया गया है, जो कि सहकारी क्षेत्र के अधीन स्थापित जिला दुग्ध संघों से सम्बद्ध दुग्ध उत्पादकों के समग्र दीर्घकालिक हितों के पूर्णतया प्रतिकूल है।

वर्तमान में रिलायन्स कम्पनी द्वारा राज्य में दूध संकलन प्रारम्भ करने की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

वर्तमान उदारीकरण के दौर में आसन्न प्रतिस्पर्द्धात्मक बाजार व्यवस्था की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर दुग्ध उत्पादकों के हितों को समुचित संरक्षण प्रदान करते हुए सरस दूध एवं दुग्ध उत्पादों को बाजार में

(डेयरी मंत्री)

स्थापित रखने हेतु जिला दुग्ध संघों के कार्यकलापों में अधिक कार्यकुशलता एवं गुणात्मक सुधार लाकर संघों को सक्षम बनाने हेतु सघन प्रयास अनवरत जारी हैं।

तारानगर के नहरी क्षेत्रों में पुल निर्माण

843. डा. चन्दशेखर बैद (तारानगर) : क्या इंदिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन नहर व उसकी शाखाओं के ऊपर पुल बनाने की क्या नीति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त क्षेत्र में नहर व शाखाओं के ऊपर कितने पुल बनाने की सरकार की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्रामवासियों की सुविधा हेतु छोटे पुल (घोड़ा पुल) बनाने की योजना रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तारानगर विधान सभा क्षेत्र के लिए नहर पर पुल बनाने हेतु अलग से कोई नीति निर्धारित नहीं है। राजस्व रिकार्ड में गांवों के कटानशुदा रास्तों व शमशान आदि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पुल का निर्माण आवश्यकतानुसार करवाया जाता है। सामान्यतया: विभागीय मापदण्ड के अनुसार दो पुलों के मध्य अन्तराल 15 आर.डी. रखा जाता है।

(2) इस क्षेत्र के निर्माणाधीन नहर व शाखाओं पर कुल 72 पुल (विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न) बनाने की योजना है।

(3) प्रस्ताव आने पर जनहित में कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट ''अ''

पुलों की सूची

1. चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर कि.मी. 63.300 से 107.800 तक

1. वीआरबी 73.500 कि.मी. पर
2. वीआरबी 76.500 कि.मी. पर
3. वीएस 78.300 कि.मी. पर

4. वीआरबी 81.250 कि.मी. पर

5. वीआरबी 85.300 कि.मी. पर

6. वीआरबी 87.280 कि.मी. पर

7. वीआरबी 89.600 कि.मी. पर

8. वीआरबी 93.960 कि.मी. पर

9. वीआरबी 97.100 कि.मी. पर

10. वीआरबी 100.00 कि.मी. पर

11. वीआरबी 102.700 कि.मी. पर

12. वीआरबी 105.550 कि.मी. पर

13. वीआरबी 106.700 कि.मी. पर

14. वीआरबी 107.500 कि.मी. पर

2. साहवा डिस्ट्री किम 0 से 49.800 (टेल तक)

1. डीआरबी 0.152 कि.मी. पर

2. डीआरबी 1.600 कि.मी. पर

3. वीआरबी 3.000 कि.मी. पर

4. वीआरबी 5.800 कि.मी. पर

5. वीआरबी 7.050 कि.मी. पर

6. वीआरबी 9.700 कि.मी. पर

7. वीआरबी 11.00 कि.मी. पर

8. वीआरबी 12.720 कि.मी. पर

9. वीआरबी एच/आर 13.400 कि.मी पर

10. वीआरबी 14.750 कि.मी. पर

11. वीआरबी 16.900 कि.मी. पर

12. वीआरबी 18.850 कि.मी. पर

13. वीआरबी 20.500 कि.मी. पर
14. वीआरबी 22.075 कि.मी. पर
15. वीआरबी 23.300 कि.मी. पर
16. वीआरबी 24.700 कि.मी. पर
17. वीआरबी 26.750 कि.मी. पर
18. वीआरबी 29.500 कि.मी पर

3. साहवा माईनर कि.मी. 0 से 5.00 (टी) तक

1. वीआरबी 0.225 कि.मी. पर
2. वीआरबी 1.800 कि.मी. पर
3. वीआरबी 2.900 कि.मी. पर
4. वीआरबी 1.400 कि.मी. पर

4. धीरवास माईनर कि.मी. 0 से 10.900 तक

1 वीआरबी 0.750 कि.मी. पर

2 वीआरबी 3.200 कि.मी. पर

3 वीआरबी 4.500 कि.मी. पर

4 वीआरबी 5.800 कि.मी. पर

5 वीआरबी 7.250 कि.मी. पर

6 वीआरबी 8.275 कि.मी. पर

5. पुनसीसर माईनर कि.मी. 0 से 13.400 तक

1 वीआरबी 3.200 कि.मी. पर

2 वीआरबी 4.600 कि.मी. पर

3 वीआरबी 6.200 कि.मी. पर

4 वीआरबी 10.800 कि.मी. पर

5 वीआरबी 11.400 कि.मी. पर

6 वीआरबी 11.600 कि.मी. पर

7 वीआरबी 13.400 कि.मी. पर

6. रायटुण्डा माईनर कि.मी. 0 से 5.400 (टी) तक

1 वीआरबी 0.225 कि.मी. पर

2 वीआरबी 1.970 कि.मी. पर

3 वीआरबी 3.980 कि.मी. पर

4 वीआरबी 4.950 कि.मी. पर

7. भूरावास माईनर कि.मी. 0 से 4.900 (टी) तक

1 वीआरबी 0.210 कि.मी. पर

2 वीआरबी 0.990 कि.मी. पर

3 वीआरबी 2.190 कि.मी. पर

4 वीआरबी 2.900 कि.मी. पर

5 वीआरबी 4.510 कि.मी. पर

8. पुनरास माईनर कि.मी. 0 से 17.600 (टी) तक

1 वीआरबी 0.810 कि.मी. पर

2 वीआरबी 1.580 कि.मी. पर

3 वीआरबी 2.090 कि.मी. पर

4 वीआरबी 4.510 कि.मी. पर

9. कैलाश माईनर कि.मी. 0 से 17.600 (टी) तक

1 वीआरबी 1.175 कि.मी. पर

2 वीआरबी 2.085 कि.मी. पर

3 वीआरबी 3.330 कि.मी. पर

4 वीआरबी 5.650 कि.मी. पर

5 वीआरबी 6.040 कि.मी. पर

6 वीआरबी 6.770 कि.मी. पर

7 वीआरबी 8.150 कि.मी. पर

8 वीआरबी 10.310 कि.मी. पर

9 वीआरबी 12.175 कि.मी. पर

10 वीआरबी 16.570 कि.मी. पर

श्रीडूंगरगढ़ के अघोषित अकालग्रस्त ग्राम

844. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर की खरीफ की फसल वर्ष 2005-06 के दौरान गिरदावरी कब कराई गई। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त गिरदावरी के आधार पर उक्त विधान सभा क्षेत्र के कुछ ग्रामों को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्रामों को कितने-कितने प्रतिशत खराबे के आधार पर अकालग्रस्त घोषित किया गया? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के कुछ अन्य गांव अकालग्रस्त होते हुये भी अकालग्रस्त घोषित नहीं किये गये? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों द्वारा पुनः गिरदावरी कराने की मांग की गई? इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ जिला बीकानेर की खरीफ फसल 2005-06 की गिरदावरी 16 सितम्बर, 05 से 15 अक्टूबर, 05 तक निर्धारित समय अवधि में ही की गयी थी।

(2) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कुछ हिस्सा बीकानेर जिले का एवं कुछ हिस्सा चूरू जिले का है। बीकानेर जिले के अन्दर पड़ने वाले क्षेत्र के किसी भी गांव में फसल खराबा 50 प्रतिशत से कम होने के कारण किसी भी ग्राम को अभावग्रस्त घोषित नहीं किये गये हैं। चूरू जिले में पड़ने वाले अभाग्रस्त घोषित 12 गांवों में खराबे का प्रतिशत निम्नानुसार है :-

गिरवरसर	73 प्रतिशत	ढाणीधोरा	70 प्रतिशत
रामदेवरा	60 प्रतिशत	दडिबा	69 प्रतिशत
चक दडिबा	68 प्रतिशत	ढाणीसिविरा	66 प्रतिशत
ढाणीकालेरा	68 प्रतिशत	ढाणीरावली	66 प्रतिशत
ढाणीपोटलिया	62 प्रतिशत	भोमगोदुंसर	52 प्रतिशत
गोदुंसर	51 प्रतिशत	बीदासर	65 प्रतिशत

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है।

कुशलगढ़ के राशन डीलर/लैम्पस का बकाया भुगतान

845. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है जिला बांसवाड़ा एवं विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में राशन डीलर व लैम्पस का गत वर्ष अकाल के समय का कमिशन बकाया है? यदि हां, तो कितना व इसका कब तक भुगतान कर दिया जायेगा?

उत्तर

जी हां। जिला बांसवाड़ा में 15,60,247 रुपये एवं कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 9,08,198 रुपये का भुगतान बकाया है। भुगतान की कार्यवाही जारी है।

जिला अलवर के खनन क्षेत्र के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण

846. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले की कितनी खानें दिनांक 7 मई, 1992 के आदेश के अनुसार डी-फोरेस्ट कराने के लिये किस वर्ष में दरखास्त दी गई?

(2) कितनी खानों का ई.एम.पी. किस-किस तारीख को शामिल किया गया, कितनी खानों का पर्यावरण विभाग, नई दिल्ली ने स्वीकृति प्रदान की और कितनी फाइलों को एक्सपर्ट कमेटी द्वारा पास कर दिया गया?

(3) कितनी फाइलें केन्द्र के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जब राजस्थान सरकार को भेजी गई? इस समय में राजस्थान पर्यावरण विभाग ने अलवर जिले की कितनी फाइलें स्वीकृत की?

(4) पर्यावरण (प्रदूषण नियंत्रण मण्डल) की दिल्ली पर्यावरण विभाग से फाइल आने के बाद कितनी बैठकें सम्पन्न हुई।

उत्तर

(1) अलवर जिले में दिनांक 7.5.1992 के आदेश के अनुसार डी-फोरेस्ट करने हेतु 50 आवेदकों द्वारा दरखास्त दी गई है, इसका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है-

1997	33
1998	4

(पर्यावरण मंत्री)

1999	1
2001	10
2004	2
योग	**50**

(2) 1. भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30.4.2000 को लम्बित प्रकरणों में से 32 प्रकरणों की ई.एम.पी. दिनांक 17.9.1998 एवं 6.1.1999 को 7 प्रकरणों की ई.एम.पी. दिनांक 16.4.1999 को व 16 प्रकरणों की ई.एम.पी. दिनांक 16.9.99 को सम्पन्न हुई एक्सपर्ट कमेटी की बैठकों में रखे गये थे।

2. भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 27.7.01 के अनुसार अरावली अधिसूचना के अन्तर्गत 92 खनन परियोजनाओं की स्वीकृति जारी की गई थी। उनमें से एक इकाई ने जारी स्वीकृति को समर्पित (सरेण्डर) कर दिया एवं चार इकाईयों की स्वीकृति संबंधित मंत्रालय द्वारा निरस्त कर दी गई।

3. 43 आवेदन पत्रों के संदर्भ में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ शर्तों के आधार पर पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंषा की थी।

(3) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से 115 फाईलें 10 अक्टूबर, 2001 को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई।

पर्यावरण विभाग, राजस्थान द्वारा एक भी फाईल को स्वीकृति नहीं दी गई।

(4) इस प्रकार के प्रकरण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की बैठकों में नही रखे जाते हैं किन्तु परन्तु अरावली अधिसूचना 1992 व 1999 के अन्तर्गत गठित विशेषज्ञ समिति में रखे जाते हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से फाइलें आने के बाद विशेषज्ञ समिति की 12 बैठकें हो चुकी हैं।

अलवर कृषि उपज मण्डी द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्य

847. श्री जुबेर खान (रामगढ) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अलवर जिले की कृषि उपज मण्डी, अलवर, खैरथल एवं खेडली द्वारा गत दो वर्षों में विभिन्न निर्माण कार्यों पर

(श्री जुबेर खान)

व्यय किया गया है? यदि हां, तो विवरण वर्षवार व कार्यवार सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में मण्डी समितियों द्वारा निर्माण कार्य करवाने के क्या मादनण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले की कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर, खैरथल एवं खेडली में वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 05-06 (फरवरी, 2006) तक में गत दो वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यो पर व्यय किया गया है। विवरण निम्नानुसार परिशिष्टों में संलग्न है :-

1. मण्डी प्रांगणों पर कार्यवार व्यय की परिशिष्ट 'अ' सूचना
2. सड़क निर्माण पर कार्यवार व्यय की परिशिष्ट 'ब' सूचना
3. सड़कों की विशेष मरमम्त की कार्यवार परिशिष्ट 'स' व्यय की सूचना
4. मिसिंग लिंक सड़कों पर कार्यवार व्यय परिशिष्ट 'द' की सूचना
5. आर.यू.पी. परियोजना अन्तर्गत कार्यवार परिशिष्ट 'य' व्यय की सूचना
6. विद्युत कार्यो की सूचना परिशिष्ट 'र'

(2) सामान्य परिस्थितियों में मण्डियों की बचत की 60 प्रतिशत राशि सड़कों पर एवं 40 प्रतिशत राशि यार्ड कार्यो पर व्यय की जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट ''अ''

परिशिष्ट –1

(तारांकित प्रश्न संख्या –380 का विवरण)

जाली नोट चलाने व ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया जाकर 3 अभियोग दर्ज किये गये हैं जिनका मुकदमा वार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	मु.नं. दिनांक धारा व थाना	गिरफ्तार मुलजिम व उनसे बरामद राशि	बरामद राशि का निस्तारण	मुकदमा की वर्तमान स्थिति
1.	42/6.7.05 धारा 489 (ख), (ग) भादंस पु. थाना बागोड़	(1) श्री नगाराम से कुल 10000 रु. के जाली नोट (2) श्री भेराराम से कुल 7900 रु. के जाली नोट (3) श्री किशोर (4) श्री मंगला (5) श्री हेमा	नोट परीक्षण हेतु श्रीमान महाप्रबन्धक करेन्सी नोट नासिक रोड़ (महाराष्ट्र) को भेजे गये।	मुश्तबा, अशोक कुमार, कैलाश जैन, जेतमालसिंह रावणा राजपूत, कृष्णा दर्जी, नरींगा माली, बदाराम माली, जबराराम माली के विरूद्ध धारा 173 (8) जा. फो. के तहत अनुसंधान जारी रखा गया है।
2.	मुं.न. 296/25.10.05 धारा 489 (ख), (ग) भादंस पु. थाना जालोर	1. श्री दशरथसिंह 2. श्री मोहनलाल इस मुकदमें में मुस्तगीस से 500-500 के 32 नोट कुल 16000 रु. बरामद किये व गिरफ्तार शुदा मुलजिम कि ईत्तलानुसार ठेकेदार	नोट परीक्षण हेतु श्रीमान महाप्रबन्धक करेन्सी नोट नासिक रोड़ (महाराष्ट) को भेजे गये।	अनुसंधान सी.आई.डी. (सीबी) राज. जयुपर द्वारा किया जा रहा है।

क्र. सं.	मु.नं. दिनांक धारा व थाना	गिरफ्तार मुलजिम व उनसे बरामद राशि	बरामद राशि का निस्तारण	मुकदमा की वर्तमान स्थिति
2.		भगवाना राम ने 57000 रु. मालाराम ने 55,500 रु. गणेशाराम ने 28,700 रु. व पारसा राम ने 28,700 रु. पेश किये जो कब्जा पुलिस लिये गये।		
3.	मु.नं. 12/11.1.06 धारा 489 (ख), (ग) भादंस पु. थाना जालोर :-	1. श्री मीठा लाल से कुल 4500 रु. 2. श्री बदाराम से कुल 5000 रु. 3. श्री अकबरखां से कुल 5000 रु. 4. श्री अन्नाथुईई से कुल 4700 रु. 5. श्री वेलंगिरी उर्फ करनन से कुल 5000 रु. 6. श्री वेणू गोपाल से कुल 5000 रु. 7. श्री भौतानराम से कुल 7000 रु. 8. श्री भवानीसिंह से कुल 10000 रु. 9. श्री श्रवणराम से कुल 9600 रु.	नोट परीक्षण हेतु श्रीमान महाप्रबन्धक करेन्सी नोट नासिक रोड़ (महाराष्ट्र) को भेजे गये।	अनुसंधान सीआईडी. (सीबी) राज. जयपुर द्वारा किया जा रहा है।